एकादश माला, खंड 5, अंक 27

मंगलवार, 10 सितम्बर, 1996
19 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5 दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 27 मंगलवार, 10 सितम्बर, 1996/19 भाद्र 1918 (शक)

विषय **कालम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 521, 524 और 525 1–27

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 522, 523 और 526 से 540 27–51

आतारांकित प्रश्न संख्या 4874 से 5104 52–295

दिनांक 27.8.96 के अ.ता.प्र. संख्या 3108 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण 295

सभा पटल पर रखे गए पत्र 296–298

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र 298

नियम 377 के अधीन मामले 333–336

(एक) गन्ना सहकारी समितियों की भूमिका समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता 333

श्री अमर पाल सिंह

(दो) सागर में पेयजल की भारी समस्या का समाधान करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता 333–334

श्री वीरेन्द्र कुमार

(तीन) कालीकट हवाई-अड्डे से विदेश जाने वाले यात्रियों पर लगाये जा रहे 'प्रयोक्ता प्रभार' को समाप्त करने की आवश्यकता 334

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कालम**

(चार) बिहार के कटिहार जिले में हाल ही में आयी बाढ़ को रोकने के लिए जल कपाटों का निर्माण करने की आवश्यकता 334–335

श्री तारिक अनवर

(पांच) तमिलनाडु के थिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा में सुधार करनें की आवश्यकता 335

श्री डी. वेणुगोपाल

(छः) सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में समुद्र द्वारा भू-कटाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता 335–336

श्री सनत कुमार मडल

(सात) कर्नाटक में दक्षिणी कन्नड़ और कडागु जिलों के उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए जाने की आवश्यकता 336

श्री वी. धनन्जय कुमार

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक–पारित 337–361

विचार करने के लिए प्रस्ताव 337

श्री वी. धनंजय कुमार 338–341

प्रो. आई.जी. सनदी 342

श्री अनंत कुमार 342–344

श्री रामाश्रमय प्रसाद सिंह 344–345

श्री के.सी. कोंडय्या 345–346

श्री सी. नारायण स्वामी 346–348

श्री राम नाईक 348–352

श्री सत्य पाल जैन्न 352–353

श्री रमाकान्त डी. खलप 353–359

खण्ड

पारित करनें के लिए प्रस्ताव 360

विषय **कालम**

जम्मू–कश्मीर बजट, 1996
और
अनुदानों की मांगें–जम्मू कश्मीर 361–400

श्री जगमोहन 363–372

श्री राजेश पायलट 372–380

श्री सैयद मसुदल हुसैन 380–384

श्रीमती गीता मुखर्जी 384–386

प्रो. रासा सिंह रावत 386–393

श्री पी. नामग्याल 393–410

श्री हन्नान मोल्लाह 411–413

श्री सुरेश प्रभु 413–414

लोक सभा

मंगलवार, 10 सितम्बर, 1996/19 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र

*521. +श्री नारायण अठावले :
श्री राम नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड गठित करने हेतु संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान। राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव आया है।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है। क्योंकि इस मुद्दे में अनेक कानूनी और संवैधानिक जटिलताऐं अन्तर्ग्रस्त हैं, अत: इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री नारायण अठावले : अध्यक्ष महोदय, कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक सांविधिक विकास बोर्ड गठित करने की मांग कोई आज की मांग नहीं है। 13 मार्च, 1989 को महाराष्ट्र के दोनों सदनों में सांविधिक विकास बोर्ड गठित करने की मांग उठी थी। विदर्भ को पृथक बोर्ड मिला, मराठवाड़ा को पृथक बोर्ड मिला, लेकिन कोंकण को पृथक विकास बोर्ड नहीं मिला। जैसे सर्कस में एक थाली में शेर और बकरी को खाना खिलाया जाता है, वैसे ही कोंकण को पुणे, नासिक नगर, कोल्हापुर, सतारा जिलों जैसे विकसित शेरों के साथ एक ही थाली में खाना खिलाया जाता है। कोंकण का प्रश्न बिहार राज्य जैसा ही है। जैसे अन्य अविकसित प्रदेश देश में हैं, वैसा ही प्रश्न कोंकण का है और कोंकण का खून मुम्बई चूस लेती है। कोंकण के घरों में बूढ़े लोग मृत्यु और मनीआर्डर की राह देखते हैं। जब मुम्बई से मनीआर्डर आएगा, तभी कोंकण के लोगों को खाना मिलेगा। इसलिए अगर कोंकण का विकास करना है...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए, यह भाषण का समय नहीं हैं।

श्री नारायण अठावले : महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। इस प्रकार का प्रस्ताव होने के बावजूद भी विकास बोर्ड गठित करने की सीमा क्यों नहीं बांध देते हैं–यह मेरा पहला प्रश्न है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, विकास बोर्डों के प्रश्न के संबंध में, इस समय इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत शासित किया जाता है और इसके द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल को इस मामले में कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा विकास बोर्ड पहले ही गठित किए जा चुके हैं तथा विदर्भ तथा मराठवाड़ा में यह कार्य कर रहे हैं।

इसकी तीसरी शाखा शेष महाराष्ट्र के लिए स्थापित की जाने की संभावना है जिसमें, नि:संदेह कोंकण क्षेत्र शामिल है। परन्तु यदि कोंकण के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 371 (2) में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। संविधान के अन्तर्गत यह स्थिति है। यह सत्य है कि कुछ वर्षों से महाराष्ट्र सरकार भारत सरकार पर दबाव डालती आ रही है और अनुरोध करती रही है कि कोंकण के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। परन्तु चूंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से अभी तक इस मामले का हल नहीं हो पाया है। परन्तु इस मामले को समाप्त नहीं किया गया है, इस पर कार्यवाही हो रही है तथा लगातार विचार जारी रहेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : दूसरा सवाल पूछिए।

श्री नारायण अठावले : जब उत्तर मध्य की मांग हो गई तो जल्दी से प्राइम मिनिस्टर ने एनाउंस किया कि उत्तराखंड का अलग राज्य होगा। महाराष्ट्र के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो सीमावाद है, वह 40 साल से आज पड़ा है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। वैसी ही हालत आज कोंकण के विकास की होगी। इसलिए अगर आप टाइमबाउण्ड

जवाब दें कि यह एक साल में होगा तो ठीक होगा। कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट आज पहली बार हो नहीं रहा है। इतनी अमेंडमेंट हमेशा होती है, ये भी करो।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि कोंकण क्षेत्र निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ तथा अविकसित क्षेत्र है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 12 मार्च, 1991 को तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए एक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था। पुन: 1.1.1994 को महाराष्ट्र सरकार ने प्रारूप योजना प्रस्तुत की। परन्तु इस योजना में कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड के प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा उसका उल्लेख नहीं किया गया। यह योजना 1.1.1994 की है। मुझे इसके कारण नहीं पता।

तत्पश्चात् पुन: 25.3.1994 को महाराष्ट्र सरकार ने इस छोटे से अन्तराल में तत्कालीन प्रधानमंत्री से एक अलग विकास बोर्ड का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरम्भ करने की शुरूआत करने का अनुरोध किया।

18 मई, 1995 को तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में इस सभा में कहा, मैं उद्धृत करता हूँ:

> "सरकार का यह विचार है कि 9.3.1994 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत शेष महाराष्ट्र के लिए गठित किए गए विकास बोर्ड में कोंकण भी सम्मिलित है तथा इस क्षेत्र की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं पर इस बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस मामले के सम्बन्ध में चर्चा करने का विचार है।"

इसलिए, उनकी कोई बातचीत हुई थी तथा जो विचार उभरा वह यह था कि कोंकण क्षेत्र के लिए अलग से विकास बोर्ड स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तथापि तत्कालीन गृहमंत्री ने मांग की थी कि अनुच्छेद 371 (2) में संशोधन के अतिरिक्त प्रस्तावित विकास बोर्ड को शेष महाराष्ट्र के लिए गठित वर्तमान विकास बोर्ड से अलग बनाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से, प्रस्तावित कोंकण विकास बोर्ड के लिए वित्तीय आबंटन शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड हेतु भी आबंटित की गई वित्तीय सहायता में से लिया जाना चाहिए। अत: ये चर्चाएं होती रही हैं, विचार-विमर्श चलता रहा है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी ने भी एक अलग विकास बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया है। इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ कि इस कार्य में कितना समय लगेगा, क्योंकि यह मामला अभी चल ही रहा है। इस प्रश्न पर बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई। जहां तक संविधान में संशोधन आदि की बात का संबंध है, रेल मंत्रालय तथा कुछ लोगों द्वारा कुछ आपत्ति व्यक्ति की गई हैं।

अभी मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊँगा। यदि शेष महाराष्ट्र के लिए वर्तमान विकास बोर्ड अगले कुछ वर्षों की अवधि में कोंकण क्षेत्र की विकासीय आवश्यकताएँ प्रभावी ढंग से पूरी नहीं कर सकता तथा सरकार इस बात से सहमत है कि यदि उस क्षेत्र को अलग बोर्ड के अन्तर्गत अलग कर दिया जाए तो उसका अच्छा विकास हो सकता है, तो कोंकण के लिए अलग बोर्ड के गठन के मामले पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बताया, वह पूरा तथ्य यहां पर नहीं बताया। 4 दिसम्बर,1995 को उस समय के गृह मंत्री जी ने पत्र लिख कर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी को बताया कि हम इस प्रकार का बोर्ड बनाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। इसके पहले केवल विधान सभा ने ही प्रस्ताव किया था, ऐसा नहीं हैं। इस बारे में सभी पार्टियों के एमपीज़ की प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद यह पत्र उस समय के गृह मंत्री जी ने लिखा है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है, पहले की सरकार ने, गृह मंत्री जी ने ऐसा पत्र दिया है और इस उत्तर में अभी के गृह मंत्री जी यह कहते हैं कि इसके अन्तर्गत अनेक कानूनी और संवैधानिक जटिलताएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कौन सी कानूनी कठिनाइयां और संवैधानिक जटिलताएं हैं।

[अनुवाद]

यह केवल संविधान में संशोधन है।

[हिन्दी]

इसमें कौन सी कठिनाइयां हैं, वह मैं जानना चाहता हूं। सरकार ने अभी जो कहा कि कुछ लोगों ने इसके बारे में विरोध किया हैं तो वे कौन से लोग हैं, यह भी हम जानना चाहते हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें मुख्य कठिनाई यह है कि कांस्टीट्यूशन की इस धारा में संशोधन करना पड़ेगा। अगर सरकार की यह राय हो और हाउस की राय हो तो इस संशोधन को करने के लिए जो काम शुरू करना जरूरी है वह किया जा सकता हैं। अभी जैसे मैंने हाउस को बताया कि

जनवरी, 94 में राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव, स्कीम यहां भेजी उसके अंदर कोंकण का कोई जिक्र नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, यह मुझे मालूम नहीं हैं। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : संविधान में वह प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि तीन बोर्ड गठित होने के पश्चात् एक नया प्रस्ताव आया। चूंकि उस विकास बोर्ड का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्र का सुधार करना है अत: यदि मुम्बई और पुणे को भी इस सांविधिक बोर्ड में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही कारण था कि प्रस्ताव तत्पश्चात् आया।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह जो विरोध की बात आई है कि कोंकण के लिए बोर्ड बनना है या नहीं बनाना है, इस पर कोई तर्क नहीं है। एक सज्जन हैं उनका नाम यशवंत जीजाबेग मोहित है। उन्होंने मुम्बई हाईकोर्ट में रिट पेटिशन नम्बर 2481, 1980 में दाखिल किया।

[अनुवाद]

उसे चुनौती देते हुए संविधान के अधिकार से बाहर बताया है।

[हिन्दी]

वह प्रोवीजन जिसमें गर्वनर को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। उनका कहना है।

[अनुवाद]

राज्यपाल को दिया गया विशेष उत्तरदायित्व उसे सीधा नियन्त्रण करने की शक्ति प्रदान करता है जो कि संविधान के मूल ढांचे तथा शेष भारत में प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमों के विरुद्ध है। अब यह मामला निर्णयाधीन है। यह अभी भी खण्ड-पीठ के समक्ष लंबित है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वह तो पुरानी बात है।...(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह पेंडिंग है। ...(**व्यवधान**)

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की धारा 371 के तहत यह जो बोर्ड बनाया, इसमें मैं खास तौर से विदर्भ के लिए कह रहा हूं कि इस बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। इसमें जो लोगों के अधिकार हैं वे गर्वनर को दिए गए हैं। आज लोगों की भावना यह है कि हमको विदर्भ राज्य चाहिए, विदर्भ राज्य लोगों की जान और माल है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। आज विदर्भ के लोगों में असंतोष है। जन-प्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकार गर्वनर को देने से विदर्भ की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ हैं। बोर्ड को बर्खास्त कराकर विदर्भ की जनता की मांग को पूरा करो।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय मंत्री जी को लेना है कि वह उत्तर दे सकते हैं या नहीं। यदि मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है तो मैं उन पर दबाव नहीं डालूँगा। यह महाराष्ट्र से संबद्ध हैं। श्री मेघे, कृपया प्रश्न पूछें।

श्री दत्ता मेघे : विदर्भ की दो करोड़ जनता की यह मांग है कि, आप इस पर विचार करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यह केवल भाषण कर रहे हैं कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : .मैं आपको अनुमति दूँगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेघा जी, कृपया प्रश्न उठाएँ। अब कोई भाषण नहीं दिया जा सकता। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अब भाषण नहीं दे सकते। कृपया आप बैठ जाएँ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जो प्रश्न सभा पटल पर रखा गया है तथा जिसका मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका सम्बन्ध विदर्भ के लिए अलग राज्य स्थापित करने से नहीं है। विदर्भ के लिए अलग राज्य इस प्रश्न का विषय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम भी कोंकण से आए सदस्य हैं। अध्यक्ष जी, यह कोंकण के विकास में रुकावट डालना चाहते हैं। आप कोंकण के विकास में रुकावट मत डालिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुरेश प्रभु को अनुमति दी है। मेघे जी, रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएँ। यह काफी है। आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभु, रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र के लोग हमेशा एकजुट रहे हैं। अब आप शेष क्यों प्रकट कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएँ। मैं खड़ा हूँ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : आपने चार वर्ष क्या किया। विदर्भ की जनता को केवल आपने दबाया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार चिल्लाना नहीं चाहिए। कृपया ऐसे मत चिल्लाइये। आप सभा में बैठे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएँ। मैं खड़ा हूँ। आप एक दल के नेता हैं। जब मैं खड़ा हूँ तो आप खड़े नहीं हो सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक दल के नेता हैं। नेताओं का आचरण अन्य सदस्यों से थोड़ा बेहतर होना चाहिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार : वह आवश्यक नहीं है। संसद के प्रत्येक सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके दल के एक सदस्य को अनुमति दी है। वह पूरक प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सीधा मेरा सम्बन्ध है क्योंकि मैं उस कोंकण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो हमेशा से उपेक्षित रहा है। और मुझे माननीय मंत्री जी से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में उनका नजरिया भी वही है। लेकिन अब हमारे लोग माननीय मंत्री जी द्वारा दिखाई गई ऐसी दिखावटी सहानुभूति से सन्तुष्ट नहीं होंगे। जब हमसे सुना कि पृथक राज्य बनाए जा रहे हैं तो हमने पृथक राज्य की मांग कभी नहीं की। हम संविधान के दायरे में कार्य करने के इच्छुक हैं। हम महाराष्ट्र के सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में से एक—पश्चिम महाराष्ट्र के अंग रहे हैं। कोंकण क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है, मराठवाड़ा या विदर्भ की अपेक्षा अधिक पिछड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : स्वयं मंत्री जी यह बात कह चुके हैं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री सुरेश प्रभु : ऐसे बोर्ड बनाने का मानदण्ड क्या था और यदि यह मानदण्ड कोंकण पर लागू होता है, तो बोर्ड बनाया क्यों नहीं गया? मन्त्री जी की राय में, पृथक बोर्ड बनाने में संवैधानिक अड़चन क्या है?

इस बात को देखते हुए कि-जैसाकि मंत्री जी सभा में पहले ही कह चुके हैं - इसमें कुछ समय लगेगा, क्या भारत सरकार मध्यवर्ती अवधि के लिए कोंकण को कोई विशेष अनुदान देने का विचार कर रही है ताकि संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने तक पिछड़ापन बना न रहे। क्या सरकार उस क्षेत्र के संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का विचार कर रही है ताकि ऐसी तदर्थ अनुदानों की निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अनुदान लक्ष्यगत लोगों तक पहुंचे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इन विकास बोर्डों की स्थापना की पूरी योजना—वह ठीक है अथवा गलत, मैं नहीं कह सकता - वस्तुतः यह है कि ऐसे क्षेत्रों को अपने पिछड़ेपन और अल्प विकसित स्वरूप पर काबू पाने के लिए इन विकास बोर्डों के माध्यम से विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

अब श्री दत्ता मेघे शायद यह सोचकर इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि जहां तक विदर्भ के लिए विकास बोर्ड का संबंध है यह बेकार है। इसने बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं किया है। यह उनकी अपनी राय है। पहले से विद्यमान विकास बोर्डों के वास्तविक कार्यकरण और कार्य-निष्पादन के बारे में राय अलग-अलग हो सकती है। परन्तु जहां तक मैं समझता हूँ यहां उपस्थित माननीय सदस्य कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने के लिए जोर नहीं डाल रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : जी नहीं, महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह विकास बोर्ड बनाया क्यों नहीं गया। इसे मराठवाड़ा तथा विदर्भ के साथ ही बना दिया जाना चाहिए था। यदि इसे नहीं बनाया गया है तो यह एक भूल है जिसे शुरू से ही सुधारा जाना चाहिए।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि इसे पहले ही क्यों नहीं बनाया गया। तत्कालीन सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए अथवा श्री पवार जो यहां उपस्थित हैं, इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है कि कोंकण के लिए पृथक बोर्ड स्थापित करने के लिए प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह मामला समाप्त नहीं हुआ है, इस पर कार्यवाही जारी है। ऐसा किया जा सकता है बशर्ते कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि विकास बोर्ड जो विदर्भ तथा मराठवाड़ा के अलावा शेष महाराष्ट्र के लिए है, कोंकण की समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम नहीं है। तब निश्चित रूप से उसे उठाया जा सकता है...(**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार गीते : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए....

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पूछने का है, बोलने का नहीं है।

[अनुवाद]

मैंने श्री शरद पवार को अनुमति दी है।

श्री शरद पवार : महोदय, अनुच्छेद 371क इस प्रकार है, "विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए तथा शेष महाराष्ट्र के लिए एक पृथक बोर्ड होगा।" कोंकण क्षेत्र शेष महाराष्ट्र के अन्तर्गत आता है। कोंकण क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है इसी कारण महाराष्ट्र विधान सभा तथा परिषद दोनों ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश करते हुए एक संकल्प पारित किया कि भारत सरकार अनुच्छेद 371क में समुचित संशोधन करे और कोंकण के लिए विशेष प्रावधान करे। क्या भारत सरकार कोंकण के लिए एक पृथक बोर्ड बनाने पर विचार करेगी जिसका प्रस्ताव महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा किया गया है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि जहां तक कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने का सम्बन्ध है, हमने इस मांग को अस्वीकृत नही किया है, विकल्प खुला है और कार्यवाही की जा सकती है। इस बीच कुछ विवाद सा हो गया था। कोई यह कह रहा है कि विकास बोर्ड ही निरर्थक है।

दूसरे, इससे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए, ऐसा हो सकता है बशर्ते कि सभा की आम भावना ऐसी हो तथा उसकी ऐसी आम राय हो।

श्री शरद पवार : कोई यह सोच सकता है कि इस बोर्ड का कोई लाभ नहीं है अथवा यह बेकार है। परन्तु महाराष्ट्र विधान सभा और विधान परिषद दोनों ने सर्वसम्मति से उसकी सिफारिश की है। अतः, राज्य के प्रत्येक कोने में यह आम भावना है। इसलिए क्या भारत सरकार अपने विवेक का प्रयोग करेगी और निकट भविष्य में अनुच्छेद 371 में संशोधन का प्रस्ताव करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री जी ने यह कहकर इस बात का उत्तर दे दिया है कि यह मामला समाप्त नहीं हुआ है और यह कि सरकार अभी भी इस पर विचार कर रही है।

श्री शरद पवार : इस संबंध में कोई विवाद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि महाराष्ट्र में विवाद है। विवाद कहीं और हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा का राज है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार का यही नजरिया कोंकण की तरफ देखने का था और कोंकण हमेशा पिछड़ा हुआ रहा। आज जब कोंकण के वैधानिक विकास मंडल के बारे में यहां प्रश्न किया गया तो अलग विदर्भ की मांग यहां की जा रही है और कोंकण के विकास में रुकावट लाने की कोशिश हो रही है। वैधानिक विकास मंडल जो विदर्भ का है, मराठवाड़ा और जो रैस्ट ऑफ द महाराष्ट्र है, वैधानिक विकास मंडल से इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सहायता उस प्रदेश को मिली हुई है और कोंकण विकास के लिए सपने देख रहा है। कोंकण की गरीब जनता विकास के लिए तड़प रही है और मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार ने महाराष्ट्र की विधान सभा...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न अब पूछिए। आप भाषण नहीं दे सकते। यदि प्रत्येक व्यक्ति भाषण देने लगा तो हमें प्रश्नकाल समाप्त करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महाराष्ट्र विधान सभा ने जो प्रस्ताव किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के गृह मंत्री जी कोंकण विकास मंडल को तुरंत मान्य करने के बारे में कोई कदम जल्दी उठाने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, मैं पहले कही हुई बात पुनः दोहराना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि अगला प्रश्न भी दोहराया जाएगा और फिर वही उत्तर दोहराना पड़ेगा। अब आप इसे पुन: कह सकते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : माननीय सदस्यों को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि केवल कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने के प्रति केन्द्र सरकार की ओर से कोई आपत्तियां विरोध है। की जाने वाली कुछ आपत्तियों, जिन्हें आप भी देख रहे हैं, के बावजूद इस पर अनुकूल विचार किया जाएगा। मुझे आशा है कि हम यथासंभव शीघ्र प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तथा उत्तर दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न पूछने के बाद मुझे भी वही उत्तर मिलेगा। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ–कोंकण के मामले में, महाराष्ट्र राज्य विधान सभा में संकल्प पारित होने के बाद सर्वसम्मति से पुरजोर सिफारिश केन्द्र सरकार को की गई थी–केन्द्र ने इस प्रस्ताव विशेष पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या इसका कोई विशिष्ट कारण है? उन्होंने कहा कि 1980 में किसी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी और उसके कारण ही वे इस पर विचार करते रहे हैं। रिट याचिका दायर करने के बाद, सरकार ने अनेक जिला विकास बोर्डों के गठन का फैसला किया है। कोंकण के मामले में, यदि संविधान में कोई संशोधन अपेक्षित है तो इस संशोधन का प्रस्ताव क्यों नहीं किया गया है? संसदीय चुनाव होने के पश्चात् ग्यारहवीं लोक सभा का गठन किया गया है और यहां अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गए। महाराष्ट्र राज्य की सिफारिश के पश्चात् भी यह विशिष्ट संशोधन क्यों नहीं लाया गया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष जी, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसका कोई विशेष कारण नहीं है। जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा वह यह है कि कोंकण क्षेत्र के बारे में कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं। मुझे इस संबंध में सुविचारित योजना या केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्विरोध रूप से पारित कर दिये गये, दो संकल्पों का उल्लेख किया और पूछा कि इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ। उस समय हम सत्ता में नहीं थे।

नि:संदेह विधान सभाओं के निर्विरोध संकल्पों का बहुत महत्त्व है। लेकिन अनेक लोगों को वे ग्राह्य नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अलग उत्तराखण्ड राज्य बनाने के पक्ष में सर्वसम्मति से तीन बार प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद यह तब विवादग्रस्त प्रश्न बना रहा जब तक केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं किया था। कोंकण के मामले में मैं यह नहीं सोचता हूं कि विकास बोर्ड की मांग का विरोध करने का कोई विशेष कारण है। ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरा अपना विचार भी है। मैं आशा करता हूँ कि अब, आम भावनाएं, जो यहां व्यक्त की जा रही हैं, को ध्यान में रखने में संबंधित प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों की मांग/उत्पादन

*524. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री डी०पी० यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में फलों और सब्जियों की अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या फलों और सब्जियों का उत्पादन आवश्यकता से बहुत ही कम होता है;

(ग) यदि हां, तो उनके कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादकों को उचित मूल्य का भुगतान करने और उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्यों पर बाजार में पर्याप्त मात्रा में फलों और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) फलों और सब्जियों की मांग, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रही है। फलों का उत्पादन 1991-92 के 28.63 मिलियन मी. टन से बढ़कर 1993-94 में 39.47 मिलियन मी. टन हो गया तथा सब्जियों का उत्पादन 1991-92 के 58.53 मिलियन मी. टन से बढ़कर 1993-94 में 65.09 मिलियन मी. टन हो गया। इन उत्पादों की खपत मुख्यतया देश में ही, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में हो जाती है।

(ख) और (ग). फलों और सब्जियों का उत्पादन, कुल मिलाकर आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त है, क्योंकि फलों और सब्जियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1981-82 से

1993-94 तक क्रमश: 6.3 और 8.0 प्रतिशत रही है, जो काफी ऊँची है। लेकिन, प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम रहा है, जिसके कारण निम्न प्रकार से हैं :-

1. पुराने बागान।

2. उन्नत रोपण सामग्री का न मिलना।

3. अपर्याप्त विस्तार सुविधाएं।

4. कटाई के बाद अपेक्षित सुविधाओं और विपणन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत अंश हर वर्ष नष्ट हो जाता है।

5. उन्नत प्रौद्योगिकी तथा कीट प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को अपनाने में कमी।

(घ) और (ङ). फलों और सब्जियों के उत्पादन तथा विपणन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये आठवीं योजना अवधि में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :-

1. ऊष्णकटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र के फलों के समेकित विकास की योजना।

2. सब्जियों के बीजों का उत्पादन और पूर्ति।

3. कन्द और मूल फसलों का विकास।

4. खुम्बी का विकास।

5. कृषि में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग।

6. फसल उत्पादकता सुधारने के लिये मधुमक्खी पालन का विकास।

7. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन योजनाए:

(1) फलों और सब्जियों के संबंध में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे के प्रबन्ध संबंधी समेकित परियोजना।

(2) उदार ऋण में भागीदारी के जरिए बागवानी उत्पाद की विपणन् व्यवस्था।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण उद्यानों की स्थापना।

(4) बागवानी फसलों से संबंधित मंडी सूचना सेवा।

(5) बागवानी उत्पादकों के प्रशिक्षण और दौरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिये कि मण्डी में अधिक माल आ जाने पर इन जिंसों के लिये उत्पादकों को उचित मूल्य मिले मण्डी में हस्तक्षेप की योजना चल रही है तथा उपभोक्ताओं को फल और सब्जियां उचित मूल्यों पर सुलभ कराना सुनिश्चित करने हेतु, सरकार नैफेड, राज्यीय एजेन्सियों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से बिक्री सुनिश्चित करती है।

श्री भक्त चरण दास : अध्यक्ष महोदय, देश में फलों और सब्जियों की मांग भारी मात्रा में बढ़ गयी है। मंत्री महोदय के उत्तर से ज्ञात होता है कि उष्ण कटिबंधी शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के अन्तर्गत 1992 से 1996 तक 4,720 लाख रुपयों का निवेश किया गया था लेकिन 1996 तक केवल 3015 लाख रुपये ही व्यय किये जा सके और शेष 1,705 लाख रुपये व्यय नहीं किये जा सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इस धन का उपयोग न करने के क्या कारण हैं।

दूसरी बात यह है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के आहार विज्ञान सहयोग द्वारा 40 मिलियन टन फल और 95 मिलियन टन सब्जियों की मांग की सिफारिश की है। सरकार इस माँग से कैसे निपट रही है? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि चूँकि मांग बड़ी है और बड़ी माँग से निपटने के लिए उनके पास क्या कार्यक्रम हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हाँ। यह एक तथ्य है कि जो धनराशि जारी या उपलब्ध कराई जाती है का उपयोग नहीं किया जाता है। विगत में ऐसा हुआ है। अब मैंने योजनावार नयी निगरानी पद्धति का शुभारम्भ किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें सुधार होगा लेकिन स्थिति वही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है उस बारे में मैं यही कहूँगा कि सब्जियों की कुछ कमी है। माननीय मंत्री महोदय के अनुमान के अनुसार 95.6 मिलियन टन सब्जियों की आवश्यकता है। देश में 55 मिलियन टन सब्जियाँ हैं। योजनाएं हैं। मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि हम इसमें सुधार कर सकते तो न केवल हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं बल्कि निर्यात के लिए भी और सब्जियों उपलब्ध हो सकती हैं। इसी प्रकार यह फलों के लिए लागू है। इसकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन हम इसमें सुधार चाहते हैं और इसके लिए योजनायें हैं। यदि राज्य सरकारें पूर्णरूप से सहयोग करती है और यदि माननीय सदस्य भी हमारी सहायता करते हैं, तो मैं और अधिक योजनाओं को बनाने के लिए तैयार हूँ ताकि अधिक फल और सब्जियाँ उपलब्ध हों।

श्री भक्त चरण दास : सरकार ने सब्जी विकास के लिए वर्ष 1996-97 में 190 लाख रुपये आबंटित किये हैं। लेकिन अब तक 103 लाख रुपये ही जारी किये गये हैं। विभिन्न राज्यों को शेष 87 लाख रुपये जारी न करने के क्या कारण हैं?

दूसरा प्रश्न यह है कि इस वर्ष उड़ीसा को 6.25 लाख रुपये क्यों नहीं आबंटित किये गये ?

श्री चतुरानन मिश्र : ऐसा उपयोग प्रमाण पत्र न आने के कारण है। इसलिए इसे रोक दिया गया है। जिस समय भी प्रमाण पत्र आयेगा, मैं उसी समय जारी करने को तैयार हूँ।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि फलों के निर्यात में आज भारत का प्रमुख स्थान है। हिन्दुस्तान के छोटे किसान गांवों में रहते हैं, वे फल और सब्जियां उगाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि फल और सब्जियां उगायें तो बेचें कहां? कहीं शहर गांव से दूर हैं, मंडी में जब वे ले जाते हैं तो मंडी में या तो वह खराब हो जाता है या औने-पौने दाम पर बिकती है और इसलिए जो किसान फल और सब्जियां पैदा करना चाहते हैं, वे निरुत्साहित होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर गांव का किसान अपने गांव में फल और सब्जियां पैदा करता है तो क्या सरकार उसका उत्पादन वहीं खरीदकर उसे उचित मूल्य देगी और जो उपभोक्ता हैं उनको कम दामों पर फल और सब्जियां उपलब्ध करायेगी। क्या उसी के गांव में फल और सब्जियां खरीदने की आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : अगर सरकार सब्जी खरीदकर बेचने लगेगी तो हाल क्या होगा, आप समझ सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह : मेरा सवाल है कि जब छोटा किसान बाजार में जाता है...**(व्यवधान)** उसके लिए बाजार की व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर सुनिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : आप प्रश्न को मजाक में मत टालिए। उसकी भावना को समझिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को उत्तर देने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : आज छोटे किसान को मार्केट नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया बैठ जाइए। पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये। उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : जब आपने सवाल उठाया है तो उसका जवाब भी तो सुन लीजिए।

श्री शिवराज सिंह : आप तो मजाक करने लगे...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब चाहिए या नहीं।

[अनुवाद]

मैं मंत्री को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूँगा। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं मंत्री को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया बैठ जाइये। उत्तर देने की जरूरत नहीं। यदि सदस्य उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उत्तर क्यों दें?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : आप प्रश्न की मूल भावना को समझकर कहिए।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : आपने उन्हें अनुमति दे दी।...**(व्यवधान)** यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यदि कोई संसद सदस्य, प्रश्न पूछे जाने के बाद, मंत्री महोदय के उत्तर में व्यवधान डालेगा तो मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति नहीं दूँगा।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के 'ग' भाग की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें पूछा गया है कि फलों और सब्जियों के कम उत्पादन के क्या कारण हैं। मैं समझता हूं कि शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पहले सब्जियां उगती थीं, वहां अब मकान बन गए हैं। अब दूरदराज के गांवों में ही सब्जी उगाई जा सकती हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार सब्जियां खरीदे लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार गांवों में आवागमन के साधन उपलब्ध कराए ताकि सब्जियों और फलों के उत्पादक अपनी प्रोड्यूस को शहरों में लाकर बेच सकें या

खरीदने वाला वहां जाकर खरीद ले। इससे सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार गांवों में आवागमन के साधन जुटाने के लिए कोई व्यवस्था करेगी?

श्री चतुरानन मिश्र : आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उस टाइम भी मैं कह रहा था, आपने नहीं सुना। मेरा कहना है कि एक नेशनल हौर्टिकल्चर बोर्ड है जो सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिये 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा दे सकता है, एडवांस क्रेडिट दे सकता है। उसके पास अभी कुछ रुपया बाकी है। हम ट्रांसपोर्ट का एलाउंस भी दे सकते हैं। हम कोल्ड स्टोरेज भी आपको बनवा कर दे सकते हैं...**(व्यवधान)** हम ये सभी सुविधाएं दे सकते हैं। किसान लोग कोआपरेटिव बना लें। लेकिन हमने आपसे इतना ही कहा था कि अगर सरकार इस काम को करेगी तो उसका अच्छा नतीजा नहीं होगा। यह मैंने मजाक में नहीं कहा था, सच्चाई यही है। हम आपको मदद देने को तैयार हैं। माननीय सदस्य जिस इलाके के बारे में कह रहे हैं, वहां कोआपरेटिव बनाकर हमें दे दें, हमारे पास स्कीम आ जाए, आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास रुपया है, रुपए का युटिलाईजेशन नहीं हुआ है। अगर इसी प्लान के अंतिम वर्ष में भी हमें स्कीम दे दें, जिनके इलाके का यह सवाल है, आप जोर लगाएं तो जितना रुपया है, उसे हम खर्च कर देंगे। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं जानना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में सब्जियों के लिए सहकारिता की स्थापना हो गई है, वर्ष 1996-97 में जो ऐसे इलाकें हैं, जहां सब्जियों के लिये कोआपरेटिव मार्केटिंग है, क्या सरकार कृषि उत्पादन बाजार समिति और सड़कों के विकास के लिये कोई बोर्ड गठित करने के लिए कोई स्कीम बनाना चाहती है जिससे फलों और सब्जियों का विकास हो सके और उत्पादकों को उचित दाम मिल सकें।

श्री चतुरानन मिश्र : रोड्स बनाने के लिये तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे मैंने पहले कहा है, अच्छे बीज आदि में मदद कर सकते हैं। जो भी कोआपरेटिव स्कीम आप लाएं, उसके लिये हम बड़ी हमदर्दी से विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : क्या उसके लिये राज्य सरकार के माध्यम से स्कीम का आना जरूरी है या डायरेक्ट आपके मंत्रालय को भेजी जा सकती है?

श्री चतुरानन मिश्र : देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से तो भेजनी ही पड़ेगी।

श्री रमेन्द्र कुमार : तब तो कुछ नहीं हो सकेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : राज्य सरकार को भी अधिकार है। संविधान के मातहत राज्य सरकार बनी है और संविधान के मातहत ही हम बने हैं, लेकिन नैशनल हार्टीकल्चर बोर्ड जो है वह डायरेक्ट भी कोआपरेटिव को देता है और इसलिए आप उसको भी लाइए। दोनों का इंतजाम है, लेकिन यह मत कहिए कि हमें राज्य सरकार की जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अपने जवाब में यह बताया है कि प्रति हैक्टेयर कम उत्पादन क्यों हुआ है और उसके कुछ कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने उत्तर के चौथे नंबर पर बताया कि कटाई के बाद अपेक्षित सुविधाएं न होने और विपणन की सुविधाओं की कमी के कारण लगभग 25 प्रतिशत अंश हर वर्ष नष्ट हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में विशेषरूप से किन्नू, माल्टा की जो एक किस्म है, उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। बहुत से लोगों ने काफी बड़ी तादाद में उसके बागान लगाए, लेकिन लगातार विपणन की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से उनको अपनी फसलों को नष्ट करना पड़ा और बागों को नष्ट करना पड़ा और उसके कारण वहां पर जो उद्योग थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की विपणन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है जिससे पुराने बागानों को पुनः स्थापित किया जा सके?

श्री चतुरानन मिश्र : हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इस पर आप हमें स्पेसिफिक भिजवा दीजिए। हम स्पेसिफिक मदद करने के लिए तैयार हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री जी ने अभी बताया कि फल और सब्जियों का जो उत्पादन हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें इसे और बढ़ाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या जो है वह है महंगे बीज। हाइब्रीड वैरायटी के फल और सब्जियों के जो बीच हैं वे बहुत महंगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन हाइब्रीड वैरायटी के बीजों को सस्ता उपलब्ध कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष जी, इनको सस्ता करने का जहां तक सवाल है वह हम देखेंगे कि किस कैटेगरी के लोग उसे ले रहे हैं। अगर बहुत ही गरीब किस्म के लोग ले रहे हैं, तो अभी हम उस पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि कैसे इसको सस्ता कर सकेंगे, लेकिन हम आपको यह आश्वासन नहीं देते हैं कि कर ही देंगे। हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सबको, यानी धनी व्यक्तियों को भी हम फ्री कर दें, तो यह तो होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां

*525. +**प्रो० रासा सिंह रावत** :
डॉ० सत्यनारायण जटिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के कार्यकरण में दैनिक यात्रियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) स्टेशनों, डिवीजनों तथा जोनल स्तरों पर ''रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों'' की स्थापना हेतु क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है तथा इनमें कितने सदस्यों का प्रावधान है;

(ग) क्या रेलवे के डिवीजन तथा जोनल स्तरों तथा रेल मंत्रालय स्तर पर संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन की निगरानी किए जाने के संबंध में कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उनके स्तर में सुधार लाने के लिए दैनिक-यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न यात्री संघों तथा रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के जरिए समय-समय पर परामर्श तथा पारस्परिक बातचीत की एक संस्थागत व्यवस्था है। रेल सेवाओं तथा सुख-सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बने विभिन्न यात्री संघ रेल प्रबंधन के विभिन्न स्तरों अर्थात् स्टेशन स्तर, मंडल तथा क्षेत्रीय स्तर एवं रेलवे बोर्ड कार्यालय में सर्वोच्च स्तर पर आपस में बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, उपनगरीय तथा अन्य दैनिक-यात्रियों एवं अन्य रेल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का गठन किया जाता है तथा इन समितियों में पंजीकृत यात्री संघों का औपचारिक प्रतिनिधित्व होता है। ये परामर्श समितियां इस प्रकार हैं :

1. मध्य, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां।
2. स्टेशन परामर्श समितियां।
3. मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां।
4. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां।

(ख) क्षेत्रीय एवं मंडलीय मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्रों को सेवित करने वाले चुनिंदा स्टेशनों पर स्टेशन परामर्श समितियों का गठन क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाता है। संबंधित महाप्रबंधकों की सिफारिशें प्राप्त होने और संसदीय कार्य मंत्रालय से संसद सदस्यों के नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों तथा क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का रेल मंत्रालय द्वारा गठन किया जाता है।

इन समितियों के सदस्यों की संख्या विभिन्न स्टेशनों, मंडलों और जोन पर अलग-अलग होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ उनके भौगोलिक आकार और क्षेत्राधिकार पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ). रेल मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की दो तरह की समितियां हैं, यथा कुल मिलाकर रेलों के लिए परामर्श समिति तथा नौ क्षेत्रीय रेलों के लिए नौ अनौपचारिक परामर्श समितियां।

संसद सदस्यों की परामर्श समिति रेलों से संबंधित नीति विषयक मामलों पर चर्चा करती है और उनकी बैठकें सत्रों के बीच की अवधि के दौरान वर्ष में तीन बार होती हैं तथा उनका स्पष्ट एजेंडा होता है। इन समितियों की बैठकों में संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की बारीकी से जांच की जाती है तथा रेल मंत्री द्वारा संबंधित सदस्यों को समुचित उत्तर भेजे जाते हैं। इस समिति के सभी सदस्यों के बीच परिपत्रित करने के लिए 'की गई कार्रवाई' का एक समेकित विवरण भी तैयार किया जाता है।

सभी नौ क्षेत्रीय रेलों में से प्रत्येक के लिए अनौपचारिक परामर्श समितियां अलग-अलग कार्य करती हैं। इन समितियों की बैठकें सत्र की अवधियों में होती हैं लेकिन इनका कोई औपचारिक एजेंडा नहीं होता। ससंद सदस्य संबंधित क्षेत्रीय रेल के बारे में मामलों पर चर्चा करते हैं और अपने सुझाव सिफारिशें देते हैं जिनकी विधिवत जांच की जाती है और सदस्यों को उनके द्वारा उठाए गए मसलों पर की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है। उन्हें उत्तर संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा, और कुछ मामलों में रेल मंत्री द्वारा भेजे जाते हैं।

रेल मंडलों के लिए संसद सदस्यों की कोई परामर्श समिति नहीं है।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें काफी विस्तार से उत्तर देने का प्रयास किया गया है, परन्तु जो चीज हम पूछना चाहते थे और उसका जो संतोषजनक उत्तर अपेक्षित था वह इसमें प्राप्त नहीं हुआ है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब रेलों के बारे में सारा राष्ट्र यह धारणा रखता है कि रेलवे राष्ट्र की वे नसें हैं जिनमें राष्ट्रीय एकता का रक्त बहता है, तो जहां रेलवे देश के विकास का साधन हैं वहां रेलवे देश की सेवा भी है। यह यात्री सेवा है और यात्री जनता है। इस प्रकार से यह जन सेवा है। तो इस जन सेवा के होने के नाते जनता को इससे क्या अपेक्षाएं हैं, जैसे दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करते समय पीने के पानी से लेकर रेलवे के अंदर टायलेट वगैरह की सुविधाएं, डिब्बों के अंदर सफाई, रेलवे स्टेशनों पर विश्रामगृहों की सुविधाएं आदि इन सारी चीजों के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है और इनके बारे में जानने के लिए यात्रियों, यात्रियों के प्रतिनिधियों या जन-प्रतिनिधियों और रेलवे के अधिकारियों और मंडलों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है। महोदय, इस नयी सरकार के आने के बाद तुरंत ही एक माह के बाद सारी समितियों को भंग कर दिया गया।

मैं अजमेर मंडल से संबंधित हूं। अजमेर मंडल का निमंत्रण मुझे मिला कि फलां तारीख को फला स्थान पर फलां बजे रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक है। मैं जब जाने लगा और मैंने आरक्षण करवा लिया, तो मुझे बताया गया कि वह समिति भंग कर दी गई है और आज तक उसके बाद उस समिति के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित रेल के जितने मंडल हैं, उन मंडलों की परामर्शदात्री समितियों में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए और साथ में विभिन्न जनप्रतिनिधियों को और यात्री संघों को प्रतिनिधित्व देने के लिए रेलवे की क्या कोई विशेष योजना है और कब तक परामर्शदात्री समिति भली प्रकार से यात्री समितियों का गठन कर लेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दो। आपका दूसरा पूरक प्रश्न भी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा कि रेलवे के काम को ठीक से निगरानी रखने के लिए और उनको सुझाव देने के लिए रेलवे में विभिन्न प्रकार की परामर्शदात्री समितियां हैं जिसमें नेशनल कमेटी है, क्षेत्रीय कमेटी है, मंडल स्तर की कमेटी है। उसके बाद उपनगरीय समिति है, स्टेशन से संबंधित सलाहकार समिति है। इन सबका एक ही उद्देश्य है। रेलवे में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें तकरीबन 16 लाख कर्मचारी हैं। उसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। वाच रखने के लिए सारी की सारी कमेटियां गठित की जा रही हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि जो नई सरकार आई है उसने कमेटियों को भंग कर दिया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मंडल परामर्शदात्री समिति है, उसकी अवधि 30.8.96 तक थी। यह कमेटी दो साल तक के लिए बनती है। उसके बाद जो दूसरी क्षेत्रीय कमेटी है, उसकी अवधि 30.9.96 तक थी। मंडल और क्षेत्रीय कमेटियों में मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं। जब पार्लियामेंट भंग हो गयी तो वैसे भी इसकी अवधि दो साल पूरी होने वाली थी।...(**व्यवधान**)

वैद्य दाउ दयाल जोशी : उसमें कांग्रेस के ही लोग थे। ...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लीजिये। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब दो साल खत्म हो गये और नये चुनाव हो गये तो नये मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट उसके सदस्य होंगे। उस परिस्थिति में वैसे भी उसका कामकाज ठप्प रहता है। हमने यह कहा कि जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके नयी कमेटी का गठन कर लिया जाये। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक अक्टूबर से पहले जितनी कमेटियां हैं, उन सारी कमेटियों का चुनाव किया जायेगा।

वैद्य दाउ दयाल जोशी : बिना पार्टी का भेदभाव करके करें क्योंकि पिछली समितियों में केवल कांग्रेस के ही सदस्य थे।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, हम बिना पार्टी का भेदभाव करके ही बनायेंगे।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मंत्री महोदय आप उन्हें उत्तर मत दीजिये।

श्री राम विलास पासवान : इतना ही नहीं मैंने अपने रेलवे के बजट भाषण में कहा था कि हम यह भी चाहते हैं कि जितने सीनियर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन पर हम दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन जो रेलवे की कंसलटेटिव कमेटी हैं उसका निर्वाचन हो चुका है और हम शीघ्र ही उसकी बैठक बुलाने जा रहे हैं। उस कमेटी की बैठक में अगर सभी माननीय सदस्य एक राय के हों तो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट जवाबदेही दे देंगे कि उनके इलाके के जितने भी स्टेशन वगैरह हैं, उन सबकी निगरानी रखे और जो भी सुझाव आएगा, सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इन परामर्शदात्री समितियों के गठन के कोई नार्म्स तय किये हैं या नहीं? अक्सर यह देखा जाता है जिस विचारधारा की सरकार आती

है, वह बिना संबंधित सांसदों से जानकारी प्राप्त किए या संबंधित जनप्रतिनिधियों के संगठनों से पूछे बिना अपने लोगों को उन कमेटियों में भर देती हैं। यह जो यूनाईटिड फ्रंट की सरकार है, क्या उसने कोई नार्म्स बनाये हैं या जो पिछले नार्म्स बनाये हुए हैं इनका पुनर्निरीक्षण किया है ताकि सही ढंग से उन कमेटियों का निर्धारण हो सके और सही ढंग से समाचार व सही बात आप तक आ सके। इसके साथ-साथ संसद सदस्यों की जो अनौपचारिक बैठकें क्षेत्रवार बुलायी जाती हैं जैसे पश्चिमी रेलवे की, उत्तर रेलवे की आदि उसमें बहस तो हो जाती हैं लेकिन उसके बाद माननीय सांसद दो-तीन घंटे प्रतीक्षा करके श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। उनका निराकरण करने के लिए, उनकी बात को वजन देने के लिए क्या मंत्रालय गंभीरता से चिंतन कर रहा है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से संबंधित "ग" भाग है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह तीन मंडलों के अंदर आता है। यह समस्या मेरी न होकर इन सबकी है। रेलवे के मंडलों का गठन इस प्रकार से किया गया है जैसे मेरे अजमेर निर्वाचन क्षेत्र रतलाम मंडल, जयपुर मंडल और अजमेर मंडल तीनों के अंदर बंटा हुआ है। अजमेर मंडल गांधी धाम तक जुड़ा हुआ है और गांधी धाम में गुजरात के, अहमदाबाद के बहुत से माननीय सदस्य आ जाते हैं। मान्यवर उन बैठकों में हम अजमेर की समस्या अजमेर मंडल में व अन्य पास के जिलों की समस्या...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रोफेसर हैं। आपको भाषण और प्रश्न का भेद मालूम होना चाहिए।

[**हिन्दी**]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या नॉर्म्स तय किए गए हैं और यदि उसके निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक मंडल आते हैं तो वहां संसद सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या नहीं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंडल रेल प्रबंधक के जितने नॉर्म्स हैं जिसे मंडल रेल उपभोक्ता परामर्श समिति कहते हैं, उसमें स्थानीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विभिन्न उद्योग संगठन, कृषि संगठन के प्रतिनिधि होते हैं। रजिस्टर्ड यात्री संगठन के दो प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक विधान सभा से जो अनुसूची के आधार पर आते हैं, वे होते हैं (उपभोक्ता संरक्षण संगठन का प्रतिनिधि होता है) दो संसद सदस्य—एक लोक सभा से और एक राज्य सभा से, होते हैं, कुछ अनि महत्व नाम जो मंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक में भी जो क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समिति है, यदि आप उसका चाहेंगे तो मेरे पास वह भी है। वाणिज्य और व्यापार संगठन के प्रमुख चैम्बर जो पांच साल से पुराने नहीं हैं, उनके मैम्बर होते हैं। कृषि संगठन के प्रतिनिधि होते हैं और प्रत्येक रेल उपभोक्ता ...(**व्यवधान**)

प्रो० रासा सिंह रावत : दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक दृष्टि से जो सक्षम और सुदृढ़ परामर्शदात्री समितियों के वेश में गठित किया जाएगा...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : जहां तक नई सरकार का सवाल है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी ग्रुप के हों, कम से कम आज तक हमारे ऊपर उन्होंने यह शिकायत नहीं की हैं कि हम कोई दलीय भावना से काम कर रहे हैं। हम माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में भी हम यह शिकायत नहीं रहने देंगे। मेरा काम इसको इफैक्टिव बनाना है। दुर्भाग्य से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट और विभिन्न संगठनों के द्वारा जब दबाव पड़ने लगता है तो हमने देखा है कि एक-एक ज़ोन में 400-500 कमेटी के मैम्बर हो गए। जब 400-500 मैम्बर होंगे तो क्या करेगा जियाराम, क्या करेगा डियाराम और क्या करेगा कौन। इसलिए हम चाहते हैं कि कमेटी की सदस्य संख्या को बिल्कुल लिमिट में करें और उसके बाद उसे इफैक्टिव बनाएं। उसका समय नियत है कि तीन या चार महीने में मीटिंग होगी। इस तरह से उसकी जो निर्धारित तिथि हैं, उसमें हम यह भी चाहते हैं कि निर्धारित समय में मीटिंग बुलाएं और कोशिश कर रहे हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को जी.आर.एम. या किसी के भरोसे पर नहीं रखेंगे। उसे इस तरह से टाइट करने का काम करेंगे जिससे कमेटी इफैक्टिवली काम कर सके। कमेटी की रिपोर्ट को सरकार गंभीरता से लेगी और उसका पालन करवाने का भी काम करेगी।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्न संक्षेप में और तर्क संगत पूछे। इसलिए मंत्रीगण भी उत्तर संक्षेप में दें।

[**हिन्दी**]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों और अन्य सदस्यों की जो समितियां हैं, उनकी बैठकों में जो सुझाव दिए जाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करने अथवा निगरानी करने के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था है? कौन-कौन अधिकारी मंडल स्तर पर अधिकृत हैं और क्या कोई समय दिया गया है कि इतने समय में उस पर इम्प्लीमैंट करके माननीय सदस्य को अवगत कराया जाना चाहिए? यदि अभी टाइमिंग की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बैठक होने के बाद एक या डेढ़ महीने के अंदर-अंदर डिस्पोज़ल करके संबंधित सदस्यों को पैस और नौ जवाब देने की व्यवस्था करेगी?

श्री राम विलास पासवान : अभी तक जो बैठकें होती है, उनमें मंडल स्तर की बैठक साल में तीन बार होनी चाहिए, क्षेत्रीय स्तर की बैठक भी साल में तीन बार होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की दो बार होनी चाहिए और स्टेशन कमेटी की तीन बार होनी चाहिए। उपनगरीय बैठक में ही यह तय हो जाता है कि अगली बैठक कब होगी। नियम यह होता है कि जब अगली बैठक होगी तो उसमें पहली बैठक की कार्यवाही और की गई कार्यवाही, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रहती है। लेकिन अभी तक ऐसे बहुत कम मामले हैं, जब मीटिंग ही नहीं होती है और जब 500-600 सदस्य उसमें हो जाते हैं तो इस तरह की अस्त-व्यस्तता रही है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम बैठक को तीन महीने या निर्धारित तिथि के अन्दर करवाएंगे और जो भी सुझाव आएगा, उस सुझाव को अगली बैठक में क्या कार्रवाई की गई है, उस रिपोर्ट के साथ में वह संलग्न रहेगा, जिससे माननीय सदस्य को यह मालूम हो सके कि पिछली बार हमने जो सुझाव दिया था, उस सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों की जो परामर्शदात्री समिति होती है, यह साल में सिर्फ दो बार बुलाई जाती है और साल में दो बार बुलाए जाने के बाद उसकी जो प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग में जो सुझान रखे जाते हैं, उसकी जो कार्रवाई है, वह कार्रवाई होती है या नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता? एक तो मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समिति जो है, इसकी साल में जो दो बार बैठक होती है, उसकी ज्यादा बैठकें करने के लिए आप कुछ सोचेंगे क्या?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, बैठक का मैंने बता दिया कि मंडल की कमेटी की, क्षेत्रीय कमेटियों की कितनी बार बैठक होनी चाहिए। यदि आवश्यकता होगी तो बैठक बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, हम बैठक को बढ़वा देंगे। यदि उससे हम समझेंगे कि बैठक बढ़ने से एफीशिएंसी आ रही है, सुधार आ रहा है तो बैठक ज्यादा बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यहां रेल प्रभागों के लिए संसद सदस्यों की कोई परामर्शदात्री समिति नहीं है। यदि यहाँ एक भी होती तो ज्यादा प्रभावी होती क्योंकि अधिकतर संसद सदस्य उसमें बैठते। क्या मंत्री महोदय इस सुझाव से सहमत होंगे?

रेल मंत्रालय प्रत्येक उन स्टेशनों के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं बनाता ताकि स्थानीय लोग उनका पर्यवेक्षण कर सकें और मानक ढंग से कार्यान्वित करने में जोर लगा सके? क्या मंत्री महोदय इससे सहमत होंगे?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पहला सजैशन बहुत ही अच्छा है। दूसरा सजैशन भी काफी अच्छा है और इसलिए परामर्शदात्री समिति की जगह पर हमने निगरानी समिति बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि लोकल लोगों को अधिक से अधिक पावर मिल सके।

कुमारी ममता बनर्जी : लेकिन इसको इम्पार्शियल रहना चाहिए। वह नहीं होता है। स्टेट की जो रूलिंग पार्टी होती है, उसमें उसके आदमी होते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अभी तक नहीं होता है तो मैंने प्रत्येक पार्टी के अध्यक्ष को, जितनी भी पौलिटिकल पार्टी हैं, जिस दिन मैं मिनिस्टर बना, उसी दिन मैंने उनके अध्यक्ष को पत्र लिखा कि आपकी पार्टी के जो भी, आपके दल के जो भी आपको अच्छे इफैक्टिव वर्कर, कार्यकर्ता लगते हों, उसकी सूची भेजने का काम करें। जहां-जहां से आया है, इर्रस्पैक्टिव ऑफ पार्टी हम दूसरे लोगों को भी ले रहे हैं। इर्रस्पैक्टिव ऑफ पार्टी जहां-जहां से उसका नाम आ रहा है, सब पर हम विचार कर रहे हैं और मैंने सब को पर्सनल चिट्ठी भी लिख दी है, दोबारा भी मैं लिख दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष प्रश्न यह है। यह ऊर्जा विकेन्द्रीकरण का युग है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या निर्वाचन क्षेत्र-वार राज्य विधान सभा सदस्यों और रेलवे यूजर्स एसोसिएशन की बैठकों का आयोजन करने पर विचार करेंगे ताकि यात्रियों की समस्याओं और अन्य विकास संबंधी गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया जा सके। अक्तूबर माह से और आगे तक रेलवे संभव निरंतर चलती रहेगी। मैं जानना चाहूंगा कि इससे पहले बैठक का आयोजन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि आप निर्वाचन क्षेत्रवार बैठकें आयोजित करने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष, जी, जैसा मैंने कहा कि जब हर कमेटी डिवीजनल लेवल की, जोनल कमेटी हर लेवल पर

काम करना शुरू कर देगी तो जो बात आप कहते हैं, उससे भी नीचे के लेवल पर हम जा रहे हैं। हमारे लेवल की जो बात है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो हमारे से नीचे के लेवल के अधिकारी हैं, उनकी मौनीटरिंग करने का काम किया करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार

*522. **श्री एन.एस.वी.चित्तन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के संबंध में हाल ही में कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). बाल वेश्यावृति के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च, 1994 में केन्द्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को, उचित कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

भारत सरकार बच्चों, खासतौर से बालिकाओं के स्तर में, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल एवं महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाकर समग्र सुधान लाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और कर्नाटक में बाल वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करने और निवारक एवं पुनर्वासात्मक रणनीतियों पर काम करने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया है।

देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के एक कठोर परिणाम के रूप में बालश्रम की अवधारणा से, बालश्रम की समस्या से एक बहुआयामी एवं समन्वित तरीके से निपटने की जरूरत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल कानून बनाना ही बालश्रम के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की जिसकी घोषणा संसद में अगस्त, 1987 में की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अधीन कार्रवाई योजना में एक कानूनी कार्रवाई योजना शामिल है जिसके तहत जहां भी संभव है, बच्चों के लाभ के लिए सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कराना और मजदूरी/अर्द्ध मजदूरी पर बड़े पैमाने पर कार्यरत बाल श्रमिकों वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजनाएं समाहित हैं। संवैधानिक समादेश का अनुपालन करने की दृष्टि से खतरनाक धन्धों में कार्यरत बाल-श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 15 अगस्त, 1984 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 1984 को एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय—राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था।

बाल उत्तरजीविता, संरक्षण तथा विकास संबंधी विश्व उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी शामिल है। विश्व शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों के साथ परामर्श करके एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की है। इस योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी क्रियाकलापों, लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने और आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से प्रतिकूल अवस्था वाले समूहों के लिए विशेष संरक्षण पर ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

नदी प्रदूषण

*523. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों/विदेशी एजेंसियों से, गंगा व देश की अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत देश-वार सहायता प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) यह सहायता राशि कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीमों का विवरण जिसके अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने की आशा है

क्र०सं०	स्कीम का नाम	देश जहां से सहायता प्राप्त होने की आशा है	समय जब तक सहायता प्राप्त होने की आशा है
1.	गंगा कार्य योजना चरण II (कानपुर)	नीदरलैण्ड	1996-97
2.	इंडस्ट्रियल काउंसलिंग टैनरीज-II	नीदरलैण्ड	नीदरलैण्ड सरकार के विचाराधान
3.	लखनऊ में गोमती कार्य योजना (सहायता का दूसरा चरण)	ओवरसीज डिवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आफ यूनाइटेड किंगडम	निश्चित समय मार्च, 1997 के बाद ज्ञात होगा
4.	मद्रास शहर के तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण	यूरोपियन इक्नामिक कम्युनिटी	यूरोपियन इक्नामिक कम्युनिटी के विचाराधीन

[अनुवाद]

औषधि घोटाला

***526. श्री सौम्य रंज :**
डा० टी० सुब्बासमी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "रूपीज 4 करोर्ज मेडिसन स्कैम इन तिहाड़ जेल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महानिरीक्षक (जेल) दिल्ली ने, वर्ष 1994-95 के दौरान सेन्ट्रल जेल में दवाईयों की प्राप्ति, भण्डारण और जारी करने के मामले में, जांच करने के आदेश दिए थे। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने जेल में दवाइयों का समग्र प्रबन्धन में अनियमितताऐं पायी थी। ये अनियमितताऐं, अन्य के साथ-साथ, खरीदी जाने वाली दवाओं की कीमत को कम करके बताने, दवाइयों का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध होने के बावजूद दवाईयों की खरीद करने, संदेहास्पद उपयोगिता वाली दवाईयों की खरीद करने, जारी की गई दवाईयों की मात्रा को बढ़ाकर दिखाने और ऊंची कीमतों पर दवाइयों की खरीद करने के बारे में हैं। जेल प्राधिकारियों द्वारा समिति की रिपोर्ट उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रेषित की गयी है।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

***527. श्री संदीपान थोरात : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ओमान द्वारा अक्तूबर में संयुक्त क्षेत्रों में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) समझौता ज्ञापन पर दो वर्ष पहले हस्ताक्षर हो चुकने के बावजूद इस परियोजना को पहले शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना की स्थापना ओमान में की जाएगी और उसके पूरे उत्पादन की खरीद भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर पुनर्खरीद (बाई-बैक) व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी;

(घ) इस संयुक्त उद्यम में भारत की भागीदारी कितनी है;

(ङ) इस परियोजना में भारत की भूमिका क्या होगी जिसमें कृषकों एवं "आर.सी.एफ." की भागीदारी से यूरिया एवं अमोनिया का उत्पादन होगा; और

(च) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) ओमान में प्रतिनिधि 3500 टन अमोनिया और 4400 टन यूरिया की क्षमता की एक परियोजना स्थापित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) तैयार करने हेतु भारत सरकार/कृषक भारती कोआपरेटिवं लि० (कृभको)/राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी एफ)/ तथा सल्तनत आफ ओमान सरकार/ओमान आयल कम्पनी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर 30 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। डी एफ आर प्राप्त हो गई है। डी एफ आर तैयार करने, परियोजना करारों को अंतिम रूप देने तथा एकमुश्त टर्न की (एल एस टी) के आधार पर परियोजना स्थापित करने हेतु अधिमान इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति और निर्माण (ई पी सी) बोलीदाता के चयन में विलम्ब के कारण यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। परियोजना करारों पर दो पक्षों के बीच लम्बी वार्ताओं एल एस टी के परामर्शदाता की नियुक्ति में विलम्ब, बोली के समय में वृद्धि करने के लिए बोलीदाता के अनुरोध को स्वीकार करने और मै० मोर्गन स्टनले द्वारा इस परियोजना के वित्तीय सलाहकार के पद से त्यागपत्र दिए जाने ओमान आयल कम्पनी के प्रबन्ध मण्डल में परिवर्तन के कारण ये क्रियाकलाप निर्धारित समयसारणी से पिछड़ गए हैं। नए वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति किए जाने तक ई पी सी बोलीयों के मूल्यांकन का कार्य स्थगित रखना पड़ा था।

(ग) यह परियोजना सुर, ओमान में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यूरिया का सम्पूर्ण उत्पादन, प्रचलित एफ ओ बी ओमान मूल्य पर वापस खरीद व्यवस्था के तहत कृभको/आर सी एफ द्वारा खरीदे जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) कृभको तथा आर सी एफ, प्रत्येक द्वारा 69 मिलियन अमरीकन डालर अथवा लगभग 242 करोड़ रुपए के बराबर (1 अमरीकन डालर = 35 रुपए) साम्य अंशदान किए जाने का अनुमान है।

(ङ) भारतीय पार्टियां अर्थात् कृभको तथा आर सी एफ इस परियोजना में तीन भूमिकाएं निभाएंगी अर्थात् ये प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी में अंशधारक होगा। यूरिया के सम्पूर्ण उत्पादन की क्रेता होगी तथा इस संयुक्त उद्यम कम्पनी की प्रमुख आवश्यकताओं के लिए जनशक्ति की आपूर्तिकर्ता होगी।

(च) परियोजना के लिए डी एफ आर पूरी कर ली गई है। परियोजना से संबंधित विभिन्न करारों पर विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया है और इन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने वाला है। ई पी सी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय पैकेजों का वित्तीय सलाहाकर की सहायता से मूल्यांकन किया जा रहा है।

रेलवे में कर्मचारियों की संख्या

***528. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को कम करने संबंधी कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लिए जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने अब इस निर्णय की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ). भारतीय रेल पर कार्य-बल को उसकी संख्या तथा कार्य-कौशल के अनुसार विनियमित किया जाता है, ताकि जहां तक संभव हो, रेलें अत्यधिक उत्पादक ढंग से प्रणाली का निर्माण और अनुरक्षण करके इसे ऑपरेट कर सकें, जिससे कि यह खास तौर पर परिवहन के अन्य साधनों के साथ होड़ ले सकें। यातायात के स्वरूप में आ रहे बदलाव और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के फलस्वरूप घटती जा रही गतिविधियों के कारण आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करना तथा पुन: काम पर लगाना होगा। बहरहाल, रेलों पर किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

नारायण सरोवर अभ्यारण्य

***529. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल** :
श्री सनत मेहता :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्छ में नारायण सरोवर अभ्यारण्य के क्षेत्र को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान को मार्च में गुजरात सरकार के इस [illegible] के प्रभावों का त्वरित पर्यावरण सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संस्थान के सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। गुजरात विधान सभा ने 27.7.95 को एक संकल्प पारित करके 756.79 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के नारायण सरोवर अभयारण्य का परिसीमन करके इस का क्षेत्रफल 44.23 वर्ग कि.मी. कर दिया है और राज्य सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना 9.8.1995 को जारी की गई थी। राज्य सरकार ने बताया है कि ऐसा अल्पविकसित. कच्छ जिले के औद्योगिक विकास हेतु अनधिसूचित क्षेत्र के खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए किया गया है।

(ग) जी, हां। वन्यजीव संस्थान को त्वरित पर्यावरणीय सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था और इसकी रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले. प्राप्त हुई थी।

(घ) और (ङ). भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का मुख्य निष्कर्ष है कि इस अभयारण्य की सीमा में परिवर्तन सभी पारिस्थितिकीय निहितार्थों का ध्यान न रखकर औद्योगिक विकास की महत्ताओं से प्रेरित होकर किया गया है। अत: उन्होंने इस निर्णय का ब्यौरेवार पुनरीक्षण करने की सिफारिश की है। इस मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट को टिप्पणियों तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया है।

जम्मू-कश्मीर में जनगणना

***530. श्री चमन लाल गुप्त:**
श्री पी० नामग्याल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में जनगणना किस तारीख को की गई थी और प्रत्येक क्षेत्र की उस समय कितनी-कितनी जनसंख्या थी;

(ख) इतने लम्बे समय से जनगणना न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) जम्मू-कश्मीर की मतदाता-सूचियों में व्यापक रूप से संशोधन किस तारीख को किया गया था और उस समय मतदाताओं की संख्या कितनी थी और 1996 में संक्षिप्त संशोधन के बाद मतदाताओं की क्षेत्र-वार अद्यतन संख्या कितनी है;

(घ) मौजूदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की;

(ङ) क्या इस रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जम्मू और कश्मीर में जनसंख्या की दशकीय जनगणना वर्ष 1981 में की गई थी जिसकी संदर्भ तिथि 6.5.81 थी। उस समय प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या निम्नानुसार थी:

जम्मू	:	27,18,113
कश्मीर	:	31,34,904
लद्दाख	:	1,34,372

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में 1991 की जनगणना के समय अशांत स्थिति के कारण वहां पिछली दशकीय जनगणना नहीं कराई जा सकी थी।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में मतदाता सूचियों के गहन संशोधन का कार्य वर्ष 1988 (आंशिक तौर पर) और 1989 (आंशिक तौर पर) में किया गया था। उस समय 41,41,369 मतदाता थे। 31.8.96 को 47,48,759 मतदाता हैं। क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

जम्मू		22,13,714	जमा सर्विस मतदाता - 27,881
कश्मीर	:	23,71,207	
लद्दाख	:	1,35,957	

(घ) परिसीमन आयोग का गठन 2 दिसम्बर, 1981 को किया गया था और उसके पश्चात् समय-समय पर इस आयोग का पुनर्गठन किया गया है। परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 1995 को प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर राज्य में वर्तमान विधान सभा चुनाव कराए जाने हैं।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों पर निर्णय लेना उनका अपना क्षेत्राधिकार है।

विद्युत संयंत्रों पर रेलवे का बकाया

***531. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा विभिन्न राज्यों के विद्युत संयंत्रों तक कोयला खदानों से कोयले की ढुलाई के संबंध में विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ख) ऐसे चूककर्ता विद्युत उत्पादन संयंत्रों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या इसे वसूल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) संबंधित प्रेषितियों द्वारा कोयला ढुलाई प्रभार का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में रेलवे के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं तथा इस मुद्दे को किस प्रकार निपटाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलवे भाड़ा प्रभारों के कारण 30.6.96 को राष्ट्रीय ताप बिजली निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर कुल बकाया धनराशि 977.69 करोड़ रुपए थी।

(ख) 30.6.96 को विभिन्न बाकीदारों की ओर बकाया धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य बिजली बोर्ड/ बिजलीघर का नाम	(करोड़ रुपए में) धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	22.29
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	4.12
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	3.96
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	94.14
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	4.62
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	44.26
7.	कर्नाटक बिजली बोर्ड	0.17
8.	महाराष्ट्र बिजली बोर्ड	20.06
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2.34
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	13.99
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1.53
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	0.05
13.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	36.87
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	15.19
15.	एन.टी.पी.सी./बदरपुर टी.पी.पी.	688.19
16.	एन.टी.पी.सी./अन्य	25.91
	कुल	977.69

(ग) जी हां।

(घ) जब भी भुगतान के आधार पर परेषण बुक किए जाते हैं मालभाड़ा किराया के भुगतान में रेलवे को असफलता की मुख्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोयला ढुलाई खर्च की समय पर वसूली के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:

(1) देय राशि के शीघ्र भुगतान के लिए के अधिकारियों के साथ निरन्तर बातचीत बनाए रखना।

(2) वैगनों की आपूर्ति और परेषण की सुपुर्दगी को आखिरी कदम के रूप में यदाकदा रोक देना।

(3) भुगतान करने के लिए और भुगतान किए गए मालभाड़े के बीच 15 प्रतिशत का अन्तर रखना।

(4) संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अग्रिम रूप में एक महीने के लेन-देन के लिए जमा द्वारा अग्रिम भुगतान योजना शुरू करना।

(5) 1.10.96 से जहां 'भुगतान करने के लिए' के आधार पर परेषण भेजे जाते हैं माल भाड़े का पूर्व-भुगतान अनिवार्य।

यह अपेक्षा की जाती है कि (4) और (5) पर शुरू किये गये उपायों से इस संबंध में स्थिति में सुधार होगा।

वनों का संरक्षण

***532. श्रीमती मेनका गांधी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र में सक्रिय नेपाली वन माफिया ने पिछले कई वर्षों में अनेक फारेस्ट गार्डों की हत्या कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने फारेस्ट गार्ड मारे गए;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के 416 किलो मीटर लंबे वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता मांगी गई है;

(ङ) उक्त परियोजना के लिए मांगी गई धनराशि कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी; और

(च) इस क्षेत्र में वनों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत-नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच वन गार्ड मारे गए।

(ग) से (च). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार ने "नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में अवैध कटाई के विरुद्ध सुरक्षा उपाय" संबंधी एक परियोजना योजना आयोग, भारत सरकार को भेजी है जिसकी लागत 12.18 करोड़ रुपए है और यह 2.73 लाख हे० के क्षेत्र में 6 प्रभागों में तीन साल तक चलेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश वन विभाग को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना आयोग के विचाराधीन है।

तीन आगामी वर्षों में प्रस्तावित परियोजना लागत निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.	स्थापना	125.40	234.96	243.36	603.72
2.	वाहन और संचार	214.20	93.00	43.40	350.60
3.	सिविल निर्माण कार्य	95.05	45.00	30.00	170.05
4.	सहायक गतिविधियां	30.45	31.20	32.45	94.10
	कुल	465.10	404.16	349.21	1218.47

(च) वन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं:-

- संवेदनशील क्षेत्रों में गहन गश्त
- संचार नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना
- सशस्त्र वन सुरक्षा बल को दुरुस्त बनाना और उसका सुदृढ़ीकरण
- वन कर्मचारियों को हथियार और गोला-बारूद की व्यवस्था
- अवैध कटाई रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना
- विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय
- त्वरित संचार और आवागमन की सुविधा सहित सशस्त्र दस्ते के साथ वन चैक पोस्ट की स्थापना
- फील्ड निरीक्षण और बीट एवं हाईवे गश्त के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था
- सामरिक स्थानों में निगरानी टावरों और ट्रान्समिशन टावरों की स्थापना
- ट्रान्स बाउन्ड्री संरक्षण बोर्ड का गठन

डी०ए०पी० उत्पादन में गिरावट

***533. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगभग विगत छः महीनों के दौरान डाई अमोनियम फास्फेट (डी०ए०पी०) के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो डी०ए०पी० के उत्पादन में गिरावट की प्रतिशतता क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आगामी महीनों के दौरान उर्वरकों में अनुमानतः कितनी गिरावट आने की सम्भावना है; और

(घ) डी०ए०पी० की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च-अगस्त, 1996 के दौरान डी०ए०पी० का उत्पादन 12.97 लाख टन था। इसमें गत वर्ष की समकालीन अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में 28.5% की गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) पर्याप्त मांग की कमी जिसके परिणामस्वरूप माल एकत्रित हो गया। अप्रैल-जुलाई, 1996 के दौरान डी.ए.पी. की बिक्री गत वर्ष की तुलना में 1.44 लाख टन कम थी।

(2) फास्फोरिक एसिड और अमोनिया जैसे आयातित मध्यवर्तियों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत बढ़ गई तथा बेहतर बिक्री मूल्यों के माध्यम से उच्चतर लागतों को बर्दाश्त करने की बाजार की असमर्थता।

(ग) और (घ). फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य वितरण और संचलन को 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता जो मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, इस समय संतोषजनक है। सरकार ने 6.7.1996 से स्वदेशी डी.ए.पी. सहित सभी फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर तदर्थ रियायत की दर को बढ़ाकर 1000 रुपए से 3000 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा आयातित डी.ए.पी. पर शून्य से 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया। इन उपायों से इनकी खपत में तेजी आने की सम्भावना है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अनुमान लगाया है कि डी.ए.पी. की खपत 1995-96 (अन्तिम अनुमान) में 36.86 लाख मी. टन से बढ़कर 1996-97 में 48.18 लाख मी. टन हो जाएगी। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी खरीफ और रबी मौसमों के दौरान समय पर तदर्थ रियायत योजना के अंतर्गत अनियंत्रित उर्वरकों के वास्तविक मूल्यों को निर्धारित करने के लिए दबाव डाला गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डी.ए.पी. के स्वदेशी उत्पादन तथा आयातों को निर्माताओं/आयातकों द्वारा प्रत्याशित मांग के उच्चतर स्तर तक पूरा करने के लिए इष्टतम किया जा सके।

वानिकी संबंधी अनुसंधान

***534. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून द्वारा कोई वानिकी सम्बन्धी अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किये गये अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यह अनुसंधान कार्य वन संरक्षण में किस सीमा तक सहायक रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अपने आठ संस्थानों और तीन केन्द्रों के साथ वन उत्पादकता वृद्धि, वृक्ष सुधार, वनस्पति संवर्धन, उत्तक संवंधन, बीज प्रौद्योगिकी, औषधीय पौधे, बहुउद्देश्यीय वृक्ष प्रजातियां, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, कीट और बीमारियां, इमारती लकड़ी और गैर काष्ठ वन उत्पाद का उपयोग, शीत/गर्म मरुस्थलों का वनीकरण, क्षारीय खाड़ी और खनित स्थलों का सुधार, झूम खेती का नियंत्रण और जैव-विविधता संरक्षण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियां चला रहे हैं। आठवीं योजना अवधि अर्थात् 1992-93 से 1995-96 तक के चार वर्षों के दौरान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा किया गया खर्च 160.99 करोड़ रुपए है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के संस्थानों और केन्द्रों द्वारा किए जा रहे वानिकी अनुसंधान के परिणामस्वरूप वृक्ष उत्पादकता में वृद्धि हुई है जिससे वनों पर दबाव कम करने में सहायता मिली है। उत्पादकता में वृद्धि और अच्छी पौधरोपण सामग्री की आसानी से उपलब्धता के परिणामस्वरूप हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और देश के बहुत से अन्य भागों में किसानों ने अपनी सामान्य कृषि पद्धतियों के भाग के रूप में बड़े पैमाने पर वृक्ष फसल उगाने की पद्धतियां अपना ली हैं। कीटों और बीमारियों से वनों की सुरक्षा के लिए निदेशित अनुसंधान से वनों के स्वास्थ्य को बहाल करने में सहायता मिली है। कम वाणिज्यिक महत्व की प्रजातियों तथा अन्य वन उत्पादों के उपयोग से संबंधित अनुसंधान से स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने में तथा साथ ही वनों के संरक्षण और विकास में भी सहायता मिली है।

विकास कार्यक्रम

*535. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रधान मंत्री द्वारा 1 जून और 18 अगस्त, 1996 के दौरान कौन-कौन सी कल्याण और विकास योजनाएं घोषित की गईं;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित धनराशि निर्धारित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक बजटीय प्रावधान कर दिया गया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) प्रधान मंत्री की घोषणाएं मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित है:-

1. किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान का सरलीकरण।
2. बिजली के बिलों के भुगतान को सुकर बनाना तथा पावर हेतु प्राप्त लंबित पड़े आवेदनों को निपटाना।
3. किसानों द्वारा भूमि व ट्रैक्टरों को गिरवी रखने पर स्टैम्प ड्यूटी इत्यादि से छूट देना।
4. कतिपय सिंचाई कार्यक्रमों की स्वीकृति।
5. कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार भाव पर मुआवजे का भुगतान।
6. बन्द पड़ी गोरखपुर उर्वरक फैक्ट्री को खोलना।
7. इंदिरा आवास योजना के अधीन स्वीकार्य निर्माण लागत में वृद्धि करना तथा इस योजना के अधीन कार्य की गति तेज करना।
8. रोजगार आश्वासन योजना के अधीन एक वर्ष के अन्दर सभी विकास खण्डों को कवर करना।
9. कुछ चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ कुछ नई चीनी मिलों को स्वीकृत करना।
10. महु-शाहगंज रेल लाइन के चालू निर्माण कार्य को पूरा करना।
11. सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, तथा
12. आबादी वाले उन स्थानों पर जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां प्राईमरी स्कूल, प्राईमरी हैल्थ सर्विस खोलना तथा सड़कों द्वारा बिना जुड़े गांवों को सड़कें बना कर जोड़ना।

(ख) से (घ). कई घोषणाएं, इस समय चल रही योजनाओं, जैसे कि इंदिरा आवास योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना तेज करने/ उनका संवर्धन करने से संबंधित हैं। उदाहरणार्थ, इंदिरा आवास योजना के तहत मौजूदा प्रावधान 470 करोड़ है और योजना आयोग और ग्रामीण मामलों और रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श करके 150 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इतनी ही अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। राज्य के बजट में पहले से ही किए गए 188 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान के अलावा रोजगार आश्वासन योजना के अतिरिक्त निधि के द्वारा उन गांवों को हर मौसम में उपयोग की जा सकने वाली सड़कों के द्वारा जोड़ा जाएगा, जो सड़कों से जुड़े नहीं हैं। कुछ अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विनियोजन और व्यापक बचतों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

औषधि मूल्य निर्धारण संबंधी नीति

*536. **श्री मोहन रावले** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्रग्स प्राईसिंग पालिसी इन शैम्बल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) किन मानदंडों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय औषधियों का मूल्य निर्धारण कर रहा है;

(घ) क्या मंत्रालय इस संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों की सिफारिशों का अनुपालन कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतों के संबंध में बी.आई.सी.पी. की सिफारिशें विभाग द्वारा मानी नहीं जा रही हैं और कीमतें असंगत तरीकों से निर्धारित की जा रही हैं तथा देरी भी की जा रही है।

(ग) कीमतें डी.पी.सी.ओ. के उपबन्धों के अन्तर्गत और लागत निर्धारण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) आमतौर पर बी.आई.सी.पी. की सिफारिशों का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार अनुशंसित कीमतों को अधिसूचित करने में कभी-कभी देरी हो जाती है यदि मामला न्यायाधीन हो या उसमें नीति की अभिव्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हो।

(च) इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों में नीति संबंधी मामलों, जब कभी वे उठें, की अभिव्यक्ति का शीघ्रता से निपटान शामिल है।

[हिन्दी]

कंक्रीट के स्लीपरों की खरीद

***537. डॉ० रमेश चंद्र तोमर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रेलवे द्वारा कंपनी-वार कंक्रीट के कितने स्लीपरों की खरीद की गई;

(ख) क्या सरकार ने स्लीपर उत्पादन एककों को अपना उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कंक्रीट के स्लीपरों हेतु आदेश देने तथा इसकी आपूर्ति किए जाने में कितना समय लगता है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलें आम तौर पर पिछला आर्डर पूरा होने से पहले ही, स्लीपर बनाने वाली बहुत-सी मौजूदा इकाइयों को कंक्रीट के स्लीपर बनाने और सप्लाई करने के आर्डर दे देती हैं। चूंकि अतिरिक्त मात्रा में कंक्रीट स्लीपर बनाने और सप्लाई करने के लिए फैक्टरी के पास अवसंरचना पहले ही उपलब्ध होती है, इसलिए फर्म सामान्यत: आर्डर दिए जाने के तुरंत बाद उन का निर्माण और सप्लाई शुरू कर देती हैं। आर्डर दिए जाने और सप्लाई किए जाने के बीच लगने वाला समय प्रत्येक फैक्टरी की क्षमता पर निर्भर करता है।

विवरण

(आंकड़े हजार में)

रेलवे		फर्म का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
म.रे.	1.	मै० इंडियन ह्यूम पाइप कं०लि०, करारी	130	91	87
	2.	मै० प्रिस्ट्रेस (इंडिया) प्रा०लि०, वरोरा	176	126	124
	3.	मै० कैपरीकॉन स्लीपर वर्क्स प्रा०लि०, बूटीबोरी	235	111	182
	4.	मै० इंजीनियर्स प्रिस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स प्रा०लि०, बनमोर	108	109	77
	5.	मै० स्ट्रेसक्रीट प्रा० लि०, बुदनी	141	117	115
	6.	मै० बेमको स्लीपर्स प्रा० लि०, नंदगांव	26	26	33
	7.	मै० खेमचंद, घोसालपुर	74	65	64
	8.	मै० मराठवाड़ा प्रिस्ट्रेस प्रा० लि०, ब्रोरगांव	41	51	47
	9.	मै० कंक्रीट इंडिया, लोनावला	88	86	72
	10.	मै० इंजीनियर्स प्रिस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स (अंतरी यूनिट) प्रा०लि०, अंतरी	103	117	56

रेलवे		फर्म का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
	11.	मै० श्री केशरिया कंक्रीट प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, बरेठ	83	57	50
	12.	मै० बेमको स्लीपर्स प्रा० लि०, खंडवा	27	21	20
		उप जोड़	**1232**	**977**	**927**
पू.रे.	1.	मै० दया इंजी. वर्क्स लि०, मानपुर	219	100	116
	2.	मै० दया इंजी. वर्क्स (स्लीपर) लि०, मानपुर	138	52	136
	3.	मै० प्रिस्ट्रेस्ड उद्योग (इंडिया) प्रा०लि०, छोटा अंबोना	100	51	97
	4.	मै० तांतिया कंक्रीट प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, पन्नागढ़	149	88	104
	5.	मै० तनक्रीट इंडिया प्रा० लि०, रामपुरहाट	4	12	0
	6.	मै० मूवा इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, जगदीशपुर	75	27	82
	7.	मै० स्ट्रेसकॉन (इंडिया) प्रा०लि०, चामग्राम	40	69	51
		उप जोड़	**725**	**399**	**586**
उ.रे.	1.	मै० हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०, जंगपुरा, नई दिल्ली	171	158	75
	2.	मै० जय प्रिस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स लि०, कोसीकलां	143	85	97
	3.	मै० ट्रैक इन्नोवेशन्स (इंडिया) प्रा०लि०, चंडीगढ़	110	54	22
	4.	मै० अरविंद कंस्ट्रक्शन कं० लि०, मारवाड़ चपरी	162	180	174
	5.	मै० दया इंजीनियरिंग वर्क्स (स्लीपर) लि०, डेगाना	168	154	113
	6.	मै० आशी प्रा० लि०, रेवाड़ी	39	57	63
		उप जोड़	**793**	**688**	**544**
पूर्वो. रे.	1.	मै० अन्नावरम कंक्रीट प्रा०लि०, बुढ़वल	99	75	31
	2.	मै० नटराज इंजीनियर्स (प्रा) लि०, सराय	101	148	74
	3.	मै० सी.सी.आई. प्रिस्ट्रेस टाइज (प्रा०) लि०, कलट्टरबकगंज	0	49	48
		उप जोड़	**200**	**272**	**203**
पू.सी.रे.	1.	मै० पी.सी.एम. सीमेंट कंक्रीट प्रा०लि०, न्यू जलपाईगुड़ी	37	74	98
	2.	मै० दया इंजीनियरिंग वर्क्स, मिर्जा	54	47	75
	3.	मै० एलाइड इंजी. इंटरप्राइज, बदरपुर	0	9	32
		मै० प्रिस्ट्रेस्ड उद्योग (असम) प्रा०लि०, न्यू बोंगाईगांव	0	36	73
		मै० अरूणोदय कंस्ट्र. कं. (प्रा०) लि०, जागी रोड	52	105	125
		उप जोड़	**143**	**271**	**403**

रेलवे		फर्म का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
द.रे.	1.	मै० कंक्रीट प्राडक्ट्स एंड कंस्ट्र. कं., अंबात्तुर	130	131	132
	2.	मै० कोट्टूकुलम इंजी. प्रा०लि०, बोम्मिडी	95	163	85
	3.	मै० कंक्रीट प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्र. कं. तिरूवलम	123	149	106
	4.	मै० के.ई.के. प्रिस्ट्रेस्ड कंक्रीट लि०, पालघाट	64	–	–
	5.	मै० मालू स्लीपर्स (प्रा०) लि०, बिरूल जं०	65	143	129
	6.	मै० नेल्लई कंक्रीट प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्र. कं०, गंगईकोंडा	35	102	105
	7.	मै० श्री मारूति बिल्डर्स, यशवंतपुर	23	100	110
		उप जोड़	**535**	**788**	**667**
द.म.रे.	1.	मै० मैसूर स्ट्रक्चरलस लि०, हाफीजपेट	210	145	35
	2.	मै० दी कंक्रीट प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्र. कं०, कोंडापल्ली	129	126	108
	3.	मै० रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स (प्रा०) लिमिटेड, तिम्मनचरेला	162	146	89
	4.	मै० राघवेन्द्र प्रिस्ट्रेस प्रोडक्ट्स लि०, मंत्रालयम रोड	183	155	126
	5.	मै० कोरोमंडल कंक्रीट प्रोडक्ट्स लि०, कोव्वूर	91	83	67
	6.	मै० लक्ष्मी प्रिस्ट्रेस कंक्रीट वर्क्स, हसनपारती रोड	45	58	47
	7.	मै० वी.एस. इंजीनियरिंग प्रा० लि०, नल्लापाडु	93	33	73
	8.	मै० महादेव इंडस्ट्रीज, हॉस्पेट	88	151	111
		उप जोड़	**1001**	**897**	**656**
द.पू.रे.	1.	मै० उड़ीसा कंक्रीट प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, झारसुगुड़ा	152	153	119
	2.	मै० उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, रायपुर	232	202	95
	3.	मै० विजय प्रिस्ट्रेस्ड प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, पेंडुरती	125	117	91
	4.	मै० डी.ई.डब्ल्यू. कंक्रीट टाइज (प्रा०) लि०, दलभूमगढ़	81	67	105
	5.	मै० इस्को. ट्रैक स्लीपर प्रा० लि०	210	40	106
	6.	मै० रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर्स (प्रा०) लि०, कारगीरोड	85	106	98
	7.	मै० नीलगिरी स्लीपर्स प्रा० लि० नीलगिरी रोड	87	82	90
	8.	मै० प्रिस्ट्रेस्ड उद्योग इंडिया) प्रा० लि०, चांडिल	66	48	20
	9.	मै० माजदा कंक्रीट प्राडक्ट्स लि०, कैपाडर रोड	36	38	27
	10.	मै० दया कंक्रीट प्रा० लि०, दलभूमगढ़	67	68	68
	11.	मै० यूनाइटेड वैक्स, डोंगरगढ़	64	78	88
	12.	मै० गैनन डंकरले एंड कं० रायगड़ा	12	43	52
	13.	मै० साहूवाला सिलींडर्स लि०, गरूडाबिल्ली	62	7	0
		उप जोड़	**1279**	**1049**	**959**

रेलवे		फर्म का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
प.रे.	1.	मै० उषा प्रिस्ट्रेस्ड स्लीपर उद्योग (पिपलोद), गोधरा	96	98	62
	2.	मै० मनीभाई ब्रदर्स (स्लीपर), खरसलिया	122	138	101
	3.	मै० एस. सुब्रह्मणयम एंड कं०, खरसलिया	102	95	74
	4.	मै० वामन प्रिस्ट्रेसिंग कं० लि०, पनवेल	165	135	150
	5.	मै० तनक्रीट (इंडिया) 'प्रा०' लि०, उद्वाडा	6	8	29
	6.	मै० डोनीपोलो उद्योग (प्रा०) लि०, शमगढ़	133	95	115
	7.	मै० रूरल इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि०, शम्भूपुरा	37	96	72
		उप जोड़	**661**	**665**	**603**
		कुल जोड़	**6569**	**6006**	**5548**

खाद्यान्न उत्पादन संबंधी आंकड़े

***538. जस्टिस गुमान मल लोढा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा और विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के संबंध में उपलब्ध आकलन सटीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में गत कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने वाली कोई (सेन्टर इन्स्टीट्यूट साइंटिफिक डाटा गैदरिंग सिस्टम) प्राणाली मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रणाली के उपयोग किए जाने के बावजूद कृषि संबंधी आंकड़ों के सटीक नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस समय कृषि संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए कौन-सी प्रणाली प्रयोग की जाती है; और

(च) सरकार द्वारा मौजूदा प्रणाली में सुधार हेतु भविष्य की योजना क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). देश में खेती के अधीन के क्षेत्र तथा खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान की विश्वसनीयता तथा यथार्थता ऊंचे स्तर की है।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार के जरिए ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। जैसा कि भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, कृषि सम्बन्धी आंकड़े काफी यथार्थ होते हैं।

(ङ) वर्तमान प्रणाली के अधीन, फसल के अन्तर्गत के क्षेत्र के आंकड़े उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल, जहाँ भूमि का रिकार्ड नहीं है, को छोड़कर सभी राज्यों में पूरी तरह से गणना करके संकलित किए जाते हैं। इन तीनों राज्यों में क्षेत्र के आंकड़े नमूना सर्वेक्षणों के जरिए संकलित किए जाते हैं। उपज के आंकड़े बहुचरणीय आकस्मिक यादृच्छिक सर्वेक्षण डिजाइन के जरिए फसल कटाई प्रयोग करके प्राप्त किए जाते हैं। उत्पादन का अनुमान क्षेत्र तथा उपज के अनुमानों के आधार पर लगाया जाता है। समय पर सूचना देने की योजना के अधीन 20 प्रतिशत क्षेत्र का अनुमान अग्रिम रूप से लगाने की व्यवस्था की गई है। फसल सांख्यिकी में सुधार लाने के लिए देश के लगभग दस हजार गांवों में राजस्व अभिकरणों द्वारा क्षेत्र परिकलन की व्यवस्था की गई है तथा प्रति वर्ष केन्द्र और राज्य द्वारा समान आधार पर लगभग 30,000 फसल कटाई प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है।

(च) कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना के अधीन फसल उत्पादन सम्बन्धी अनुमानों की यथार्थता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाने की आशा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अब तक शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों/फसलों में फसल कटाई प्रयोगों के आयोजन का विस्तार;

(2) उत्तर-पूर्वी राज्यों, जहाँ फिलहाल यह प्रणाली नहीं हैं, में कृषि सांख्यिकी की सूचना देने के लिए एजेंसी की स्थापना; और

(3) सभी फसलों के लिए तथा सभी राज्यों में कटाई पूर्व अनुमान लगाने के लिए फसल क्षेत्र तथा उत्पादन अनुमान हेतु उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन तकनीकों का प्रयोग।

[अनुवाद]

हथियारों की तस्करी

*539. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
डा० एस.पी. जायसवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्रवार देश में गैर-कानूनी रूप से निर्मित/तस्करी से लाए गए कितने और किस किस्म के विदेशी हथियारों को जब्त किया गया;

(ख) इन गैर-कानूनी हथियारों की मूल उत्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में गैर-कानूनी विदेशी हथियारों को लाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार/संघ-राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ङ) इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है और इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है। गहन सतर्कता बनाए रखने के लिए सभी कार्रवाईयों का समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है। अन्य कदमों में, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, विद्यमान विनियमों को सख्ती से लागू करना और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच गहन समन्वय करना शामिल है।

(घ) और (ङ). राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दालें

*540. **श्री आर.एल.पी. वर्मा:**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों की भारी मात्रा में कमी है जिसके परिणामस्वरूप इनके मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग किस्म की दालों की कितनी-कितनी कमी है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषरूप से उड़ीसा को दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) देश में दालों की कमी को पूरा करने और इनके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 1995-96 के दौरान 17 मिलियन मी. टन (1996-97 के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य) की अनुमानित मांग की तुलना में दालों का अनुमानित उत्पादन 15 मिलियन मी. टन रहा। इस प्रकार दालों में 2 मिलियन मी. टन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए देश में लगभग 4-6 लाख मिलियन मी. टन दालों का आयात किया जाता रहा है। सामान्यत: अरहर, मूंग, मसूर, तथा उड़द जैसी दालों की आपूर्ति में कमी आई है। दालों की किस्मवार आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जाता है। 1995 में दालों के औसत थोक मूल्य सूचकांक में 1994 की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) चावल और गेहूँ जैसे अनाज की तुलना में दालों की खेती कम लाभप्रद होती है। दालों का लगभग 90% क्षेत्र वर्षासिंचित है। दालों की फसलों में जोखिम होता है और उन पर कीटों एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है। इसके अलावा, दलहन विकास में कोई महत्वपूर्ण अनुवांशिक सफलता भी हासिल नहीं हुई है।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 257 जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 के लिए 34.8 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बीजों के उत्पादन एवं वितरण, मिनिकिटों के वितरण, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि-उपस्करों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, 5% आयात शुल्क के साथ दालों का आयात किया जाता

है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों से विशेष कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक, तमिलनाडु तथा बिहार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गई है।

विवरण

(लाख रु०)

क्र.सं.	राज्य	1995-96 केन्द्रीय आवंटन	1996-97 केन्द्रीय आवंटन
1.	आन्ध्र प्रदेश	106.00	115.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	2.00
3.	असम	12.00	10.00
4.	बिहार	140.00	131.00
5.	गोवा	2.00	1.00
6.	गुजरात	96.00	101.00
7.	हरियाणा	35.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00
9.	जम्मू व कश्मीर	30.00	30.00
10.	कर्नाटक	137.00	150.00
11.	केरल	11.00	11.00
12.	मध्य प्रदेश	440.00	550.00
13.	महाराष्ट्र	315.00	370.00
14.	मणिपुर	6.00	20.00
15.	मेघालय	6.00	2.00
16.	नागालैण्ड	12.00	12.00
17.	उड़ीसा	115.00	160.00
18.	पंजाब	27.00	25.00
19.	राजस्थान	325.00	450.00
20.	सिक्किम	10.00	10.00
21.	तमिलनाडु	130.00	150.00
22.	त्रिपुरा	7.00	10.00
23.	उत्तर प्रदेश	385.00	506.00
24.	पश्चिम बंगाल	32.00	30.00
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.00	1.00
26.	दिल्ली	1.00	1.00
	छिड़काव यंत्र	500.00	–
	कुल	2898.00	2898.00

[अनुवाद]

राजस्व वसूली

4874. श्री सुनील खान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा यात्री और माल यातायात से कितनी राजस्व राशि एकत्र की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि को दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे की कुल देनदारी कितनी है; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे से अधिक राजस्व की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान यात्री और माल सेवाओं से दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा वसूल किया गया राजस्व इस प्रकार है:-

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	1994-95	1995-96
यात्री	36545	40300
माल	340740	379213

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे से और अधिक राजस्व की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम इस प्रकार हैं:-

यात्री सेवाएं

1. बिना टिकट यात्रा में कमी करने के लिए गहन टिकट जांच।
2. माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों के जरिए टिकटें जारी करना।
3. कूपन वेलिडेटिंग मशीन लगाना।
4. चुनिंदा मार्गों पर पूर्णत: अनारक्षित गाड़ियां चलाना।
5. बेहतर जन शक्ति प्रबंधन।
6. ऊर्जा संरक्षण।
7. सभी ऑन लाइन तथा ऑफ लाइन गतिविधियों में लागत नियंत्रण, लागत में कमी और लागत को प्रभावी बनाना।
8. रेलवे की खर्च की सीमा में कमी करना।

9. नई गाड़ियां चलाना।

10. गतिविधियों की शून्य आधारित समीक्षा करना।

माल सेवाएं

1. मालडिब्बों के स्वामित्व में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए अपने मालडिब्बों के मालिक बनें योजना का आरंभ।

2. कतिपय किस्म के यातायात के लिए स्टेशन से स्टेशन तक दरें उद्धृत करना।

3. क्षेत्रीय रेलों को खाली मालडिब्बों की वापसी दिशा से प्राप्त होने वाले यातायात के लिए कम दरें उद्धृत करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4. अतिरिक्त राजस्व अर्जन के उद्देश्य से प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी बढ़ाकर 100 कि.मी. करना।

5. माल अग्रेषकों के माध्यम से फुटकर यातायात प्राप्त करना।

6. द्वार से द्वार तक कंटेनर सेवाओं के माध्यम से माल का बहुआयामी परिवहन।

7. प्रतिबद्ध पार्सल संचलन के लिए यात्री गाड़ियों में एस एल आर/ब्रेक यान स्पेश के लीज़ पर देने की योजना।

8. उच्च लाभ कमाने वाले पण्यों के लदान पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

गौड़ एक्सप्रेस

4875. श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेलवे के अंतर्गत मालदा तथा सियालदा डिवीजन के बीच गौड़ एक्सप्रेस ही एक मात्र फास्ट लिंक रेलगाड़ी है;

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण रेलगाड़ी में पुराने डिब्बों के लगाए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी में पुराने डिब्बों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 3153/3154 गौड़ एक्सप्रेस, सियालदह और मालदा के बीच सीधी सेवा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त एक फास्ट पैसेंजर के अलावा 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां मालदा और कलकत्ता (सियालदह/हावड़ा) के बीच चलती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टीम लोकोमोटिव इंजिन

4876. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अभी भी स्टीम लोकोमोटिव इंजिन तैयार किए जाते हैं;

(ख) रेलवे द्वारा अभी भी उपयोग किए जा रहे स्टीम इंजिनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इंजिनों के प्रयोग को पूरी तरह बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय भारतीय रेलों की मीटर लाइन पर 177 भाप रेल इंजन और छोटी लाइन पर 20 भाप रेल इंजन कार्यरत हैं।

(ग) और (घ). रेलों ने नीति विषयक मामले के रूप में पर्यटन महत्व के कुछ खंडों, जहां इस तरह के रेल इंजन आकर्षण के केन्द्र होंगे, को छोड़कर इस शताब्दी से पहले चरणबद्ध आधार पर भाप रेल इंजनों के बदले डीज़ल/बिजली रेल इंजन लगाने का विनिश्चय किया है।

हावड़ा स्टेशन पर बेस रसोईघर

4877. डा० असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर स्थित रेलवे की रसोईघर में साफ-सफाई अत्यंत अस्वास्थ्यकर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हावड़ा स्टेशन पर स्थित रसोईघर में और उसके आस-पास साफ-सफाई की स्थिति को बेहतर बनाने/सुधारने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). हावड़ा आधार रसोईघर के आसपास संतोषजनक तथा स्वास्थ्यकर हालत में सफाई रखी जाती है। तथापि, हाल में भारी वर्षा के कारण आसपास की नालियां बंद हो गई थीं जिसके

फलस्वरूप हवड़ा आधार रसोईघर के आसपास के क्षेत्र में अस्थाई रूप से पानी भर गया था। बंद नालियों को खोलने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की गई थी और स्वास्थ्यकर स्वच्छ हालत को बहाल कर दिया गया है।

रेल डिब्बों की आपूर्ति

4878. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा इकाई-वार तथा वर्ष-वार कितने रेल डिब्बों का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान जोनल रेलवे को कितने रेल डिब्बों की वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार आपूर्ति की गयी;

(ग) क्या पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को रेल डिब्बों की कम संख्या में आपूर्ति की गयी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलवे जोनों में रेल डिब्बों की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश में चार सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयां हैं—दो रेल क्षेत्र में यथा सवारी डिब्बा कारखाना और रेल कोच फैक्टरी तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र में यथा मै० भारत अर्थ मूवर्स लि० और मै० जेसप्स एंड कं. लि. विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित सवारी डिब्बों की यूनिटवार और वर्षवार संख्या इस प्रकार है:-

	1993-94	1994-95	1995-96
सवारी डिब्बा कारखाना	1038	780	890
रेल कोच फैक्टरी	1025	775	690
जेसप्स एंड कं. लि.	61	15	33
भारत अर्थ मूवर्स लि.	375	9	139

(ख) क्षेत्रीय रेलों को सप्लाई किए गए सवारी डिब्बों का कोटि-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

रेलवे	1993-94			1994-95			1995-96		
	एसी	नॉन-एसी	एसपी	एसी	नॉन-एसी	एसपी	एसी	नॉनएसी	एसपी
मध्य	7	130	116	13	145	62	55	141	82
पूर्व	41	323	42	50	340	62	6	26	92
उत्तर	34	331	17	58	180	66	43	199	57
पूर्वोत्तर	1	43	–	–	–	–	16	91	–
पूर्वोत्तर सीमा	2	22	–	–	10	–	15	83	6
दक्षिण	29	462	15	36	138	9	41	286	39
दक्षिण मध्य	7	224	–	17	65	–	21	149	18
दक्षिण पूर्व	5	363	40	–	27	50	29	244	42
पश्चिम	35	234	54	76	132	48	36	36	122

(ग) और (घ). जी नहीं। किसी वर्ष के दौरान योजनाबद्ध कुल उत्पादन को हिसाब में लेते हुए आवश्यकतानुसार दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को सवारी डिब्बों की आपूर्ति की गई है।

मसालों का विकास

4879. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश और विशेषरूप से केरल में मसालों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). आठवीं योजना के दौरान देश में मसालों के विकास के लिए 125.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कार्यक्रम का

कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस राशि में से केरल राज्य को 40.21 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। केरल में विभिन्न मसालों के विकास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. काली मिर्च

काली मिर्च की जडयुक्त कलमों का उत्पादन, काली मिर्च के पुराने उद्यानों का पुनरुद्धार; आदान किटों का वितरण; क्विक विल्ट रोग के लिए पौध संरक्षण उपाय अपनाना; प्रदर्शन भूखण्ड बनाना; अन्तर फसल के रूप में इसकी खेती का प्रोत्साहन तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम।

2. अदरक

नाभिक बीज सामग्री का उत्पादन; प्रदर्शन तथा बीज बहुगुणन भूखण्डों की स्थापना; अदरक की मिनिकिटों का उत्पादन; पौध संरक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम एवं क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम।

3. हल्दी

नाभिक बीजों का उत्पादन; प्रदर्शन एवं बीज बहुगुणन भूखण्डों की स्थापना; क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम; पॉलिशिंग ड्रम बनाने के लिए सहायता।

4. मिर्च

प्रदर्शन एवं बीज बहुगुणन भूखण्डों की स्थापना; मिनिकिटों का वितरण; लाल मिर्च के प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना।

5. वृक्ष मसाले

लौंग, जायफल कलमों तथा दालचीनी/तेज पत्ते की क्वालिटी रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण; तथा वृक्ष मसालों के प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना।

6. सामान्य

पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण; सिंचाई यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता; मृदा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन तथा स्टाफ एवं आधारभूत संरचना।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपराध

4880. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अगस्त, 1996 के नवभारत टाइम्स' में ''दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर चोरों को पुलिस का संरक्षण'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के संरक्षण में चोरों का गिरोह सक्रिय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). सरकार के ध्यान में ऐसा कोई भी समाचार नहीं आया है। तथापि, दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर चोरों का कोई भी संगठित गिरोह रेलवे पुलिस के संरक्षण में सक्रिय नहीं है।

(घ) रेलवे स्टेशनों पर चोरियां रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गश्त में वृद्धि करना तथा महत्वपूर्ण स्थानों/प्लेटफार्मों पर ज्ञात चोरों की तस्वीरें चिपकाना शामिल हैं।

[अनुवाद]

जलसंभर/झीलें

4881. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ जलसंभर/झीलों का देश के राष्ट्रीय जलसंभर/झीलों के रूप में चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय जलसंभर के रूप में घोषित उन जलसंभर/झीलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके सौन्दर्यकरण के लिए कोई उपाय किए जायेंगे;

(घ) क्या इन जलसंभर/झीलों के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 10 राज्यों की 21 शहरी झीलों को शामिल करके तैयार की गई है। इन झीलों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीवेज प्रणाली के द्वारा झील में सीवर प्रवेश को रोकना, कैचमैंर क्षेत्र का संरक्षण, जल गुणवत्ता आदि में सुधार करके इन झीलों के पारिस्थितिक स्तर को पुनः प्राप्त करना है। सरकार द्वारा आठवीं योजना में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का अनुमोदन नहीं किया गया है।

विवरण

	झील का नाम	राज्य
1.	डल	जम्मू और कश्मीर
2.	भोज	मध्य प्रदेश
3.	सागर	मध्य प्रदेश
4.	हुसैन सागर	आन्ध्र प्रदेश
5.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश
6.	कोडईकनाल	तमिलनाडु
7.	ऊटी	तमिलनाडु
8.	पवई	महाराष्ट्र
9.	उदयपुर झील प्रणाली	राजस्थान
10.	सुखना	चण्डीगढ़
11.	रबिन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल
	(चरण–II)	
1.	शुचिन्द्र टैंक	पश्चिम बंगाल
2.	आद्रम	पश्चिम बंगाल
3.	साल्ट लेक	पश्चिम बंगाल
4.	सन्तरागाची	पश्चिम बंगाल
5.	सुभाष सरोवर	पश्चिम बंगाल
6.	हालीसहार के पास जल निकाय समूह	पश्चिम बंगाल
7.	गार्डन रीच क्षेत्र में जल निकाय	पश्चिम बंगाल
8.	बेलधोरिया रेलवे स्टेशन के आसपास जल निकाय समूह	पश्चिम बंगाल
9.	मीरीक	पश्चिम बंगाल
10.	सेंचल	पश्चिम बंगाल

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड

4882. श्री विजय गोयल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लि० उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली में अपना कार्य 30-11-96 से बंद करने जा रही है;

(ख) क्या एच.आई.एल. के प्रबंधन द्वारा एन.सी.आर. में 25 एकड़ भूमि के आवंटन किए जाने तथा एच.आई.एल को दूसरी जगह स्थापित करने हेतु 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की गई है;

(ग) क्या एच.आई.एल. के प्रबंधन द्वारा दूसरे स्थान पर अपने एकक को स्थापित करने पर अपने 530 कर्मचारियों में से सिर्फ 40–50 कर्मचारियों को ही रखने की योजना है;

(घ) न्यू मोतीनगर क्षेत्र में एच.आई.एल. टाउनशिप नामक वर्कर्स कोलीन के बारे में क्या योजना है; और

(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा टोकन राशि लेकर आवंटियों को मालिकाना हक दिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) एच.आई.एल. की दिल्ली इकाई केवल डी.डी.टी. का विनिर्माण कर रही है। डी.डी.टी. की मांग में कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के सूत्रयोग एकक स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें बहुत कम कर्मचारियों की जरूरत होगी। डी.डी.टी. की वर्तमान मांग को महाराष्ट्र और केरल में कम्पनी के दो एककों द्वारा पूरा किया जाने की आशा है, जहां डी.डी.टी. का भी विनिर्माण किया जाता है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। कम्पनी ने अपने विपणन प्रभाग, अनुसंधान और विकास काम्पलेक्स और कोरपोरेट आफिस के कर्मचारियों के लिए इन क्वार्टरों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष द्वारा विदेश यात्राएं

4883. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कितनी बार विदेशों का दौरा किया गया;

(ख) इन दो अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और उन्हें कितना दैनिक भत्ता लेने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या सरकार ने इन विदेशी यात्राओं के परिणामों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ). भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार विदेश के इन दौरों से निम्नलिखित लाभ हुए हैं।

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि में भारतीय सहकारिता आन्दोलन का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व कर सका है।

(2) इन दौरों से विदेशों में प्रतिपक्षों के साथ मानव संसाधन विकास सहकारी बीमा बैंकिंग आदि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है।

(3) शिल्पियों की सहकारी समितियों के लिये तीन परियोजनायें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक-एक को "इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स" की ओर से मंजूरी मिल गयी है।

विवरण

		1993-94	1994-95	1995-96
(क)	(1) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	5	4	6
	(2) मुख्य कार्यपालक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा विदेशों के किये गये दौरों की संख्या	3	4	3
(ख)	इन दौरों पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा (रुपये में)			
	(1) अध्यक्ष	2,39,321	3,33,622	6,72,945
	(2) मुख्य कार्यपालक	91,328	1,27,860	1,79,610

[हिन्दी]

तेतुलमारी में ठहराव

4884. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की धनबाद डिविजन के अंतर्गत तेतुलमारी स्टेशन में धनबाद और पटना के बीच चलने वाली गंगा-दामोदर रेलगाड़ी का ठहराव बनाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यातायात औचित्य की कमी तथा इसके धनबाद (9 कि.मी.) के अति निकट होना।

फिरोजाबाद स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव

4885. प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर फास्ट गाड़ियां फिरोजाबाद स्टेशन पर नहीं रुकती हैं;

(ख) क्या सरकार को कालिंदी, वैशाली, नॉर्थ-ईस्ट, प्रयागराज, जोधपुर-हावड़ा-नरूधर, पुरूषोत्तम, नई दिल्ली-पुरी, पुर्वा, ब्रह्मपुत्र एवं शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए फिरोजाबाद अथवा टुंडला स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या टुंडला एवं फिरोजाबाद स्टेशनों पर रुकने वाली और भविष्य में जिन गाड़ियों को इन स्टेशनों पर ठहराया जाएगा उन गाड़ियों के प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं। तीन जोड़ी सुपरफास्ट गाड़ियां पहले ही इस स्टेशन पर ठहरती हैं।

(ख) फिरोजाबाद और टूंडला में अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, कालिंदी एक्सप्रेस और मरुधर एक्सप्रेस (केवल डाउन दिशा में) पहले ही टूंडला में ठहरती हैं।

(ग) और (घ). जी हां। टूंडला में मरुधर एक्सप्रेस को अप दिशा में 1.10.96 से ठहराव देने की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल, फिरोजाबाद या टूंडला में किसी अन्य अतिरिक्त गाड़ी को ठहराव देना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। जहां तक आरक्षण कोटे का संबंध है, आरक्षित स्थान की कुल उपलब्धता तथा मांग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे किसी भी स्टेशन पर आबंटित किया जाता है। तदनुसार, फिरोजाबाद और टूंडला में विभिन्न गाड़ियों में आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है। इन स्टेशनों पर कोई नया कोटा आबंटित करने या मौजूदा कोटे को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सफाई कार्य का निजीकरण

4886. श्री एन.जे. राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर गुजरात में किन-किन रेलवे स्टेशनों के सफाई कार्य को निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया है; और

(ख) उक्त कार्य को निजी एजेंसियों को सौंप दिए जाने के परिणामस्वरूप फालतू होने वाले निचले स्तर के रेल कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस की गति

4887. डा. जी.आर. सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेल के अंतर्गत गोंदिया तथा कानपुर के बीच चलने वाली 7384/7383 महाराष्ट्र एक्सप्रेस की गति बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). इस संबंध में श्री दिग्विजय खानविल्कर, विधायक/महाराष्ट्र के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 7383/7384 महाराष्ट्र एक्सप्रेस की गति बढ़ाने की संभावना की जांच की गई है परन्तु बड़ी संख्या में हाल्टों के अलावा विपरीत स्थिति सहित अनेक परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस में भर्ती

4888. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी हिस्सों से लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोडकर अन्य राज्यों में लोगों की भर्ती कर रही है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बर्दवान में ई.एम.यू. कार शेड

4889. श्री बलाई चन्द्र राय:
श्री अजय मुखोपाध्याय:
डा. असीम बाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिचालन के दृष्टिकोण से बर्दवान में एक ई.एम.यू. कार शेड बनाने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) क्या ऐसा शेड न होने से ई.एम.यू. शेडों की कमी के कारण ई.एम.यू सेवा काफी अस्त-व्यस्त हो जाती है; और

(ग) बर्दवान से सियालदह, बडेल, हावड़ा (दोनों दिशा में) दनकुनी, खड़गपुर, बराकर और चितरंजन के लिए ई.एम.यू. सेवा चलाने हेतु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) ई.एम.यू./एम.ई.एम.यू. सेवाएं वर्धमान से सियालदह, बंडेल, हवड़ा, दनकुनी, बराकर के बीच सीधा संपर्क बनाती हैं। परिचालनिक कठिनाइयों के कारण बर्धमान और खड़गपुर के बीच ई.एम.यू. सेवा की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधन की तंगी के कारण बर्धमान से चित्तरंजन तक ई.एम.यू. सेवा आरंभ करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

दाह्नू में उद्योग

4890. श्री चिन्तामन वानगा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उद्योग संघ, थाने जिले की ओर से कोई पत्र मिला है जिसमें दहानू के औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार के 20 जून, 1991 के परिपत्र के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले के निपटाए जाने के बाद ही इस पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं

4891. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कृषि के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रयोगशालाओं की स्थापना से किसानों के किस प्रकार से लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्या वार्षिक लक्ष्य रखा गया है; और

(च) इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। तथापि सरकार का देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) कुल 503 ग्रामीण जिलों में से 252 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं। इसका ब्यौरा विवरण में दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). कृषि विज्ञान केन्द्र का उद्देश्य दक्षता पर आधारित प्रशिक्षण, फसलों की खेत पर जांच, पशुधन, बागवानी, मात्स्यिकी आदि, अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के जरिए अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसानों की मदद करना है। कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत विस्तार कार्मिक को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि उन्हें कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके।

(ङ) और (च). वार्षिक लक्ष्य तथा समय अतिरिक्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जिसके लिए योजना आयोग से पहले ही बातचीत की जा चुकी है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों वाले जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण जिलों की संख्या	कृ.वि.के. वाले जिले
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	02	01
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	15
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	01
4.	असम	23	05
5.	बिहार	52	18
6.	दादर तथा नगर हवेली	01	–
7.	दमन तथा द्वीव	02	–
8.	दिल्ली	01	01
9.	गोवा	02	01
10.	गुजरात	19	10
11.	हरियाणा	16	12
12.	हिमाचल प्रदेश	12	09
13.	जम्मू तथा कश्मीर	14	04
14.	कर्नाटक	19	10
15.	केरल	14	09
16.	लक्षद्वीप	1	–
17.	मध्य प्रदेश	45	19
18.	महाराष्ट्र	30	22
19.	मणिपुर	08	01
20.	मेघालय	07	01
21.	मिजोरम	03	02
22.	नागालैंड	07	01
23.	उड़ीसा	30	12
24.	पाण्डिचेरी	04	02
25.	पंजाब	14	09
26.	राजस्थान	30	30
27.	सिक्किम	04	01
28.	तमिलनाडु	22	16
29.	त्रिपुरा	04	02
30.	उत्तर प्रदेश	65	30
31.	पश्चिम बंगाल	16	08
	कुल	**503**	**252**

रेल गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या

4892. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता से उत्तरी बंगाल और असम के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने तथा हावड़ा-गुवाहाटी एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). भारतीय रेलों पर नई गाड़ियों तथा सवारी डिब्बों सहित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता तथा यातायात के औचित्य पर निर्भर करती है। 3045/3046 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस के फेरे अक्टूबर, 96 से सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन किए जा रहे हैं, तथापि, कलकत्ता से उत्तरी बंगाल तक गाड़ियों में सवारी डिब्बों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्रेन डिस्क्राइबर सिस्टम

4893. श्री तरित वरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में रेलगाड़ी परिचालन के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु "ट्रेन डिस्क्राइबर सिस्टम" की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था किस तिथि को आरंभ की गयी, व्यवस्था की एफ.ओ.बी. लागत और व्यवस्था आरंभ किए जाने की तिथि से कितने समय तक इसका उपयोग किया गया, आदि का ब्यौरा क्या है तथा इसकी उपयोगिता क्या है;

(ग) क्या यह व्यवस्था किसी अन्य स्टेशन पर भी लगाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) चालू होने की तिथि : 27.3.1994

पोत पर्यंत नि: शुल्क लागत: 4352534 : पौंड स्टर्लिंग

स्थापित होने की तिथि से ही प्रणाली परिचालन में है। गाड़ी के कार्य संचालन और यात्रियों को सूचना देने के लिए प्रणाली लाभदायक रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानवाधिकार आयोग की स्थापना

4894. श्री ए.सी.जोस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यस्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने ऐसा कोई आयोग स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में धारा 20 से 29 में राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने के संबंध में प्रावधान है। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित करने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम राज्य सरकारों ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग पहले ही गठित कर लिए हैं।

रेलवे की बकाया राशि

4895. श्री बची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं कुछ राज्यों के विद्युत बोर्डों पर वसूली हेतु बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1996 तक उन पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या इन विद्युत बोर्डों के संयंत्रों को की गई कोयले की ढुलाई के कारण इतनी बड़ी बकाया राशि की वसूली न हो पाने से रेलवे को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 30.6.96 को बकाया धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड/ बिजलीघर का नाम	(करोड़ रुपए में) धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	24.05
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	4.16
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	4.66
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	94.76
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	6.13
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	56.91
7.	कर्नाटक बिजली बोर्ड	0.51
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	33.44
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	3.29
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	14.94
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1.49
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	0.33
13.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	37.59
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	20.78
15.	राष्ट्रीय ताप बिजली- निगम/बदरपुर ताप बिजली घर	688.54
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम/अन्य माल भाड़े और विलंब शुल्क	32.51
	प्रभारों का जोड़	1024.09

(ग) चूंकि रेलों को संसाधनों के आंतरिक सृजन पर अधिकाधिक निर्भर रहने को कहा गया है अत: रा.ता.दि.नि. और अन्य राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया धनराशि रेलों के संसाधनों के सृजन को प्रभावित करती है।

(घ) रेलों के सामने मुख्य कठिनाई यह है कि जब परेषणों को "भाड़ा देय" आधार पर बुक किया जाता है, तब बिजली संयंत्र भाड़ा प्रभारों की अदायगी में विफल हो जाते हैं। कोयला ढुलाई, प्रभारों की समय पर वसूली के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:-

(क) बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान के लिए, बिजली संयंत्रों के प्राधिकारियों के साथ निरन्तर बातचीत करना।

(ख) अंतिम उपाय के रूप में कभी-कभी मालडिब्बे की सप्लाई और परेषणों की सुपुर्दगी रोकना।

(ग) "देय" और "प्रदत्त" माल भाड़े के बीच 15% का अन्तर रखना।

(घ) संबंधित राज्य बिजली बोर्ड से गंतव्य रेलवे पर एक माह के लेन-देन के बराबर राशि जमा करवा कर अग्रिम भुगतान योजना लागू करना।

(ङ) जहां अब परेषण "भाड़ा देय" के आधार पर बुक किए जाते हैं वहां 1.10.96 से माल भाड़े का अनिवार्यत: पूर्व-भुगतान करना।

आशा है (घ) और (ङ) में किए गए उपायों से, इस संबंध में स्थिति में सुधार होगा।

[हिन्दी]

पुलिस अत्याचार

4896. डा. राम विलास वेदान्ती: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तथा अन्य जिलों में लकड़बग्घे के आतंक के कारण बच्चों के मारे जाने की घटना जारी है;

(ख) क्या प्रतापगढ़ तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों की पुलिस के भय से पूरी-पूरी रात अपने गांवों से बाहर रहना पड़ता है क्योंकि पुलिस द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को उनके उचित मांगों को दबाने के लिए उनकी पिटाई की जाती है;

(ग) यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लकड़बग्घे के भय की आड़ में कितने बच्चों को मार दिया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, शिशुओं/बच्चों की हत्या की घटनाएं, सुलतानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों से सूचित हुई थीं। कुछ जंगली जानवर, जैसे कि "लकड़बग्गा", "भेड़िया" और ऐसी ही प्रजातियों जो कि मानव भक्षी हों गई बताई गई हैं, शिशुओं और छोटे बच्चों पर हमला करते थे। वन विभाग ने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की मदद से इन जानवरों को मारने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया था। अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए भी कदम उठाए गए थे। मीडिया, सामाजिक

कार्यकर्ता तथा अन्य प्रभावकारी व्यक्ति इस अभियान के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के अलावा विभिन्न स्थानों में कई बैठकें की गई थीं। कुछ भिखारी और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, जिन्हें उन्होंने मानव रूप में लकड़बग्गा/भेड़िया समझ लिया था, जनता के आक्रोश का शिकार भी हुए। इस संबंध में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। ऐसी घटनाओं में लिप्त होने के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय जनता के सहयोग और भागीदारी से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

चालू वर्ष के दौरान मार्च से जुलाई, 1996 के बीच संदर्भाधीन तीन जिलों में जानवरों द्वारा 30 बच्चों की हत्या किए जाने की सूचना है।

[अनुवाद]

लोनी पुलिस स्टेशन

4897. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन माह के दौरान जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के लोनी पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बांगलादेशी शरणार्थियों को हटाना

4898. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांगलादेशी शरणार्थी रोहतक सांपला, बहादुरगढ़ और नांगलोई रेलवे स्टेशनों पर बस गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको प्लेटफार्म/रेलवे शेड्स से हटाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बाघ फोरम

4899. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बाघ कार्य योजना के कार्यान्वयन और विश्व बाघ फोरम (1993) के कार्यकरण के संबंध में अभी तक का अनुभव क्या रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : विश्व बाघ मंच भारतीय राष्ट्रीय बाघ कार्य योजना पर इसका औपचारिक रूप से गठन हो जाने के बाद विचार करेगा इसलिए राष्ट्रीय बाघ कार्य योजना के कार्यान्वयन में अनुभव का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व बाघ मंच औपचारिक रूप से कार्य करना तब शुरू करेगा जब बाघ रेंज के कम से कम पांच देश इसकी संविधि की पुष्टि कर लेंगे। अब तक तीन देशों अर्थात् भूटान, भारत और म्यांमार से अभिपुष्टि प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र

4900. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन आरक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक कंप्यूटरीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ख) इन आरक्षण केन्द्रों विशेषरूप से हजारीबाग आरक्षण केंद्र का कब तक कंप्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली वाली सुविधा पर अभी लगभग 1600 स्टेशनों, जिनमें से अधिकांश पर सीमित या नगण्य कार्यभार है, कुल आरक्षण कार्यभार का लगभग 8% ही कार्यभार सम्हाला जाना है।

(ख) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये सुविधाएं मानदण्डों के अनुसार स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। हजारीबाग में आरक्षण का कार्यभार प्रतिदिन के आरक्षण संबंधी कार्यभार लेन-देन के मानदंड से बहुत कम है और फिलहाल वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है। मानदंड पूरा होने पर इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

टीक की लकड़ी को जब्त करना

4901. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर टीक की लकड़ी के जब्त किए जाने के कितने मामले हुए;

(ख) क्या सुरक्षा बल विशेषकर सीमा सुरक्षा बल तथा असम राइफल्स उक्त तस्करी को रोकने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तस्करी को रोकने, जो सीमावर्ती राज्यों में विद्रोह में वृद्धि का मूल्य कारण है, को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) उन मामलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जिनमें म्यांमार सेना द्वारा भारतीय वाहनों की, जो तस्करी की गतिविधि में लगे थे, जला दिए गए?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

झारखण्ड स्वायत्त परिषद

4902. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में झारखंड स्वायत्त परिषद को क्या-क्या कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) झारखंड स्वायत्त परिषद के कितने अधिकारी हैं और कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनकी नियुक्ति के निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) उक्त परिषद की स्थापना के बाद से आज तक इसे केन्द्र एवं राज्य द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) झारखंड स्वायत्त परिषद द्वारा मदवार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ङ) झारखंड स्वायत्त परिषद के उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के वेतन एवं भत्ते आदि का ब्यौरा क्या है;

(च) झारखंड स्वायत्त परिषद के अलग-अलग कुल सदस्य कितने हैं एवं उनमें से कितने निर्वाचित सदस्य हैं और कितने सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है;

(छ) झारखंड स्वायत्त परिषद का चुनाव कब तक कराया जाएगा;

(ज) क्या झारखंड स्वायत्त परिषद के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (झ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत इंजनों का आयात

4903. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल द्वारा कितने विद्युत इंजनों का आयात किया गया, भारतीय रुपए में इसकी कुल कीमत कितनी थी तथा भारत में यह कब पहुंचे;

(ख) इस प्रकार के कितने आयातित विद्युत इंजनों को कब से प्रचालन में रंखा गया है तथा इन विद्युत इंजनों का प्रयोग किन-किन रेलवे जोनों में किया जा रहा है; और

(ग) क्या जिस कंपनी से आयात सौदा हुआ था उसने प्रौद्योगिकी देने का भी आश्वासन दिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

विवरण

(क) ए.सी. कर्षण प्रणाली शुरू होने से आयात किए गए विद्युत इंजनों की संख्या (1.9.96 तक)

क्र.सं.	श्रेणी/इंजनों की किस्म	आयात किए गए इंजनों की संख्या	किस देश से	बुक मूल्य/उतराई लागत लाख रुपयों में (लगभग)	भारत में पहुंचने का महीना/वर्ष	
1.	बी जी-ए सी 25 के वी 50 सी/एस डब्ल्यू ए एम 1 डब्ल्यू ए जी 1/3	152	यूरोपीयन ग्रुप, फ्रांस	1687	डब्ल्यू ए एम-1, - 1960 से 1965	डब्ल्यू ए जी 1/3

क्र.सं.	श्रेणी/इंजनों की किस्म	आयात किए गए इंजनों की संख्या	किस देश से	बुक मूल्य/उतराई लागत लाख रुपयों में (लगभग)	भारत में पहुंचने का महीना/वर्ष
	डब्ल्यू ए एम 2/3 डब्ल्यू ए जी 2	83	जापान	987	डब्ल्यू ए एम 2/3, डब्ल्यू ए जी 2 – 1961 से 1965
2.	एम जी–ए सी 25 के वी, 50 सी/एस वाई ए एम 1	20	जापान	192	1964 से 1966
3.	बी जी–ए सी 25 के वी, 50 सी/एस	6	स्वीडन	5345	1988
	थाइरीस्टर द्वारा नियंत्रित उच्च अश्व शक्ति (6000 एच पी) मालगाड़ी के डब्ल्यू ए जी 6 इंजन	12	जापान	10184	1988
4.	बी जी–ए सी 25 के वी, 50 सी/एस 3–फेस, डब्ल्यू ए पी 5 ड्राइव यात्री इंजन	10	स्विटजरलैंड	24179	अक्तूबर, 1995 से जून, 1996
	डब्ल्यू ए जी 9 (एस के डी/सी के डी) माल इंजन	5	स्विटजरलैंड	10825	जुलाई, 1996
	जोड़	288		53399	

(ख) एसी कर्षण (1–9–1996 तक) प्रणाली शुरू होने से सेवा में लगाए गए आयातित विद्युत इंजनों की संख्या:

क्र.सं.	इंजनों की किस्म/श्रेणी	सेवा में लगाए गए इंजनों की संख्या	सेवा में लगाने का वर्ष	उपयोग करने वाली रेलवे
1.	25 केवी डब्ल्यूएएम 1 एसी	100	1959 से 1961	पूर्व और उत्तर
	बड़ी लाइन डब्ल्यूएएम 2 के इंजन	36	1962 से 1964	पूर्व
	डब्ल्यूएएम 3	2	1965	पूर्व
	डब्ल्यूएजी 1	42	1963 से 1968	दक्षिण, दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व और पश्चिम

क्र.सं.	इंजनों की किस्म/श्रेणी	सेवा में लगाए गए इंजनों की संख्या	सेवा में लगाने का वर्ष	उपयोग करने वाली रेलवे
	डब्ल्यू एजी 2	45	1964 से 1966	मध्य
	डब्ल्यू एजी 3	10	1965 से 1967	पूर्व
2.	25 केवी डब्ल्यूएजी 6ए एसी उच्च	6	2-5-1988 से 24-1-1989	दक्षिण पूर्व
	अश्वशक्ति डब्ल्यूएजी 6बी थाइरिस्टर	6	11-9-1988 से 29-10-1988	दक्षिण पूर्व
	कंट्रोल इंजन डब्ल्यूएजी 6 सी	6	24-5-1988 से 21-8-1988	दक्षिण पूर्व
3.	मीटर लाइन वाईएएम 1 के इंजन	20	27-3-1965 से 28-8-1966	दक्षिण
4.	3-फेस डब्ल्यूएपी 5 ड्राइव	10	उत्तर रेलवे पर चालू किया जा रहा है।	
	एबीबी डब्ल्यूएजी 9 इंजन	5	चितरंजन रेल इंजन कारखाने में असेम्बल किया जाना है।	
	(खुले पुर्जों की हालत में)			
	जोड़	**288**		

टिकटों की बिक्री हेतु एजेन्ट

4904. श्री केशव महन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने गुवाहाटी में रेल टिकटों की बिक्री और शायिकाओं के आरक्षण हेतु एजेंटों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेरी द्वारा किराये पर वाहन लिया जाना

4905. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **कृषि मंत्री** 11 मार्च, 1996 के अंतरांकित प्रश्न सं. 1228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदर डेरी की फलों और सब्जियों को यूनिट ने किराये पर निजी वाहनों को लेने संबंधी मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परिवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनका वर्तमान में मदर डेरी के साथ किराया संबंधी अनुबंध है और इसके अन्तर्गत चल रहे उनके ट्रकों/मैटाडोरों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन ट्रांसपोर्टरों के नाम जिनका विभिन्न केन्द्रों से सी.डी.एफ. मंगोलपुरी दिल्ली और वापसी तक फल, सब्जी तथा पैकिंग मदों के परिवहन के लिए वाहन देने का ठेका है

	ट्रांसपोर्टर का नाम	वाहनों की संख्या
1.	मैसर्स नागपुर गौहाटी रोडवेज	6
2.	मैसर्स नेशनल मिल्क सप्लायर	8
3.	सुनील कुमार सहगल	6
4.	बाल कृष्ण	3
5.	हवा सिंह	5
6.	राजेन्द्र कुमार बंसल	2
7.	रामधन यादव	2
8.	एस. पी. सिन्हा	2
9.	मैसर्स खान ट्रांसपोर्ट कं.	3
10.	मैसर्स सवेरा ट्रांसपोर्ट कं.	2
11.	मैसर्स सोहना मिल्क सप्लायर	7

उन ट्रांसपोर्टरों के नाम जिनका सी.डी.एफ. दिल्ली से दिल्ली में या दिल्ली के आस-पास स्थित विभिन्न खुदरा केन्द्रों तथा दिल्ली के बाहर अन्य केन्द्रों पर स्थित विभिन्न खुदरा केन्द्रों तक ताजी/हिमित सब्जियों के परिवहन के लिए ठेका है।

1.	एम. एल. बर्मन	5
2.	मैसर्स कासमॉस इंटरस्टेट कैरियर्स	4
3.	रामजी लाल	10
4.	मैसर्स संजय ट्रांसपोर्ट कं.	5
5.	सुरंजन सिंह	3
6.	मैसर्स धरमिन्दर ट्रांसपोर्ट कं.	4
7.	मैसर्स खन्ना क्लियरिंग एजेंसिज	5
8.	सुरेन्द्र सिंह	5
9.	मैसर्स आर.के. वर्मा ट्रांसपोर्ट सर्विस	2
10.	देवेन्दर सिंह	5
11.	मैसर्स कमल ट्रांसपोर्ट सर्विस	1
12.	रामराज मुदगिल	1
13.	मैसर्स शर्मा ट्रांसपोर्ट	1
14.	मैसर्स साइबाबा पेरिशेबल गुड्स कैरियर्स	3
15.	मैसर्स आनन्द फ्रोजेन फूड कैरियर्स	3
16.	मैसर्स जे.के. फ्रोजन फूड कैरियर्स	3

ट्रिमेथोप्रिम तथा सल्फामेथोक्साजोल का मूल्य

4906. श्री उद्धव बर्मन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ट्रिमेथोप्रिम तथा सल्फामेथोक्साजोल के मूल्य निर्धारित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा विभिन्न पैकों के लिए दरें क्या हैं;

(ग) क्या मेसर्स वेलक्योर ड्रग्स तथा पाम फार्मास्युटिकल्स जैसी कंपनियां इन दवाओं के लिए स्वीकृत मूल्य से अधिक ले रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब से तथा सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख). डी.पी.सी.ओ. 1995 के अधीन ट्रिमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जाएगी और सभा के पटल पर रखी जाएगी।

विवरण

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु)
1	2	3	4	5
1.	ट्रिमेथोप्रिम+ सल्फामोक्सोल टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 40 मि.ग्रा.+ सल्फामोक्सोल 200 मि.ग्रा. 5 मि.लि.	50 मि.लि. शीशी	9.12

1	2	3	4	5
2.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामोक्सोल टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. + सल्फामोक्सोल 400 मि.ग्रा. प्रति टिकिया	10 × 10 का पत्ता	56.44
3.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामोक्सोल पीडियाट्रिक टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 20 मि.ग्रा. + सल्फामोक्सोल 100 मि.ग्रा. + प्रति टिकियां	10 × 10 का पत्ता	17.48
4.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल इंजेक्शन	ट्रिमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. + सल्फामेथोक्साजोल टिकियां 400 मि.ग्रा./5 मि.लि.	5 × 5 मि.लि. एम्प्यूल	14.77
5.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल टिकियां 400 मि.ग्रा./टिकिया	10×10 का पत्ता	78.24
6.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल पीडियाट्रिक टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 20 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल पीड. टिकियां 100 मि.ग्रा./टिकिया	10×10 का पत्ता	23.16
7.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल पीड. सस्पेंशन	ट्रिमेथोप्रिम 40 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल 200 मि.ग्रा./5 मि.लि.	50 मि.लि. शीशी	9.34
8.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल पीड. सस्पेंशन	ट्रिमेथोप्रिम 40 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल 200 मि.ग्रा./ 5 मि.लि.	100 मि.लि. शीशी	16.00
9.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल डबल स्ट्रेन्थ टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 160 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल 800 मि.ग्रा.	10 का पत्ता	14.04
10.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामोक्सोल टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. सल्फामोक्सोल 400 मि.ग्रा. टिकियां	10 का पत्ता	8.30
11.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामोक्सोल पीड. टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 20 मि.ग्रा. सल्फामोक्सोल 100 मि.ग्रा. प्रति टिकिया	10 का पत्ता	2.44
12.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल इंजेक्शन	ट्रिमेथोप्रिम 16 मि.ग्रा. सल्फामोक्सोल 800 मि.ग्रा./ मि.लि.	1×5 मि.लि. (एम्प्यूल)	2.90
13.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फाडायजिन टिकियां	ट्रिमेथोप्रिम 90 मि.ग्रा. सल्फाडायजिन 410 मि.ग्रा. टिकियां	10×10 का पत्ता/जीपी	76.90
14.	ट्रिमेथोप्रिम + सल्फामेथोक्साजोल	ट्रिमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा. सल्फामेथोक्साजोल 400 मि.ग्रा.	1000 का टिन	533.22

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

4907. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1996 के "दैनिक जागरण" में "पूर्वी उत्तर प्रदेश अपराधियों के शिकंजे में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इलाहाबाद में सिविल लाइन्स एरिया में 13 अगस्त, 1996 को कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी लेकिन पुलिस हत्यारों को पकड़ने में अभी तक असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो गत 12 महीनों के दौरान इलाहाबाद और फूलपुर में कितनी हत्याएं हुईं तथा इनमें से कितने मामलों में हत्यारों को पकड़ा गया और कितने मामले अनसुलझे पड़े हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तानियों का गायब होना

4908. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, एवं 28 अगस्त, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित "आफिशियल्य आर वरीड एज पाकिस्तानी वैनिश" एवं लूपहोल्स इन सिक्योरिटी एट अटारी" शीर्षक समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने पाकिस्तानी देश में प्रतिवर्ष गायब हो गए और उनका पता न लग पाने और उन्हें गिरफ्तार न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आगे से पाकिस्तानियों के इस प्रकार गायब होने की चालबाजी पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बागवानी परियोजना

4909. श्री गंगा राम कोली : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रकार के फलों की पैदावार के उन्नयन और संवर्द्धन के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में इटली के सहयोग से कोई बागवानी परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कुल परिव्यय कितना होना है एवं इसके लिए इटली से सहायता की राशि कितनी मिली है, इसके अंतर्गत कौन से फलों के पेड़ों को लगाया गया है तथा इसके कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से किसान किस हद तक लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की खामियां और प्रशासकीय अनियमितताएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) शीतोष्ण जलवायु वाली फल की फसलों के विकास के लिए इंडो-इटालियन प्रोग्राम नामक एक परियोजना उ०प्र०, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों में दो चरणों में क्रियान्वित की गई। प्रथम चरण जून, 1984 से दिसम्बर, 1987 तक तथा दूसरा चरण अगस्त, 1990 से जून 1994 तक क्रियान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए परिव्यय तथा व्यय इस प्रकार थे:

(रु. लाख में)

	इटली का अंश	राज्य/भारत का अंश	कुल
परिव्यय	389.75	142.51	532.26
व्यय	390.17	294.54	651.13

(ख) तकनीकी सहायता, उपस्करों, पादप और पौधरोपण सामग्री, नर्सरी तथा प्रयोगशाला उपकरणों, पादप घर संरचनाओं की सप्लाई, भारत तथा विदेश में कार्मिकों का प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण आदि इस परियोजना के मुख्य घटक हैं। जैतून, जिसे नई फसल के रूप में शुरू किया गया है, के अलावा सेब नासपाती, खूबानी, बेर, आड़ू चेरी, बादाम, अखरोट, पहाड़ी बादाम, पिस्ता, स्ट्राबेरी और नीबूं जाति फल मुख्य फल फसलें थी।

(ग) किसानों को शीतोष्ण फल फसलों को नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया गया। जैतून फसल के लिए किसानों के खेतों

पर प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए गए। इस परियोजना के अधीन किसानों को पौध रोपण सामग्री, उर्वरक और कीटनाशक भी उपलब्ध कराए गए।

(घ) और (ङ). इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सरकार के ध्यान में कोई कमी/प्रशासनिक अनियमितता नहीं लाई गई। यह परियोजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई तथा यह जून, 1994 में समाप्त हुई।

कोंकण रेल परियोजना

4910. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 1990-91 में तैयार की गई योजनानुसार सुरंगों, बड़ी और लघु परियोजनाओं की संख्या क्रमश: 71, 136 और 1605 थी;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 में इन सुरंगों, बड़ी परियोजनाओं और छोटी परियोजनाओं की संख्या बढ़कर क्रमश: 93, 171 और 1752 हो गई थी;

(ग) क्या निर्माण कार्य की रूपरेखा में कई वर्षों तक बार-बार परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप इस प्रकार के परिवर्तन हुये और लागत में वृद्धि हो गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) जी हां। सुरंगों, बड़े पुलों और छोटे पुलों की संख्या में क्रमश: 92, 179 और 1819 की वृद्धि हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जब कोंकण रेल परियोजना के निर्माण कार्य को कोंकण रेल निगम लि. को सौंपा गया था तब उन्हें उस प्रस्तावित संरेखण का पुन: सर्वेक्षण करना पड़ा था क्योंकि दक्षिण रेलवे द्वारा किया गया सर्वेक्षण पूरा नहीं था। निगम को संरेखण का सर्वेक्षण करते समय बेहतर परिचालनिक लाभ के उद्देश्य से ढाल को 1:100 से 1:150 तथा घुमावों को 7 डिग्री से 1.4 डिग्री करना पड़ा था। इन्हीं कारणों की वजह से सुरंगों, बड़े पुलों और छोटे पुलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास

4911. श्री जगमोहन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब तथा बंगलादेश के कुछ शरणार्थी परिवारों और कुछ भूतपूर्व सैनिकों को कस्तूरबा निकेतन काम्पलेक्स में पुनर्वास करने के संबंध में 25 अगस्त, 1989 को कैबिनेट स्तर पर एक निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या इस संबंध में सात वर्षों के बाद भी कोई निर्णय लिया नहीं गया हैं;

(ग) इस योजना की निगरानी में विलंब और असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना को लागू नहीं किए जाने के कारण हजारों परिवार अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा है और छतों और दीवारों के गिरने से घायल होने का जोखिम उठा रहे हैं; और

(ङ) इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा उक्त निर्णय को शीघ्रता से कार्यान्वित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 370

4912. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने एवं वर्तमान परिस्थितियों में इस अनुच्छेद की उपयोगिता के संबंध में प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) समय-समय पर कुछ क्षेत्रों में मत व्यक्त किए गए हैं कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाय।

(ख) सरकार का संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित करने या निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जाली नागरिकता प्रमाण-पत्र

4913. श्री राम कृपाल यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों द्वारा एम.बी. एस. डिग्रीधारक बंगलादेशी नागरिकों को देश में रोजगार प्राप्त करने हेतु जाली नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बंग्लादेशी नागरिकों को जाली नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी करने में संलिप्त अधिकारियों की पहचान हेतु कोई जांच कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि का वाणिज्यीकरण

4914. श्री नीतिश कुमार :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम खर्च वाली फसल के उपजाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई योजना शुरू की है ताकि देश में कृषि का वाणिज्यीकरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन कृषि उत्पादों की उपज को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). देश में "कृषि के वाणिज्यीकरण" के संबंध में कोई योजना नहीं है। बहरहाल, अनाज तथा नकदी फसलों के अलावा बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने संबंधी कुछ योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है। इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान अधिक किफायती फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाएं

बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी नई योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	योजना का नाम	योजना के अंतर्गत किए गए कार्यकलाप	आठवीं परियोजना का परिव्यय (करोड़ रुपये)
	(1)	(2)	(3)
1.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन	नई किस्मों को लागू करने के लिए शीर्षस्थ केन्द्रों की स्थापना बहुगुणन एवं रोपण सामग्री की आपूर्ति प्रशिक्षण, कट फ्लावरों की कटाई पश्चात् रख-रखाव हेतु केन्द्र तथा क्षेत्र विस्तार	10.00
2.	मूल तथा कन्द फसलों की खेती को प्रोत्साहन	उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करना एवं उत्तक संवर्द्धन एककों की स्थापना	2.50
3.	खुम्बी की खेती	स्पान उत्पादन यूनिटों की स्थापना, पाच्युरीकृत कम्पोस्ट यूनिटें एवं प्रशिक्षण	10.00
4.	चिकित्सकीय एवं सुगन्धित पौधों का विकास	उन्नत किस्मों के बीजों/रोपण सामग्री के उत्पादन के माध्यम से चुनिन्दा किस्मों का विकास, शाक उद्यानों की स्थापना तथा आसवन यूनिटों के लिए सहायता	5.00
5.	पान की बेलों का विकास	कंजरवेटरी/ट्रेलियों का निर्माण, सिंचाई के लिए पानी के स्रोतों का विकास, पौध संरक्षण उपकरणों की आपूर्ति एवं प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना।	2.00

(1)		(2)	(3)
6.	फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मक्खी पालन	मधुमक्खियों द्वारा परागण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार, मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण हेतु सहायता, आधारभूत ढांचे का विकास, अनुसंधान एवं विकास।	18.87

[अनुवाद]

मुजफ्फरनगर में दंगे

4915. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फरनगर में हुई उत्तराखंड दंगे की घटना से संबंधित पुलिस रिकार्डों में फेर-बदल किये जाने का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). इस मामले के संबंध में एक नियमित आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 120-ख और 218 के अन्तर्गत, सी.बी.आई. मामलों के विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, देहरादून, में आरोप-पत्र दायर किया गया है। मामले को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए अभियुक्त द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत विचारण की कार्रवाई इस समय रोक दी गयी है।

उर्वरक विक्रेता एजेंसियां

4916. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में 31 मार्च, 1996 की तारीख को रसायन और उर्वरकों की बिक्री करने वाली एजेंसियों की संख्या कितनी थी;

(ख) सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितनी एजेंसियां इस कार्य में संलग्न हैं; और

(ग) देश में रसायन और उर्वरकों के वितरण को अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

रेल सेवाओं का उन्नयन

4917. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा से गुंटाकुल और मद्रास और बंबई के बीच नई रेल गाड़ियां शुरू करने, मुद्दानूर और कोंडापुरम रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने, बालाजी एक्सप्रेस को मुडुनू और कोंडापुरम में तथा मैसूर-कोंडापुरम यात्री गाड़ी को येंगुंडला स्टेशनों पर ठहराने, बालाजी एक्सप्रेस की आवर्ति बढ़ाने, मैसूर-कोंडापुरम गाड़ी को गूटी तक चलाने, गुंठाकुल और रेनीगुंठला के बीच लाइन का दोहरीकरण करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त सेवाओं, बारंबारता में वृद्धि, गाड़ियों को इसके गंतव्य से आगे तक बढ़ाने तथा ठहराव देने से संबंधित मार्गों की जांच की गई है परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण उन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया है। जहां तक मुद्दानुरू और कोंडापुरम स्टेशनों के ग्रेडोन्यन का संबंध है। इन स्टेशनों पर सम्हाले-जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था की गई है। यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने पर तब विचार किया जाएगा जब यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसा करना अपेक्षित होगा जो धनराशि की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। जहां तक गुंतकल-रेणिगुंटा

खंड के दोहरीकरण का संबंध है, गुती-रेणिगुटा खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्वाचित विधान सभा सदस्यों हेतु आरक्षण सुविधा

4918. डा० भीमराव विष्णुजी बड्डाड़े : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों के लिए कोई आरक्षण सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को यह आरक्षण कोटा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुतपाल महाराज): (क) और (ख). बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए अलग से निर्धारित किया गया कोटा इस प्रकार है:-

विधान सभा मध्य प्रदेश	- 74 शायिकाएं/सीटें
विधान सभा बेंगलूरू	- 36 शायिकाएं/सीटें
विधान सभा बिहार	- 84 शायिकाएं/सीटें

अन्य राज्यों के विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य सामान्य काउंटरों से पुष्टिशुदा आरक्षण प्राप्त न कर पाने की स्थिति में आपातकाल कोटे से आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुरोधों पर कोटा नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अन्य के साथ-साथ विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

घुसपैठ पर रोक

4919. डा० प्रवीण चन्द्र शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के नागरिकों के लिए स्थाई रजिस्टर तैयार करने एवं रखने का है ताकि घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग). सीमा पार से घुसपैठ की समस्या पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। तथापि, किये गए/किए जाने वाले उपायों में इस अवस्था में भारतीय नागरिकों के लिए एक स्थायी रजिस्टर तैयार करना तथा रखना शामिल नहीं है।

नागालैंड में अपहरण की घटनाएं

4920. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड में 5 फरवरी, 1996 से कुछ व्यक्ति लापता हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लापता लोगों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उनका पता कब तक चल जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए जेल न्यायाधिकरण

4921. श्री सत्यदेव सिंह:
कुमारी उमा भारती:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में महिला जेल न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि महिला अपराधियों के लंबित मामले को निपटाया जा सके और उन्हें शीघ्र न्याय मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास

4922. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकार पर विचार करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति नियुक्ति की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को अन्य राज्यों के समान स्तर पर लाने हेतु कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पूर्वोत्तर परिषद् को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा परियोजना-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) सरकार ने इस प्रकार की कोई मंत्रिमंडलीय उप-समिति नियुक्त नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर परिषद की आवंटित राशि निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	आवंटित राशि (रु० करोड़ों में)
1993-94	265.00
1994-95	307.00
1995-96	324.00
1996-97	294.00

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

मुम्बई बम विस्फोट

4923. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई बम विस्फोट में शामिल कुछ दोषी व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए आरोपों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टाडा में गिरफ्तार दोषी व्यक्तियों को भी छोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को छोड़ने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्तों और उनके खिलाफ दायर आरोप दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय, रिकार्ड की सामग्री पर विचार करके तथा बचाव पक्ष और मुकदमें की सुनवाई के बाद, कानून के अनुसार आदेश पारित करता है।

विवरण

जमानत पर रिहा अभियुक्तों और उनके खिलाफ दायर आरोपों की सूची

क्रम सं.	नाम	कानून की धारा/आरोप
(1)	(2)	(3)
1.	अब्बास दाऊद शौख उर्फ शौखदार उर्फ गलका दिवो	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और 6 के अन्तर्गत।
2.	अब्दुल अजीज हाजी घारटकार	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
3.	अब्दुल हमीद उर्फ चूहा हाजी मोहम्मद विरया (अन्तरिम जमानत पर)	टाडा(नि०) अधिनियम की धारा 3(3)5, 6, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क), 25 (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
4.	अब्दुल इब्राहिम सूर्ती	टाडा (नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और 6 के अन्तर्गत।
5.	अहमद शाह मुबारक शाह उर्फ सलीम दुरानी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3), 5, 6 और 3(4) और भा.दं.स. की धारा 212 के अन्तर्गत।
6.	अजय यशप्रकाश मरवाह	टाडा (नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5,6 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
7.	अल्ताफ अली मुश्ताक अली सैय्यद	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अन्तर्गत।

(1)	(2)	(3)
8.	अनन्त साकाराम भोयेर	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत भा.दं.सं. की धारा 202 के अन्तर्गत।
9.	अश्फाक कसीम हवलदार	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
10.	अशोक नारायण मनुश्वर	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
11	अशरफर रहमान अजीमुल्ला शैख	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3), 5 और 6 के अन्तर्गत, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क), (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
12.	अयूब इब्राहिम पटेल	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अन्तर्गत, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क), (1-ख) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
13.	अय्यूब इब्राहिम कुरेशी	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3), 5 और 6 के अन्तर्गत, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
14.	अजीज अहमद मो० शैख (अंतरिम जमानत पर)	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अन्तर्गत, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3, 7 के अन्तर्गत।
15.	गुलाम हफीज शैख उर्फ बाबा	टाडा (नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अन्तर्गत।
16.	देवीदास उर्फ डेविट केशर घुले	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
17.	एशान मो० तुफैल मो० केरेशी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 साथ पठित शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा (1-क) (1-ख) (क) के अधीन।
18.	फाकी अली फाकी अहमद सबूदार	टाडा (नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन।
19.	फजल रहमान अब्दुल्ला	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और भा.दं.सं. की धारा 506 के अधीन।
20.	हमीद अब्बास मिया दफेदार	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और भा.दं.सं. की धारा 506 के अधीन
21.	हर्बा हरि सोपटकर	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन।
22.	इसाक मो० हाजवानी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6, के अधीन और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3,7 साथ पठित धारा 25(1-क) (1-ख) (क) और भा.दं.सं. की धारा 201 के अधीन।
23.	इस्माईल अब्बास पटेल	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन।

(1)	(2)	(3)
24.	जनार्धन पाडुरंग गंबास	टाडा (नि.) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन
25.	केरसी बापूजी अदेजानिया	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5, और 6 के अधीन, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 7 साथ पठित धारा 25(1-क) (1-ख) (क) और भा.दं.सं. की धारा 201 के अधीन।
26.	सलील अहमद सैयद नजीर	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 साथ पठित धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के अधीन।
27.	कृष्णा सदानन मोकल	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन।
28.	कृष्णा तुकाराम पिंगले	-वही-
29.	लियाकत अली हबीब खान (अंतरिम जमानत पर)	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अधीन, विस्फोटक पदार्थ, 1908 की धारा 4 साथ पठित धारा 6 के अधीन।
30.	माजिद वली मोहम्मद खान	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन।
31.	मनोहर महादेव मोरे	-वही-
32.	अंजूर अहमद सैयद अहमद	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अधीन, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 7 साथ पठित धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के अधीन।
33.	मौ० दावूद मौ० युसूफ खान	- वही-
34.	मौ० जबीर अब्दुल लतीफ मंसूर	- वही-
35.	मौ० जिंदरन मुमताज जिंदरन	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन, विस्फोटक पदार्थ की धारा 5 साथ पठित धारा 6 के अधीन, भा.दं.सं. की धारा 201 के अधीन।
36.	मौ० रफीक उर्फ रफीक मादी मूसा बियारीवाला	टाडा(नि०) अधिनियम की धारा 3(3) 6 के अधीन।
37.	मौ० सईद अहमद इशाक	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन।
38.	मौ० यूनुस गुलाम रसूल कटोमिया	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अधीन, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, 7 साथ पठित धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के अधीन।
39.	भोइदीन अब्दुल कादर चेरूवरम	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अधीन।
40.	सुश्री मोबीना उर्फ बाया मूसा भिवण्डीवाला	- वही-
41.	मुजमिल उमर कादरी	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन, शस्त्र अधिनियम. 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के अधीन।
42.	नूर मोहम्मद हाजी मो० खान	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5 और 6 के अधीन विस्फोटक पदार्थ, 1908 की धारा 5 साथ पठित धारा 6 के अधीन भा.दं.सं. की धारा 201 के अधीन।

(1)	(2)	(3)
43.	पण्डारनाथ मेदुकर महादिक	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अधीन।
44.	रमेश दातरे माली	– वही–
45.	रशीद उमर अल्कवारे	–वही–
46.	रियाज अबुबेकर खत्री	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन।
47.	रुखसाना मौ० शफी जरीवाला	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन।
48.	रूसी फ्रेमरोज मुल्ला	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अधीन शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3(3) 6 के अधीन शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 और 7, साथ पठित धारा 25(1–क) (1–ख) (क) के अधीन।
49.	संजय सुनील उर्फ बलराज दत्त	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 5, 6 के अधीन, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 और 7 साथ पठित धारा 25(1–क((1–ख) (क) के अधीन।
50.	सैयद उर्फ मुज्जू इस्माईल इब्राहीम कादरी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अन्तर्गत।
51.	सैयद इस्माईल सैयद अली कादरी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) 6 के अन्तर्गत।
52.	सैयद अब्दुल रहमान शेख	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
53.	शाहजहां इब्राहीम शेखदर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 6 के अन्तर्गत।
54.	शाहनवाज दादामियां हाजवाणी	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
55.	शेख आशिफ युसूब	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 5, 6 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1–क) (1–ख) (क) के साथ पठित धारा 3 और 7 के अन्तर्गत।
56.	शेख कासम उर्फ बाबूलाल	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
57.	शकील शहाबुद्दीन शेख	टाडा(निं०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 6 और भा.दं.सं. की धारा 201 के अन्तर्गत।
58.	शरीफखान अब्बास अधिकारी	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
59.	श्री कृष्ण यशवंत पाशलिकर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
60.	सिकन्दर इसाक हजवाने	टाडा (नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 6 तथा भा.दं.सं. की धारा 201 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1–क) (1–ख) (क) के साथ पठित धारा 3 एवं 7 के अन्तर्गत।
61.	सोमनाथ काकाराम थापा	टाडा(निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।

(1)	(2)	(3)
62.	सज्जाद आलफ उर्फ इकबाल अब्दुल हकीम नासिर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
63.	सुलेमान मोहम्मद कासम बबाटे	टाडा(नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
64.	सुलताने-ए-राम अली-गुल	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
65.	यशवंत नागूर मो० भोइंकर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
66.	युसूफ खान उर्फ क्यूम कासम खान	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
67.	युसूफ मोहसिन मुलवाला	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 5, 6 के अन्तर्गत तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3 और 7 भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत।
68.	जैबुनिशा अनवरी काजी	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) 5, 6 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-क) (1-ख) (क) के साथ पठित धारा 3 और 7 के अंतर्गत।
69.	अब्दुल अजीत अब्दुल कादर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
70.	मो० इकबाल इब्राहीम सुपुत्र शेख इब्राहीम	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
71.	श्रीमती रूबीना सुलेमान आरिफ मेमन (अंतरिम जमानत पर)	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।
72.	श्रीमती राहिन याकूब मेमन (अंतरिम जमानत पर)	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अंतगर्त।
73.	मुजीब शरीफ पार्कर	टाडा(नि०) अधिनियम, 1987 की धारा 3(3) के अन्तर्गत।

इसके अतिरिक्त सभी अभियुक्तों पर आपराधिक षड्यंत्र के लिए आरोप लगाया गया है जो टाडा (नि०) अधिनियम 1987 की धारा 3(3) और टाडा (नि०) अधिनियम की धारा 3(2)(i)(ii) 3(3) 3(4) 5 और 6 के साथ पठित, भा.दं.सं. की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 435, 201 और 212 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120(ख) के अन्तर्गत और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(1-क) (1-ख) 9(क) के साथ पठित धारा 3 और 7 के अन्तर्गत, अपराध, विस्फोटक अधिनियम 1894 की धारा 9(ख) (i) (क) (ख) (ग), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 3, 4, (क), (ख), (ग) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4(क), (ख), 5 और 6 और सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारक अधिनियम 1984 की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं।

रांची में "रेलवे भर्ती बोर्ड"

4924. श्री सुखदेव पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर एवं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में समूह "ग" के पदों पर जनजातीय उम्मीदवारों के चयन हेतु रांची में विशेष भर्ती बोर्ड की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां। पूर्वोत्तर रेलवे के सिवाय।

(ख) रेल भर्ती बोर्ड, रांची साधारणत: श्रेणी ''ग'' के पदों पर आदिवासी अभ्यर्थियों की निम्नलिखित रेलों/मंडलों पर भर्ती करता है:

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

कटिहार मंडल

पूर्व रेलवे

धनबाद, दानापुर और मुगलसराय मंडल

दक्षिण पूर्व रेलवे

चक्रधरपुर मंडल

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

4925. श्री आई.डी. स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर अपनी 25वीं रिपोर्ट में गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किए गए अथवा अवैध ढंग से रोके गए व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में अदालतों को आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट की प्रतिलिपि का विवरण संलग्न है। यह विधेयक जो 21 अगस्त, 1995 को लोक सभा में रखा गया था, 10वीं लोक सभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया।

विवरण

मैं गृह कार्य-संबंधी समिति का अध्यक्ष, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, दंड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में समिति का यह पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। इस विधेयक में भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

2. विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों संबंधी नियमों के अनुसरण में, राज्य सभा के सभापति ने लोक सभा अध्यक्ष के परामर्श से दंड विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1995, 21 अगस्त, 1995 को लोक सभा में यथा पुर:स्थापित रूप में, जो वहां लम्बित है, समिति की संवीक्षा और प्रतिवेदन के लिए सौंपा था।

3. समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय के सचिव को आमंत्रित किया। तदनुसार उन्होंने 21 नवम्बर, 1995 को समिति के समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। अपने संक्षिप्त विवरण के दौरान उन्होंने विधेयक की मुख्य विशेषताओं और उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिनके अधीन मौजूदा विधान को बनाये जाने की आवश्यकता पड़ी।

4. समिति ने 22 नवम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में विधेयक पर खण्डश: विचार किया।

5. समिति ने 4 दिसम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

6. समिति द्वारा विधेयक में जिन मुख्य परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है, वे परिवर्तन और उनके कारण इसमें इसके पश्चात् दिये गये हैं:

खण्ड 2

विधेयक के खंड 2 में भारतीय दंड संहिता की धारा 220, जो प्राधिकार वाले व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने पर दंड दिये जाने से संबंधित है, में संशोधन करने का प्रस्ताव है। जैसा कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है, भारत 1979 में सिविल और राजनीतिक अधिकारों विषयक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना था। उक्त प्रसंविदा के अनुच्छेद 9 के खंड 5 में विधि विरुद्ध निरोध आदि के लिए ''प्रतिकर के लिए प्रवर्तनीय अधिकार'' परिकल्पित है। इस समय, विधि विरुद्ध गिरफ्तारी या विधि विरुद्ध निरोध के पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर के संदाय का कोई उपबंध नहीं है। इस बाध्यता को पूरा करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने के लिये उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन में एक सीमा नियत की गई है कि न्यायालय ऐसा प्रतिकर, जो जुर्माने की उस रकम से अधिक न हो, जो वह न्यायालय अधिरोपित करने के लिये संशक्त है, अधिनिर्णीत कर सकेगा। समिति, जहां एक ओर प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य की सराहना करती है, वहीं उसका यह विचार है कि पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिकर दिये जाने की रकम की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये बल्कि वह व्यक्ति के विधि विरुद्ध निरोध या परिरोध की अवधि के अनुपात में होनी चाहिये। समिति का यह भी विचार है कि यदि प्रतिकर की रकम के संदाय में कोई विलम्ब होता है तो ब्याज के संदाय का भी उपबंध होना चाहिये। समिति सिफारिश करती है कि खंड 2 में तदनुसार संशोधन किया जाये।

7. समिति विधेयक के शेष खण्डों में निहित उपबंधों से सहमत है।

8. समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक को इसके द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाए।

नई दिल्ली,
4 दिसम्बर, 1995

रजनी रंजन साहू,
अध्यक्ष,
गृह कार्य संबंधी समिति।

[हिन्दी]

हथियारों के लाइसेंस का मुद्दा

4926. श्री पंकज चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जून, 1995 के बाद बड़ी संख्या में हथियारों के जाली लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दोहरी लाइन तथा बड़ी लाइन

4927. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रेलवे स्टेशन दोहरी लाइन तथा बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं; और

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). देश में 7056 रेलवे स्टेशन हैं जो 62660 कि.मी. रेल लाइनों से जुड़े हुए हैं जिसमें से 39612 मार्ग कि.मी. बड़ी लाइनों तथा 14995 कि.मी. दोहरी लाइनों से जुड़े हुए हैं। स्टेशन-वार सूचना प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

4928. श्री दिनेश पटेल : क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नडियाद-कपड़वंज रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कार्य की वर्ष 1960 में स्वीकृति दी गयी थी तथा अब तक इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की अब जांच कराने तथा पूरे तथ्य को सभा पटल पर रखने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (च). जी नहीं। इसे वर्ष 1978-79 में स्वीकृत किया गया था। नडियाद-कपड़वंज खंड का आमान परिवर्तन जनवरी, 1993 में पूरा किया गया था और कपड़वंज-मोडासा के बीच नई लाइन संबंधी कार्य शुरू किया गया है। कार्य धीमी गति से चल रहा है। संसाधनों की तंगी तथा इस लाइन की परिचालनिक प्राथमिकता सापेक्षत: निम्न होने के कारण स्थगित रहा।

पुलिस कल्याण स्मारक निधि

4929. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज भी दो पुलिस कल्याण स्मारक निधियों, हालांकि ये, श्री हैंडीसाइड तथा श्री सान्डर्स, जो लाला लाजपत राय सहित भारतीयों पर अत्याचर करने हेतु कुख्यात थे, की "प्रशंसनीय सेवाओं" के स्मरण में शुरू किए गए थे, में अंशदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजभाषा संसदीय समिति

4930. श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री विजय गोयल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा संसदीय समिति की सिफारिशों को सभी सरकारी विभागों/शिक्षण संस्थाओं में लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख). संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के चार खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। अधिकांश आदेशों का कार्यान्वयन हो रहा है।

[अनुवाद]

लीला सेठ आयोग

4931. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:
श्री सौम्य रंजन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजन पिल्लै की मृत्यु के संबंध में जांच कर रही लीला सेठ आयोग के निदेश पद क्या हैं;

(ख) क्या आयोग द्वारा राजन पिल्लै की हिरासत में हुई मृत्यु की परिस्थितियों का पता लगाने संबंधी जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) न्यायमूर्ति लीला सेठ जांच आयोग के विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं:

(1) श्री राजन पिल्लै की शारीरिक हालत और बिगड़ने सहित उन परिस्थितियों और घटनाचक्र का पता लगाना, जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई;

(2) उनकी पुरानी बीमारी के इतिहास के संदर्भ में जेल चिकित्सा अधिकारी और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में डाक्टरों द्वारा उनको दिए गए उपचार की पर्याप्तता का पता लगाना;

(3) श्री राजन पिल्लै का स्वास्थ्य और बिगड़ जाने पर, जेल में और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में (डाक्टरों) और अन्य प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई में तत्परता और पर्याप्तता के बारे में पता लगाना;

(4) यह पता लगाना कि क्या किसी प्राधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गयी है और उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना;

(5) जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(6) घटना से संबंधित कोई अन्य मामला।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जांच पूरी होने में विलंब मुख्यतया, जिरह हेतु स्वर्गीय राजन पिल्लै की विधवा सहित दो मुख्य गवाहों की अनुपलब्धता के कारण हो रहा है।

(ङ) आयोग से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 30.10.1996 तक दे दें।

गोवा में ''न्यूट्रिशनल गार्डन''

4932. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1996-97 में ग्रामीण क्षेत्रों में 'न्यूट्रिशनल गार्डन' लगाना जारी रखने के बारे में गोवा राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय का अनुमोदन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में न्यट्रीशनल गार्डन की स्थापना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक चालू योजना है और यह 8वीं योजना के अन्त तक जारी रहेगी। गोआ राज्य के कृषि विभाग से बोर्ड को 1996-97 के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे योजना के प्रतिमानों के अनुसार उचित संशोधन किये जाने के लिये राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होते ही, बोर्ड उस पर कार्यवाही करेगा।

रेलवे द्वारा निविदा

4933. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या रेल बोर्ड ने रेलवे के जोनल महाप्रबंधकों को यह निर्देश दिया है कि संभलाई दर की वृद्धि के परिकलन का

मूल आधार निविदाओं को खोलने की तिथि या माह को लागू दर ही होगी;

(ख) क्या रेलवे ने 19 नवम्बर, 1993 से पूर्व अथवा इसके पश्चात् से प्रभावी सभी माल/पार्सलों संबंधी संभलाई समझौतों के संबंध में वृद्धि खंड को शामिल कर दिया है;

(ग) वर्ष 1990 में ईटावरी तथा गोंडा समूह के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर माल तथा पार्सल की संभलाई संबंधी ठेकों की निविदा को ले जाने की तिथि को मजदूरी दर क्या थी;

(घ) क्या समझौते में मजदूरी दर का उल्लेख समझौता किए जाने के समय किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां।

(ख) 17.11.93 से पहले शुरू होने वाले करार में मूल्य वृद्धि का कोई खंड शामिल नहीं किया गया था। यह खंड 17.11.93 के बाद शुरू होने वाले उस करार में शामिल किया गया है जहां ठेके की अवधि 3 वर्ष और इससे अधिक है।

(ग) इतवारी ग्रुप ऑफ स्टेशंस के लिए औसत मजदूरी दर 33.15 पैसे थी। 1990 के दौरान गोंदिया ग्रुप ऑफ स्टेशंस के लिए कोई निविदा नहीं खोली गई थी।

(घ) और (ङ). जी नहीं। करार में मजदूरी दर का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

मुगलसराय डिवीजन को गया में स्थानान्तरित करना

4934. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुगलसराय डिवीजनल कार्यालय को गया में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शरणार्थियों के प्रतिपूर्ति दावों का निपटान

4935. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से 1947, 1965 और 1971 के दौरान विस्थापित व्यक्ति अपने प्रतिपूर्ति और अन्य दावों के अंतिम निपटान के लिए बार-बार आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके दावों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति जम्मू व कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में उनके द्वारा पीछे छोड़ दी गई सम्पत्ति के मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं। तथापि, उन्हें मुआवजी न देने का निर्णय लिया गया था क्योंकि सम्पूर्ण जम्मू व कश्मीर को हमेशा भारत का एक अभिन्न माना गया है। इस समय पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र अनधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण, इन विस्थापित लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा देना, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों पर भारत के दावे का आत्मत्याग करना होगा।

इसे ध्यान में रखते हुए, मुआवजा देने के स्थान पर, पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी का भुगतान किया गया था।

जम्मू और कश्मीर में चुनाव

4936. श्री एम. सैल्वारासु:
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसदीय चुनाव संबंधी कार्य निष्पादन के लिए जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों से वहां भेंजे गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी दुर्घटना या आतंकवादी हमले के कारण कोई क्षति हुई या किसी की मृत्यु हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें या उनके निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) संसदीय चुनावों के दौरान जम्मू और कश्मीर में चुनावी ड्यूटी हेतु केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों से लगभग 10300 अधिकारी तैनात किए गए थे।

(ख) आतंकवादी हमले में या अन्यथा कोई हताहत नहीं हुआ। मामूली रूप से जख्मी होने और बीमारी के कुछ उदाहरण

हैं, जिनमें मैडीकल सहायता, जैसी की आवश्यकता थी, तुरन्त उपलब्ध करायी गयी।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गार्ड के साथ हाथापाई

4937. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रैस में कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा वरिष्ठ ग्रेड के एक गार्ड की मार-पिटाई का मामला दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना के पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). 3.8.96 को जब 2424 डाउन गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली ही थी कि एक व्यक्ति गार्ड के केबिन में घुसा, उसने स्वयं को सांसद बताते हुए कथित रूप से गार्ड से रेलगाड़ी रोकने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी जिसे उसी रेलगाड़ी में चढ़ना था, तब तक नहीं आ पाई थी। इसी बीच, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने ब्रेक लगा दिए और गाड़ी रुक गई। तथापि, जब उसने रेलगाड़ी के चालक को इंटरकॉम पर सम्पर्क करने की कोशिश की तो उसी समय रेलगाड़ी फिर से चल पड़ी। इस बात पर उक्त व्यक्ति ने कथित रूप से गार्ड को धक्का दे दिया जिसके परिणामस्वरूप गार्ड की टांग में चोट लग गई। तब तक रेलगाड़ी भी रुक गई थी। घायल गार्ड अंतत: अपने आप ही रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल गया जहां उसने चोट लगने का कारण तो बता दिया परन्तु कोई एम.एल.सी. बनाए जाने या घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दिया। तथापि, बाद में उसके बयान के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 575/96, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने में दर्ज की गई। उक्त सांसद को बाद में सत्र न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई।

(ङ) प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले पुलिस स्टाफ मे कहा गया है कि वे कड़ी चौकसी बरतें और ऐसे मामलों में उपयुक्त निवारक एवं कानूनी कार्रवाई करें। रेलवे पुलिस स्टेशनों के थानाध्यक्षों को कहा गया है कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेलगाड़ियों के प्रस्थान समय पर सभी संभावित सावधानियां बरतने के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए।

वन्य अतिथि विश्राम गृह

4938. श्री के.वी. सुरेन्द्र नाथ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में पारिस्थितिकी आधारित पर्यटन के नाम पर आरक्षित वनों के मध्य वन्य अतिथि विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने और विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख). केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल में आरक्षित वनों के बीचों-बीच पारि-पर्यटन के नाम पर ऐसे किसी भवन का निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया उर्वरक परियोजना

4939. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हल्दिया उर्वरक परियोजना का पुनरुद्धार करने हेतु कोई प्रयास किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को हल्दिया तेल शोधक कारखाने को सौंपने के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है, ताकि इसका पुनरुद्धार किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) की हल्दिया परियोजना के पुनरुद्धार करने हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगाया गया था। हल्दिया परियोजना के पुनरुद्धार को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। चूंकि

इसके पुनरुद्धार/पुनर्वास के लिए 1994 के मूल्य स्तर पर 910 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मितव्ययी आकार के एक नए अमोनिया/यूरिया संयंत्र की स्थापना करना आवश्यक होता, अत: इसके पुनर्वास हेतु निजी पूंजी आकर्षित करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) से (घ). आई ओ सी द्वारा एचएफसी को हल्दिया उर्वरक परियोजना को अपनाने के मामले की आईओसी के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा जांच की गयी थी। चूंकि उर्वरकों के क्षेत्र में आईओसी की कोई रुचि नहीं है अत: यह एच एफ सी के हल्दिया उर्वरक संयंत्र को अपनाने की रुचि नहीं रखता। चूंकि आईओसी की हल्दिया तेल शोधन कारखाने के परिसर के भीतर विद्यमान/आयोजित सुविधाएं भावी हल्दिया रिफाइनरी की विस्तारित क्षमता के लिए भी उपयुक्त होगी। अत: आईओसी हल्दिया उर्वरक परियोजना की किसी सुविधा का उपयोग करने अथवा अपनाने की रुचि नहीं रखता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में तथाकथित अनियमिततायें

4940. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री दादा बाबूराव परांजपे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में नियुक्तियों में की गयी तथाकथित अनियमितताओं की जानकारी है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को जांच कराने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां। सरकार को केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी है। लेकिन राज्य सरकार से इस मामले की कोई जांच करने को नहीं कहा गया है। केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल के निदेशक ने संस्थान के सतर्कता अधिकारी से मामले की जांच करवाई है।

(ख) राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता। शिकायत पर कार्यवाही इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर ने उन कर्मचारियों के बारे में संस्थान द्वारा लिए गए निर्णय को अपने दिनांक 20.8.96 के निर्णय में ठीक बताया है, जिन्होंने संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बावजूद भी संस्थान ने भर्ती के दौरान की गई कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

पुराने रेल पुल का पुनरुद्धार

4941. श्री येल्लैया नंदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद में निलयम के समीप स्थित रेल पुल अत्यधिक पुराना और संकरा है तथा यह भारी एवं निरंतर बढ़ रहे परिपात को वहन करने में अक्षम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेल परिपात को सुगम बनाने के लिए उक्त पुल को चौड़ा करने का है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है, उक्त कार्य के अंतर्गत पुल कितना चौड़ा किया जाएगा/ इसकी क्षमता कितनी है, इसकी तिथि आदि का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) निचले सड़क पुल को चौड़ा करने की जरूरत है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कार्य की लागत - 4.00 करोड़ रुपये

(रेलवे का हिस्सा-1.65 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार का हिस्सा 2.35 करोड़ रुपये)

चौड़ाई का विस्तार-9.15 मीटर

राज्य सरकार द्वारा नक्शा स्वीकृत करे दिये जाने तथा अपने हिस्से की लागत जमा करा दिये जाने के बाद यह कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भोजन की आपूर्ति

4942. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस में न्यू जलपाईगुड़ी स्थित "बेस किचन" से भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) निजी ठेकेदारों द्वारा विभागीय आधार रसोईघरों से खाना लेने की व्यवस्था वैकल्पिक है। गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में ठेकेदार ने खाना आपूर्ति की अपनी व्यवस्था स्वयं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाचार पत्रों में विज्ञापन पर व्यय

4943. श्री ललित उरांव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर उनके मंत्रालय द्वारा कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या नई सरकार के गठन के पश्चात् विज्ञापन में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ग) क्या विज्ञापन के लिए किसी विशेष विज्ञापन एजेन्सी की सेवाएं ली गई है;

(घ) इस विज्ञापन एजेन्सी के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उक्त विज्ञापन एजेन्सी की सेवाएं लेने के मामले में निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस एजेंसी के चयन के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) मार्च, 96 से अगस्त, 96 तक छः माह के दौरान समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर इस मंत्रालय द्वारा 1,17,59,961 रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। अनेक विभिन्न व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग विज्ञापनों को रिलीज करने हेतु किया गया है।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं को प्रशिक्षण

4944. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को कृषि के आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने/ प्रशिक्षित करने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से राज्यवार अब तक कुल कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान (1985-95) प्रशिक्षित की गई महिलाओं की कुल संख्या करीब 3.80 लाख है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-95 के दौरान प्रशिक्षित महिलाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित महिलाओं की सं.
1.	अण्डमान तथा निकोबार	968
2.	आन्ध्र प्रदेश	22,635
3.	अरूणाचल प्रदेश	1,142
4.	असम	6,545
5.	बिहार	26,108
6.	दिल्ली	512
7.	गोवा	1,568
8.	गुजरात	15,581
9.	हरियाणा	16,090
10.	हिमाचल प्रदेश	13,172
11.	जम्मू तथा कश्मीर	4,527
12.	कर्नाटक	19,598
13.	केरल	18,678
14.	मध्य प्रदेश	32,671
15.	महाराष्ट्र	37,198
16.	मणिपुर	1,589
17.	मेघालय	1,432
18.	मिजोरम	1,014
19.	नागालैंड	1,182
20.	उड़ीसा	18,117
21.	पाण्डिचेरी	1,244
22.	पंजाब	13,681
23.	राजस्थान	41,270

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित महिलाओं की सं.
24.	सिक्किम	868
25.	तमिलनाडु	23,148
26.	त्रिपुरा	2,409
27.	उत्तर प्रदेश	44,496
28.	पश्चिम बंगाल	12,948
	कुल	3,80,391

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में जालसाजी के मामले

4945. श्री महेश कुमार ए० कनोडिया:
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में जालसाजी और अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) जालसाजी के ये मामले किस स्वरूप के हैं और उनमें संलिप्त अधिकारियों के क्या नाम हैं; और

(ग) उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.9.1995 से 31.8.1996 तक की अवधि के दौरान 39 मामलों में संलिप्त 53 अधिकारियों के विरुद्ध संलग्न विवरण में दिए ब्यौरों के अनुसार विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी थी। इन 53 अधिकारियों में से 14 अधिकारियों को, उनके खिलाफ शुरू की गयी विभागीय कार्रवाई की समाप्ति पर दण्डित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अनियमितताओं का प्रकार
1.	श्री राजपाल	ड्राइवर	नगर पालिका वाहन की दुर्घटना।
2.	श्री देवेन्द्र पाल	असिसटेन्ट फायर गार्ड	सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नगर पालिका का वाहन ले गए।
3.	श्री राम धीर सिंह	फायर मैन	
4.	श्री जगदीश शर्मा	सीनीयर क्लर्क ई.ई.-II	अपने प्राधिकार का अतिक्रमण किया
5.	श्री शिशुपाल सिंह	दफ्तरी	वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को नहीं माना
6.	श्री एस.सी. कपूर	हैड असिसटेन्ट	याचिका खारिज हो जाने के बारे में न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करने में असफल रहे।
7.	श्री आर.पी. शर्मा	हैड असिसटेन्ट	अध्यक्ष के आदेशों का अनुपालन न करना।
8.	श्री समेर सिंह	ड्राईवर	नगर पालिका के वाहनों की चोरी।
9.	श्री एच.के. वाधवा	सीनियर क्लर्क	अत्यधिक छुट्टियां लेना और अवज्ञा का मामला।
10.	श्री आर.एस. सबरवाल	एडिनशल चीफ आर्चिटैक्ट	सरोजनी नगर मार्किट में दुकानो के निर्माण और उनका कब्जा देने में अनियमितताएं।
11.	श्री पी.सी. दीक्षित	डिप्टी चीफ आर्चिटैक्ट	सरोजनी नगर मार्किट में दुकानों के निर्माण और उनका कब्जा देने में अनियमितताऐं।
12.	श्री एस.के. जैन	एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर	सरोजनी नगर मार्किट में दुकानों के निर्माण और उनका कब्जा देने में अनियमितताऐं।
13.	श्री जे.एन. कक्कड़	एसिसटेन्ट सेक्रेटरी	सरोजन नगर मार्किट में दुकानों के निर्माण और उनका कब्जा देने में अनियमितताऐं।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अनियमितताओं का प्रकार
14.	श्री आर.सी. सभरवाल	अपर मुख्य वास्तुकार	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
15.	श्री एच.एस. बिन्द्रा	उप मुख्य वास्तुकार	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
16.	श्री पी.सी. दीक्षित	उप मुख्य वास्तुकार	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
17.	श्री के.के. जेटली	सहायक अभियंता (सिविल)	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
18.	श्री वी.के. शर्मा	अवर अभियंता (सिविल)	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
19.	श्री वी.के. गांगुली	सहायक अभियंता (सिविल)	10, भगवान दास रोड स्थित भवन के संबंध में मामले को प्रोसेस करने में अनियमितताएं।
20.	श्री पी.एस. जैन	सहायक अभियंता (विद्युत)	सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना देश से चले गए।
21.	श्री सुखराम	ट्रक ड्राइवर	वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को न मानना।
22.	श्री भटनागर	अवर अभियंता (सिविल)	वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को न मानना।
23.	श्री विजयपाल सिंह	अवर अभियंता (विद्युत)	साथी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा ड्यूटी के समय शराब पीना।
24.	श्री बी.एस. भटनागर	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग के भण्डार का अनुचित रख-रखाव।
25.	श्री ओ.पी. शर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सेवानिवृत)	न्यायालय के मामले में कार्रवाई करने में देरी
26.	श्री राकेश	सफाई कर्मचारी	राष्ट्रीय अभिलेखागार इमारत के सामने सूखे पत्ते जलाना।
27.	श्री चन्दर भान	सफाई कर्मचारी	राष्ट्रीय अभिलेखागार इमारत के सामने सूखे पत्ते जलाना।
28.	श्री एस.पी. सिंह	कनिष्ठ अभियंता	भण्डार में अनियमितता बरतना।
29.	श्री मोहिन्दर पाल	कनिष्ठ अभियंता	ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अनियमितताओं का प्रकार
30.	श्री आर.के. भट्ट	प्रवर्तन निरीक्षक	रिश्वत की मांग करना और स्वीकार करना-पुलिस द्वारा पकड़ा गया और न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया।
31.	श्री एन.के. गौड़	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	देहज का मामला-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि।
32.	श्री के.एल. शर्मा	कार्यालय अधीक्षक (सेवानिवृत्त)	वित्तीय लेन-देन की सूचना देने के बारे में आचरण का उल्लंघन।
33.	श्री ए.पी. गुप्ता	अधिशासी अभियंता (सिविल)	सुरक्षा स्टाफ को गाली देने के आचरण पर।
34.	श्री हरिचंद	पेंटर (आटो)	ड्यूटी के दौरान मदिरा का सेवन किए हुए पाया गया।
35.	श्री ए.आर. धवन	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	भण्डार से म्युनिसीपालिटी की सामग्री की चोरी।
36.	श्री रघुबीर सिंह	सफाई कर्मचारी	ड्यूटी से अनुपस्थित।
37.	श्री बिशन सिंह	वरिष्ठ क्लर्क (विद्युत)	अनधिकृत रूप से बैठने वालों को न हटाना।
38.	श्री छतर सिंह	मीटर निरीक्षक	अधिक बिलिंग के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करना।
39.	श्री मोहम्मद अनवर	मीटर रीडर	अधिक बिलिंग द्वारा उपभोक्ता को परेशान करना।
40.	श्री राजिन्दर	माली	साथी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार।
41.	श्री बाबूलाल	अवर अभियंता (सिविल)	ड्यूटी के समय शराब के नशे में पाया गया।
42.	श्री चन्दर प्रकाश	चालक (सिविल)	नगरपालिका वाहन के डायनमों की चोरी।
43.	श्री जग मोहन	पूछताछ अटेंडेंट (सिविल)	बिना अनुमति के नगरपालिका वाहन को ले जाना और दुर्घटनाग्रस्त करवाया।
44.	श्री जय गोपाल	लाइनमैन-॥ ग्रेड	बिना अनुमति के नगर पालिका वाहन को ले जाना और दुर्घटनाग्रस्त करवाना।
45.	श्री बी.एस. ग्रोवर	संभागीय लेखाकार (ऑटो)	एक निजी फर्म को अधिक भुगतान करना।
46.	श्री एच.के. वर्मा	जूनियर लिपिक	एक निजी फर्म को अधिक भुगतान करना।
47.	श्री ए.के. गोयल	अधिशासी अभियंता(ऑटो)	एक निजी फर्म को अधिक भुगतान करना।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अनियमितताओं का प्रकार
48.	श्री सी.पी. शर्मा	निदेशक (बागवानी)	उनके द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन न कराया जाना।
49.	डा. अंजान विश्वास	सामान्य ड्यूटी (न्यायिक अधिकारी)	आपातकालीन ड्यूटी पर उपलब्ध न रहना।
50.	श्री प्रह्लाद	सफाई कर्मचारी	ड्यूटी के समय शराब पीना।
51.	श्री राधे श्याम	टीका लगानेवाला	एक आपराधिक मामले में सजायाफ्ता
52.	श्री एस.के. पहरेश	सहायक अभियंता (सिविल)	अंतिम बिल जमा न करना।
53.	श्री अरजन सिंह रावत	बन्दूकधारी	ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया।

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा हिंसा

4946. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश और उसके आस-पास क्षेत्रों में वामपंथी आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में वामपंथी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन, आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित राशि दी गई है:-

वर्ष	जारी की गई राशि (लाखों में)
1994-95	104.780
1995-96	309.560
1996-97	209.560

उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गई थी।

(ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" चूंकि राज्य के विषय हैं इसलिए इस संबंध में विभिन्न तरीके निकालना और ठोस कदम उठाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के नक्सलवादी विरोधी अभियानों के समन्वय के लिए तथा नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के बीच लाभदायक सूचना का आदान-प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के हथियारों की आपूर्ति, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती, इत्यादि के लिए, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

काली मिर्च/लौंग का उत्पादन

4947. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन से राज्य काली मिर्च और लौंग का उत्पादन करते हैं;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन मदों का कुल राज्यवार उत्पादन क्या हुआ;

(ग) क्या सरकार इन मदों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह काली मिर्च और लौंग का उत्पादन करते हैं।

(ख) केवल वर्ष 1994-95 के लिए काली मिर्च और लौंग के अद्यतन राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं जो निम्नवत हैं:

(मी. टन)

		काली मिर्च	लौंग
1.	केरल	52,000	750
2.	कर्नाटक	700	75
3.	तमिलनाडु	300	830
4.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	100	2
	कुल	53,100	1,657

(ग) और (घ). सरकार काली मिर्च और लौंग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसी नई योजना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से आठवीं योजना के दौरान मसालों के विकास हेतु एक केन्द्रीय समेकित कार्यक्रम से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन क्रमशः काली मिर्च और लौंग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 63.30 करोड़ रुपये और 0.50 करोड़ रुपये के आबंटन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जो निम्नवत् हैं:

काली मिर्च: पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन, काली मिर्च के पुराने बागानों का पुनरुद्धार, आदान किटों का वितरण, शीघ्र मुरझान रोग के लिए वनस्पति रक्षण, लिटल लीफ रोग का उन्मूलन, किसानों के खेतों पर प्रदर्शन प्लाट, उच्च उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और क्षेत्र विस्तार।

लौंग: क्वालिटी पौध रौपण सामग्रियों का उत्पादन और प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना।

[अनुवाद]

बागवानी/मत्स्य पालन योजना

4948. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में बागवानी तथा मत्स्य पालन के लिए केन्द्रीय/केन्द्र पोषित योजनाओं को लागू करने का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया, कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया, कितना लक्ष्य रखा गया व प्राप्त किया गया और कितनी अतिरिक्त आय हुई और इन योजनाओं में प्रत्येक से कितना रोजगार सृचित हुआ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त सूचना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही बागवानी योजनाओं तथा वर्ष 1993-94 से वर्ष 1996-97 तक निर्मुक्त और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है। आठवीं योजना के लिए वास्तविक लक्ष्य, दिसम्बर, 1995 तक की उपलब्धियों तथा वर्ष 1996-97 के लक्ष्यों का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है। राज्य में बागवानी कार्यकलापों से सृजित औसत आय एक लाख रु. प्रति हैक्टे. थी तथा 18 मिलियन मानव दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन किया गया। मात्स्यिकी के संबंध में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है जिसे बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण-1

पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बागवानी योजनाएं

(रु० लाख में)

योजना का कोड और नाम	अव्ययित	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97			1.4.96 को कुल	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	आबंटित	1	2	1	2
0.24 पश्चिम बंगाल																
वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास				4.81	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00		14.00	7.00			19.31	14.00
औषधीय और सुगंधित पौधों का विकास										0.75		0.75			0.75	00.00
[illegible] का विकास				0.75	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00		2.26	5.00			23.75	02.26

	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	आबंटित	1	2	1	2
काजू का विकास	0.64	2.92	0.00	3.11	0.03	9.00	0.00	5.00	13.60	12.00		35.11	4.67	32.67	13.63
उष्ण कटिबंधीय शुष्क और शीतोष्ण पत्तों का विकास		4.00	0.00	15.64	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	4.10	4.71	0.00		68.01	04.10
मूल एवं कन्द फसलों का विकास						14.00	0.00	0.00	0.00					14.00	00.00
मसालों का विकास	0.00	6.00	0.20	12.34	0.62	20.01	2.12	13.00	25.61	8.00	5.84	30.05		59.35	34.39
सब्जियों का विकास	0.00	7.65	0.00	10.80	9.28	21.54	16.44	5.95	11.00	14.60		7.00	0.00	60.54	36.72
कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	0.00	5.00	0.00	5.00	1.05	32.81	2.00	0.00	0.00			30.95		42.81	03.05
पान की बेल का विकास				0.92	0.00	1.78	0.00	0.00	2.69	2.22	2.20	1.78		04.92	04.89
कुल	0.64	25.57	0.20	53.37	10.98	185.01	20.56	23.95	52.90	37.57	28.40	122.35	4.67	326.11	113.04

1. निर्मुक्त
2. प्रयुक्त

विवरण–2

बागवानी योजनाएं

आठवीं योजना (वर्ष 1992-93 से दिसम्बर, 1995) के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

योजना का नाम	आठवीं योजना के लिए वास्तविक लक्ष्य	दिसम्बर, 95 तक की उपलब्धियाँ	अनुमान 1996-97
1	2	3	4
उष्णकटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का विकास			
(क) बड़ी नर्सरी	4	3	1
(ख) छोटी नर्सरी	14	5	9
(ग) टिशू कल्चर प्रयोगशाला	2	–	2
(घ) क्षेत्र विस्तार (है०)	2372	1000	1400
(ङ) प्रौद्योगिकी अंतरण (किसानों को प्रशिक्षण)	400	200	200
(च) बागानों का पुनरुद्धार	5850 है०	2000 है०	3850 है०
(छ) प्रदर्शन प्लॉट संख्या	46		46
सब्जी के बीजों का उत्पादन और सप्लाई			
(क) सब्जी के संकर बीजों का उत्पादन	4	1	3
(ख) सब्जी की मिनिकिटों का वितरण	33.4 हजार		
खुंभी का विकास			
पास्च्युरीकृत कम्पोस्ट उत्पादन	2	–	2

1	2	3	4
वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन			
(क) मॉडेल पुष्पोत्पादन केन्द्र	1	1	–
(ख) कटाई पश्चात् संभाल केन्द्र	1	–	1
(ग) क्षेत्र विस्तार (है०)	150	85	100
कृषि में प्लास्टिक का उपयोग			
(क) पादप घर (है०)	4	–	4
(ख) ड्रिप संस्थापना (है०)	2300	150	2000
(ग) ड्रिप प्रदर्शन (है०)	500	–	400
(घ) मल्चिंग (है०)	2500	–	2500

[हिन्दी]

आत्मघाती दस्ता

4949. **कुमारी उमा भारती:**
श्री अशोक प्रधान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान एंटेलिजेंस एजेंसी आगामी विधानसभा चुनावों को अस्तव्यस्त करने के लिए एक आत्मघाती दस्ता बना रहा है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए कोई उपाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). सरकार को पाकिस्तान आसूचना एजेंसी द्वारा आत्मघाती दस्तों के गठन से संबंधित कोई भी विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। तथापि, यह सत्य है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी एवं पृथकवादी हिंसा को प्रायोजित करने, सहायता करने तथा भड़काने के काम में सक्रिय रूप से संलिप्त है तथा ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनैतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं आदि को धमकियां देने सहित वे राज्य में चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने तथा उसे विफल करने के इरादे से हिंसा में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे मंसूबों और प्रयासों के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनैतिक नेताओं, चुनावी स्टाफ, मतदान केन्द्रों इत्यादि की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने तथा सतर्कता, गश्त तथा सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाकर चुनावों में बाधा डालने के उद्देश्य से की जाने वाली संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

चावल उत्पादन योजना

4950. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों को विशेष चावल उत्पादन योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या किसानों को उक्त योजना के अंतर्गत कोई विशेष सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1985-86 से 1989-90 तक किया गया था। विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 35.88 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कुल 24 जिले कवर किए गए थे। तथापि, इस समय गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, पडरौना, वस्ती, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फैजाबाद, यौण्डा, बहराईच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फतेहपुर, इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ जिलों के चुनिन्दा ब्लॉकों में चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के आधार पर किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, किसानों को फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण, समेकित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन, तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता तथा बीज, फार्म उपस्कर आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकों के साथ धोखाधड़ी

4951. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सचिव तथा अध्यक्ष के विरुद्ध 9 दिसम्बर, 1995 को कविनगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बैंक में धोखाधड़ी के किसी और मामले का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम

4952. श्री चित्त बसु:
श्री संतोष मोहन देव:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो संशोधन में प्रस्तावित मुख्य मुद्दे क्या हैं; और,

(ङ) ये संशोधन कब तक लाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ). जी हां, एक माडल सहकारिता अधिनियम के बारे में सफिारिश देने के लिये योजना आयोग ने चौ० ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक माडल सहकारिता अधिनियम (माडेल को-आपरेटिव मूवमेण्ट) के बारे में भी सिफारिश की थी। सरकार ने समिति की सिफारिशों को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया है। माडल सहकारिता अधिनियम पर समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान बहुराज्जीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक नया अधिनियम तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित कानून का मूल उद्देश्य सहकारी संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना तथा उन्हें लोकतांत्रिक और व्यावसायिक ढंग से प्रबन्धित संस्थानों की तरह काम करने लायक बनाना है। एक ऐसी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो भारत सरकार को ऐसी नीति अपनाने के बारे में सलाह देगी जिससे सहकारी समितियां स्वायत्ततापूर्वक काम कर सकें, बदलते आर्थिक परिवेश के सन्दर्भ में सहकारी क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार किया जा सके और देश में सहकारिता आन्दोलन को समुचित और पर्याप्त नीतिगत समर्थन का प्रावधान किया जा सके। इस समिति का गठन हाल ही में किया गया है अत: इसके द्वारा किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का अभी सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ङ) प्रस्तावित विधेयक प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद पेश किया जायेगा।

निजी क्षेत्र को वनभूमि

4953. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में विशेषकर आगरा और फिरोजाबाद जिलों में प्रदूषण को कम करने को ध्यान में रखते हुए वन रोपण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा प्राणि-उद्यान की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को वन भूमि आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

4954. श्रीमती सुषमा स्वराज:
डा. महादीपक सिंह शाक्य:
श्री रनजीब बिसवाल:
प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने 1995-96 में अपनी आवश्यकता की तुलना में काफी कम खाद्यान्नों का उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों, नकदी फसल और तिलहनों का फसलवार प्रति हैक्टेयर उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). खाद्यान्नों की आवश्यकता का राज्यवार अनुमान तैयार नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार खाद्यान्न उत्पादन (संभावित) विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले वर्ष, अर्थात् 1994-95 के 191.1 मिलियन मी. टन के उत्पादन स्तर की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में मामूली कमी आई है।

वर्ष 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने के कारण निम्नलिखित हैं:

(1) मानसून शुरू होने में विलम्ब, जिसके कारण मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्र कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा,

(2) मानसून मौसम के अंत में बाढ़ आने के कारण उत्तरी राज्यों में धान की खड़ी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा,

(3) गेहूं के अधीन क्षेत्र में मामूली कमी,

(4) वर्ष 1995-96 के रबी मौसन के दौरान उर्वरकों की खपत में कमी, और

(5) फरवरी के अंत में तथा मार्च के प्रारंभ में दिन के तापमान में असामान्य वृद्धि, जिसके कारण गेहूं की फसल की उपज में कमी आई।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों का प्रति हेक्टेयर फसलवार उत्पादन (उपज) इस प्रकार है:

फसल	उपज (कि.ग्रा./हैक्टे.)
चावल	1921
गेहूं	2553
मोटे अनाज	934
दाल	609
कुल खाद्यान्न	1547
मूंगफली	1048
तोरिया सरसों	944
कुल तिलहन	848
कपास	260
गन्ना	71099
पटसन	1983
मेस्ता	1100

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए राज्यवार खाद्यान्न उत्पादन

उत्पादन 1000 मी. टन में

राज्य	कुल खाद्यान्न उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	12238
असम	2583
बिहार	13632
गुजरात	4052
हरियाणा	10550
हिमाचल प्रदेश	1509
जम्मू व कश्मीर	1448
कर्नाटक	9351
केरल	1017
मध्य प्रदेश	18578
महाराष्ट्र	11849
उड़ीसा	7331
पंजाब	21238
राजस्थान	10432
तमिलनाडु	9627
उत्तर प्रदेश	39274
पश्चिम बंगाल	13597
अन्य	2050
अखिल भारत	190356

रसायन और उर्वरक एकक

4955. श्री दत्ता मेघे:
श्री कचरू भाऊ राउत:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही रसायन और उर्वरक इकाइयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इसमें से कितने एकक रुग्ण अवस्था में हैं; और

(ग) इन रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) देश में उर्वरक एककों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:

	राज्य का नाम	उर्वरक संयंत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	केरल	3
3.	कर्नाटक	1
4.	तमिलनाडु	10
5.	गोवा	1
6.	मध्य प्रदेश	9
7.	महाराष्ट्र	15
8.	गुजरात	15
9.	राजस्थान	10
10.	बिहार	8
11.	उड़ीसा	5
12.	पश्चिम बंगाल	9
13.	असम	4
14.	हरियाणा	5
15.	पंजाब	10
16.	उत्तर प्रदेश	26
		139

इसके अतिरिक्त प्रोजक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इंडिया लि० (पीडीआईएल) मुख्यत: एक इन्जीनियरिंग और परामर्श संगठन है जिसका बिहार राज्य में एक केटेलिस्ट उत्पादक एकक है।

जहां तक रसायन क्षेत्र में अधिकांश उद्योगों को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। इसलिये राज्यवार ब्यौरा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। रसायन क्षेत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रम हैं।

1. इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आईपीसीएल)
2. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एचओसीएल)
3. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइटस लि० (एचआईएल)
4. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एचएएल)
5. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्टिकल (आईडीपीएल)
6. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्टिकल लि० (बीसीपीएल)
7. बंगाल इम्यूनिटी लि० (बीआईएल)
8. स्मीत स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्टिकल लि० (एसएसपीएल)

संयुक्त क्षेत्र के 6 उपक्रम नामत: उत्तर प्रदेश एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (यूपीडीपीएल) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आरडीपीएल), उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि० (ओडीसीएल), कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (केएपीएल), मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (एमएसडीपीएल) और महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (एमएपीएल) तथा दो सहायक कम्पनियां नामत: हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्व लि० (एचएफसी) तथा सदर्न वेस्टीसाइडस कार्पोरेशन लि० (एसपीईसी) तथा एक बहु-राज्य सहकारी समिति नामत: पेट्रोफिल्स कापोरेटिव लि० (पीसीएल) भी है।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के फर्टिलाजिर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफसीआई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एचएफसी) नामक दो उर्वरक उत्पादक उपक्रमों तथा पीडीआईएल को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1995 के उपबन्धों के तहत क्रमश: दिनांक 6.11.1992, 12.11.1992 और 17.12.1992 को रुग्ण घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त 31.7.96 तक निजी क्षेत्र के 16 उर्वरक उद्यम वीआईएफआर के पास रुग्ण कम्पनियों के रूप में दर्ज किये गये थे। निजी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक कम्पनियों के पुर्नरुद्धार की योजनाएं उनके सम्बन्धित प्रवर्तकों द्वारा तैयार की जाती है।

बीआईएफआर द्वारा निम्नलिखित रासायनिक एककों को उनके सामने निर्दिष्ट तारीखों से औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित किया गया है:

क्रमांक	कम्पनी का नाम	तारीख जिसे बीआईएफआर ने कम्पनियों को रुग्ण घोषित किया
1.	आईडीपीएल	12.8.1992
2.	बीसीपीएल	14.1.1993
3.	बीआईएल	9.3.1993
4.	एसएसपीएल	21.12.1992
5.	यूपीडीपीएल	30.12.1992
6.	ओडीसीएल	26.10.1992
7.	एचएफएल	1.8.1994
8.	एसपीईसी	15.9.1994

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के एफसीआई तथा एचएफसी नामक दो रुग्ण उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को बहाल करने हेतु सरकार ने एक पुनरुद्धार स्कीम सिद्धान्तः अनुमोदित की थी जिसमें इन उपक्रमों को अन्य वित्तीय राहतों के अलावा 1994 के मूल्य स्तरों पर 2201.13 करोड़ रु. के नये निवेश (1736.20 करोड़ रु. एफसीआई तथा 464.93 करोड़ रु. एचएफसी के लिए) से एफसीआई के सिन्दरी, रामागुण्डम और तालचर एककों तथा एचएफसी के दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप एककों को पुनरुद्धार की परिकल्पना की गयी थी। एचएफसी की हल्दिया परियोजना तथा एफसीआई के गोरखपुर एकक के पुनरुद्धार को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इनके पुनर्वास हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने का प्रस्ताव है। इन पैकेजों के लिए वित्त पोषण प्रबन्ध नहीं किये जा सके। रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्वास हेतु बजटीय सहायता की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण की दृष्टि से पुनरुद्धार पैकेज पुनः तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। पीडीआईएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज संचालन एजेंसी अर्थात् भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० (आईसीआईसीआई) की पुनः निर्धारित रिपोर्ट के आधार पुनः तैयार किया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों के संबंध में अंतिम पुनरुद्धार पैकेजों का कार्यान्वयन अर्द्ध न्यायिक कल्प ''बीआईएफआर'' के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

रसायन क्षेत्र की कम्पनियों के लिए पुनरुद्धार पैकेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आईडीपीएल, यूपीडीपीएल, एचएफएल, एसपीईसी को छोड़कर सभी रुग्ण कम्पनियों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। आईडीपीएल के लिए संचालक एजेंसी अर्थात् आईडीबीआई एक नया पैकेज तैयार कर रही है। यूपीडीपीएल के लिए एक पुनरुद्धार स्कीम को बीआईएफआर ने 22.8.1995 को स्वीकृत किया था। किन्तु पैकेज का कार्यान्वयन शुरू होने से पूर्व ही यूपीडीएल के बैंकर्स अर्थात् आईओबी और बैंक आफ बड़ोदा तथा एक प्रवर्तक पीआईसीयूपी प्रत्येक ने औद्योगिक वित्तीय पुर्नगठन (एएआईएफआर) हेतु अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर दी। एस.पी.सी. (एच.एफ.एल.) की पुनरुद्धार योजनाएं भी बीआईएफआर के समक्ष हैं।

[अनुवाद]

सुखना झील

4956. डा. एम.पी. जायसवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ की सुखना झील प्रदूषित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख). शिवालिक पहाड़ियों की पारिस्थितिक भंगुरता और अस्थायी प्रवृत्ति के कारण भारी मात्रा में गाद के अप्रवाह से सुखना झील का तलावचन हो गया है।

(ग) से (ङ). इस संबंध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सुखना झील के प्रबंध और संरक्षण को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किए जाने के बारे में चण्डीगढ़ प्रशासन से नवंबर, 1995 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को आठवीं योजना में अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

चांडिल पर ठहराव

4957. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चांडिल पर टाटा एक्सप्रेस के ठहराव का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात औचित्य तथा वैकल्पिक गाड़ी सेवाओं की उपलब्धता की कमी।

[अनुवाद]

काजू का उत्पादन

4958. श्री नन्द कुमार साय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काजू का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) देश में राज्यवार काजू की वार्षिक घरेलू खपत कितनी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) देश में काजू का राज्यवार वार्षिक उत्पादन विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में काजू की वार्षिक राज्यवार खपत उपलब्ध नहीं है। लेकिन, मोटे तौर पर कुल काजू के 38 प्रतिशत अंश की खपत स्वदेश में हो जाती है।

विवरण

काजू का उत्पादन, मीटरी टन में

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
केरल	143200	151600	140200	149000	140000
कर्नाटक	26750	31260	31540	33000	37600
गोवा	14490	33810	34590	37000	17800
महाराष्ट्र	31960	25590	28280	31200	69000
तमिलनाडु	12710	19190	19200	20000	30930
आंध्र प्रदेश	40360	44880	46570	50000	71700
उड़ीसा	31840	39060	43420	46500	43000
पश्चिम बंगाल	3660	3660	3990	4100	6960
अन्य	340	340	360	370	840
कुल	305310	349390	348150	371170	417830

[हिन्दी]

सोयाबीन का उत्पादन

4959. श्री शिवराज सिंह:
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री छतर सिंह दरबार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोयाबीन उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कुल कितने सोयाबीन का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती करने का है;

(घ) यदि हां, तो सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने तथा और क्षेत्र में इसकी खेती करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की कई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में अनुमानत: कितने और क्षेत्र में इसकी खेती की जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) सोयाबीन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं–मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। सरकार मुख्यत: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों आदि में सोयाबीन की खेती के अधीन क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। इसके अलावा, मुख्य सोयाबीन उत्पादक राज्यों पर पहले से ही बल दिया गया है।

(घ) 22 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका लक्ष्य कवरेज तथा उत्पादकता में वृद्धि करके सोयाबीन सहित तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मुख्य आदानों पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ङ) प्रत्येक राज्य में कवर किए जाने वाले क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि उपर्युक्त (ग) पर उल्लेख किए गए राज्यों में क्षेत्र में वृद्धि करने की काफी क्षमता है।

विवरण

(हजार मी. टन)

क्रम सं.	राज्य	1994-95	1995-96 (अग्रिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.8	6.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.8	–
3.	गुजरात	13.6	5.0
4.	हिमाचल प्रदेश	0.3	1.0
5.	कर्नाटक	41.6	28.0
6.	मध्य प्रदेश	2586.6	3752.0
7.	महाराष्ट्र	525.8	719.0
8.	मेघालय	0.9	–
9.	मिजोरम	1.6	–
10.	नागालैण्ड	5.4	–
11.	उड़ीसा	–	–
12.	राजस्थान	442.9	401.9
13.	सिक्किम	3.3	–

क्रम सं.	राज्य	1994-95	1995-96 (अग्रिम)
14.	उत्तर प्रदेश	35.0	35.0
15.	पश्चिम बंगाल	0.4	–
	अन्य	–	14.0
	अखिल भारत	3666.0	4994.0

[अनुवाद]

वन प्रबंधन

4960. श्री विजय हाण्डिक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वनों पर निर्भर जनजातियों और स्थानीय व्यक्तियों को शामिल कर वन प्रबंधन में मौलिक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन/कागजात मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख). राष्ट्रीय वानिकी नीति, 1988 के अनुसरण में अवक्रमित वनों की सुरक्षा और प्रबंधन में आदिवासियों और स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए सरकार ने 1 जून, 1990 को दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। अभी तक 15 राज्य सरकारों ने संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प पारित किया है।

(ग) "सुरक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक वन प्रबंधन राजाजी क्षेत्र के लिए वन गुज्जर प्रस्ताव" नामक एक मोनोग्राफ रूरल लिटिगेशन एण्ट इन्टाइटलमैंट केन्द्र, देहरादून से प्राप्त हुआ है।

(घ) यह प्रलेख उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है और इसके अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया गया है कि "वन गुज्जरों" को उनकी संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन का मुख्य दिया जाए और ऊंची पहाड़ियों में उनकी आवाजाही बहाल की जाए।

(ङ) इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए प्रलेख के संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

विषैले अपशिष्ट पदार्थ

4961. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रीनपीस के इन विचारों की जानकारी है कि भारत सरकार अपने सीमा के पास विषैले अपशिष्ट पदार्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है;

(ख) क्या ग्रीनपीस और भारतीय पर्यावरण संगठन सृष्टि की जांच के अनुसार यह पाया गया है कि मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों पर गत दो वर्षों के दौरान 151 नियतिक 49 देशों से राख और अपशिष्ट पदार्थों के रूप में 66,000 क्यूबिक टन से अधिक जस्ता और शीशा लाए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (घ). राख और अवशिष्ट के रूप में सीसा और जस्ता युक्त अपशिष्टों के आयात द्वितीय प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। अपशिष्टों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकरण विदेश व्यापार महानिदेशालय है। सभी नौभारों की निकासी इसी लाइसेंस के आधार पर की जाती है। हाल ही, अर्थात् 29 अप्रैल, 1995 तक सभी अपशिष्टों का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता था। अप्रैल, 1995 में निर्यात आयात नीति को संशोधित किया गया है और परिसंकटमय अपशिष्टों को आयात के लिए लाइसेंस की अपेक्षा वाली प्रतिबंधित सूची में रखा गया था।

सीमा शुल्क द्वारा निपटाए गए परेषणों के आधार पर वास्तविक आयात संबंधी सूचना का संकलन वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 1994-95 और 1995-96 (जनवरी 1996 तक) के दौरान सीसा और जस्ता युक्त अपशिष्टों के आयातों की मात्रा नीचे दी गई है:

क्र.सं.	नाम	वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)
1.	सीसा कतरन	1994-95	2497804
		1995-96	1889312
2.	सीसा अपशिष्ठ	1994-95	7575025
		1995-96	7235665

क्र.सं.	नाम	वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)
3.	कठोर जस्ता स्पेल्टर	1994-95	2034831
		1995-96	1156243
4.	मुख्यत: जस्ता युक्त अन्य राख और अवशिष्ट	1994-95	64776790
		1995-96	47868317
5.	मुख्यत: तांबा युक्त राख और अवशिष्ट	1994-95	44065261
		1995-96	-
6.	सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप	1994-95	48873529
		1995-96	33429022
7.	जस्ता अपशिष्ट और स्क्रेप	1994-95	4048063
		1995-96	6144739

फ्रेट आपरेशन्स इन्फॉरमेशन सिस्टम प्रोजेक्ट

4962. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "फ्रेट आपरेशन इन्फारमेशन सिस्टम प्रोजेक्ट" नामक परियोजना के विकास के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के संबंध में कार्य समयानुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजना को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग). अब तक विकसित किए गए मोडूल्स के साफ्टवेयर का अगस्त, 1994 से परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर रेलवे द्वारा साफ्टवेयर की विभिन्न किस्म की समस्याओं और कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था और केन्द्रीय रेलवे सूचना प्रणाली (क्रिस) उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। इन समस्याओं तथा उन्हें दूर करने में लगने वाले समय को देखते हुए रेल मंत्रालय ने साफ्टवेयर की समीक्षा का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को सौंपा था। आई आई टी, दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कतिपय निवारक उपायों की सिफारिश की है। जिसकी जांच की जा रही है और आवश्यक निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधियों के नमूने

4963. श्री राम बहादुर सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि कंपनियों द्वारा निर्मित सभी औषधियों के नमूने डाक्टरों को नहीं दिए जाते हैं तथा शेष नमूने खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को औषधि कंपनियों की इस व्यवस्था के कारण करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 30.03 के अंतर्गत आने वाली पेटेन्ट या प्रोप्राइटरी वाली दवाओं के निर्माताओं द्वारा स्वीकृत (क्लीयर किए गए) चिकित्सीय नमूनों पर अधिसूचना सं. 78/86 सी ई दिनांक 10.2.1986 (28.2.86 से), 97/86 सी.ई. दिनांक 10.2.86 (28.2.86 से), 104/86 सी.ई. दिनांक 27.2.86 (28.2.86 से), 51/88/सीई. दिनांक 1.3.88 द्वारा यथासंशोधित सं. 48/77-सी ई, दिनांक 1.4.1977 द्वारा उत्पाद शुल्क में पूरी तरह छूट दी गई है। यह उत्पाद शुल्क अधिसूचना (सं. 48/77 सीई. दिनांक 1.4.1977) अधिसूचना सं. 64/94-सीई. दिनांक 1.3.94 द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अत: सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं होगी।

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

4964. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई थीं;

(ख) इस संबंध में परियोजनावार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ग). महाराष्ट्र में पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के नाम, उनकी आर्थिक और भौतिक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	विस्तृत उद्देश्य	निधियों की मात्रा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उपलब्धियां	
					आर्थिक	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	152.06	2 बाघ रिजर्व कवर किए गए
2.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्कीम	चिड़ियाघरों का उन्नयन	100%	जारी	21.03	3 चिड़ियाघर कवर किए गए
3.	बाघ रिजर्व के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्व के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक बोधिका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	33.99	2 बाघ रिजर्व कवर किए गए
4.	भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों को पुनर्जनन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	50 प्रतिशत	जारी	95.51	340.6 हे. क्षेत्र कवर किया गया
5.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम	कृष्णा और गोदावरी नदी का प्रदूषण उपशमन	50%	कृष्णा और गोदावरी नदियां राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर ली गई हैं। अब तक 145.01 लाख रुपये की राशि का बंटन हो चुका है।		
6.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए दावानल पर नियंत्रण करना	100%	जारी	13.09	वित्तीय बंटनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए
7.	पर्यावरण वाहिनी योजना	जनता की सक्रिय भागीदारी द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	जारी	1.70	8 जिलों में गठित की गई।
8.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास करना	100%	जारी	214.65	15 राष्ट्रीय उद्यान कवर किए गए।
9.	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी उत्पाद	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पादों को बढ़ावा	100%	जारी	93.14	728 हे. क्षेत्र कवर किया गया।
10.	समन्वित वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण एवं पारिविकास को बढ़ावा देना	100%	जारी	116.55	उपलब्ध नहीं
11.	क्षेत्रोन्मुख बलाढ़ लकड़ी और चारा योजना	अधिनिर्धारित बलाढ़ लकड़ी की कमी वाले जिलों में बलाढ़ लकड़ी और चारा की सप्लाई में वृद्धि करना	50%	जारी	141.58	20 हे. क्षेत्र कवर किया गया।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4965. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए राजस्थान को दी गई धनराशि इस कार्यक्रम पर खर्च की गई कुल धनराशि और वापस की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) जलापूर्ति, सड़कों, स्वास्थ्य, विद्युत और पूर्ण साक्षरता के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं पर कितने-कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस धनराशि को पूरी तरह से मार्गनिर्देशों/प्राथमिकता और स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप खर्च किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए कोई एजेंसी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसे कार्यों के चयन और प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को सहयोजित अथवा इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के अधीन आबंटित/जारी की गई निधि तथा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है:

वर्ष	आबंटित/जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	व्यय
1993-94	1905.74	शून्य
1994-95	2044.00	1527.36
1995-96	2563.00	2428.08
जोड़	6512.74	3955.44

(ख) इस कार्यक्रम की सेक्टर-वार प्रगति योजना आयोग द्वारा मानीटर नहीं की जाती है।

(ग) और (घ). योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में गठित की गई छानबीन समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार और उसके अनुमोदन से योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

(ङ) संबंधित राज्य सरकार कार्यक्रम के कार्य में हुई प्रगति को मानीटर करती है। योजना आयोग भी सावधिक रूप से प्रगति की पुनरीक्षा करता है। कार्यक्रम की संवीक्षा, शक्ति प्राप्त समिति द्वारा भी की जाती है।

(च) और (छ). जी नहीं, श्रीमान्।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

4966. श्री पिनाकी मिश्र:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पीड़न एवं अमानवीय व्यवहार अथवा अमानवीय दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रस्ताव को भारत द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे स्वीकार करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या युनाइटेड फ्रंट सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसे शामिल किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) 5 मई, 1995 को आयोजित मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ था। अधिकांश मुख्यमंत्री या तो इस अभिसमय पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पक्ष में नहीं थे या फिर अभिसमय की कुछ धाराओं पर शर्तों के साथ इसके पक्ष में थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

कैपरालकट्म का विविधीकरण

4967. श्री जेवियर अराकल:
श्री पी.सी. चाक्को:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के बजट में कैपरालकट्स पर आयात शुल्क कम किया जा रहा है जिससे निर्माण करने वाली देशी ईकाइयां कुप्रभावित हो रही हैं और इसके कारण कोचीन स्थित एफ.ए.सी.टी. सहित सरकारी क्षेत्र के कारखाने संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन इकाइयों को बन्द होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख). समग्र नीतिगत उपायों के भाग के रूप भी गत वर्षों की तुलना में विभिन्न मदों पर सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है। उपरोक्त नीति और विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुसार 1996-97 के बजट में कैपरालकट्म पर सीमा शुल्क को 45% से घटाकर 30% कर दिया गया है।

सीमा शुल्क में कमी के कारण घरेलू कैपरालकट्स निर्माताओं को आयातों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तथापि, पेट्रोकेमिकल उत्पादें किसी प्रशासित मूल्य नियंत्रण पद्धति के अंतर्गत नहीं आते हैं, अत: मांगपूर्ति स्थिति के मद्देनजर उनके मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

माल डिब्बों का उपयोग

4968. श्री माधव राव सिंधिया:
श्री रामसागर:
श्री जयवंती नवीनचन्द्र मेहता:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी रेल लाइन पर माल डिब्बों का अधिकतम उपयोग नहीं होने के कारण रेलवे को हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो बड़ी लाइन पर रेलवे द्वारा मालडिब्बों की अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं हो पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा अन्य सहायक निकायों ने डिब्बों की अधिकतम क्षमता के उपयोग की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो मालडिब्बों को अधिकतम उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ). नियंत्रक एंवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1995 की अपनी रिपोर्ट में 1990-91 से 1993-94 की अवधि के लिए भारतीय रेलों पर माल डिब्बा उपयोग के संबंध में टिप्पणियां की हैं। माल डिब्बा उपयोग सूचकांकों यथा शुद्ध टन किलोमीटर/माल डिब्बा दिन/माल डिब्बा किलोमीटर/माल डिब्बा दिन और माल डिब्बा फेरों के संबंध में 1990-91 से लेकर 1995-96 तक वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	शुद्ध टन कि.मी./ माल डिब्बा दिन	कमी-बेशी का प्रतिशत	माल डिब्बा कि.मी./ माल डिब्बा दिन	कमी-बेशी का प्रतिशत
1990-91	1407		110.5	
1991-92	1439	2.3	113.2	3.5
1992-93	1457	1.2	116.4	2.4
1993-94	1506	3.3	125.0	7.4
1994-95	1590	5.6	138.5	10.8
1995-96	1754	10.3	148.1	6.9

वर्ष	माल डिब्बा फेरे	कमी-बेशी का प्रतिशत
1990-91	11.5	
1991-92	11.10	3.5
1992-93	10.83	2.4
1993-94	10.59	2.2
1994-95	9.89	6.6
1995-96	9.07	8.3

1993-94 के बाद माल डिब्बा उपयोग सूचकांकों में पिछले वर्षों की तुलना में अत्यधिक सुधार हुआ है। प्रमुख उपयोगकर्ताओं के सहयोग की अपेक्षा में टर्मिनल प्रबंधन में सुधार परिहार्य विलंबों को कम करने तथा यथा आवश्यक अवसंरचनात्मक सामग्री में वृद्धि जैसे सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

साम्प्रदायिक संगठन पर प्रतिबंध

4969. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) साम्प्रदायिक ताकतों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राज्य सरकारें, जो मुख्य रूप से "लोक व्यवस्था" बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं, का ध्यान समय-समय पर,

विभिन्न कानून के प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग सम्प्रदायों के सदस्यों के बीच दुर्भावना, घृणा या वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आकृष्ट किया जाता है। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्दता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। केन्द्र सरकार आसूचना के आदान-प्रदान करके तथा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल प्रदान करके भी राज्य सरकारों की सहायता करती है।

मुर्गीपालन परिसर

4970. श्री थावरचन्द गहलोत : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने मुर्गीपालन परिसर योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देना

4971. श्रीमती शीला गौतम:
प्रो० अजित कुमार मेहता:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र में उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी मांगे प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि संसद, विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है; परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है, संसद के किसी सदन में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड का निर्माण वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में से किया जाना है। इस संबंध में समुचित कार्रवाई, आगामी चुनावों के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात् की जाएगी।

(घ) और (ङ). मार्च, 1994 में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा छत्तीसगढ़ नामक एक अलग राज्य बनाए जाने हेतु पारित एक संकल्प, भारत सरकार को प्राप्त हुआ है।

वनभूमि संबंधी पट्टा

4972. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को वन भूमि पर स्थानीय लोगों को पट्टा देने के संबंध में अनुमति मांगने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ग). केरल राज्य सरकार ने राज्य के इदुक्की, पथनामथिट्टा, त्रिसूर, एर्नाकुलम और कोलाम जिलों में 1.1.1977 के पूर्व के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 28,588.159 हे. वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक प्रस्ताव भेजा था। उपरोक्त प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार औपचारिक मंजूरी पहले ही 31.1.1995 को दे दी गई है।

पेंसिलिन-जी और रिफैम्पिसिन

4973. श्री गोपाल कृष्ण टी. : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार पेंसिलिन-जी और रिफैम्पिसिन का उत्पादवार कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या ये उत्पाद देश में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पदों का विनिर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क)

पेनिसीलीन-जी

	मात्रा	मूल्य
1994-95	10905 कि.ग्रा.	1,13,89,114 रु.
1995-96	221172 कि.ग्रा.	4,59,736 रु.

(सितम्बर, 95 तक केवल)

रिफैम्पिसीन

	मात्रा	मूल्य
1994-95	23509 कि.ग्रा.	5,61,65,295 रु.
1995-96	5475 कि.ग्रा.	1,55,74,288 रु.

(सितम्बर, 95 तक केवल)

स्रोत-डी.जी.एच.एस.

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). पेनिसीलीन और रिफैम्पिसीन दोनों आयात की नकारात्मक सूची में ही हैं। 1996-97 की पेनिसीलीन-जी और रिफैम्पिसीन नीति, जिसकी घोषणा 13 अगस्त, 1996 को की गई थी, के अनुसार दोनों औषधों का आयात पहले स्वदेशी उठान (खरीद) की मात्रा से जुड़ा हुआ था, अब इस संबंध को समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी

4974. श्री विजय अन्नाजी मुंडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभागीय परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हिन्दी विकल्प प्रयोग करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुभाग अधिकारियों की विभागीय परीक्षा में पांच में से केवल चार प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने के लिए यह विकल्प लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विकल्प की अनुमति सभी प्रश्नों के लिए देने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विभागीय परीक्षा में पांच प्रश्न-पत्रों में से तीन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखे जाने का विकल्प इस समय उपलब्ध है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेश मंत्रालय के उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य सभी को, एक और प्रश्न-पत्र अर्थात् टिप्पण, आलेखन तथा सार-लेखन का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लिखे जाने का विकल्प दिया जाए।

[अनुवाद]

भारत-अमेरिकी सहयोग

4975. श्री संतोष मोहन देव:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आधुनिक डीज़ल/विद्युत इंजन के विनिर्माण के लिए अमेरिका की जनरल मोटर्स के साथ प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त कार्य के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है और इस संबंध में अमेरिका कुल कितनी सहायता देगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जनरल मोटर्स यू.एस.ए. के साथ संविदा अभी कार्यान्वयनाधीन है तथा इसके लिए अभी तक कोई अमरीकी सहायता प्रदान नहीं की गई है।

विवरण

(ख) करार के मुख्य मुद्दे इस प्रकार है:

(1) ठेका 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

(2) इस ठेके से भारतीय रेल उच्च अश्व शक्ति के अत्याधुनिक डीज़ल इंजनों के अभिकल्प, निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन से संबंधित प्रौद्योगिकी को पूर्णत: आत्मसात करने और डीज़ल रेल इंजन कारखाना/वाराणसी में उनका निर्माण करने में समर्थ होगी।

(3) जनरल मोटर्स संविदा की समयावधि के दौरान बीच-बीच में अपने तैयार उत्पाद की प्रौद्योगिकी में हुए सभी सुधारों के बारे में भारतीय रेल को निरंतर जानकारी देती रहेगी।

(4) जनरल मोटर्स भारतीय रेल के साथ मिलकर रेल कारखानों में बनने वाले पुर्जों से भिन्न रेल इंजनों के पुर्जों के निर्माण के लिए भारत में ही स्रोतों का विकास करेगी ताकि ठेका अवधि की समाप्ति तक इनका 95% स्वदेशी स्तर सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने देश में निर्माण सुविधा स्थापित करने का उत्तरदायित्व लिया है ताकि मार्च, 1998 तक विद्युत उपस्कर उपलब्ध कराए जा सकें।

(5) भारतीय रेल जनरल मोटर्स को 10 वर्षों में चार चरणों में एक मुश्त 17.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अदा करेगी।

खतरनाक रासायनिक उद्योग

4976. डा. ए. के. पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में कुछ खतरनाक रसायनों जिन्हें विश्व के अन्य देशों में जलाया जा रहा है, के उत्पादन की अनुमति दे दी है या देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे रसायनों के दुष्प्रभाव की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्योगों को ऐसे रसायनों का उत्पादन करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ). खतरनाक रसायनों के उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए 21 रसायनों/रसायनों के समूह को उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिसके संबंध में औद्योगिक लाइसेन्स अनिवार्य है। भारत सरकार लन्दन गाइडलाइन्स का सदस्य है जिसके अनुसार जहरीली/खतरनाक माने जाने वाले रसायनों के आयात पर प्रतिबन्ध/रोक के बारे में निर्णय लेना तथा सूचना देना अपेक्षित है। इसके अलावा सरकार खतरनाक कचरे (वेस्ट) को सीमा पार लाने-ले जाने और उनके निपटान पर नियंत्रण के संबंध में विश्वव्यापी बेसल कन्वेंशन के दिशानिर्देश का अनुपालन करती है।

[हिन्दी]

गांवों का विस्थापन

4977 श्री अनंत गुढे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट क्षेत्र के बाघ परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों को इस परियोजना के कारण विस्थापित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है और इन गांवों के लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख). मेलघाट बाघ परियोजना प्राधिकारियों ने इस रिज़र्व के एक हिस्से की पूरी जांच के आधार पर बाघ रिज़र्व से बाहर के कम से कम 6 गांवों के अन्तरण और पुनर्वास पर विचार करने संबंधी एक प्रस्ताव को अपने बजट में शामिल किया है। गांवों के विस्थापन का कार्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "आदिवासी लाभोन्मुखी विकास स्कीम" के तहत केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब आदिवासी परिवार अन्तरित होना और अभिनिर्धारित स्थानों पर बसना चाहें। इसके लिए राज्य सरकार ने एक स्वत: पूर्ण प्रस्ताव भेजा है। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित मदों पर 1 लाख रुपए प्रति परिवार तक वित्तीय सहायता की व्यवस्था है:

	कार्य	राशि रुपये में
1.	भूमि विकास (2 हेक्टेयर)	36,000
2.	भवन निर्माण सामग्री	36,000
3.	घरेलू वस्तुओं की ढुलाई	1,000
4.	सामुदायिक सुविधाएं	9,000
5.	लकड़ी के ढेर और जलाऊ लकड़ी का रिज़र्व	8,000
6.	चारागाह और चारा पौधरोपण	8,000
7.	नकद प्रोत्साहन	1,000
8.	विविध	1,000
	कुल	1,00,000

[अनुवाद]

अतिक्रमण की गई वन भूमि को नियमित करना

4978. श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों द्वारा 1980 से पहले कब्जा की गई वन भूमि को नियमित करने के लिए एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य में अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए लगभग 1.78 लाख हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के साथ कतिपय अनिवार्य ब्यौरे नहीं भेजे गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का एक लिखित प्रमाण भी है कि राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन के पहले कुछ पात्रता मानदंडों के संदर्भ में इस तरह के अवैध कब्जों को नियमित करने का निर्णय लिया था। जैसाकि दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है, राज्य सरकार ने उपयोग के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र के बदले में क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम भी नहीं भेजी है। अंत: पूरे ब्यौरों के अभाव में इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

खेल परिसर

4979. श्री पी.सी. थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के सभी मंडलों/जोनों में "खेल परिसर" की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो रेल कर्मचारियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी रेल-मंडलों विशेष रूप से केरल में पड़ने वाले मंडलों में खेल परिसर स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उन रेलवे कर्मचारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग). सभी मुख्यालयों तथा केरल राज्य में पालघाट सहित 36 मंडलों में भिन्न-भिन्न स्तर की सुविधाओं वाले खेल-कूद परिसर स्थापित किए गए हैं।

सभी मंडलों में इन सुविधाओं को बढ़ाने पर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध आधार पर किया जा सकता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
1993-94	161
1994-95	174
1995-96	205

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई स्कीमें

4980. श्री गिरधारी यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के विकास के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बिहार में कार्यान्वित की जा रही/कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इन स्कीमों के संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग हुआ है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग). बिहार में कार्यान्वित की जा रही नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार में 1995-96 से 1996-97 के दौरान कार्यान्वित नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: बिहार में 1995-96 के दौरान निम्नलिखित नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गई:

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96 के दौरान जारी धनराशि (लाख रुपये)
1.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास	159.13
2.	सुदूर/दुर्गम क्षेत्रों में समेकित बीज विकास	5.74
	कुल	164.87

उपर्युक्त धनराशि के संबंध में राज्य सरकार से व्यय रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। बहरहाल, उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन 1996-97 के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है, जिनके

संबंध में अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार से व्यय रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

वर्ष 1996-97 के दौरान कई नई योजना प्रारंभ करने के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चूंकि उपर्युक्त योजनाएं 1995-96 में ही शुरू की गई है, अत: इस समय उनके तहत हासिल उपलब्धियों का जायजा लेना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

नर्मदा एक्सप्रेस का पटरी पर से उतरना

4981. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस हाल में पार्वती स्टेशन यार्ड पर पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(घ) दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ऐहतियाती कदम उठाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) और (ग). अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसने मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के बिजली लोकोशेड के कर्मचारियों को इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

(घ) कोई व्यक्ति नहीं मरा था। केवल एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ था।

(ङ) लोकोशेडों को अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण में सुधार करने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

मेट्रो रेल परियोजना

4982. कुमारी ममता बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत टालीगंज से गरिया तक रेल लाइन के विस्तार की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि अबंटित की गयी है;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से समर्पित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उर्वरकों में मिलावट

4983. श्री अमर पाल सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उर्वरकों, कीटनाशकों तथा रसायनों में, अत्यधिक मिलावट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष खाद्यान्न के उत्पादन में भारी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं। वैसे दौरे के समय मुझे कुछ मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन पर विचार करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है।

(ग) (1) फिर भी, राज्य तथा केन्द्र सरकारें दोनों गुणवत्ता नियंत्रण मशीनरी उर्वरक नियंत्रण आ 1985 के प्रावधानों के अनुसार किसानों को की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित के लिए विनिर्माण करने वाली इकाइयों डीलरों के भण्डागारों/गोदामों से नमूने ले नियमित जांच करती रहती है।

(2) कीटनाशकों के मामले में कीटनाशक अधिनि 1968 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों अंतर्गत अधिसूचित कृमिनाशी निरीक्षकों द्वारा रा कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेष के लिये विनिर्माण परिसरों तथा वितरण/बिक्र केन्द्रों से नमूने प्राप्त किये जाते हैं तथा दोषी विनिर्माताओं के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है और प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है।

महाराष्ट्र के लिए बोर्ड

4984. श्री सुरेश आर. जाधव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इन बोर्डों की अब तक की योजनाएं क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

4985. श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन की महाराष्ट्र में मध्य रेलवे के ठाणे रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है और इसका पुनर्निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996-97 में कार्य पर लगभग 5.29 करोड़ रु. की लागत आएगी, जिसके लिए 1.80 करोड़ रु. आवंटित कर दिए गए हैं। बहरहाल, कार्य आरंभ करने और पूरा करने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि मौजूदा स्टेशन भवन के आस-पास रेलवे भूमि पर अत्यधिक संख्या में अधिक्रमण/दुकानें हैं और जब तक इन अधिक्रमणों को हटाया नहीं जाता, भवन निर्माण कार्य में बाधा आएगी।

जैव कृषि

4986. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में जैव कृषि का संवर्धन करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जहां जैव कृषि में वृद्धि हो रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुराननन मिश्र): (क) जी, हां। सरकार द्वारा देश में जैविक कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) जैविक कृषि, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक खादों का सन्तुलित उपयोग शामिल है, को प्रोत्साहन देने के लिए देश में कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

(1) उर्वरकों का सन्तुलित एवं समेकित उपयोग।

(2) कम खपत वाले एवं वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना।

उपर्युक्त के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाएं भी चल रही हैं:

(1) जीव वैज्ञानिक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधी ए.आई.सी.आर.पी.।

(2) सूक्ष्मजीव विघटन।

(3) नीली हरी शैवाल संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र (आइ.ए.आर.आई.) में।

(4) सी.आर.आर.आई. कटक में एजोला की विभिन्न प्रजातियों का परीक्षण।

(5) दीर्घावधी-उर्वरक प्रयोग।

(ग) पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश वे राज्य हैं जहां जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता है।

प्याज का उत्पादन

4987. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्याज का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज के

उत्पादन का राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). नैफेड, जो प्याज के निर्यात के लिये वाहक एजेंसी है, के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई प्याज की कुल मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)	मूल्य (आई.एन.आर. लाख में)
1993-94	4.49	2440
1994-95	4.97	2568
1995-96	4.35	3090

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्याज का उत्पादन

राज्य	उत्पादन मीटरी टन में		
	1992-93	1993-94	1994-95
आन्ध्र प्रदेश	152.0	415.2	314.1
असम	12.7	15.1	15.1
बिहार	144.5	149.2	154.0
गुजरात	605.3	549.3	561.5
हरियाणा	64.2	41.6	41.6
हिमाचल प्रदेश	1.8	1.5	1.5
कर्नाटक	425.7	414.1	489.1
मध्य प्रदेश	170.4	227.1	181.2
महाराष्ट्र	831.6	1210.0	1210.0
उड़ीसा	306.4	320.8	320.8
पंजाब	13.9	10.3	50.3
राजस्थान	118.9	122.4	83.2
तमिलनाडु	185.4	197.8	302.5
त्रिपुरा	0.3	0.3	0.3
उत्तर प्रदेश	456.6	331.5	332.5
दिल्ली	0.9	0.0	0.0
पाण्डिचेरी	0.2	0.2	0.2
अखिल भारत	3490.8	4006.4	4057.9

रेल परियोजनाएं

4988. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शुरू की गई रेल परियोजनों तथा इनके पूरा होने की निर्धारित अवधि का परियोजनावार और जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं के पूरा होने में असाधारण विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उनके पूरा होने की संशोधित समय-सीमा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत क्या है और इसमें किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(च) इन परियोजनाओं को संशोधित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बर्थों/सीटों का आरक्षण कोटा

4989. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झांसी स्टेशन में रेलगाड़ियों में प्रत्येक श्रेणी में बर्थ आरक्षण कोटे का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किन-किन रेलगाड़ियों में उक्त कोटा उपलब्ध था;

(ख) क्या वर्तमान में उक्त आरक्षण कोटे में कमी की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी में उपलब्ध आरक्षण कोटा निम्नानुसार है:

वर्ष	कोटा					
	एग्जी. श्रेणी	वाता.-2 टियर	वाता-3 टियर	प्रथम श्रेणी	वाता. कुर्सी यान	शयनयान श्रेणी
1994	12	79	–	58	158	1039
1995	12	77	18	90	134	1096
1996	12	65	18	65	134	926

गाड़ीवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). झांसी स्टेशन में आरक्षण कार्य 23.3.1995 से कंप्यूटरीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप, झांसी के यात्रियों को पूरा कोटा उपलब्ध कराने के लिए झांसी में उपलब्ध कुछ गाड़ियों का कोटा, उन गाड़ियों के प्रारंभिक स्टेशन के साथ मिला दिया गया है। यद्यपि, झांसी में सांख्यिकीय रूप से कोटे में कमी हुई है तथापि झांसी के यात्रियों का, गाड़ी प्रारंभ होने वाले स्टेशन पर अधिक कोटा उपलब्ध हुआ है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी में उपलब्ध गाड़ी-वार आरक्षण कोटा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गाड़ी संख्या और नाम	जून, 1994					जून, 1995						जून, 1996					
		एग्जी. श्रेणी	वाता-2 टियर	प्रथम श्रेणी	वाता. कुर्सी यान	शयन यान श्रेणी	एक्जी. श्रेणी	वाता-2 टियर	वाता-3 टियर	प्र. श्रेणी	वाता. कुर्सी यान	शयन यान श्रेणी	एक्जी. श्रेणी	वाता-2 टियर	वाता-3 टियर	प्रथम श्रेणी	वाता- कुर्सी यान	शयन यान श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	1015 कुशीनगर एक्स.	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	12
2.	1016 कुशीनगर एक्स.	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	20
3.	1033 पुष्पक एक्स.	–	3	–	–	10	–	3	–	–	–	10	–	3	–	–	–	10
4.	1034 पुष्पक एक्स.	–	4	–	–	24	–	4	–	–	–	32	–	4	–	–	–	32
5.	1037 पंजाब मेल	–	2	–	–	8	–	2	–	–	–	8	–	2	–	–	–	8
6.	1038 पंजाब मेल	–	4	2	–	32	–	4	–	2	–	32	–	4	–	2	–	32
7.	1069 तुलसी एक्स.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	12	–	2	–	–	–	12
8.	1070 तुलसी एक्स.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	52	–	–	–	–	–	–
9.	1077 झेलम एक्स.	–	2	–	–	4	–	2	–	–	–	4	–	2	–	–	–	4
10.	1078 झेलम एक्स.	–	3	–	–	27	–	3	–	–	–	27	–	3	–	–	–	27
11.	1107 बुंदेलखंड एक्स.	–	–	12	–	30	–	–	–	12	–	34	–	–	–	12	–	57
12.	1143 छपरा मेल	–	–	6	–	36	–	–	–	6	–	36	–	–	–	2EQ	–	2EQ
13.	1160 चंबल एक्स.	–	–	4	–	56	–	–	–	4	–	56	–	–	–	2EQ	–	2EQ
14.	1162 लस्कर एक्स.	–	–	6	–	72	–	–	–	6	–	72	–	–	–	–	–	–
15.	1182 चंबल एक्स.	–	–	4	–	56	–	–	–	4	–	56	–	–	–	2EQ	–	2EQ
16.	1450 महाकौशल एक्स.	–	4	–	–	8	–	4	–	–	–	8	–	4	–	–	–	8
17.	1457 अमृतसर एक्स.																	
	अमृतसर तक	–	3	–	–	88	–	3	–	–	–	88	–	3	–	–	–	79
	नई दिल्ली तक	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
18. 1458	दादर एक्स.	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–	28
19. 2407	गोंडवाना एक्स.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	10
20. 2408	गोंडवाना एक्स.	–	2	–	–	24	–	2	–	–	–	24	–	2	–	–	–	24
21. 2410	गोंडवाना एक्स.	–	2	–	–	24	–	2	–	–	–	24	–	2	–	–	–	24
22. 2411	गोंडवाना एक्स.	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
23. 2412	गोंडवाना एक्स.	–	4	–	–	24	–	4	–	–	–	24	–	5	–	–	–	38
24. 2480	गोवा एक्स.																	
	वास्को तक	–	2	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	मिराज तक	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–
	कैसल रॉक तक	–	2	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4
	कोल्हापुर तक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
25. 2616	जी.टी. एक्सप्रेस	–	2	–	–	6	–	2	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
26. 2618	मंगला एक्सप्रेस	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
27. 2622	तमिलनाडु एक्सप्रेस	–	–	2	–	15	–	–	–	2	–	15	–	–	–	–		2EQ
28. 2626	केरल एक्स.	–	2	2	–	16	–	2	–	2	–	8	–	2	–	2	–	8
29. 2628	कर्नाटक एक्स.	–	4	–	–	12	–	2	–	–	–	12	–	4	–	–	–	12
30. 2723	आंध्र प्रदेश	–	–	2	–	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6
31. 2724	आंध्र प्रदेश	–	2	–	–	12	–	2	–	–	–	12	–	2	–	–	–	12
32. 4309	उज्जैनी एक्स.	–	–	6	–	20	–	–	–	6	–	15	–	–	–	6	–	15
33. 4310	उज्जैनी एक्स.	–	–	4	–	32	–	–	–	4	–	20	–	–	–	–	–	–
34. 4667	मालवा एक्स.																	
	जम्मू तक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4
	नई दिल्ली तक	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4
35. 4668	मालवा एक्स.	–	2	–	–	10	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
36. 5012	रापती सागर एक्स.	–	2	–	–	4	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
37. 5046	गोरखपुर																	
	अहमदाबाद एक्स.	–	6	–	–	12	–	6	–	–	–	12	–	4	–	–	–	–
38. 5090	गोरखपुर																	
	हैदराबाद एक्स.	–	4	–	–	24	–	4	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–
39. 6017	हिमसागर एक्स.	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	10
40. 6018	हिमसागर एक्स.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
41. 6032	मद्रास एक्स.	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
42. 6094	मद्रास एक्स.	–	–	2	–	12	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
43. 6687	नवयुग एक्स.	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6
44. 6688	नवयुग एक्स.	–	2	–	–	8	–	2	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
45. 7021	दक्षिण एक्स.	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
46. 7022	दक्षिण एक्स.																	
	हैदराबाद तक	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
	विशाखापत्तनम तक	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	–
47. 8237	छत्तीसगढ़ एक्स.	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–
48. 8238	छत्तीसगढ़ एक्स.																	
	बिलासपुर तक	–	2	–	–	4	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	विशाखापतनम तक	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
49. 8302	हीराकुंड एक्स.																	
	संबलपुर तक	–	2	–	–	6	–	2	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
	राउरकेला तक	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
	टिटलागढ़ तक	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–
50. 8478	उत्कल एक्स.																	
	पुरी तक	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	2EQ
	बिलासपुर तक	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	अनूपपुर तक	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
51. 8544	समता एक्स.	–	–	2	–	16	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–	–
52. 9166	साबरमती एक्स.	–	–	2	–	8	–	–	–	2	–	8	–	–	–	–	–	–
53. 9165	साबरमती एक्स.	–	–	2	–	62	–	–	–	18	–	62	–	–	–	18	–	62
54. 2432	राजधानी एक्स.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	6	–	–	–
55. 2429	राजधानी एक्स.	–	2	–	6	–	–	2	–	–	6	–	–	2	6	–	–	–
56. 2430	राजधानी एक्स.	–	2	–	6	–	–	2	4	–	–	–	–	2	4	–	–	–
57. 2431	राजधानी एक्स.	–	–	–	6	–	–	2	4	–	–	–	–	2	4	–	–	–
58. 2432	राजधानी एक्स.																	
	तिरूवनंतपुरम तक	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	मद्रास तक	–	2	–	6	–	–	2	2	–	–	–	–	2	2	–	–	–
59. 2001	शताब्दी एक्स.																	
	नई दिल्ली तक	4	–	–	40	–	4	–	–	–	40	–	4	–	–	–	40	–
	आगरा तक	6	–	–	27	–	6	–	–	–	27	–	6	–	–	–	27	–
60. 2002	शताब्दी एक्स.	2	–	–	67	–	2	–	–	–	67	–	2	–	–	–	67	–

रांची में डिवीजन कार्यालय

4990. श्री थामस हंसदा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रांची में रेलवे का डिवीजल कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ख) इस संबंध में सरकार के निर्णय के बावजूद उक्त कार्यालय स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रांची में रेल मंडल कार्यालय की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

कार्यालय के उद्घाटन की तिथि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य

4991. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य में काफी वृद्धि कर दी है जबकि देश में उत्पादित औषधियों के मूल्य काफी कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लघु औषधी कंपनियों को बढ़ावा देने हेतु नीति को लागू करेगी और बहुरांष्ट्रीय औषधी कंपनियों को हतोत्साहित करेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) सूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें डीपीसीओ, 1995 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, चाहे वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाई जाती हों या अन्यों द्वारा। जो सूत्रयोग कीमत नियंत्रण से बाहर हैं, उनकी कीमतें निर्धारित करने के लिए कंपनियां स्वतन्त्र है। यद्यपि ऐसे मामले नोटिस में आए हैं जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस आधार की औषध को देश के बाहर पेटेंट किया गया है और प्रपुंज औषध को उनके मूल (औषधों) से आयात किया जाता है, कीमत नियंत्रण के बाहर अपने उत्पादों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत चार्ज करना चाहती हैं।

(ख) गुणवत्ता वाली दवाइयों की उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना औषध नीति का मुख्य उद्देश्य है। औषध क्षेत्र में लघुक्षेत्र की इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना सं. 134(अ) दिनांक 2.3.95 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी इकाइयों को कीमत नियंत्रण से छूट दी गई है।

[अनुवाद]

पुलिस का क्षेत्राधिकार

4992. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी भी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जब पुलिस ने अपराध की सूचना मिलने पर अपने क्षेत्राधिकार की परवाह किए बगैर कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुखदेव विहार, दिल्ली के जंगलों में किए जा रहे सामूहिक बलात्कार की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई थी;

(घ) यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और वहां से कितने बलात्कारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). वर्ष 1996 (31.8.1996 तक) के दौरान ऐसी आठ घटनाएं सूचित की गई जिनमें संदेय अपराध होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस स्टेशनों ने कानून की उपयुक्त धाराओं के अधीन मामले दर्ज किए तथा दोषियों को पकड़ने के प्रयास किए। तथापि, जांच-पड़ताल के दौरान जब यह सिद्ध हो गया कि कथित अपराध उक्त थानों के क्षेत्र अधिकार के बाहर किए गए हैं तो उन मामलों को संबंधित थानों को स्थानांतरित कर दिया गया।

(ग) से (ङ). दिनांक 19.8.1996 को इस बात की सूचना प्राप्त होने पर कि सुखदेव विहार के क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार किया गया है, तो पुलिस तुरन्त उस स्थान पर गई, अपराध स्थल का निरीक्षण किया तथा पीड़ित का बयान रिकार्ड किया। भा.दं.सं. की धारा 365/376/34 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 849/96 के तहत दर्ज किया गया। एक अभियुक्त उसी दिन जबकि शेष सात अगले दिन, अर्थात् 20.8.1996 को गिरफ्तार कर लिए गए।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था

4993. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के विभिन्न स्थानों में लोड शैडिंग के कारण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है;

(ख) क्या रात्रि में तथा लोड शेडिंग हो जाने पर असामाजिक तत्व विभिन्न प्रकार के आपराधिक कार्य करते हैं;

(ग) क्या सरकार ने रात्रि में विद्युत आपूर्ति करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए कारगार कदम उठाने हेतु योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिजली की चोरी

4994. डा. बलिराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी आई जेड एरिया, उद्यान मार्ग, गोल मार्केट एरिया, कालीबाड़ी मार्ग और राजा बाजार में बिजली की अवैध रूप से आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली के अस्थायी कनैक्शन के मामलों की फाइल पिछले एक वर्ष से लंबित पड़ी है और अवैध रूप से बिजली लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(घ) अस्थायी कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बिजली की चोरी के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (न.दि.न.पा.प.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पावर की अनधिकृत टैपिंग की अनुमति नही है फिर भी यदि ऐसी कोई घटना जानकारी में आती है तो उसे हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। आवेदकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद समक्ष प्राधिकारों द्वारा बिजली के अस्थाई कनैक्शन स्वीकृत किए जाते हैं।

(ङ) पावर की अनधिकृत टैपिंग के मामलों में पुलिस अधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

[अनुवाद]

इनर लाईन परमिट

4995. श्री बादल चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार से त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की सीमाओं में "इनर लाईन परमिट" पद्धति आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में इस प्रणाली को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार की नीति, घरेलू और विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटन एवं निवेश तथा पूर्वोत्तर और इसके लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ बेहतर एकात्मता को बढ़ावा देने के लिए भी, पूर्वोत्तर को धीरे-धीरे खोलने की है। इसी संदर्भ में कुछ समय पहले त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों से प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की अपेक्षा को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। त्रिपुरा में इनर लाईन परमिट व्यवस्था शुरू किया जाना, मौजूदा नीति के अनुरूप नहीं होगा।

इनर लाइन लिमिट

4996. श्री पी. नामग्याल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख के लोगों ने वर्तमान इनर लाइन लिमिट को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरांचल क्षेत्र में आरक्षण कोटा

4997. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या गृह मंत्री 30 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 708 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो संगत अधिसूचना कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). चूंकि एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया गया है अत: आरक्षण की नीति का निर्णय उस राज्य की नई सरकार द्वारा, आरक्षण संबंधित कानूनी उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

कुटूर-हरिहर के बीच रेल लाइन

4998. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे की कुटूर-हरिहर के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की परियोजना की कुल अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा इस लाइन की कुल लम्बाई क्या है तथा इस परियोजना के पूरा होने की प्रस्तावित अवधि क्या है;

(ख) क्या परियोजना 1995-96 के दौरान मंजूर की गई थी परंतु 1996-97 के दौरान भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) कुटूर-हरिहर लाइन 65 कि.मी. लंबी है और इसकी लागत 65.94 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). परियोजना को 1995-96 में स्वीकृत किया गया था। अंतिम स्थान सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात तैयार करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

हैदराबाद और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा

4999. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद और बंगलौर के बीच का रेलमार्ग घुमाव-फिराव वाला है और इसमें बस यात्रा से अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) और (ग). हैदराबाद (सिकन्दराबाद) द्रोणाचलम-गुंताकल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही प्रगति पर है और यह दिसम्बर 1997 तक पूरा हो जाएगा, जो हैदराबाद और बेंगलूर के बीच सीधा छोटा मार्ग होगा।

स्वतंत्रता-सेनानी पेंशन

5000. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माहे मुक्ति आन्दोलन, गोवा मुक्ति संघर्ष और आर एन द्रोह में भाग लेने वाले कितने स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या का रिकार्ड, जिन्हें इन आन्दोलनों में भाग लेने तथा यातना सहने के कारण पेंशन स्वीकृत की गई है, अलग से आन्दोलन-वार नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 31.8.1996 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न आन्दोलनों/विद्रोहों से संबंधित व्यक्तियों से हाल ही में प्राप्त 25 नये आवेदन पत्र विचारार्थ तथा निपटान हेतु लंबित थे।

[हिन्दी]

रतलाम मंडल में विद्युतीकरण

5001. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान पश्चिम रेलवे और रतलाम मंडल में बड़ी लाइन और मीटर लाइन के विद्युतीकरण का तथा डीज़ल कर्षण के अंतर्गत लाई गयी लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक में सवारी डिब्बों की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) रतलाम रेल लाइन में खंडवार मौजूदा बड़ी लाइन और मीटर लाइन की लंबाई कितनी किलोमीटर है और प्रत्येक मीटर लाइन खंड में आमान परिवर्तन के लिए अनुमानत: कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मीटर लाइन पर रेल यात्री सेवा विस्तार संबंधी प्रस्ताव क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार मीटर लाइन रेल यात्री सेवा विस्तार के संबंध में रेलगाड़ीवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) रतलाम मंडल तथा पश्चिम रेलवे में 1995-96 के दौरान विद्युतीकरण का कोई कार्य हाथ में नहीं लिया गया था और न ही 1996-97 के दौरान कोई नया कार्य अनुमोदित किया गया है। कोई मीटर लाइन विद्युतीकृत नहीं है।

1995-96 और 1996-97 के दौरान निम्नलिखित खंडों को पूर्णत: डीजलीकृत कर दिया गया है:

1. अजमेर-नीमच (रतलाम मंडल)

2. नीमच-रतलाम (यथोक्त)

3. बोटोद-सुरेन्द्रनगर

4. भावनगर-पालटाना

5. धोदा जं.-मुटिवा

6. जटलसर-वरजलिया

निम्नलिखित खंडों का आंशिक रूप से डीजलीकरण किया गया है:

1. वेरावल-खिजादिया

2. राजकोट-जटलसर

किसी वर्ष के लिए सवारी डिब्बों की आवश्यकता की योजना उत्पादन यूनिटों की निर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर बनाई जाती है। इसके बाद प्रत्येक रेलवे को आबंटन किया जाता है।

1995-96 के दौरान पश्चिम रेलवे को (बड़ी लाइन के) 194 नए सवारी डिब्बे सप्लाई किए गए थे।

(ख) खंड-वार किलोमीटर दूरी के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। रतलाम मंडल में अजमेर से खंडवा तक मीटर लाइन मार्ग है। इनमें से नीमच और रतलाम के बीच आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और इसके नौवीं योजना में पूरा हो जाने की आशा है। शेष खंडों को "एम आमान" परियोजना के अंतर्गत कार्य योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है और नौवीं योजना अवधि के दौरान उन्हें शुरू किए जाने की संभावना है। कार्य शुरू हो जाने पर कार्य के पूरा होने की तिथि निर्धारित की जाएगी।

(ग) और (घ). विगत पांच वर्षों के दौरान रतलाम मंडल पर मीटर लाइन पर की गई यात्री सेवाओं की व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष		
1992-93		कुछ नहीं
1993-94		कुछ नहीं
1994-95	=	1.7.95 से विजय नगर तक 129/130 शटल बढ़ा दी गई।
1995-96	=	5.2.96 से 69/70 महू इंदौर पैसेंजर चलाई गई।
1996-97		कुछ नहीं।

[अनुवाद]

कृष्णानगर से वर्द्धमान तक रेल सेवा

5002. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णानगर से वर्द्धमान तक यात्री रेल सेवा आरंभ किये जाने हेतु बहुत समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण नैहाटी में भारी संख्या में मालगाड़ियों को रोके जाने के कारण यात्री रेल सेवा सुचारु ढंग से नहीं चल रही है;

(घ) क्या उक्त मांग पर रेलवे यातायात को सुचारु रूप से चलाने हेतु जुबली पुल से होकर नैहाटी रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए एक बाई-पास मार्ग बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). कृष्णानगर से वर्धमान के बीच एक यात्री गाड़ी चलाने की कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सामान्यतया मालगाड़ी के लिये यात्री गाड़ी को नहीं रोका जाता है। बहरहाल, कभी-कभी दुर्घटनाओं/उपस्करों की खराबी या अन्य अपरिहार्य कारणों से गाड़ियों के सहज चालन में बाधा आती है।

(घ) और (ङ). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया

5003. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया के गठन के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) यह किस तिथि को प्रभावी हुआ; और

(ग) इसकी लक्ष्य प्राप्ति में अब तक कितनी प्रगति हुई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उपनियम सं. 3 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रमुख उद्देश्य भारत में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा उसके विस्तार में प्रयासरत लोगों को शिक्षित करना, मार्गदर्शन तथा सहायता देना तथा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 की प्रथम अनुसूची में यथाउल्लिखित सहकारी सिद्धान्तों के अनुसरण में सहकारी जनमत का प्रतिपादन करना है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 तथा नियम, 1985 के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1985 को पंजीकृत किया गया।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा राज्य सहकारी संघों को सहायता, कृषि सहकारी समितियों एवं दस्तकार सहकारी समितियों

को निचले स्तर पर सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परियोजनाओं के माध्यम से गहन देशव्यापी सहकारी शिक्षण कार्यक्रम की मानिटरिंग की जा रही है। यह प्रतिवर्ष सहकारी समितियों के 11 लाख सदस्यों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा हर तीसरे वर्ष राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें सहकारी आन्दोलन से संबंधित आधारभूत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है एवं की गई सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु सरकार तथा अन्य एजेन्सियों को भिजवाई जाती हैं। सहकारी सिद्धान्तों के अनुसरण में सहकारी जनमत के प्रतिपादक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा सहकारी आन्दोलनों से जुड़े सभी स्तरों के व्यक्तियों जैसे नेताओं, नीति निर्माताओं कार्यपालकों सरकारी अधिकारियों आदि के लिए विभिन्न प्रकार की विचार गोष्ठियों सम्मेलनों तथा कार्यशालाएं आयोजित की हैं। विगत दो वर्षों से यह सहकारिता पर नई आर्थित नीतियों के प्रभाव के संबंध में निचले स्तर के लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य सहकारी संघों के सहयोग से जिला स्तरीय विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। अब तक लगभग 150 जिलास्तरीय विचार गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। सहकारी आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ आई.सी.ए., आई.एल.ओ. एफ.ए.ओ. से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

हावड़ा तथा सियालद्राह में विश्राम गृह

5004. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा तथा सियालदाह में कोई वातानुकूलित विश्राम गृह नहीं है;

(ख) क्या हावड़ा तथा सियालदाह स्टेशन पर वातानुकूलित विश्राम गृह का निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर कोई वातानुकूल विश्राम कक्ष नहीं है जबकि हवड़ा के रेल यात्री निवास में 8 वातानुकूल कक्ष उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे गोदामों आदि का निर्माण

5005. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अजमेर में रेलवे गोदाम, रेल यात्री निवास का निर्माण करने और रेलवे निकट मुद्रणालय विकसित करने के बारे में सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार ने अजमेर में "रेल यात्री निवास" और रेलवे गोदाम का निर्माण कराने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और ये सभी कार्य कब तक पूरे होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) इस संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुसावल-नागपुर रेल मार्ग पर दुर्घटना

5006. डा. जी.आर. सरोदे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 जून, 1996 को मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के अंतर्गत भुसावल-नागपुर रेल मार्ग पर एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आहत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कोई अन्य सहायता भी दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). 8.6.96 को भुसावल-नागपुर खंड पर कोई गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, बहरहाल बडोदरा-मलकापुर खंड के बीच गिट्टी साफ करने वाली मशीन के कार्य स्थल पर 7384 अप एक्सप्रेस द्वारा रेल कर्मचारियों को कुचल देने की घटना हुई थी, जिसमें 6 रेल कर्मचारी मारे गए तथा 3 घायल हुए थे।

(ग) और (घ). कार्यकार प्रतिकार अधिनियम के अनुसार की जाने वाली क्षतिपूर्ति के अलावा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी पात्रता के अनुसार रोजगार भी दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का कर्षण

5007. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों तथा माल गाड़ियों को हावड़ा से आसनसोल तक डीजल रेल इंजन द्वारा चलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को आसनसोल तक विद्युत इंजन द्वारा चलाने और फिर मुख्य लाइन हेतु आसनसोल में इंजन बदलने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) ऐसा कर्षण परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण किया जा रहा है।

(ग) अप्राप्त सम्पर्क का विद्युतीकरण पूरा हो जाने के बाद ही इस संचलन को समाप्त करना संभव होगा।

हावड़ा हेतु वैकल्पिक मार्ग

5008. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा को बर्धमान होकर शहार बाजार-रैना और आरामबाग तारकेश्वर तक जोड़ते हुए यहां के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तारापुर में उद्योग

5009. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक दल ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए थाणे जिले में तारापुर स्थित तारापुर उद्योग एस्टेट का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा निरीक्षण के क्या परीक्षण निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) मंत्रालय और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों के एक दल ने तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित साझा बहिस्राव शोधन संयत्र का दौरा किया। इस दल ने उक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी इकाई विशेष का दौरा नहीं किया।

(ख) और (ग). इस दल ने साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के कार्यों और अनुरक्षण से संबंधित मुद्दों का पुनरीक्षण किया। इस दौरे के समय साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र की प्रचालनात्मक समस्याओं का समाधान निकालने और उसकी क्षमता में वृद्धि करने के बारे में अनेक सुझाव दिए गए जिन्हें बाद में अनुपालन हेतु लिखित में संप्रेषित किया गया।

व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटरस्

5010. श्री तरित वरण तोपदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा इलेक्ट्रिक लोकोशेड में 1989 में पच्चीस माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित व्हील फ्लेंज लुब्रिकेटरों को डब्ल्यू.ए.जी. 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में लगाया गया था;

(ख) क्या कम से कम बारह लोकोमोटिव से माइक्रो-प्रोसेसर नियंत्रित बोर्ड गुम थे;

(ग) क्या प्रत्येक नियंत्रक के पास इसकी चोरी होने से रोकने के लिए इसमें ताला बंद करने की व्यवस्था थी;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरी के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) कंट्रोलर बोर्डों के गुम होने के कारण व्हील फ्लेंज लुब्रीकेटरों को कब तक बिना उपयोग में रखा जाएगा तथा उक्त बोर्डों की संख्या कितनी थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) 1989 में विजयवाड़ा के बिजली रेल इंजन शेड के डब्ल्यूएजी 5 रेल इंजनों में चौबीस माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित फ्लैंज स्नेहक फिट किए गए थे और बिजली रेल इंजन शेड, अरक्कोणम में एक बिजली रेल इंजन में एक स्नेहक फिट किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित बोर्डों का पुन: बिक्री मूल्य होता है और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये रेल इंजन रेलों में कार्य कर रहे थे तो इन्हें चुरा लिया गया।

(ङ) चोरी रोकने के लिए ताला लगाने की व्यवस्था की गई है।

(च) मुद्रित सर्किट बोर्डों के गुम हो जाने के कारण बारह पहिया फ्लैंज स्नेहक दो से पांच वर्षों की अवधि के लिए बेकार पड़े रहे थे।

रेल भूमि पर अवैध कब्जा

5011. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम विशेषकर रेल भूमि के संदर्भ में वर्तमान उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

5012. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बात व्यापक रूप से मानी जाती है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों का जीवन स्तर और उनके पास उपलब्ध परिसम्पत्तियां प्राय: उनके ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक मूल्य की हैं; और

(घ) यदि हां, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). ऐसे कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है अथवा इसके कार्मिकों के रहन-सहन का स्तर आमतौर पर उनके ज्ञात आमदनी के स्रोतों से अधिक अच्छा है। तथापि, उन व्यक्तिगत मामलों में जिनसें किसी पुलिसकर्मी का आचरण संदिग्ध हो, तो आरोपों के सत्यापन हेतु तुरंत कार्रवाई की जाती है ताकि दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जा सके। चालू वर्ष (31.7.96 तक) के दौरान 21 पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन मामले दर्ज किए गए हैं।

राष्ट्रीय समारोहों का बहिष्कार

5013. श्री सुशील चन्द वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषरूप से मणिपुर में जनता द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय समारोहों का बहिष्कार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इन समारोहों का बहिष्कार किया गया; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे इस असहयोग को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि ये व्यक्ति भी शेष देश की जनता की तरह राष्ट्रीय दिवस मनाएं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस समारोहों में भाग लेते हैं। तथापि कुछ अवसरों पर कुछ विद्रोही या अन्य ग्रुपों द्वारा इस प्रकार के समारोहों के बहिष्कार करने का आह्वान दिया जाता है। इस प्रकार आह्वानों का आम तौर पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है।

सब्जी और फलों की चोरी

5014. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदर डेयरी के फल और सब्जी इकाई द्वारा किराये पर लिए निजी ट्रकों/मैटाडोर से सब्जी और फलों की चोरी को रोकने के लिए मदर डेयरी द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ख) विभाग ने ऐसी चोरी को रोकने के लिए गत छ: महीनों में कितनी बार गुप्त छापा मारा है;

(ग) क्या मदर डेरी द्वारा किराए पर लिए निजी ट्रकों/मैटाडोर में सब्जी और फलों की चोरी में मदर डेयरी के कुछ अधिकारियों की भी सांठ-गांठ है; और

(घ) निजी ट्रकों/मैटाडोर मालिकों/ड्राइवरों द्वारा चोरी को भी पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कौन सी दोषरहित प्रणाली अपनाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) बूथों पर सुपूर्दगी के लिये फल तथा

सब्जियाँ ड्राइवरों को देते समय उनसे मात्रा आदि के सम्बन्ध में प्राप्ति रसीद ली जाती है। बूथ पर प्राप्त की गई मात्रा के अनुसार संचालक भुगतान करते हैं। वाहक द्वारा कम सुपुर्दगी करने पर वाहक से कम सुपुर्दगी की मात्रा का बिक्री मूल्य वसूल किया जाता है और उस पर दण्ड भी लगाया जाता है।

(ख) अपनाई गई पद्धति को ध्यान में रखते हुये गुप्त रूप से छापा मारने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं है।

ड्राइवरों पर नियंत्रण

5015. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्लू लाईन तथा रेड लाईन बसों के बेड़े कार्यालय जाने वालों तथा स्कूलों बच्चों की मौत तथा कईयों को घायल करने के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकट को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) दिल्ली में चल रही ब्लू और रेड लाईन बसों से कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिसके फलस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई है अथवा घायल हुए हैं।

(ख) यातायात अनुशासन में सुधार लाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चैकिंग और अभियोजन अभियान चलाती है। इस संबंध में किए गए उपायों में, राडार-गन द्वारा वाहनों की रफ्तार की जांच करना; सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण चौराहों पर पब्लिक एड्रैस सिस्टम के द्वारा यातायात विनियमों की घोषणा करना; चालकों को प्रशिक्षण; कन्फ्लिक्ट फ्री ट्रैफिक सर्कुलेशन पैटर्न लागू करना; दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की ट्रैफिक सिग्नल और ब्लिंकर्स लगाना तथा विभाजकों के बीच के रास्ते बंद करना, इत्यादि शामिल हैं।

रामी अनुसंधान केन्द्र में रिक्त पद

5016. श्री उद्धव बर्मन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामी अनुसंधान केन्द्र, सोरभोग असम, में वैज्ञानिकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की उक्त रामी केन्द्र की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कोई योजना; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). वैज्ञानिकों के चार स्वीकृत पदों में से 3 पद रेमी अनुसंधान केन्द्र, सोरभोग, असम में खाली पड़े हैं। असम क्षेत्र में अशान्ति होने के कारण पदों को भरा नहीं जा सका। शेष रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). जहां तक संभव है रेमी फार्म की पूर्ण क्षमता को उपयोग किया जा रहा है। यह केन्द्र अनुसंधान के अलावा, क्षेत्र की रोपाई सामग्री की जरूरतों को विभिन्न एजेन्सियों जैसे-जनजातीय सहकारी और विपणन विकास संघ (फेडरेशन), असम और मेघालय सरकार के माध्यम से पूरा कर रहा है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का देर से चलना

5017. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-सराय रोहिल्ला और रेवाड़ी के बीच चलने वाली हरियाणा एक्सप्रैस (4720 डी.एन.) के देरी से चलने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या जोधपुर मेल को दिल्ली में काफी लम्बे समय तक रोका जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन गाड़ियों को समय में चलाने और शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानवाधिकार में पुलिस की भूमिका

5018. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दि. 27 अगस्त, 1996 के "द हिन्दु" में "ह्यूमन राइट्स-पोलिस रोल अनडिफाइन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 27 अगस्त, 1996 के "द हिन्दू" अंक में प्रकाशित "ह्यूमन राईट-पुलिस रोल अनडिफाईड" नामक शीर्षक लेख में लेखक ने यह आग्रह किया है कि प्रजातंत्र में समाज को, पुलिस की भूमिका और उसकी जिम्मेवारियों को समय-समय पर परिभाषित और पुन: परिभाषित करना चाहिए। लेख में अन्य के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गयी है कि मानवाधिकार विषयों को पुलिस के साथ जोड़ा जाना चाहिए जैसे कि विभिन्न स्तरों पर जवानों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों पर जोर देना, मानव मूल्यों के बेहतर अनुपालन के लिए विशेष पुरस्कार/मान्यता प्रदान करना, जांच-पड़ताल में शोर्ट कट मैथड अपनाने के लिए हतोत्साहित करना, इत्यादि।

(ग) भारत सरकार, मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने के कार्य को अत्यधिक महत्व देती है और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर, दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस कार्मिक अपने कर्तव्य-पालन के दौरान मानवीय ढंग से व्यवहार करें और यह कि पुलिस ज्यादतियों के तथाकथित मामलों को गंभीरता से लिया जाये और जब कभी इस प्रकार की ज्यादतियां होती हैं, तो ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जायें। जांच-पड़ताल में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल के लिए पुलिस को सुग्राही बनाने के लिए "प्रारम्भिक" और "सेवाकालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष विषय भी शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और अनेक राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार को एक विषय के रूप में लागू किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर, मानवाधिकार प्रशिक्षण पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उसे अपनाने हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया है।

दिल्ली में बम विस्फोट

5019. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पहाड़गंज स्थित अतिथि गृह में हुए बम विस्फोट की घटना को ध्यान में रख कर देश में चल रहे अवैध अतिथि गृहों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). 24.7.96 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 369 अनधिकृत गेस्ट हाउस/होटल कार्य कर रहे थे। इन मामलों में से 326 में अभियोजन की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

रमेश चन्द्र समिति

5020. जस्टिस गुमान मल लोढा:
श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री बची सिंह रावत "बचदा":

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों के दौरान लखनऊ के गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर हुए हमले की जांच करने के लिए श्री रमेश चन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या थे;

(घ) क्या इस प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) संदर्भाधीन समिति की रिपोर्ट में राज्य सरकार से की गयी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी: (1) 2 जून, 1995 की गेस्ट हाऊस घटना के पीछे किसी षडयंत्र को खोलने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सहायता लेना (2) आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना और (3) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मूलभूत संरचना और पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण और प्रेरित करने संबंधी योजनाओं में सुधार लाना।

(घ) से (च). केन्द्रीय जांच ब्यूरों से मदद लेने के संबंध में की गयी सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि गेस्ट हाऊस घटना के संबंध में दायर आपराधिक मामलों की जांच राज्य सी.आई.डी. पहले ही कर रही थी। अन्य सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चीनी साहित्य

5021. डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1996 के "दैनिक जागरण" में "किब्री के निकट चीनी साहित्य से लदा गुब्बारा गिरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है;

(ख) क्या उक्त गुब्बारे से ट्रांसमीटर और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं भी मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस गुब्बारे में चार ड्राई बैटरियां, एक प्लास्टिक बोतल और एक कम्पासनुमा यंत्र के अलावा चीन देश के लिए ताईवान मूल की प्रचार सामग्री थी।

[अनुवाद]

अवैध हथियार

5022. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सन्तोष मोहन देव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या पाकिस्तान पूर्वोत्तर सीमा के जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हल्के हथियारों के अवैध निर्माण को खुलेआम बढ़ावा दे रहा है, तथा खुफिया संगठन इन आशयों की जांच कर रहे हैं;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर अवैध हथियारों के निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. द्वारा आदिवासी नेताओं को इन हथियारों की खेपों को भारत में भेजने के सम्बन्ध में विशेष आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या सितम्बर 1995 में 36 सैन्य अधिकारी लगभग 40 लाख के पाकिस्तानी हथियारों को दारा आदमखेल लाए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन हथियारों को यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन द्वारा लाया जाता है अथवा लाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस गैर-कानूनी प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ). सरकार को भारत में चोरी-छिपे जासूसी, विनाश तथा तोड़-फोड़ कराने के पाकिस्तान की आई.एस.आई. के इरादों की जानकारी है और यह आसूचना तंत्र को सुग्राही करके, आसूचना के आदान-प्रदान तथा संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करके, सामरिक महत्व के स्थानों पर अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती को मजबूत करके, तटीय एवं अंत: स्थलीय गश्त में वृद्धि करके तथा भारत-पाक सीमा की आसानी से घुसपैठ वाले भागों में सीमा पर बाड़ लगाकर तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करके, ऐसे मनसूबों पर काबू पाने तथा इन्हें विफल करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इस संबंध में और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

पैकिंग के लिए पटसन सामग्री

5023. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "पैकिंग कामोडिटीज एक्ट, 1987" में उर्वरकों को पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पटसन सामग्री की वैधता-अवधि 1 जुलाई, 1996 से तीम माह के लिए और बढ़ायी है;

(ख) यदि हां तो "पैकेज आर्डर" की समयावधि बढ़ाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त समयावधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग). जूट पैकेजिंग मैटेरियल्स अधिनियम 1987 (पैकिंग सामग्री में अनिवार्य प्रयोग) के अधीन गठित स्थाई सलाहकार समिति ने सामग्रियों के प्रकार और जूट बैगों में पैक की गई उनकी प्रतिशतता की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। इस बीच, चूंकि जूट बोरियों में 50% यूरिया भरने के लिए आरक्षण आदेश 30.6.96 को समाप्त हो रहा था, इसीलिए वस्त्र मंत्रालय ने 1.7.96 से 30.9.96 तक एक अंतरिम यथापूर्व स्थिति आदेश जारी किया है।

दिल्ली में उर्वरक इकाइयां

5024. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कार्यरत उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये इकाइयां अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) दिल्ली में कोई उर्वरक इकाई नहीं चल रही है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

5025. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति का ब्यौरा क्या है तथा किन प्रक्रिया/प्रावधानों के द्वारा उक्त विशेष समिति ने कोजेन्ट्रिक्स परियोजना जटिलताओं के ब्यौरों का अध्ययन किया;

(ख) उक्त परियोजना के बारे में उक्त समिति की क्या सिफारिशें/टिप्पणियां हैं; और

(ग) परियोजना द्वारा किन पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया जाना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख). 4 मई, 1994 को यथासंशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित ताप विद्युत परियोजना विशेषज्ञ समिति ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सूचना और बाद में दी गई सूचना के आधार पर निर्धारित कार्यविधि के अनुसार प्रस्ताव की जांच की थी। फ्लू गैस नि:सल्फ्यूरीकरण संयंत्र हेतु स्थान की उपलब्धता, प्रशीतन टावरों में समुद्रीजल का उपयोग, शुष्क फ्लाई एश संग्रह की संभावना आदि पर स्पष्टीकरण के अधीन समिति ने परियोजना की सिफारिश की थी।

(ग) परियोजना में क्रियान्वित किए जाने वाले कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा उपयों में सम्मिलित हैं:-फ्लू गैस नि:सल्फ्यूरीकरण संयंत्र की स्थापना, मुक्ति नदी से जल न लेना और उसमें कोई विसर्जन न करना, संयंत्र में समुद्री जल का उपयोग, हटाए गए लोगों का पुनर्वास और फ्लाई एश का उपयोग।

रेल कर्मचारियों की पुनर्बहाली

5026. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1981 में पूर्व रेल के बरखास्त किए गए रेलगाड़ी के साथ चलने वाले अनेक कर्मचारियों की पुनर्बहाली की जानी है;

(ख) क्या 1993 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसे अनेक कर्मचारियों को पुनर्बहाल किया गया था;

(ग) क्या ऐसे अनेक कर्मचारियों को अभी तक पुनर्बहाल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बरखास्त कर्मचारियों को कब तक पुनर्बहाल करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) ऐसे कुल 44 कर्मचारियों में से केवल 10 कर्मचारियों को बहाल करने के मामलों के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर एक कर्मचारी को बहाल किया गया था।

(ग) और (घ). 27 कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है।

उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त/मृत	- 14
(2) पुन: काम पर लगाए गए	- 2
(3) न्यायाधीन	- 9
(4) अपील खारिज हुई	- 1
(5) अपील लंबित है	- 1

(ङ) दस कर्मचारियों की बहाली लंबित मुकदमों के परिणाम तथा लंबित अपील पर दिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

5027. श्री राम टहल चौधरी:
श्री काशीराम राणा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. में हुए भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या उक्त कम्पनी का लायजन आफिसर प्राइवेट ड्रग्स कंपनी के लिए कार्य कर रहा था/अभी भी कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग). अभ्यारोपित भ्रष्टाचार के मामलों पर प्राप्त शिकायतों और अन्य जानकारी की सतर्कता प्रभाग या सी.बी.आई. द्वारा जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावश्यक कार्रवाई जहां भी आवश्यक है की जाती है। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई.डी.पी.एल.) से प्राप्त भ्रष्टाचार के प्रमुख मामलों, जहां आरोप पाए गए हैं के ब्यौरे सहित सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ). आई.डी.पी.एल. के प्रबन्धन ने सूचित किया है कि उन्हें अपने सम्पर्क अधिकारी के निजी औषध कम्पनियों के लिए कार्य करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

नाम	आरोप	कार्रवाई	अभ्युक्ति
दषिकेश संयंत्र			
श्री याद राम वरि. सिविल इंजीनियर	सी.बी.आई. द्वारा ट्रेप मामले में 400 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।	सीबीआई के न्यायालय में फौजदारी मामला दायर किया गया।	31.12.95 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त। देहरादून के न्यायालय में लम्बित।
विपणन			
श्री एस.एन.सिंह क्षेत्रीय प्रबन्धक, बंगलौर	सरकारी आदेश को निजी पार्टी को पथांतर।	आईडीपीएल की सेवाओं से बर्खास्त।	सीबीआई द्वारा मामलों की जांच की गई धी। भारी दंड के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी।
-वही-	झूठे माइलेज भत्ते, टी.ए. इत्यादि के दावे।	भारी दंड के लिए चार्जशीठ जारी।	आईडीपीएल की सेवाओं से उनकी बर्खास्तगी को ध्यान में रखते हुए यह चार्जशीच निरर्थक हो गयी।
-वही-	स्वास्थ्य एवं परिवार सेवा निदेशालय को औषधों की अनापूर्ति और उनके निवास पर बहुत बड़ी मात्रा में नमूनों का मिलना।	-वही-	-वही-
-वही-	असेस्ड अण्डरराइटर की गैर-कानूनी प्रतिस्थापन/विनिमय और निपटान स्टाक के विरुद्ध प्रमाणीकृत स्टाक।	पुलिस में एफआईआर पंजीकृत	-वही-
-वही-	आईडीपीएल के 20,36,895/-रुपए की राशि का आपराधिक षडयंत्र धोखाधड़ी और जालसाजी।	आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अधीन फौजदारी मामला सं. 8015/93 चौथे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की न्यायालय में चल रहा है।	-वही-

नाम	आरोप	कार्रवाइं	अभ्युक्ति
श्री वी.पी. सिंह वरि. लेखा कार्यकारी, आर एस ओ-दिल्ली	गैर-आनुपातिक के एक मामले की जांच सी.बी.आई, आई. द्वारा की गई।	सी.बी.आई. ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की।	वी.आर.एस. के अधीन सेवानिवृत्त। उनके द्वारा आईडीपीएल के विरुद्ध न्यायालय में दायर मामला वापस ले लिया गया था।
श्री ए.एन.रेड्डी, एम.आर. बंगलौर	अपने वरिष्ठों से गैर-कानूनी आदेशों का क्रियान्वयन करना।	भारी दंड के लिए चार्ज-शीट जारी की गई।	सी.बी.आई. द्वारा विभागीय कार्रवाई की सिफारिश।
श्री एम.रंगनाथ राव, जोनल मैनेजर हैदराबाद	सरकारी टेलिफोन का अनुचित प्रयोग।	अन्तिम कार्रवाई के लिए मामला लम्बित।	सेवानिवृत्त।
श्री वाई.आर.सूरी ड्रोफ्ट्समैन, गुड़गांव	रिकार्डों में हेर-फेर करना।	जिला न्यायालय, गुड़गांव में फौजदारी मामला दायर।	न्यायालय में लम्बित।
डा. आर.के. आनन्द इंचार्ज अस्पताल, ऋषिकेश	दवाइयों की खरीद में अनियमितताएं	भारी दंड	डा. इंचार्ज और स्टोर कीपर को निलम्बित कर दिया गया है। चार्ज शीट जारी।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी सहायता

5028. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा के कितने स्वैच्छिक संगठनों ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) इन संगठनों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख). एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले किसी भी संगठन को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पूर्व, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन पंजीकरण करवाना अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस समय, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए गोवा के दो संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आवेदन पत्रों को, इस मंत्रालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित है।

यात्रा संबंधी शिकायतें

5029. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों/अधिकारियों को मानार्थ पासों के आधार पर शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पासों पर शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकते हैं, ब्यौरा इस प्रकार है:

पद	शताब्दी एक्सप्रेस में प्रत्येक पास पर पात्रता
(1) बोर्ड के सदस्य	एक्जिक्यूटिव श्रेणी में 2 सीटें, या कुर्सीयान में 2 सीटें
(2) 7300/- रु. और अधिक वेतन पाने वाले	एक्जिक्यूटिव श्रेणी में एक सीट (एक्जक्यूटिव श्रेणी और राजधानी एक्सप्रेस के II वाता. श्रेणी के किराये के अंतर का एक तिहाई भुगतान करके) या कुर्सीयान में 2 सीटें।

पद	शताब्दी एक्सप्रेस में प्रत्येक पास पर पात्रता
(3) 4500/- रु. और अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी	कुर्सीयान में 2 सीटें।
(4) 4500/- रु. से कम वेतन पाने वाले अधिकारी	कुर्सीयान में 2 सीटें
(5) प्रथम श्रेणी के पासधारी	कुर्सीयान में 2 सीटें

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा वृक्षारोपण

5030. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:
श्री सोमजीभाई डामोर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा वृक्षारोपण के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में लगी हुई गैर-सरकारी पार्टियां भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिवर्तन किए बगैर वृक्षों की जीवन-अवधि पूरी होने पर काटने के लिए अधिकृत हैं;

(ग) क्या पर्यावरण को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निजी स्वामित्व के तहत अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की संकल्पना की गई है। नीति में नागरिकों को अपनी भूमि पर वृक्ष उगाने तथा चारे की पौध, घास और फलियां उगाने के लिए सुविधाएं देने और प्रेरित करने पर बल दिया गया है। नीति में यह निर्धारित किया गया है कि किनासों, खास तौर पर छोटे और सीमान्त किसानों, को उनके पास उपलब्ध सीमान्त/अवक्रमित भूमि पर उद्योगों के लिए अपेक्षित काष्ठ प्रजातियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में निजी जोतों में वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त विनियमन पर जोर दिया गया है। निजी पार्टियां अपनी भूमि पर बागानों से उन पेड़ों को काटने के हकदार हैं जो परिपक्व हो गए हों बशर्ते ऐसी कटाई किसी नियम अथवा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 35 के तहत संशोधन या राज्य वन अधिनियमों अथवा राज्य विशेष में लागू किसी संगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की सहायता अनुदान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित श्रेणियों की स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है:

- पंजीकृत गैर-लाभार्जनकारी संगठन
- पंजीकृत सोसायटियां, सहकारी समितियां, कम्पनियां अथवा न्यास; और
- मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय

बहुत ही विशेष मामलों में व्यक्तियों को एकबारगी अनावर्ती अनुदान दिया जा सकता है। अब तक इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसार्टियम

5031. श्री डी.पी. यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसार्टियम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 में स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसार्टियम (एस.एफ.ए.सी.) की स्थापना की गई थी तथा इसे स्वायत्त स्वतंत्र संस्था के रूप में 18 जनवरी, 1994 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत किया गया, इसे भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा आई.डी.बी.आई. द्वारा धन दिया जाता है। एस.एफ.ए.सी. को उत्प्रेरक/प्रवर्धनात्मक संगठन माना गया है इसका उद्देश्य उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन संपर्क स्थापित करना है, ताकि किसानों को उनके प्रयासों के लिए अधिकतम आर्थिक लाभ मिल सके। विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बारह जिलों को अभिज्ञात किया गया है। इन जिलों के लिए परियोजनाएं तैयार करने के लिए एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मद्रास के

तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ विस्तृत अध्ययन शुरू किए गए। केन्द्रीय स्माल फार्म्स एग्री कंसार्टियम उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेगा तथा परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण आदि में वित्तीय सहायता देगा। राज्यों में धन की व्यवस्था राज्य के क्रियान्वयक एजेंसियों द्वारा नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी।

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. के पिथौरागढ़ जिले को चुना गया है। उ.प्र. सरकार ने सचिव, उत्तराखंड विकास विभाग, लखनऊ को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शीर्षस्थ अधिकारी चुना है। परियोजना का क्रियान्वयन अभी किया जाना है।

[हिन्दी]

गंज बसोदा स्टेशन

5032. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेलवे के गंज बसोदा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का बर्थ आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रूपपाल महाराज): (क) रेलें नियमित रूप से मरम्मत तथा आवधिक रूप से रंग-रोगन करके अपने स्टेशनों का उचित रख-रखाव करती हैं जिसके लिए प्रत्येक वर्ष धन व्यय किया जाता है।

गंज बसोदा रेलवे स्टेशन का हाल ही में सौंदर्यीकरण किया गया है जिसे अप्रैल 1994 में पूरा किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान गंज बसोदा स्टेशन में किसी विशेष कार्य के लिए कोई धन आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). गंज बसौदा में विभिन्न गाड़ियों में मौजूदा आरक्षण कोटे का पूरा उपयोग नहीं होता। अतः इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

5033. प्रो. पी.जे. कुरियन:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विस्तार तथा देश में और अधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) देश में इस समय राज्य-वार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की घोषणा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। 1984 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन द्वारा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के मौजूदा नेटवर्क की पुनरीक्षा की गई थी और सिफारिश की गई थी कि देश की भूमि के क्षेत्रफल का कम से कम 4.6 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। इस समय 1.48 लाख वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 441 अभयारण्य और 80 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.5 प्रतिशत है। तथापि, उत्तर-पूर्व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों, गांगेय मैदानों और हिमालय पारीय क्षेत्रों जैसे कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या कम है। राज्य सरकारों को उक्त अध्ययन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

भारत के वन्यजीव अभयारण्य

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
1.	एरिओल	अंडमान	0.55
2.	बमबू	,,	0.05
3.	बरेन	,,	8.11
4.	बतीमालवे	,,	2.23
5.	बेले	,,	0.08
6.	बेनेते	,,	3.46
7.	बिंगघग	,,	0.08
8.	बलितर	,,	0.26
9.	बलफ		1.14
10.	बोनदोविले	,,	2.55
11.	ब्रुश	,,	0.23

	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
12.	बुचनन	अंडमान	0.33
13.	चेनल	,,	0.13
14.	सिनक्यू	,,	0.54
15.	साइदे	,,	0.54
16.	कोन	,,	0.65
17.	करल्यू	,,	0.03
18.	करल्यू (बीपी)	,,	0.16
19.	डिफैन्स	,,	10.49
20.	डॉट	,,	0.13
21.	डॉटरेल	,,	0.13
22.	दूनसन	,,	0.43
23.	ईस्ट	,,	6.11
24.	ईस्ट ऑफ इंजलिस	,,	3.55
25.	एज	,,	0.05
26.	एन्टरैन्स	,,	0.96
27.	एलट	,,	9.36
28.	गनदर	,,	0.05
29.	गूज	,,	0.01
30.	गुरजन	,,	0.16
31.	हम्प	,,	0.47
32.	इन्टरव्यू	,,	133.87
33.	जम्स	,,	2.10
34.	जुंगले	,,	0.52
35.	क्वंघटंग	,,	0.57
36.	क्याद	,,	8.00
37.	लैंड फाल	,,	29.48
38.	लाटोच	,,	0.96
39.	लोहाबैरक	,,	106.00
40.	मेंग्रोव	,,	0.39
41.	मास्क	,,	0.78
42.	मायो	,,	0.10
43.	मेगापोडे		0.12

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
44.	मंटीवमरी	अंडमान	0.21
45.	नरिकाडम	,,	6.81
46.	नार्थ	,,	0.49
47.	नार्थ ब्रदर	,,	0.75
48.	नार्थरीफ	,,	3.48
49.	ओलीवर	,,	0.16
50.	ओरचीद	,,	0.10
51.	ओस्तर	,,	0.21
52.	ओस्तर	,,	0.08
53.	ऑक्स	,,	0.13
54.	पैजेट	,,	7.36
55.	पार्किन्सन	,,	0.34
56.	पैसेज	,,	0.62
57.	पैट्रिक	,,	0.13
58.	पीकाक	,,	0.62
59.	पिटमैन	,,	1.37
60.	प्वाइंट	,,	3.07
61.	पोटनमा	,,	0.16
62.	रेंजर	,,	4.26
63.	रीफ	,,	1.74
64.	रोपर	,,	1.46
65.	रोज़	,,	0.01
66.	रोवे	,,	0.01
67.	सैंडी	,,	1.58
68.	सी सरपैन्ट	,,	0.78
69.	शार्क	,,	0.60
70.	शेरम	,,	7.85
71.	सर हग रोज़	,,	1.06
72.	सिस्टर	,,	0.36
73.	स्नेक	,,	0.03
74.	स्नेक	,,	0.73
75.	साउथ रीफ	,,	1.17

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
76.	साउथ सैन्टिनल	अंडमान	1.61
77.	साउथ ब्रदर	,,	1.24
78.	स्पाइक	,,	11.70
79.	स्पाइक	,,	0.42
80.	स्टोट	,,	0.44
81.	सूरत	,,	0.31
82.	स्वाम्प	,,	4.09
83.	टैबल (डेग्रेनो)	,,	2.29
84.	टेबल (एक्सलेसियर)	,,	1.69
85.	टेबलाबैचा	,,	3.21
86.	टैम्पल	,,	1.04
87.	टिनचॉग	,,	16.83
88.	ट्री	,,	0.03
89.	ट्रिलबाय	,,	0.96
90.	टर्फ	,,	0.29
91.	टरटल	,,	0.39
92.	वैस्ट	,,	6.40
93.	वारफ	,,	0.11
94.	वइट क्लिफ	,,	0.47
			437.16
आंध्र प्रदेश			
1.	कोरिंगगा	पूर्वी गोदावरी	235.70
2.	ईतुरनागजम	वारंगल	803.00
3.	कौनडिंगया	चित्तूर	357.60
4.	कवल	अदिलाबाद	893.00
5.	किनेरसनी	खामंमाम	655.41
6.	कृष्णा	कृष्णा/गुनटूर	194.81
7.	कूलेरू	पश्चिमी गोदावरी	673.00
8.	लंजामदुगु (सिवराम)	अदिलाबाद (करीमनगर)	36.29
9.	मंजीरा	मेडक	20.00
10.	नागरजंगसागर (बाघ रिजर्व)	गुन्टूर, प्रकाशम, कुरनूल, मेहबूबनगर नलगोन्डा	3568.00
11.	नीलापटू	नेलोर	4.40
12.	पाखल	वारंगल	860.00
13.	पाडीकोन्डा	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, खाम्मम	591.00
14.	पोचारम	मेडक/निज़ामाबाद	130.00
15.	प्रनहिता	अदिलाबाद	136.02
16.	पुलिकट	नेलूर	500.00
17.	रोलापादु	करनूल	614.00
18.	श्री वेंकटेश्वर	चितुर, कुड्डप्पा	153.94
19.	श्री लंकामेश्वर	कुडप्पा	464.42
20.	गुंडला ब्रह्मेंश्वर	करनूल/प्रकाशम	1194.00
			12084.594
अरूणाचल प्रदेश			
1.	ईगल नेस्ट	पूर्वी कामांग	217.00
2.	ईटानगर	पापुम पारे	140.30
3.	कामलंग	लोहिंत	783.00
4.	लाली (डी रिंग)	ईस्ट सेंग	190.00
5.	मेहो	दिमंग घाटी लोहिट	281.50
6.	पाखुई	ईस्ट-कामंग	861.95
7.	सीसा आरचिंद	पश्चिम कामंग	100.00
8.	दिमंग	डिमंग घाटी	4149.00
9.	केने	पश्चिम सेंग	55.00
			6777.75
असम			
1.	बरनादी	कामरूप	26.00
2.	डिबरू सैखोवा	कामरूप	640.00
3.	दिपर बील	कामरूप	4.14
4.	गर्मपानी	सिबसागर	6.00

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
5.	लखोवा	नॉनगांव	70.00
6.	मानस (बाघरिज़र्व)	कामरूप/गोलापरा	391.00
7.	नेमेरी	सोनीतपुर	130.00
8..	ओरंग	दारंग	75.40
9.	पबीतोर	नॉनगांव	38.04
			1581.58
बिहार			
1.	भिमबांध	मांगघोर	681.99
2.	बेतला	पालामू	747.60
3.	दलमा	रांच	113.22
4.	गौतम बुद्ध	गया	259.50
5.	हजारीबाग	हजारीबाग	186.25
6.	कैमुर	रहोतास	1142.00
7.	कोडेरमा	हजारीबाग और गया	177.95
8.	काबर लेक	बेगसराय	63.11
9.	लॉलांग	हजारीबाग	207.00
10.	मडुडानडनर	पालमू	63.25
11.	नागी डैम	मोंगघोर	1.91
12.	नक्ती डैम	मोंघोर	3.32
13.	परसनाथ	हजारीबाग	49.33
14.	राजगिर	नालंदा	35.84
15.	टापचची	धनबाद	8.75
16.	उदयपुर	चम्पारन	8.74
17.	वाल्मीकि (टी आर)	चम्पारन	544.54
18.	विक्रमशिला गंगेटिक डलफिन	भागलपुर	50.00
19.	पंत एरयना	नालंदा	
			4624.30
चंडीगढ़			
1.	सुखना लेक	चंडीगढ़	25.42
			25.42

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
दमन एवं दीव			
1.	फुदम	दीव	2.18
			2.18
दिल्ली			
1.	इंदिरा प्रियदर्शनी (असोल)	दिल्ली	13.20
			13.20
गोवा			
1.	भागवन महावीर	गोआ	240.00
2.	बोन्डला	गोआ	8.00
3.	कोटीगांव	गोआ	85.65
4.	चोरो (डा. सलीम अली)	गोआ	1.78
			335.43
गुजरात			
1.	बलराम अम्बाजी	बानसकंठा	542.081
2.	बरदा	जूनागढ़ जामनगर	192.31
3.	धुमखाल (शूलपनेश्वर)	राजपिपला, भरौच	607.70
4.	गया (जी आई बी)	जामनगर	3.33
5.	गिर	जूनागढ़	1153.42
6.	हिंगोलगढ़	राजकोट	6.54
7.	जमबुघुदा	पंचमहल	130.38
8.	जेसोर	बंसलकंठ	180.66
9.	कच्छ डेजर्ट	कच्छ	7506.22
10.	खिजदिया	जामनगर	6.05
11.	मेरीन	जामनगर	295.03
12.	नलसरोवर	अहमदाबाद एवं सुरेन्द्रनगर	120.82
13.	नारायण सरोवर	कच्छ	765.79*
14.	पनिया	अमरेली	39.63
15.	मोरबंदर	जूनागढ़	0.09

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
16.	रामपुर	राजकोट	15.01
17.	रतनमहल	पंच महल	55.65
18.	थोल	महसना	6.99
19.	वाल्ड एस	सुरेन्द्रनगर, बनसकंठ, राजकोट/महसना	4953.70
20.	पूर्णा	डेंग्स	60.84
21.	कुट्च, बस्टर्ड	कुट्च	2.03
			16744.27
हरियाणा			
1.	भिंडवास	रोहतक	4.06
2.	छिलछिला	कुरुक्षेत्र	0.28
3.	नाहर	रोहतक	2.09
4.	बिर शिकारगढ़	अम्बाला	7.58
5.	चौटाला	सिरसा	113.96
6.	सरस्वती	कुरुक्षेत्र	49.98
7.	बिर बरबन	जिंद	4.14
8.	कलेसर		46.28
9.	खंपरवास		0.81
			229.18
हिमाचल प्रदेश			
1.	बंदली	मंडी	41.32
2.	चैल	सोलन	108.54
3.	चुरधर	सिरमौर	56.15
4.	दरंगघाटी I एवं II	शिमला	167.40
5.	गमगुल सिया-बही	चम्बा	108.85
6.	गोबिंदसागर	बिलासपुर	100.34
7.	कालतप एवं खाजर	चम्बा	69.26
8.	कंवर	कुल्लु	60.70
9.	खोखान	कुल्लु	14.05
10.	कैस	कुल्लु	14.19
11.	कुगटी	चम्बा	378.86
12.	लिपा असरंग	किनौर	30.89

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
13.	मजथाल हसरंग	सोलन	39.38
14.	मनाली	कुल्लु	31.80
15.	नरगु	मंडी	278.37
16.	नैनादेवी	बिलासपुर	122.68
17.	पोंग डैम लेक	कांगड़ा	307.29
18.	रक्षम चितकुल (संगला)	किनौर	650.00
19.	रेनुका	सिरमौर	4.02
20.	रूपी भाबा	किनौर	269.14
21.	साचु तुन नला	चम्बा	102.95
22.	शिखरी देवी	मंडी	72.00
23.	शिली	सोलन	2.13
24.	शिमला वाटर कैचमैंट एरिया	शिमला	10.25
25.	सिम्बालबरा	सिरमौर	19.03
26.	तालरा	शिमला	40.49
27.	तिरथन	कुल्लु	61.12
28.	टुगंडह	चम्बा	64.22
29.	किबेर	लाहौल-स्पीटी	1400.50
30.	धौलाधर सैनचुरी	कांगड़ा	944.00
31.	दरलघाट	दरलघाट	6.00
32.	सेंगला	किनौर	650.00
33.	रैन्ज	कुल्लु	90.00
			6315.00
जम्मू और कश्मीर			
1.	बलताल	श्रीनगर	
2.	चंगथांग	लेह	203.00
3.	गुलमार्ग	बारामूला	4000.00
4.	हिरापूरा	श्रीनगर	186.00
5.	होकेरसर	श्रीनगर	110.00
6.	जसरोत	जम्मू	10.00
7.	कराकोरम	करगिल	4.00

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
8.	लचिपोरा	बारमूला	5000.00
9.	लिमबेर	बारमूला	80.00
10.	नन्दानी	जम्मू	26.00
11.	आवेरा	श्रीनगर	33.34
12.	ओवरा-अरू	श्रीनगर	32.00
13.	रामनगर रखा	जम्मू	425.00
14.	सुरीनसार मंसार	जम्मू	12.20
15.	थरकुटा	जम्मू	39.12
16.	थरजवास		3.00
			10163.67
कर्नाटक			
1.	अदिचुननुनागिरि	मंडी	0.84
2.	अराबिथिटु	मैसूर	13.50
3.	भद्रा	शिमांग और चिकमगलूर	492.46
4.	बिलीगिरि रंगा स्वामी टैम्पल	मैसूर	539.52
5.	ब्रह्मगिरी	मदिकेरी	181.29
6.	कावेरी	मैसूर, मध्य बंगलौर	510.51
7.	दंदेली	उत्तर कनाडा	834.16
8.	घाटप्रभा	बेलगांम	29.78
9.	गुदवी	शिमोगा	0.73
10.	मेलकोट टैम्पल	दक्षिण कनाडा	49.82
11.	मूकम्बिका	मंद्या	247.00
12.	नुगु	मैसूर	30.32
13.	पुष्पागिरी	कोडगू	102.92
14.	रंगानथित्तू	मैसूर	0.67
15.	रनबेन्नूर	धारवाड	119.00
16.	शेत्तीहाल्ली	शिमौंग	395.60
17.	शैरेवथी घाटी	शिमोंग	431.23
18.	सोमेशवारा	डाकसिन्हा कन्नाडा	88.40
19.	तलकावेरी	कोडागू	105.59
20.	दोराजी बीयर सेंच्यूरी	बेल्लेरी	55.873
			4229.213
केरल			
1.	अरालम	कन्नानोर	55.00
2.	चिम्मोनी	त्रिचोर	100.00
3.	चिन्नार	इदूक्की	90.44
4.	इदूक्की	इदूक्की	77.00
5.	नैय्यार	त्रिवेन्द्रम	128.00
6.	प्रम्भीकुलम	पालघाट	235.00
7.	पिच्ची वजानी	त्रिचौर	125.00
8.	पिप्पेरा	त्रिवेन्द्रम	53.00
9.	पेरियार (टीआर)	इदूक्की	427.00
10.	शेन्दूरूनी	त्रिवेन्द्रम	100.32
11.	थाटटैकड	इदूक्की	25.16
12.	वेयोनाड	कालीकट और वेयानाड	344.44
			1810.36
महाराष्ट्र			
1.	अंधेरी	चन्द्रपुर	509.27
2.	अनेर धाम	धूले	82.94
3.	भीमशंकर	पुणे/थाने	130.78
4.	बोर	वर्धा	61.10
5.	चान्दोली	सागली सतारा रत्नागिरी/कोल्हापुर	308.97
6.	छपराला	गडचीरोली	134.78
7.	गौतला ओटर्मघाट	औरंगाबाद/जलगांव	260.61
8.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (ननाज)	शोलापुर/अहमदनगर	8496.44
9.	जयाकवादी	औरंगाबाद	341.05
10.	कालसुबई हरीश चन्द्रगढ़	अहमद नगर	361.81
11.	करनाला	रायगढ़	4.48
12.	कतपूना	अकोला	52.79

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
13.	कोयना	सतारा	423.55
14.	मालवन (मैरिन)	सिन्धुदुर्ग	29.12
15.	मेलघाट (टीआर)	अमरावती	1597.23
16.	नागजीरा	भंडारा	152.81
17.	ननदूर मडमेश्वर	नाशिक	100.12
18.	पेनगंगा	यावतमल/ननदाद	324.62
19.	फंसाद	रायगढ़	69.79
20.	राधानगरी	कोहापुर	371.88
21.	धौलगांव रेहकारी	अहमदनगर	2.17
22.	सागरशेवर	सांगली	10.87
23.	तांसा	थाने	304.81
24.	यावल	जलगांव	177.52
			14309.51

मध्य प्रदेश

1.	अचनाकमर	बिलासपुर	551.55
2.	बदालखोल	रायगढ़	104.55
3.	बगदारा	सिधी	478.90
4.	बारनावापारा	रायपुर	244.66
5.	भाइरामगढ़	बस्तर	139.00
6.	बोरी	होंशगाबाद	518.00
7.	गांधी नगर	मन्दसौर	368.62
8.	घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	ग्वालियर	512.00
9.	गोमरदा	रायगढ़	277.82
10.	करेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	शिवपुरी	202.21
11.	केन घेरयाल	पन्ना चित्रपुर	45.00
12.	खिओनी	दिवास	132.70
13.	नरसिंगढ़	रायगढ़	59.19
14.	नेशनल चेम्बल	मौंरेना	320.00
15.	नैराधीही	सागर दामोह नरसिंहपुर	1034.52
16.	पचमारही	हौशंगाबाद	461.85

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
17.	पामेद	बस्तर	262.00
18.	पानपथा	शहडोल	245.84
19.	पालपुर (कूनो)	मैरीना	345.00
20.	पेचं	शिओनी/छिंदवाड़ा	449.39
21.	फेना	मांडला	110.74
22.	रातापानी	रायसेन	686.79
23.	रालामंडल	इंदौर	234.55
24.	साईलाना	रतलाम	12.96
25.	संजय (दुबरी)	सिधी	364.59
26.	सरदारपुर	धार	348.12
27.	शिमोरसोट	शरगुजा	430.36
28.	सिंगोरी	रायसेन	287.91
29.	सितनाधी	रायपुर	553.36
30.	सन गारियल	सिंधी, सतना, शहडोल	209.00
31.	तमोर पिंगला	शरगुजा	608.52
32.	उदनाती जंगली भैंस		247.59
			10847.29

मणिपुर

1.	यगोपाकपी लोकचाऊ	चांदी	184.85
			184.85

मेघालय

1.	बाघमारा (पिच्चर प्लांट)	पश्चिम गारो पहाड़ियां	0.027
2.	नाघकेल्लम	पूर्वी खासी पहाड़ियां	29.00
3.	सिज्जु	पश्चिम गारो पहाड़ियां	5.18
			34.207

मिजोरम

1.	धमपा (टीआर)	आइजवाल	500.00
2.	नगेनगपुई	नगेनगपुई	170.00
3.	खवांगलंग	थेनजवाल	50.00
			720.00

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
नागालैंड			
1.	फाकीम	तूनसंग	6.41
2.	पुलीबादजी	कोहिमा	23.24
3.	रंगापहार	कोहिमा	4.70
			34.35
उड़ीसा			
1.	बालूखंड-कोनार्क	पुरी	71.72
2.	भित्तरकनिका	चांदबाली	170.00
3.	चंदका-दामपारा	पुरी	175.79
4.	चिल्का	पुरी एवं गंजाम	15.53
5.	डिबरूगढ़	सम्बलपुर	346.91
6.	हदगढ़	केनजार मयूरभंज	191.60
7.	खलासुनी	सम्बलपुर	116.00
8.	कोटगढ़	फूलबनी	399.50
9.	कुलदिहा	बालासौर मयूरभंज	272.75
10.	लखारी घाटी	गंजाम	185.87
11.	महानदी बेसिपाल्ली	पुरी	168.35
12.	नंदनकानन	पुरी	14.26
13.	सतकोसिया जार्ज	धेनकनालपुरी कटक, मयूरभंज	795.52
14.	सिमलीपाल	मयूरभंज	2200.00
15.	सनभेडा	कालाहांडी	600.00
16.	ऊषाकोथी (बदरमा)	सम्भलपुर	304.03
17.	करलापट	कालाहांडी	147.66
			6175.49
पंजाब			
1.	अबोहर	फिरोजपुर	186.00
2.	बीर बूनेरहेरी	पटियाला	6.50
3.	बीर गुरूदयालपुरा	पटियाला	6.10
4.	बीर मोतीबाग	पटियाला	6.40
5.	हरिक लेक	फिरोजपुर	86.00
6.	ताखानी रेहमपुर	होशियारपुर	3.82
			294.82

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
राजस्थान			
1.	बंधा बरेदहा	भरतपुर	192.76
2.	बासी	चित्तौड़गढ़	152.90
3.	भानसरोडगढ़	चित्तौड़गढ़	229.14
4.	दारा	कोटा	265.80
5.	जायसमांद	राजस्थान	52.00
6.	जमवा रामगढ़	जयपुर	300.00
7.	जवाहर सागर	कोटा	100.00
8.	कलादेवी	स्वाईमाधोपुर	076.38
9.	कुम्भालगढ़	उदयपुर	578.25
10.	माउंट आब्बू	शिरोही	288.84
11.	नाहरगढ़	जयपुर	50.00
12.	नेशनल कैंबल	कोटा	280.00
13.	फूलवारी की नाल	उदयपुर और पाली	511.41
14.	रामगढ़ विश्वधारी	बूंदी	307.00
15.	सरीसका (टीआर)	अलवर	492.00
16.	साजनगढ़	उदयपुर	5.19
17.	शेरगढ़	कोटा	98.71
18.	सीता माता	चित्तोड़गढ़	422.94
19.	स्वाई मानसिंह	स्वाई माधोपुर	127.60
20.	तूल छप्पर	चुरू	7.90
21.	तोड़गढ़ रावली	अजमेर	495.27
22.	वन विहार	धौलपुर	59.93
			5694.02
सिक्किम			
1.	फमबुंग एलएचओ	ईस्ट सिक्किम	51.76
2.	कयोनगनासला एलपाइन	रोंगनीक चौंड	31.00
3.	मीनम	साउथ सिक्किम	35.34
4.	सिंगबा (रहोदोदनदरोन)	यमथांग	43.00
			161.10

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
तमिलनाडु			
1.	अनामलाई (इंदिरा गांधी)	कोयम्बत्तूर	841.49
2.	कालाकाड (बाघ रिजर्व)	त्रिनेलवेली	223.58
3.	मुधुमलाई	नीलगिरीस	217.76
4.	मुंडनथराई (बाघ रिजर्व)	त्रिनलवेनी	567.38
5.	पाइंट कलीमेर	थानजावूर	17.26
6.	पूलीकट	छंगालपात्तू	153.67
7.	वेदानथांगल	छेंगालपात्तू	0.30
8.	वेत्तांगूडीपात्ती/ चितरनगुडी/ कानजीरगकुलम	रामानाथापुरम	1.90
9.	करीकीली	चेंगाई अन्ना	0.61
10	श्री विल्लापूथुर गरीज्जलड स्क्यूरील	कमराजार	485.20
11.	उद्दयमरथानदापुरम	थानजावूर	0.45
12.	वालांडू	छिदामबारनार	16.41
13.	वादूवूर	क्यूड-इ-मिलाथ	1.28
			2527.29
त्रिपुरा			
1.	गुमती	दक्षिण त्रिपुरा	389.54
2.	त्रिशना	दक्षिण त्रिपुरा	194.70
3.	सेपाहीजाला	पश्चिम त्रिपुरा	18.53
4.	राव	उत्तर त्रिपुरा	0.85
			603.62
उत्तर प्रदेश			
1.	एस्कोट	पिथ्थोरगढ़	600.00
2.	बखीरा	बस्ती	28.94
3.	बिनसार	अलमोड़ा	45.59
4.	चन्द्र प्रभा	वाराणसी	78.00
5.	सोहागीबारवा	महाराजगंज	428.21
6.	गोविन्द पापु विहार	उत्तरकाशी	953.12
7.	हस्तिनापुर	मेरठ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर गाजियाबाद	2073.00
8.	कैमूर	मिर्जापुर	500.75
9.	केतरनयाघाट	बहराइच	400.00
10.	केदारनाथ	चमोली	957.00
11.	किशनपुर	लखीमपुर खिरी	227.12
12.	लाख बाहोसी	फरूखाबाद	80.23
13.	महावीर स्वामी	ललितपुर	5.00
14.	नेशनल कैम्बल	आगरा/ईटावा	635.00
15.	नवाबगंज	उन्नाव	2.24
16.	रानीपुर	बांदा	230.00
17.	शमसपुर	रायबरेली	7.99
18.	शोहेलवा	गोरखपुर	452.57
19.	सोनानादी	पौड़ी गढ़वाल	301.76
20.	तुरतली	वाराणसी	7.00
21.	सांधी	हरदोई	3.00
22.	ओखला	गाजियाबाद	4.00
23.	सामन	मणिपुर	5.00
24.	परवतीअरगा	गोंडा	11.00
25.	विजय सागर	हामीपुर	3.00
26.	पतना	एटा	1.00
27.	सरसरोवर	आगरा	4.00
28.	सुराहाताल	बलिया	34.00
			8078.52
पश्चिम बंगाल			
1.	बल्लावपुर	बिरभम	2.00
2.	बेथुदाहारी	नादिया	1.21
3.	बुक्सा (बाघ रिजर्व)	जलपाईगुडी	251.89
4.	छपरामारी	जलपाईगुडी	9.60
5.	गोरूमारा	जलपाईगुडी	8.73

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
6.	हालीडे	24-परगनास	5.95
7.	जलदापारा	जलपाइगुडी	216.51
8.	जोरी पोखरी	दार्जिलिंग	0.04
9.	लोथियन द्वीपसमूह	24-परगनास	38.00
10.	महानन्दा	दार्जिलिंग	127.22
11.	नरेन्द्रपुर	24-परगनास	0.10
12.	(परमादन) विभूति भूषण	नादिया 24-परगनास	0.60
13.	रायगंज	पश्चिम दिनापुर	1.30
14.	रामनाबागन	बर्द्धवान	0.14
15.	साजनाखाली	24-परगनास	362.40
16.	सेनचाल	दार्जिलिंग	38.60
			1064.29
		कुल योग	114164.484
			कि.मी.
		कुल सं.	441

भारत के राष्ट्रीय उद्यान

क्र.सं.	नाम	जिले	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
1.	मैरीन	अंडमानस	281.50
2.	मिडल बटन	-वही-	0.64
3.	माउंट हरिट	-वही-	0.46
4.	नार्थ बटन	-वही-	0.44
5.	शडल पीक	-वही-	32.54
6.	साउथ बटन	-वही-	0.03
			315.61
आन्ध्र प्रदेश			
1.	श्री वेंकटेश्वर	चित्तोड़ व कुडप्पा	352.62
			352.62
अरुणाचल प्रदेश			
1.	मौलिंग	पूर्वी शियांग	483.00
2.	नामदफा (बाघ रिजर्व)	तिराप	1985.23
			2468.23

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
असम			
1.	काजीरंगा	जोरहाट	430.00
2.	× मानस (बाघ रिजर्व)	कामरूप-गोलपाड़ा	500.00
			930.00
बिहार			
1.	× बेतला (बाघ रिजर्व)	पलामू	231.67
2.	× बालमिकी (बाघ रिजर्व)	पश्चिमी चंपारन	335.65
			567.32
गोवा			
1.	भगवान महावीर	गोवा	107.00
			107.00
गुजरात			
1.	गिर	जुनागढ़	258.71
2.	मेरीन	जामनगर	162.89
3.	वंसदा	वलसाड	23.99
4.	वेलावदर	भावनगर	34.08
			479.67
हरियाणा			
1.	सुल्तानपुर	गुड़गांव	1.43
			1.43
हिमाचल प्रदेश			
1.	गेट हिमालयन	कुल्लु	765.00
2.	पिन भैली	लाहौल-स्पीटी	675.00
			1430.00
जम्मू व कश्मीर			
1.	सिटी फोरेस्ट	श्री नगर	9.07
2.	दछिगम	श्री नगर	141.00
3.	हेमिस हाई एल्टीच्यूड	लेह	3350.00
4.	किश्तवर	किश्तवर	310.00
			3810.07

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
कर्नाटक			
1.	अंशी	उत्तराखंड	250.00
2.	बांदीपुर (बाघ रिज़र्व)	मैसूर	874.20
3.	बन्नेरघाट्टा	बंगलौर	104.27
4.	कुद्रमुख	साउथ कनाडा व चिकमगलौर	600.32
5.	नगरहोल	मैसूर कोडागु	643.39
			2472.18
केरल			
1.	इर्नाकुलम	इदुक्की	97.00
2.	पेरियार (बाघ रिज़र्व)	इदुक्की	350.00
3.	सिलेंट वैली	पालघाट	89.52
			536.52
मध्य प्रदेश			
1.	× बांधवगढ़ (बाघ रिज़र्व)	शहडोल	105.40
2.	फासिंल	मंडला	0.27
3.	× इन्द्रावती (बाघ रिज़र्व)	बस्तर	1258.00
4.	कांगेर वेली	बस्तर	200.00
5.	× कान्हा (बाघ रिज़र्व)	मंडला बालाघाट	940.00
6.	माधव	शिवपुरी	337.00
7.	पन्ना (बाघ रिज़र्व)	पन्ना, छत्तरपुर	543.00
8.	पेंच	सियोनी	293.00
9.	संजय	सीधी सरगुजा	1938.00
10.	सतपुड़ा	होंशगाबाद	524.00
11.	वन विहार	भोपाल	4.45
			6143.12

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
महाराष्ट्र			
1.	गुगामल (बाघ रिज़र्व)	अमरावती	361.80
2.	नवगांव	भंडारा	133.88
3.	पेंच	नागपुर	257.26
4.	संजय गांधी	बोम्बे, थाणे	86.96
5.	× तदोबा (बाघ रिज़र्व)	चन्द्रपुर	116.55
			956.45
मणिपुर			
1.	काबुल लामजाओ	इम्फाल विश्नपुर	40.00
2.	शिरोही	पूर्वी जिला	41.80
			81.80
मेघालय			
1.	बालफक्रम	पश्चिमी गारो पहाड़ियां	339.22
2.	नोक्रेक	–वही–	47.48
			386.70
मिजोरम			
1.	बल्यू माउंटेन		50.00
2.	मुरलेन		200.00
			250.00
नागालैंड			
1.	इंटांकी	कोहिमा	202.02
			202.02
उड़ीसा			
1.	×उत्तरी सिमलीपाल (बाघ रिज़र्व)	मयूरभंज	845.70
2.	भित्तरकणिका	कटक	367.00
			1212.70
राजस्थान			
1.	केवलदेव घाना	भरतपुर	28.73
2.	× रणथम्भोर (बाघ रिज़र्व)	स्वाईमाधोपुर	392.00
3.	× सरिस्का (बाघ रिज़र्व)	अलवर	273.80
4.	मरू राष्ट्रीय उद्यान	जैसलमेर	3162.00
			3856.53

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
सिक्किम			
1.	कंचनजंगा	उत्तरी सिक्किम	850.00
			850.00
तमिलनाडु			
1.	गुइंडी	मद्रास	2.82
2.	इंदिरा गांधी	कोयम्बत्तूर	117.11
3.	म्राइन	मन्नार की खाड़ी	6.23
4.	मुदुमलाई	नीलगिरी	103.24
5.	मुकुरथी	नीलगिरी	78.46
			307.86
उत्तर प्रदेश			
1.	× कार्बेट (बाघ रिजर्व)	गढ़वाल नैनीताल	520.82
2.	× दुधवा (बाघ रिजर्व)	लखीमपुर खीरी	488.29
3.	गंगोत्री	उत्तरकाशी	2390.00
4.	नंदादेवी	चमोली	630.33
5.	फूलों की घाटी	चमोली	87.50
6.	राजाजी	देहरादून-हरिद्वार	820.03
7.	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी	472.08
			5409.05
पश्चिम बंगाल			
1.	नेवरा घाटी	दार्जिलिंग	88.00
2.	सिंगालिला	दार्जिलिंग	78.00
3.	*सुन्दरवन (बाघ रिज़र्व)	24 परगना	1330.10
4.	*बैक्सा (बाघ रिज़र्व)	जलपाईगुडी	117.10
5.	गुरूमारा	जलपाईगुड़ी	79.45
			1692.65
		कुल क्षेत्रफल	34684.53 वर्ग कि.मी.
		कुल संख्या	80

* यह उन बाघ रिज़र्वों को दर्शाता है जिनमें अन्य वन क्षेत्रों के अलावा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य शामिल है।

[अनुवाद]

आरक्षण काउंटर

5034. श्री येल्लैया नंदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिकंदराबाद शहर के बाहरी नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने यात्रा टिकटों, आरक्षण इत्यादि प्राप्त करने हेतु कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक आना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिकंदराबाद नगरपालिका के बाहरी क्षेत्रों, जो मुख्य रेलवे स्टेशन से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है में अतिरिक्त आरक्षण काउंटर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ). सिकंदराबाद में मुख्य कार्यालय के अलावा, इस शहर के आस-पास, बोईगुड़ा, दारूलशफा, आंध्र प्रदेश विधान सभा, डा. ए.एस. रावनगर, अमीरपेट, कुक्कटपल्ली, सरूरनगर, हैदराबाद कचेंगुड़ा तथा रेल निलायम में दस सेटेलाइट आरक्षण कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये सेटेलाइट स्थान सिकंदराबाद तथा हैदराबाद के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले इच्छुक यात्रियों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहे हैं। अतिरिक्त आरक्षण कार्यालय जरूरत के आधार पर समय-समय पर खोले जाते हैं।

सासंदों के विरुद्ध शिकायतें

5035. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों और विधान मंडल सदस्यों द्वारा रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान बिना वैध टिकट के अनधिकृत व्यक्तियों को ले जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) इस संबंध में टिकट चैकिंग स्टाफ को क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों द्वारा यात्रियों और रेलवे स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार और वैध टिकट और आरक्षण के साथ यात्रा कर रहे लोगों के प्रति उनके साथ चल रहे व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वैध टिकट धारकों को इस प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) रेल कर्मचारियों द्वारा की गई जांचों के दौरान या तो ससंद सदस्यों के साथ बिना वैध टिकट के या संसद सदस्यों/विधायकों के नाम पर किए गए आरक्षणों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के मामले समय-समय पर पकड़े गये हैं।

(ख) टिकट जांच कर्मचारियों के पास स्थायी अनुदेश हैं कि ऐसे व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति माना जाए और उनसे मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना वसूल किया जाए।

(ग) ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा बल

5036. श्री मोहन रावले:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा बल जिसमें सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी है को सुदृढ़ बनाने और यात्रियों एवं उनके सामानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग). रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) को सुदृढ़ बनाने का मामला विचाराधीन है। रे.सु.वि.ब. की चार अतिरिक्त बटलियनों की सृजन जांच की जा रही है। इससे बिना टिकट यात्रा, अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने तथा अतिरिक्त परिसम्पत्तियों तथा नये शेडों, भंडार डिपुओं, माल गाड़ियों, यात्री/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के रक्षण तथा संसदीय/विधान सभा चुनावों और राष्ट्रीय संकट जैसे अवसरों पर नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने में रेल सुरक्षा बल को सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस बल के संचलन में वृद्धि करने, आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने, प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने, आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण करने और संचार नेटवर्क में सुधार करने का भी प्रस्ताव है। नौवीं योजना दस्तावेजों में इन आवश्यकताओं की कल्पना की गई है। बहरहाल रेल सुरक्षा बल को यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा का भार यह ध्यान में रखते हुए सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है कि "पुलिस" राज्य का विषय है और इसलिए रेलवे स्टेशनों और चलती गाड़ियों सहित रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को है जिन्हें वे अपनी राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) के माध्यम से निर्वहन करती हैं। रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की ड्यूटियां बिल्कुल भिन्न हैं और उनमें अन्तर्बदल नहीं किया जाता है। अत: जब तक मौजूदा संवैधानिक प्रावधान प्रचलन में है। स.रे.पु. को समाप्त करना और उनके कार्य तथा जिम्मेवारियां रेल सुरक्षा बल को सौंपना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में कानून और व्यवस्था

5037. श्री राम कृपाल यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार में कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु सुरक्षा कर्मियों की बीस कम्पनियां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) बिहार सरकार को उक्त कम्पनियां उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ). विभिन्न शिरोहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बरसात के मौसम से पहले एक विशेष अभियान चलाने हेतु 2 माह के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 20 कम्पनियां भेजने हेतु बिहार सरकार से जून, 1996 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के उपलब्ध न होने के कारण तथा अन्यत्र (जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर सहित) के लिए अत्यावश्यक मागों के कारण, इस मांग को पूरा करना संभव न हो सका था। इस मंत्रालय में राज्य सरकार से आगे और कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां

5038. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:
श्री एन.जे. राठवा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अब तक कितने मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों की स्थापना की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन एजेन्सियों को प्रतिवर्ष कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार ने इन मत्स्य पालक एजेन्सियों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य में मछली पकड़ने में आई कमी के कारण हजारों मछुआरों के परिवारों को अपनी जीविकोपार्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) गुजरात में अब तक सत्रह मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) गुजरात में मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों को विगत तीन वर्ष के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:

1993-94	1994-95	1995-96
17.00 लाख रु.	17.00 लाख रु.	शून्य

(ग) और (घ). जी, हां। गुजरात में मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा से यह मालूम होता है कि सभी 17 मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा अब तक 30,401 हैक्टे० जल-क्षेत्र मत्स्य पालन के तहत लाया गया है और 11,846 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया है। गुजरात में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की संख्या 12,794 है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

नकद फसलें

5039. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नकद फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत 1996-97 के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जाएगी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग). फिलहाल अलग से इस प्रकार की कोई योजना तैयार करने का विचार नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न राज्यों में नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:

(1) गहन कपास विकास कार्यक्रम

(2) विशेष जूट विकास कार्यक्रम

(3) गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास, तथा

(4) तिलहन विकास कार्यक्रम

इन योजनाओं का वित्त पोषण, विशेष जूट विकास कार्यक्रम को छोड़कर जिसका भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर वित्त पोषण किया जाता है भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र प्रदर्शन, समेकित कीट प्रबन्ध प्रदर्शन, कृषक/विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा बीज फार्म उपकरण आदि जैसे आवश्यक आदानों के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण के लिये सहायता दी जाती है। गहन कपास विकास कार्यक्रम तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत छिड़काव यन्त्रों और पेट्रोमोन ट्रैप्स के लिये तथा गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास के तहत ड्रिप सिंचाई के उपकरण के लिये भी प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

वर्ष 1996-97 के लिये प्रत्येक योजना के तहत राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1996-97 के दौरान राज्यवार तथा योजना वार परिव्यय का विवरण

परिव्यय-लाख रु. में (केन्द्रीय अंश)

क्र.सं.	राज्य	गहन कपास विकास कार्यक्रम	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में सतत विकास	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	177.75	28.76	163.76	1075.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	34.00
3.	असम	-	82.26	38.00	155.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	–	28.71	132.33	100.00
5.	गुजरात	84.36	–	128.82	500.00
6.	हरियाणा	105.45	–	90.63	175.00
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	30.00
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	70.00
9.	कर्नाटक	59.04	–	200.26	600.00
10.	केरल	–	–	22.71	50.00
11.	मध्य प्रदेश	68.55	–	73.30	1210.00
12.	महाराष्ट्र	326.09	–	439.34	1025.00
13.	मणिपुर	–	–	12.95	80.00
14.	मेघालय	–	6.54	–	15.00
15.	उड़ीसा	15.79	36.95	42.62	450.00
16.	पंजाब	304.57	–	101.16	100.00
17.	राजस्थान	120.20	–	47.81	1075.00
18.	सिक्किम	–	–	–	50.00
19.	तमिलनाडु	187.58	–	188.02	850.00
20.	त्रिपुरा	–	13.55	12.97	25.00
21.	उत्तर प्रदेश	10.62	16.81	671.70	550.00
22.	पश्चिम बंगाल	–	192.77	29.68	250.00
23.	नागालैंड	–	–	14.78	–
24.	मिजोरम	–	–	12.96	–
25.	पांडिचेरी	–	–	16.36	–
26.	गोवा	–	–	14.84	–

भारतीय एन्क्लेवों में भारतीय नागरिक

5040. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** 23 जुलाई 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें कब से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और कितना समय लेगी?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) 19 मार्च, 1996 से।

(ख) सरकार, इन्क्लेवों की अदला-बदली सहित भारत बंगलादेश भूमि सीमा समझौते के उपबंधों को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। तथापि, इसके लिए कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है। केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों, दोनों, द्वारा 1974 के समझौते से संबंधित प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

अंधों पर अत्याचार

5041. कुमारी उमा भारती : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री की लखनऊ यात्रा के दौरान सुरक्षा तथा पुलिस कर्मियों ने कुछ अंधे व्यक्तियों की बुरी तरह पिटाई की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

5042. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन

वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1993-94-3720 लाख रु. (अनुमानित)

1994-95-1161 लाख रु. (अनुमानित)

1995-96-1292 लाख रु. (अनुमानित)

कोंकण रेल लाइन

5043. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सुरंगों में कोई तकनीकी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) और (ग). कोंकण रेल परियोजना की 83.4 कि.मी. की कुल लम्बाई की 92 सुरंगों में से 15.042 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में 9 सुरंगों के कार्य में अत्यधिक प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के कारण प्रारंभ में कठिनाई हुई थी। ये समस्याएं छत के गिरने, मिट्टी बहाव, पानी के अधिक रिसाव, मिट्टी के दबाव आदि से संबंधित थीं। इन 9 सुरंगों में से 3 को छोड़कर सभी का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। गोवा में स्थित इन तीनों सुरंगों के लगभग 605 मीटर लम्बे शीर्ष का कार्य अभी किया जाना है। कोंकण रेल निगम ने देश एवं विदेश के प्रमुख सुरंग इंजीनियरों से परामर्श सहायता ली है। इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार की मशीनें भी प्राप्त की गई हैं और कार्य पर दिन-प्रति-दिन आधार पर उच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

रेलगाड़ियों का विस्तार

5044. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हजरत निजामुद्दीन-ग्वालियर ताज एक्सप्रेस को बढ़ाकर नई दिल्ली स्टेशन तक करने का है जैसा कि पहले था;

(ख) क्या सरकार का विचार ताज एक्सप्रेस में खानपान सेवा पुनः शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) नई दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ताज एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

मौजूदा नीति के अनुसार पेन्ट्रीयानों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियों के समय, ठहरावों, मार्गवर्ती स्थैतिक यूनिटों से खान-पान सेवाओं की पर्याप्तता आदि को देखते हुए लंबी दूरी की चुनिंदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में की जाती है जो, पेन्ट्री यानों की उपलब्धता तथा गाड़ी के अधिकतम अनुमेय भार पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

ट्रांसमीटर को गिराना

5045. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अज्ञात विमान ने जुलाई, 1996 में जफ्लौन रेलवे स्टेशन के निकट विदेशी ट्रांसमीटरों से भरे नौ थैले गिराये थे;

(ख) उन थैलों में क्या-क्या हथियार और सामान पाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सतर्कता विभाग को उस विमान की गतिविधि की कोई पूर्व जानकारी थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

सुपरफास्ट गाड़ियों के इंजन

5046. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे की लम्बी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों में मालगाड़ियों के इंजन लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपरफास्ट गाड़ियों के इंजनों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुपरफास्ट गाड़ियों के इंजनों को पर्याप्त संख्या में खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं। बहरहाल, जब कभी खंड पर सुपरफास्ट गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है तो एक संकटकालीन उपाय के रूप में कभी-कभार मालगाड़ी के इंजनों को लैगा दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। सुपरफास्ट गाड़ियों के चालन के लिए उपयुक्त रेल इंजनों की कोई कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दालों के बीज

5047. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य-वार दालों के उन्नत बीज देने के रूप में कितनी सहायता की?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीज घटक के लिए एन.पी.डी.पी. के तहत की गई धनराशि का आवंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	77.00	56.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	2.50
3.	असम	10.00	8.00
4.	बिहार	108.00	85.00
5.	गोआ	2.00	2.50
6.	गुजरात	62.00	54.00
7.	हरियाणा	54.00	22.00
8.	हिमाचल प्रदेश	9.00	11.00
9.	जम्मू व कश्मीर	6.00	20.00
10.	कर्नाटक	82.00	25.00
11.	केरल	4.00	4.50
12.	मध्य प्रदेश	285.00	271.00
13.	महाराष्ट्र	170.00	191.00
14.	मणिपुर	4.00	4.00
15.	मेघालय	4.00	4.00
16.	नागालैण्ड	8.00	8.00
17.	उड़ीसा	66.00	65.00
18.	पंजाब	17.00	16.00
19.	राजस्थान	186.00	186.00
20.	सिक्किम	7.00	7.00
21.	तमिलनाडु	80.00	80.00
22.	त्रिपुरा	4.00	4.00
23.	उत्तर प्रदेश	230.00	230.00
24.	पश्चिम बंगाल	20.00	20.00
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.20	0.50
26.	दिल्ली	0.50	0.50
	योग	1499.20	1437.50

[हिन्दी]

कन्टेनर सर्विस

5048. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने शहर हैं जहा कनटेनर सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में यह सेवा जयपुर में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो जयपुर में कब तक उक्त सेवा शुरू कर दी जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) देश के बाईस शहरों में रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (कनकोर) द्वारा कन्टेनर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) और (ग). जयपुर के निकट संगनेर में राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) द्वारा एक इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) पहले ही चलाया जा रहा है। इस समय यह इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। कनकोर द्वारा कन्टेनरों का रेल यातायात शीघ्र ही आरंभ करने का प्रस्ताव है।

कृषि के लिए विश्व बैंक ऋण

5049. श्री नवल किशोर राय:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिए देश में विभिन्न राज्यों को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 के अन्त तक राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस धनराशि का उपयोग कृषि के विकास के लिए किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कृषि के विकास में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). जी, हां। प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). जी, हां। उपयोगिता संबंधित तथ्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं, क्योंकि विश्व बैंक से राज्यों को सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। ये परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य लाभार्थी राज्यों की समग्र कृषि कार्यनीतियों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकीय अपरदन की प्रक्रिया को कम करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के लिए बुनियादी अवसंरचना का सृजन करना है। फसल की गहनता तथा उत्पादकता बढ़ाने, फसलोत्पादन, कृषि वानिकी, शुष्क भूमि बागवानी, पशुधन प्रबंध, ग्रामीण सड़कों, पेयजल, लघु सिंचाई, बीजों के किस्मीय विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे उत्पादकता कार्यकलापों से आय सृजन में तेजी लाने पर परियोजनाओं का प्रभाव पड़ा है तथा यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रभावी हो सकती है तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में सहायक हो सकती है।

विवरण

कृषि क्षेत्र में राज्यों को विश्व बैंक की सहायता का विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/विश्व बैंक परियोजनाओं के नाम	वर्ष			कुल	अभ्युक्ति
	1993-94	1994-95	1995-96		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1. झींगी और मछली पालन परियोजना	36.38	68.97	113.39	218.74	
2. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	64.00	–	219.60	283.60	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	155.01	91.00	144.22	390.23	
				892.57	
असम					
1. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	6.83	20.45	–	27.28	
2. असम ग्रामीण अवसंरचना और कृषि सेवा परियोजना	–	–	430.00	430.00	
3. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	717.03	401.59	–	1118.62	
4. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	85.81	87.89	23.46	197.16	
				1773.06	

1	2	3	4	5	6
बिहार					
1. झींगी और मछली पालन परियोजना	6.72	6.14	4.19	17.05	
2. बिहार पठार विकास परियोजना	741.51	2282.29	2400.82	5424.62	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	105.30	117.00	31.39	253.69	
				5695.36	
गुजरात					
1. समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	235.24	440.39	1024.81	1700.44	
2. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	41.50	155.06	30.00	226.56	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	157.58	100.25	8.43	266.26	
				2193.26	
हरियाणा					
1. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	38.70	426.00	56.80	521.50	
2. समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	203.53	394.58	659.17	1257.28	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	281.00	119.47	168.82	569.29	
				2348.07	
हिमाचल प्रदेश					
1. समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	416.81	597.84	784.68	1799.33	
2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	1589.93	769.10	–	2359.03	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	48.07	154.11	87.89	290.07	
				4448.43	
जम्मू व कश्मीर					
1. समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	578.54	709.52	956.83	2244.89	
2. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	87.06	340.47	22.60	450.13	
				2695.02	
कर्नाटक					
1. वर्ष सिंचित पनधारा	830.61	–	–	830.61	
2. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	396.37	–	162.57	558.94	
3. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	121.75	207.14	127.67	456.56	
				1846.11	
केरल					
1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	75.73	131.41	102.95	310.09	
मध्य प्रदेश					
1. वर्ष सिंचित पनधारा	144.03	41.63	–	185.66	

1		2	3	4	5	6
2.	राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	6.90	528.70	97.86	633.46	
3.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	359.27	241.84	198.18	984.29	
					1803.41	
महाराष्ट्र						
1.	वर्ष सिंचित पनधारा	239.15	77.94	–	317.09	
2.	राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	693.57	212.45	21.86	927.88	
3.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	359.19	310.91	144.91	815.01	
					2059.98	
उड़ीसा						
1.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	393.11	438.62	497.93	1329.66	
2.	झिंगी और मछली पालन परियोजना	64.26	43.32	397.47	505.05	
3.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	157.08	132.37	72.47	361.92	
4.	राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	41.12	360.41	–	401.53	
					2598.16	
पंजाब						
1.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	896.06	1288.37	1029.45	3213.87	
2.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	72.34	81.73	31.00	185.07	
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना–III	3268.40	2643.50	–	5911.90	
					9310.84	
राजस्थान						
1.	कृषि विकास परियोजना-राजस्थान	1258.06	3699.53	5928.75	10886.34	
2.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	860.18	1324.96	1718.89	3904.03	
3.	राष्ट्रीय बीज परियोजना–III	–	267.65	–	267.65	
4.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	224.24	156.38	125.74	506.36	
					15564.38	
तमिलनाडु						
1.	कृषि विकास परियोजना-तमिलनाडु	2531.99	4741.00	6905.97	14178.96	
2.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना–II	63.75	105.17	82.57	251.49	
					14430.45	

1		2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश						
1.	झींगी और मछली पालन परियोजना	21.23	2.46	9.54	33.25	
2.	उ.प्र. शोरा वाली भूमि की सुधार परियोजना	210.89	645.82	2561.40	3418.11	
3.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	197.00	24.92	–	221.92	
4.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	342.95	319.22	203.76	865.93	
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III	4498.10	–	–	4498.10	
					9037.10	
पश्चिम बंगाल						
1.	झींगी और मझली पालन परियोजना	24.21	40.06	329.47	393.74	
2.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	218.57	133.41	28.49	380.47	
3.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	274.00	101.00	–	375.00	
					1149.21	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली						
1.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	313.86	32.63	368.20	714.69	

[अनुवाद]

नैलीडाइजिक एसिड को छूट की समाप्ति

5050. श्री हरिन पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैलीडाइजिक एसिड को दी गई छूट की वैधता अक्तूबर, 1992 में समाप्त हो गई है;

(ख) क्या आज की तारीख तक इस औषधि का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और कम्पनी करोड़ों रुपये कमा रही है; और

(ग) इस मामले में जवाबदेही निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) 3-9-96 को अधिसूचित नॉलिडिक्सिक एसिड के सूत्रयोगों के पैकों की अधिकतम कीमतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक-आकार	कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक टिकिया में निम्न शामिल है:		
1.	नॉलिडिक्सिक एसिड टिकियां	नॉलिडिक्सिक एसिड 500 मि.ग्रा.	4 का ए एल/ ब्लिस्टर	12.18

1	2	3	4	5
2.	नॉलिडिक्सिक एसिड+ मेट्रोनिडाजोल टिकियां	नॉलिडिक्सिक एसिड 500 मि.ग्रा.	10 का ए एल ब्लिस्टर	30.14
3.	नॉलिडिक्सिक एसिड+ मेट्रोनिडाजोल टिकिया	नॉलिडिक्सिक एसिड 300 मि.ग्रा. मेट्रोनिडाजोल 200 मि.ग्रा.	10 का ए एल ब्लिस्टर	21.00
4.	नॉलिडिक्सिक एसिड+ मेट्रोनिडाजोल टिकिया	नॉलिडिक्सिक एसिड 300 मि.ग्रा. मेट्रोनिडाजोल 200 मि.ग्रा.	6 का ए एल/ ब्लिस्टर	12.70
		प्रत्येक 5 मिलि. में निम्न शामिल है:		
5.	नॉलिडिक्सिक एसिड+ मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन	नॉलिडिक्सिक एसिड 150 मि.ग्रा. मेट्रोनिडाजोल 100 मि.ग्रा.	30 मि.लि. शीशी	10.54
6.	नॉलिडिक्सिक सस्पेंशन	नॉलिडिक्सिक एसिड 300 मि.ग्रा.	30 मि.लि. शीशी	14.68
7.	नॉलिडिक्सिक सस्पेंशन	नॉलिडिक्सिक एसिड 300 मि.ग्रा.	60 मि.लि. शीशी	26.86

[हिन्दी]

तिलहन की खेती

5051. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में तिलहन की खेती और बड़े क्षेत्र में करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसकी तुलना में क्या उपलब्धि हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। तिलहन उत्पादन की नीति में क्रमवार फसल के माध्यम से क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों का निर्धारण, अन्तरफसलन, विभिन्न तिलहन फसलों के अन्तर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों/स्थितियों में कम किफायती फसलों का वैकल्पिक फसलों से प्रतिस्थापन शामिल है। अधिक क्षेत्र में कवरेज को प्रोत्साहन देने के लिए, महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में तिलहन उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	उत्पादन उपलब्धि (लाख टन)
1.	1992-93	17.00	17.72
2.	1993-94	18.00	23.46
3.	1994-95	19.00	18.14
4.	1995-96	22.00	21.10
5.	1996-97	21.15	प्रतीक्षित

[अनुवाद]

सीमा सड़क का निर्माण

5052. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा अस्त्र-शस्त्र की तस्करी को रोकने हेतु राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर पर भारत-पाकिस्तान सीमा को बंद करने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में सड़क नेटवर्क के निर्माण हेतु कोई नीति बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सीमावर्ती जिले बाड़मेर तथा जैसलमेर में सड़कों के निर्माण पर कुल कितना खर्च किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल आवंटित राशि में से कितनी राशि वापस कर दी गई;

(ङ) धनराशि को वापस करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य सरकार द्वारा सीमा सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित तथा निर्धारित राशि को जिला मुख्यालय बाड़मेर तथा जैसलमेर में आवासीय भवनों, कार्यालयों तथा कल्याण केन्द्रों के निर्माण जैसी अन्य मदों पर खर्च किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परिसंपत्तियों तथा इन पर खर्च की गई धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मर्कबूल डार): (क) से (छ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) सीमा पर प्रभावकारी निगरानी और सीमा के दोनों ओर से होने वाली घुसपैठ, शस्त्र और गोला-बारूद की तस्करी की रोकथाम करने के लिए राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने, के बारे में फैसला पहले ही किया जा चुका है। 1035 कि.मी. की सीमा में से करीब 720 कि.मी. में पहले ही बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था की जा चुकी है तथा करीब 276 कि.मी. में दिसम्बर, 1998 तक बाड़ लगा ली जाएगी। शेष 39 कि.मी. के लिए व्यवहारिकता का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) से (छ). उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बुल्गे क्षेत्र में 150 कि.मी. सीमा सड़क निर्माण करने का फैसला किया गया था। सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सड़कों के लिए बजट प्रावधान, किए गए खर्च और बचत के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:

(रुपये करोड़ो में)

	बजट प्रावधान	किया गया व्यय	बचत/अधिक खर्च
1993-94	0.30	3.96	(+) 3.60
1994-95	9.00	5.39	(-) 3.61
1995-96	3.00	3.88	(+) 0.88

1994-95 के दौरान, कार्य की धीमी गति के कारण बचत हुई थी। सड़कों के लिए निर्धारित की गई निधियों को राज्य सरकार अन्यत्र प्रयोग नहीं कर सकती है क्योंकि यह कार्य, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सीधे किया जा रहा है।

पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी

5053. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व पर्यावरण सम्मेलन में पारिस्थितिकी अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने तथा विशेषरूप से रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के संबंध में प्रदूषणकारी तत्वों के शोधन के लिए किए गए संकल्प के अनुसरण में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में वर्षवार अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सरकार ने "विश्व पर्यावरण कन्वेंशन" नामक किसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अनुकूल प्रौद्योगिकियों की सूचना संग्रह, मिलान और उसके प्रसार में सहायता करने के प्रयोजन से विश्व बैंक से दो मिलियन डालर की सहायता अनुदान से भारतीय अनुकूल प्रौद्योगिकी संवर्द्धन केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बेतला राष्ट्रीय उद्यान

5054. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में "बाघ परियोजना" आरंभ की गयी है;

(ख) बेतला राष्ट्रीय उद्यान की "बाघ परियोजना" में बाघों की संख्या कितनी है और उनकी नस्ल क्या है; और

(ग) बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाले बाघ परियोजना क्षेत्रों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). 1995 की बाघ गणना के अनुसार पलामू बाघ रिज़र्व जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान और बेतला वन्यजीव अभयारण्य आता है, बाघों की संख्या 47 है। इनमें से बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 30 बाघों के होने की खबर है। आनुवांशिक तौर पर ये बाघ पेन्थरा टाइगरिस टाइगरिस प्रजाति के हैं।

विवरण

राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों वाले बाघ रिज़र्वों की सूची

क्र.सं.	बाघ रिज़र्व का नाम	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	अभयारण्य का नाम
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	बांदीपुर रा.उ.	–
2.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	कार्बेट रा.उ.	–
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	कान्हा रा.उ.	–
4.	मानस (असम)	मानस रा.उ.	मानस वन्यजीव अभयारण्य
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	गुगामल रा.उ.	मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य
6.	पलामू (बिहार)	बेतला रा.उ.	बेतला वन्यजीव अभयारण्य
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	रणथम्भौर रा.उ.	केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य
8.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	सिमलीपाल रा.उ.	सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य
9.	सुन्दरवन (पं. बगाल)	सुन्दरवन रा.उ.	सांझरवाली वन्यजीव अभयारण्य
10.	पेरियार (केरल)	पेरियार रा.उ.	पेरियार वन्यजीव अभयारण्य
11.	सरिस्क (राजस्थान)	सरिस्क रा.उ.	सरिस्क वन्यजीव अभयारण्य
12.	बुक्सा (पं. बंगाल)	बुक्सा रा.उ.	बुक्सा वन्यजीव अभयारण्य
13.	इंद्रावती (मध्य प्रदेश)	इंद्रावती रा.उ.	–
14.	नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)	–	नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य
15.	नामदाफा (अरूणाचल प्रदेश)	नाम दाफा रा.उ.	–
16.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	दुधवा रा.उ.	किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य
17.	कलाकड-मुंडनथुराई(त.नाडु)	–	कलाकड़ वन्यजीव अभयारण्य रि. मुंडनतुरई वन्यजीव अभयारण्य
18.	वाल्मिकी (बिहार)	वाल्मिकी रा.उ.	वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	पेंच रा.उ.	पेंच वन्यजीव अभयारण्य
20.	तडोबा-अंधेरी (महाराष्ट्र)	तडोबा रा.उ.	अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य
21.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	बांधवगढ़ रा.उ.	पानपत्ता वन्यजीव अभयारण्य
22.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	पन्ना रा.उ.	–
23.	डाम्फा (मिजोरम)	–	डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक कंटीले तारों का आयात

5055. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी आसानी से घुसपैठ वाली सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के लिए इजराइल से सैंसरयुक्त इलैक्ट्रानिक कंटीले तारों वाली प्रणाली का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रणाली के अध्ययन के लिए किसी शिष्टमंडल को इजराइल भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक (प्रोव) और गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) ने इस प्रणाली का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 1995 में इजराइल का दौरा किया था।

(ग) इस अध्ययन दल ने सीमा पर निगरानी और सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रणाली की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रणाली को अपनाने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे की आय

5056. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पश्चिम रेलवे की मंडल वार वार्षिक आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन मंडलों को घाटा हुआ है और इन मंडलों को किन-किन मदों में घाटा उठाना पड़ा तथा इस संबंध में कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार घाटा उठाने वाले मंडलों के बारे में कोई जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) मंडलों को लागत लाभ केन्द्रों के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इनके बीच रेलवे की आमदनी का विभाजन नहीं किया जाता है। अत: आमदनी का मंडल-वार विभाजन (ढुलाई यातायात के लिए) बताना संभव नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं में निजी निवेश

5057. श्री सनत मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान निजी निवेश के लिए सरकार द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं की संख्या तथा इनकी कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार की सभी परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है; और

(ग) इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं इस समय चल रही हैं तथा इनमें कितनी लागत लगी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) वर्ष 1994 में (लगभग) 4390 करोड़ रु. लागत की 40 रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई थी जिन्हें निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा बिल्ड-ओन-लीज ट्रांस्फर (बोल्ट) योजना के अंतर्गत आरंभ किया जाना है। तदुपरान्त (लगभग) 951 करोड़ रु. लागत की 13 अन्य परियोजनाएं जोड़ी गईं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग 360 करोड़ रु. लागत की 3 परियोजनाएं।

[अनुवाद]

रेलवे अस्पताल स्थापित करना

5058. श्री कोंडीकुनील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे अस्पताल स्थापित करने संबंधी क्या मानदंड है;

(ख) क्या सरकार का केरल में पुनालूर में रेलवे अस्पताल स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) किसी विशेष क्षेत्र में रेल चिकित्सा सुविधाओं का विकास रेल स्थापनाओं, कर्मचारियों, क्वार्टरों की संख्या तथा नजदीकी रेल और सिविल चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरिया आयात ठेका

5059. श्री संतोष मोहन देव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल ही में हुए यूरिया घोटाले को ध्यान में रखते हुए सभी यूरिया आयात ठेकों के लिए पूर्व-शर्त लगाने तथा सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित की गई नई शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय सरकारी मानदण्डों के अनुसार तथा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इससे घोटाओं को रोकने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ). एन एफ एल-कर्सन के अनुभव के परिणामस्वरूप सरकार यूरिया के आयात की प्रक्रियाओं की समीक्षा उन्हें और अधिक सुस्पष्ट बनाने के विचार से कर रही है। सरकार ने इसी बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक सभी उपक्रमों को दोहराया है कि निर्धारित प्रक्रिया से विचलन निहित असमान्य मसलों सहित प्रमुख वित्तीय अर्थापत्तियों वाले सभी महत्वपूर्ण मामले पूर्व अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

रेल लाइन को स्थानांतरित करना

5060. डा. अरुण कुमार शर्मा:
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी शहर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए जालुकवाडी से गुवाहाटी तक रेलवे लाइन को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या असम सरकार ने वृहत्तर गुवाहाटी के लिए एक मास्टर योजना तैयार की थी जिसमें मौजूदा रेल लाइन को गुवाहाटी के दक्षिणी भाग के पहाड़ी की तराई कलपाहार में स्थानांतरित दिखाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) यह समझा जाता है कि कुछ प्रस्ताव किए गए थे परन्तु रेलवे लाइन को शिफ्ट करने सहित ऐसी किसी मास्टर योजना को अंतिम रूप अथवा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पशु अस्पताल

5061. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर मेरठ और वाराणसी जिलों में पशु अस्पतालों और गर्भाधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में पशु अस्पतालों एवं गर्भाधान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा और कहां-कहां इन अस्पतालों/केन्द्रों को खोला जाएगा?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग). जानकारी राज्य से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अर्ध सैनिक बलों में महिलाओं की भर्ती

5062. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भर्ती संबंधी नीति क्या है;

(ख) अर्ध सैनिक बलों में 31 मार्च, 1996 तक भर्ती की गई महिला कर्मिकों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को कोई प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) महिलाएं, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए पात्र हैं।

(ख) अर्ध-सैनिक बलों में 31.3.1996 तक भर्ती की गयी महिलाओं की कुल संख्या 3663 है।

(ग) और (घ). एन.सी.सी. द्वारा जारी किए गए "ए" "बी" और "सी" प्रमाण पत्रों को विशेष अर्हताओं के रूप में माना जाता है और इन प्रमाण-पत्र वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में महत्व दिया जाता है।

[हिन्दी]

बोधघाट परियोजना

5063. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण और वन की दृष्टि से बोधघाट परियोजना की स्वीकृति के संबंध में लिए गए अन्तिम निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु कितनी भूमि चाहिए; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) बोधघाट पन-विद्युत परियोजना को कुछ सुरक्षा उपायों के साथ जनवरी, 1979 में पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर किया गया था। फरवरी, 1985 में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का सुझाव भी दिया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग के प्रस्ताव को सितंबर, 1994 में नामंजूर कर दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.एस.एफ. हवाई जहाजों द्वारा उड़ानें

5064. **श्री एन.जे. राठवा:**
श्री नामदेव दिवाथे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल के हवाई जहाजों ने राज्य-वार कितनी उड़ानें भरी;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें यात्रा करने वाले लोगों तथा उनकी यात्रा की तिथियों के साथ-साथ उनके उद्देश्य का ब्यौरा क्या था?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना विवरण-I में दी गयी है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल के पास उपलब्ध विमानों का प्रयोग, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की आपरेशनल आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन विमानों का प्रयोग, गृह मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों की शासकीय प्रतिबद्धताओं के लिए भी किया जाता है। कभी-कभी ये विमान, भुगतान आधार पर शासकीय उद्देश्यों के लिए अन्य मंत्रियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे मंत्रियों/अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम की सूची उनके द्वारा की गयी यात्रा की तारीख के साथ विवरण-II में दी गई है जिन्होंने वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में विमान का प्रयोग किया।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
		के दौरान उड़ानों की संख्या		
1.	आंध्र प्रदेश	11	26	24
2.	अंडमान और निकोबार	1	4	–
3.	असम	8	14	12
4.	बिहार	8	14	10
5.	चंडीगढ़	11	21	19
6.	दमन और दीव	2	–	2
7.	गोवा	1	–	–
8.	गुजरात	8	5	3
9.	हिमाचल प्रदेश	3	–	2
10.	जम्मू और कश्मीर	58	49	55
11.	कर्नाटक	3	10	8
12.	केरल	5	6	3
13.	लक्षद्वीप	3	–	–
14.	महाराष्ट्र	21	28	32
15.	मणिपुर	4	9	13
16.	मेघालय	2	3	6
17.	मध्य प्रदेश	22	15	21
18.	नागालैंड	1	4	5
19.	पांडिचेरी	1	–	–
20.	पंजाब	14	49	16
21.	राजस्थान	42	37	36
22.	तमिलनाडु	1	2	–
23.	त्रिपुरा	5	8	5
24.	उत्तर प्रदेश	30	46	57
25.	पश्चिम बंगाल	8	15	14
26.	उड़ीसा	–	–	1

विवरण-II

क्रमांक	दिनांक	नाम
1	2	3
1.	7.4.93 से 8.4.93 तक	श्री दिनेश सिंह, विदेश मंत्री
2.	12.4.93	प्रैस पार्टी
3.	19.4.93 से 22.4.93 तक	न्यायमूर्ति वाई.के.सभरवाल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण।
4.	24.4.93	श्री बी.एस. बेदी, पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर।
5.	7.5.93	जनरल के.वी. कृष्णाराव, राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर।
6.	8.5.93 से 9.5.93 तक	कर्नल ओ.एच. अहमद, संचार मंत्री, बंगलादेश के नेतृत्व में बंगलादेशी शिष्टमंडल।
7.	6.6.93	श्री डी.पी. सिंह के नेतृत्व में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधिमंडल।
8.	14.7.93 से 15.7.93 तक	दूरसंचार विभाग के श्री आर.एस. बंसल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल।
9.	20.7.93	जनरल के.वी. कृष्णाराव, राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर।
10.	20.7.93 से 21.7.93 तक	श्री के.एस. कोया के नेतृत्व में मौसम विज्ञान विभाग की टीम।
11.	25.7.93	श्री पी.सी. शर्मा के नेतृत्व में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का दल।
12.	19.8.93	जनरल के.वी. कृष्णाराव, राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर।
13.	26.8.93	श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री।
14.	14.9.93	श्री बलराम जाखड़, कृषि मंत्री।
15.	16.9.93	श्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में आसूचना ब्यूरो का दल।
16.	1.10.93	श्री एच.एस. समोया के नेतृत्व में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का दल।
17.	16.10.93	श्री बलराम जाखड़, कृषि मंत्री।
18.	17.10.93	श्री विक्टर एफ. येरिन, आंतरिक मामलों के मंत्री के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल।
19.	21.10.93	श्री अजीत सिंह कुमार के नेतृत्व में आसूचना ब्यूरो का दल।
20.	21.10.93	दूरदर्शन की टीम।
21.	5.11.93	प्रैस पार्टी।
22.	6.11.93 से 7.11.93 तक	श्री बापू कालदाते के नेतृत्व में संसदीय समिति।
23.	12.11.93	दूरदर्शन टीम।
24.	19.11.93 से 20.11.93 तक	श्री एदुआर्दो फलेरियों, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री।
25.	4.12.93	श्री एस.एस. आब्दिलदीना, राष्ट्रपति, कजाखिस्तान गणतंत्र के नेतृत्व में शिष्टमंडल।
26.	5.12.93	श्री एस.ए. शाह के नेतृत्व में आई.बी. का दल।
27.	7.12.93	श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश।

1	2	3
28.	10.12.93	जनरल के.वी. कृष्णाराव, राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर।
29.	11.12.93	श्री बलराम जाखड़, कृषि मंत्री।
30.	15.12.93	श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री।
31.	22.12.93 से 23.12.93 तक	श्री एस.डी. तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस का शिष्टमंडल।
32.	4.1.94	श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री।
33.	8.1.94	श्री सुभाष यादव, उप मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश।
34.	13.1.94	मेजर जनरल मुहम्मद अनवर हुसैन के नेतृत्व में बंगलादेशी प्रतिनिधिमंडल।
35.	14.1.94 से 17.1.94 तक	मेजर जनरल मुहम्मद अनरल. हुसैन के नेतृत्व में बंगालदेशी प्रतिनिधिमंडल।
36.	27.1.94	श्री के.सी. पंत की अध्यक्षता में वित्त आयोग।
37.	7.2.94	यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और यूनाइटिड किंगडम के राजदूत।
38.	7.2.94	श्री हितेश्वर सैकिया, मुख्य मंत्री, असम।
39.	4.3.94	श्री सुधीर सावंत के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल।
40.	7.3.94 से 9.3.94 तक	विभिन्न देशों के राजदूत/ उच्चायुक्तों का मानवाधिकार प्रतिनिधिमंडल।
41.	23.3.94	श्री जैक कनिंघम के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल।
42.	24.3.94 से 25.3.94	–वही–

1	2	3
		1994-95
1.	5.4.94	श्री एल जुप्पे, फ्रांस के विदेश मामलों में मंत्री के नेतृत्व में फ्रांसीसी शिष्टमंडल।
2.	27.4.94 और 29.4.94	विभिन्न देशों के राजदूत।
3.	20.5.94	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
4.	28.7.94 से 29.7.94 तक	श्री बी. गुहा के नेतृत्व में आसूचना ब्यूरो का दल।
5.	6.8.94	श्री आर.एल. भाटिया, विदेश राज्य मंत्री।
6.	20.8.94 से 21.8.94	श्री वेंकटास्वामी, राज्य मंत्री (कपड़ा)
7.	23.8.94	श्री एलैकजैण्डर शारकोव के नेतृत्व में जर्मन शिष्टमंडल।
8.	30.8.94 से 31.8.94	श्री बलराम सिंह यादव, राज्य मंत्री (खान)।
9.	3.9.94	श्री एन.डी. तिवारी।
10.	16.9.94 से 19.9.94	श्री विजय राम राव, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व में के.जां.ब्यूरो का दल।
11.	17.9.94 से 18.9.94	आर.टी. आनरेरी बैटी बोधरायड, हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष, यू.के.. के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल।
12.	21.9.94	–वही–
13.	23.9.94 से 24.9.94	निदेशक, आसूचना ब्यूरो।
14.	24.9.94 से 25.9.94	आर.टी. आनरेरी बैटी बोधरायड, हाउस आफ कामंस के अध्यक्ष, यू.के.. के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल।

1	2	3
15.	27.9.94 से 29.9.94	श्री तोबी जस्सल के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल।
16.	1.10.94 से 2.10.04	श्री एन.डी. तिवारी।
17.	8.10.94	डा. हिरोल बोर्कजाम के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन का शिष्टमंडल।
18.	15.10.94	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
19.	3.12.94 से 5.12.94	श्री ए.एल. मर्मा, तन्जानिया के उप-राष्ट्रपति।
20.	6.12.94 से 9.12.94	श्री विजय राम राव, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, के नेतृत्व में एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का दल।
21.	1.1.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
22.	21.2.95 से 22.2.95	निदेशक, आसूचना ब्यूरो।
23.	23.2.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
24.	23.2.95	श्री के.पी.एस. गिल, पुलिस महानिदेशक, पंजाब।
25.	9.3.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
26.	23.3.95	श्री बूटा सिंह, खाद्य और आपूर्ति मंत्री।
27.	28.3.95	श्री जगन्नाथ मिश्र।
28.	29.3.95	श्री मतंग सिंह, राज्य मंत्री (संसदीय मामले)
	1995-96	
1.	5.4.95 से 6.4.95	कर्नल जनरल ए.आई. निकीलाव के नेतृत्व में रूसी शिष्टमंडल।
2.	7.4.95	श्री फारूख अब्दुल्ला।
3.	21.4.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
4.	23.4.95	श्री माधव राव सिंधिया, मानव संसाधन विकास मंत्री।
5.	2.5.95 से 4.5.95	मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त।
6.	11.5.95	श्री एम.एम.जाकी, राज्यपाल के सलाहकार, जम्मू एवं कश्मीर।
7.	20.5.95	राज्य मंत्री (एस.टी.) के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल।
8.	27.5.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
9.	31.3.95	श्री बूटा सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल।
10.	11.6.95	श्री टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त।
11.	21.6.95	जेनरल चरण कत्तावाणिज्यू के नेतृत्व में थाई शिष्टमंडल।
12.	29.6.95	मे.जे. एजाज अहमद चौधरी, महानिदेशक, बी.डी.आर. के नेतृत्व में बंगलादेशी शिष्टमंडल।
13.	30.6.95 से 1.7.95	-वही-
14.	30.7.95 तक 31.7.95 तक	डी.सी. पाठक, निदेशक, आसूचना ब्यूरो के नेतृत्व में आसूचना ब्यूरो का दल।
15.	16.8.95 से 18.8.95 तक	यू.एस./यू.के. तथा जर्मनी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विदेशी शिष्टमंडल।
16.	18.8.95 के 20.8.95 तक	कर्नल टोम होग के नेतृत्व में विदेशी शिष्टमंडल।
17.	1.9.95	निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो।

1	2	3
18.	2.9.95	श्री माधव राव सिंधिया, मानव संसाधन विकास मंत्री।
19.	5.9.95	श्री पी.एल. शर्मा के नेतृत्व में केन्द्रीय जांच ब्यूरो दल।
20.	15.9.95	निदेशक, आसूचना ब्यूरो।
21.	18.9.95 से 19.9.95 तक	श्री राजेश पायलट, पर्यावरण एवं वन मंत्री।
22.	24.9.95 से 25.9.95 तक	श्री बूटा सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री।
23.	27.9.95	निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो।
24.	28.9.95	श्री जगदीश टाईटलर, कोयला मंत्री।
25.	28.9.95	श्री राउमैन गेचेत, बुल्गारिया के उप-प्रधानमंत्री।
26.	6.10.95	श्री वी.सी. शुक्ला, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री जगदीश टाईटलर, कोयला मंत्री।
27.	7.10.95	श्री ए.आर. अंतुले, स्वास्थ्य मंत्री।
28.	17.10.95 से 18.10.95 तक	श्री वी.ओन. हन के नेतृत्व में म्यांमार शिष्टमंडल।
29.	29.10.95	निदेशक, आसूचना ब्यूरो।
30.	30.10.95	श्री टोअम दोरूतारासीला के नेतृत्व में विदेशी शिष्टमंडल।
31.	31.10.95 से 1.11.95 तक	-वही-
32.	5.11.95	भारत-जर्मन परामर्शदात्री ग्रुप।
33.	27.11.95	स्वर्गीय श्री शंकर दयाल सिंह का शव।
34.	19.12.95 से 20.12.95 तक	आसूचना ब्यूरो दल।
35.	20.12.95	श्री मतंग सिंह, राज्य मंत्री (संसदीय कार्य)
36.	3.1.96	श्री वी.सी. शुक्ला, संसदीय कार्यमंत्री।
37.	5.1.96	श्री बूटा सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपर्ति मंत्री।
38.	6.1.96	श्री माईकल हावेर्ड के नेतृत्व में विदेशी शिष्टमंडल।
39.	18.1.96	डा. मोस्तका कनाल हेल्मी, मिस्त्र शोरा विधानमंडल अध्यक्ष।
40.	26.1.96	श्री मोतीलाल बोहरा, पुलिस महा-निरीक्षक नेपाल के नेतृत्व में नेपाली शिष्टमंडल।
41.	28.1.96	श्री डॉन ग्लिकमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के (कृषि) सचिव के नेतृत्व में अमेरिकी शिष्टमंडल।
42.	28.1.96	श्री गुलाब नबी आज़ाद, नागरिक उड्डयन मंत्री।
43.	28.1.96 से 19.1.96 तक	श्री शीलभद्रयाजी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के शव के साथ श्री रामलखन सिंह यादव।
44.	20.2.96	श्रीमती मारग्रेट अल्वा, राज्य मंत्री (पी.पी.)
45.	14.3.96	श्री हितेश्वर सैकिया, मुख्यमंत्री, असम।

नारियल की खेती

5065. श्री पी.सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान नारियल की खेती का कुल क्षेत्रफल बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार और राज्य वार नारियल खेती के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि में नारियल की खेती के तहत क्षेत्र का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक की अवधि में नारियल की खेती के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

राज्य		(क्षेत्र 000 है.)				
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.2	63.4	71.7	79.9	86.6.
2.	असम	10.3	13.6	15.6	17.3	17.3
3.	गोवा	23.8	24.0	24.2	24.0	24.6
4.	कर्नाटक	232.4	238.6	246.0	252.9	259.8
5.	केरल	870.0	846.3	877.0	882.3	900.7
6.	महासष्ट्र	7.8	7.9	7.9	7.9	8.2
7.	उड़ीसा	34.5	36.4	38.4	38.4	38.4
8.	तमिलनाडु	179.5	240.3	196.4	272.8	272.8
9.	त्रिपुरा	7.0	10.5	11.3	9.4	9.4
10.	पश्चिम बंगाल	20.3	19.2	20.4	21.1	21.6
11.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	23.9	24.1	24.1	24.4	24.4
12.	पाण्डिचेरी	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1
13.	लक्षद्वीप	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8.
	अखिल भारत	1475.3	1528.9	1537.7	1635.1	1668.7

विवरण-II

		खर्च की गई राशि (रु. लाख में)				
		(1991-92)	(1992-93)	(1993-94)	(1994-95)	(1995-96)
1.	केरल	165.583	145.909	559.716	859.441	742.926
2.	तमिलनाडु	25.493	45.047	143.507	131.896	152.030
3.	कर्नाटक	71.156	112.865	155.758	206.660	186.537
4.	आंध्र प्रदेश	19.414	98.463	70.858	132.606	98.606
5.	उड़ीसा	11.158	8.064	16.553	18.314	16.164
6.	महाराष्ट्र	0.797	2.313	0.443	2.605	शून्य
7.	लक्षद्वीप	0.430	8.062	7.313	शून्य	शून्य
8.	पाण्डिचेरी	शून्य	6.451	1.871	3.469	1.335
9.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3.788	9.762	8.784	10.858	11.262
10.	गोवा	1.956	0.933	1.892	2.824	1.544
11.	त्रिपुरा	5.863	13.679	10.651	12.432	7.492
12.	बिहार	19.650	17.489	11.694	21.555	27.776
13.	असम	16.472	23.223	24.551	14.102	18.603
14.	मध्य प्रदेश	6.503	13.267	23.162	15.314	15.347
15.	पश्चिम बंगाल	4.953	3.180	8.312	6.058	11.000
16.	मणिपुर	0.386	0.392	0.051	0.343	0.584
17.	गुजरात	0.396	0.445	1.336	2.676	1.519
18.	नागालैण्ड	शून्य	0.306	2.41	1.905	3.515
19.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	0.708	शून्य	2.524	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	0.499	शून्य

फसल बीमा योजना

5066. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि क्षेत्र में बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान फसल बीमा योजना के व्यावहारिक पहलू के संबंध में संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह योजना कब तक पूर्णरूपेण लागू की जाएगी; और

(ङ) उड़ीसा के किन-किन जिलों में इस समय फसल बीमा योजना लागू की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ). कृषि क्षेत्र में एक वृहद फसल बीमा योजना पहली अप्रैल, 1985 से क्रियान्वित की जा रही है। खरीफ 1985 से खरीफ 1995 तक इस वृहद फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और कृषकों के प्रतिनिधियों ने इस योजना की कुछ अन्तर्निहित कमियों जैसे कि

इसकी अव्यावहार्यता सीमित रूप से फसलों और किसानों को शामिल करना प्रीमिया की दरों का कम होना इसकी स्वैच्छिक प्रकृति की ओर ध्यान दिलाया। वर्तमान योजना में संशोधन किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से मिले अनेक सुझावों के आधार पर इस मसले पर एक अवधारणा पत्र संसद के सभी सदस्यों को भेजा गया था। उनके विचार मिल जाने पर वर्तमान योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

(ङ) फिलहाल फसल बीमा योजना उड़ीसा के सभी 27 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

विवरण

खरीफ 1985 से खरीफ 1995 तक वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

क्र. संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कितने मौसमों में भाग लिया	किसानों की कुल संख्या	कवर किया गया क्षेत्र (हे.में)	बीमे की रकम (रु. लाख में)	कुल बीमा प्रभार (रु. लाख में)	कुल दावे (रु. लाख में)	चुकत दावे (रु. लाख में)	देय दावे (रु. लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	8306472	15673010.00	327470.11	5673.55	16742.65	16742.65	–
2.	असम	16	217614	88294.79	2057.97	36.13	50.90	50.90	–
3.	बिहार	18	2789694	3060435.36	70635.30	1412.62	3495.65	3495.65	–
4.	गोवा	18	14449	23273.55	127.86	2.54	4.06	4.06	–
5.	गुजरात	18	6777260	16371609.00	305419.64	3734.83	70343.91	70210.38	133.53
6.	हिमाचल प्रदेश	16	24380	27744.73	319.96	6.38	37.29	36.40	0.89
7.	जम्मू व कश्मीर	3	54586	77358.00	789.78	15.80	65.20	65.20	–
8.	कर्नाटक	17	1818481	3124563.03	60345.97	933.66	2499.27	2499.27	–
9.	केरल	19	379547	436381.07	12545.94	260.99	685.27	606.14	–
10.	मणिपुर	1	8840	4759.00	191.77	3.84	–	–	–
11.	मध्य प्रदेश	19	7013208	17549334.39	122201.64	1542.14	3433.00	3082.12	250.88
12.	महाराष्ट्र	19	12107766	15735289.32	197180.93	3284.65	13221.91	13206.14	13.67
13.	मेघालय	11	14020	23366.07	295.54	5.80	7.50	7.50	–
14.	उड़ीसा	18	2257561	2973502.02	45770.18	891.14	3270.98	3254.87	16.11
15.	राजस्थान	2	535400	1544600.00	8296.89	159.78	2292.59	2292.59	–
16.	तमिलनाडु	16	1945182	2620334.69	81662.08	1500.10	2554.40	2514.30	40.10
17.	त्रिपुरा	18	34294	23199.44	603.22	12.06	6.48	6.48	–
18.	उत्तर प्रदेश	7	2762178	5335405.00	43182.43	852.64	499.79	499.79	–
19.	पश्चिम बंगाल	19	4158749	2622587.61	74072.16	1460.27	1511.58	1368.58	123.00
20.	अंदमान निकोबार	10	3200	6311.15	98.96	1.88	2.18	2.18	–
21.	दिल्ली	5	372	1359.00	26.37	0.53	–	–	–
22.	पांडिचेरी	17	17561	36995.76	1229.79	24.58	49.03	49.03	–
			51240814	87559775.98	1354524.49	22125.91	120693.41	120015.23	678.18

[हिन्दी]

जलेसर रोड स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव

5067. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलेसर रोड, बरहन स्टेशन पर बहुत कम गाड़ियां रुकती हैं;

(ख) क्या जलेसर रोड बरहन स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस एवं कालिंदी एक्सप्रेस 4023 डाउन-4024 अप गाड़ियों के लिए ठहराव की व्यवस्था करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) इस समय जलेश्वर रोड और बरहन स्टेशन पर 5 जोड़ी गाड़ियां ठहरती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जांच की गई लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुनर्गठन आयोग

5068. डा. कृपासिन्धु भोई:
श्री काशीराम राणा:
श्री पवन दीवान:
श्रीमती छबीला अरविन्द नेताम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि पेंशन

5069. श्री सुनील खान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन किसानों के लिए जो वृद्धावस्था के कारण अपनी भूमि नहीं जोत सकते, वृद्धावस्था पेंशन जैसे कृषि पेंशन के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की नीति की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग). फिलहाल, कृषि पेंशन के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उन निराश्रित किसानों को भी ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल किया गया है, जो 65 वर्ष से अधिक की आयु के हैं।

रेलवे क्वार्टर्स

5070. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितम्बर, 1995 तक देश में राज्यवार विशेषत: गुजरात में कितने आवासीय रेलवे क्वार्टर खराब हालत में थे;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टर्स के स्थान पर बहुमंजिली प्लेटों का निर्माण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ). रेलवे क्वार्टरों को जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं रखती है। क्वार्टरों का जब आवश्यकता हो नियमित रूप से रख-रखाव किया जाता है।

बहरहाल, आयु और हालत के आधार पर क्वार्टरों का पुनर्निर्माण किया जाता है। जब क्वार्टरों का पुनर्निर्माण होता है तब स्टेशन विशेष पर भूमि की उपलब्धता और आवास की आवश्यकता के अनुसार एक मंजिले, दो मंजिले या बहुमंजिले क्वार्टर बनाए जाते हैं।

रेलवे के पास यह सूचना राज्य-वार नहीं होती है।

बर्थ/सीटों का आरक्षण कोटा

5071. डा. एम.पी. जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिरडी के निकट "मनमाड" स्टेशन से रेलगाड़ियों में शायिकाओं के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा कोटा धारी स्टेशनों पर कोटे का पूर्णत: उपयोग किये जाने के कारण मनमाड स्टेशन पर मौजूदा कोटों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

तटीय सामुद्रिक मत्स्यन

5072. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तटीय सामुद्रिक मत्स्यन का विकास करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में इस संबंध में किए गए वास्तविक कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केरल में 8वीं योजना के दौरान इस सम्बन्ध में किए गए कार्य का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

इस समय देश में तटीय समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:

(1) तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास

(क) परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण

इस घटक के अंतर्गत इंजन की लागत के 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है लेकिन यह आउट बोर्ड मोटर के मामले में 10,000 रु. तथा इन बोर्ड मोटर के मामले में 12,000 रु. तक सीमित है। सब्सीडी पर आने वाला खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है लेकिन संघ शासित क्षेत्रों के मामले में यह सारा खर्च केन्द्र वहन करता है।

(ख) प्लाई बुड से बनी नौकाओं को चलाना

इस घटक के अनुसार नौका की लागत के 25 प्रतिशत के बराबर राज सहायता दी जाती है जो 30,000 रुपये प्रति नौका तक सीमित है। राज सहायता का वहन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच बराबर-बराबर किया जाता है तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए पूरी राशि का वहन केन्द्र करता है।

(ग) मध्यम लम्बाई की नौकाएं चलाना

नौकाओं और गियर इकाइयों की लागत का 25% लकिन अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इकाई सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जिसे केन्द्र और राज्य 75:25 के आधार पर वहन करते हैं जबकि संघ शासित क्षेत्रों के मामले में केन्द्र ही इसे पूरा-पूरा वहन करता है।

(2) 20 मीटर से कम लम्बाई वाली यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के दिये जाने वाले हाई-स्पीड डीजल-आयल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत 20 मीटर से कम लम्बाई वाली यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के लिए दिये जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की इन यानों के मालिकों/संचालकों को 351,75 रुपये प्रति किलो मीटर की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है। 1994-95 तक ऐसी प्रतिपूर्ति पर आने वाले खर्च को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 80:20 के आधार पर वहन किया जाता था। 1995-96 से केन्द्र ही इसकी सारी रकम वहन करता है बशर्ते कि राज्य भी ऐसी नौकाओं के लिए दिए जाने वाले हाई स्पीड डीजल को बिक्रीकर से पूर्णतया छूट दे रहे हों।

(3) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों का प्रवर्तन और कृत्रिम चट्टानों एवं समुद्री फार्मिंग परियोजनाओं का क्रियान्वयन

इस योजना के अंतर्गत केन्द्र गश्ती नौकाओं पर आने वाली पूंजीगत लागत का, पश्चिमी तट के लिए वर्ग "क" की नौकाओं के लिए 110 लाख रुपये और पूर्वी तट के लिए वर्ग "ख" की नौकाओं के लिए 90 लाख रुपये की दर से वहन करता है। इसके अलावा, कृत्रिम चट्टानों की स्थापना के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तथा पर्ल आइस्ट खाद्य ऑइस्ट मसेल्स आदि के लिए समुद्री फार्मिंग परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु 20-30 लाख रुपये के केन्द्रीय सहायता अनुदान भी दिए जाते हैं।

(4) बड़ी मत्स्यन बन्दरगाह

इस योजना के अंतर्गत बड़े पत्तनों पर मात्स्यिकी बन्दरगाह सुविधाओं की स्थापना के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान दिया जाता है।

(5) छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बन्दरगाह सुविधाओं और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

विवरण–II

केरल में तटीय समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए दिये गये कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है

योजना का नाम	आठवीं योजना के दौरान दिये गये लाभों का ब्यौरा	8वीं योजना के दौरान जारी किए गए केन्द्रीय हिस्से की राशि
I. तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास		
(क) परंपरागत नौकाओं का यंत्रीकरण	2100 परंपरागत नौकाओं के यंत्रीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।	99.12
(ख) प्लाईवुड नौकाओं को चलाना	120 प्लाई वुड नौकाओं को चलाने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है।	18.00
(ग) मध्यम आकार की नौकाओं को चलाना	5 मध्यम आकार की नौकाओं को चलाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।	7.50
II. 20 मीटर से कम लम्बाई वाली यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं की आपूर्ति किए जाने वाले हाईस्पीड डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्ति	औसतन प्रति वर्ष ऐसी लगभग 50 मत्स्य नौकाओं ने लाभ प्राप्त किया है।	2.75
III. समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियमों का प्रवर्तन और कृत्रिम चट्टानों एवं समुद्री फार्मिंग परियोजनाओं का क्रियान्वयन	केरल के क्षेत्रीय जल में निगरानी करने के लिए 6 गश्ती नौकाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है और कुछ कृत्रिम चट्टानों की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी गयी है।	630.00 (गश्ती नौका) 2.50 (कृत्रिम शैलभिति)
IV. बड़ी मात्स्यिकी	कोचिन में मात्स्यिकी मत्स्यबंदरगाह सुविधाएं चरण–II का निर्माण कार्य चल रहा है।	100.00
V. छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाह एवं मछली उतारने के केन्द्र	एक लघु मात्स्यिकी बन्दरगाह का निर्माण किया जा चुका है और 5 अन्य छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाहों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, 11 मछली उतारने के केन्द्र भी पूर्ण कर लिये गये हैं।	2190.04

पालिका आवास के निकट दुकानें

5073. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के सोरजनी नगर रेलवे स्टेशन के निकट पालिका आवास के पास 9 दुकानों के आवंटियों के नाम क्या हैं;

(ख) ये दुकानें किस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थीं और इस समय इन दुकानों का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ग) इन नौ दुकानों के चारों ओर परकोटे का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) इन दुकानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बेरिकेड का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) प्रश्नागत नौ स्टालों में से केवल सात स्टालों को ही आवंटित किया गया है। इन सात स्टालों के आवंटियों और वर्तमान कब्जाधारियों के नाम निम्न प्रकार हैं:

स्टाल सं.	आवंटी	वर्तमान कब्जाधारक
1	राम प्रकाश	मनमोहन
2.	सतीश चन्द	मनोज (पुत्र)
3.	घनश्याम	(ताला लगा है)
4.	महावीर	अखलख
5.	मोहम्मद इकबाल	मो. इकबाल
8.	अजीत नैयर और राहुल हरित	अजीत नैयर और राहुल हरित
9.	आशित रंजन	टी. सलवान

कुछ शर्तों के पूरा करने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद आवंटन का हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) इन स्टालों को जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किया था तथा इनका इस समय जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, निम्न प्रकार है:

1.	पंसारी	पर्यटक सेवा
2.	पंसारी	पंसारी
3.	पंसारी	(ताला लगा है)
4.	पंसारी	दर्जी
5.	दर्जी	मांस
8.	मेडिकल स्टोर	अभी शुरू होना है।
9.	सब्जी	पर्यटक सेवा

निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर न.दि.न. पालिका द्वारा ट्रेड परिवर्तन की छूट दी जाती है। तथापि, स्टाल संख्या 5 के आवंटी ने पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर परिवर्तन किया है, जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) और (घ). ये नौ स्टाल पालिका आवास हाउसिंग काम्प्लैक्स के निकट एक छोटे से पार्क के एक किनारे में स्थित हैं। इस पार्क के चारों ओर एक दीवार पहले ही बनाई हुई है। स्टालों के चारों ओर एक अलग बाउंडरी वाल अथवा अवरोधक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन.डी.एम.सी. में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5074. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक (वैद्य) चिकित्सकों के पदों पर अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण संबंधी आदेश लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सभी पद भर दिये गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ). इन ग्रेडों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां पूर्णरूपेण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाती हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में एलोपैथिक डॉक्टरों के फिलहाल 5 पद रिक्त हैं। इन पदों में दो आरक्षित पद हैं एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए। आरक्षित पदों सहित इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई जारी है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अप्राधिकृत दुकानें

5075. डा. बलिराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र, विशेष रूप से डी.आई.जेड. क्षेत्र, गोल मार्केट में पार्कों के साथ पटरियों पर दूध, फल और सब्जियां बिना किसी लाइसेंस/अनुमति के बेची जा रही हैं और प्रवर्तन विभाग इसे रोकने की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्राधिकरण के आदेश पर पटरियों पर ये दुकानें चलाई जा रही हैं और इसके परिणामस्वरूप सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं; और

(ग) डी.आई.जेड. क्षेत्र, गोल मार्केट से उक्त दुकानों को हटाने और पटरियों को साफ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार साथ लगे पार्कों की पटरियों पर दूध, फल और सब्जियां बेचने की अनुमति नहीं है। यदि कोई अनधिकृत हॉकर/स्क्वेटर ऐसी चीजों को बेचता पाया जाता है तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा-226 के अन्तर्गत उन चीजों को हटाया जा सकता है। पिछले 6 महीनों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने डी.आई.जेड. एरिया, गोल मार्केट से लगभग 592 गैर लाइसेंसी हॉकरों/स्क्वेटरों को हटाया है।

[अनुवाद]

सीमेंट ढुलाई

5076. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के निम्बहादा और चंदेसिया से सीमेंट लाने ले जाने वाले कंटेनर रैकों की संख्या क्या है;

(ख) 1995-96 के दौरान संबंधित कंपनियों से कुल कितना भाड़ा वसूल किया गया;

(ग) यह भाड़ा किस प्रणाली के अंतर्गत वसूल किया गया;

(घ) क्या उक्त प्रणाली के अंतर्गत लेखा जांच तथा लेखा परीक्षा की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) साधारणतया: निम्बहेड़ा के लिए तीन रेकों और चंदेरिया के लिए दो रेकों की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1995-96 के दौरान निम्बहेड़ा से क्रमश: 157.69 लाख रु. और 470.59 लाख रु. की वसूली की गई।

(ग) अंतर्निहित टन भार और दूरी को ध्यान में रखते हुए रेल दर सूची के आधार पर भारतीय कंटेनर निगम लि. (कनकोर) द्वारा माल-भाड़ा दरें निर्धारित की जाती हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) कनकोर और भारतीय रेलों के बीच पाक्षिक आधार पर कन्टेनर रेकों के लेखे तैयार और तय किए जाते हैं। लेखे आवधिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाते हैं और कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से शरणार्थी

5077. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम में श्रीलंका से भारी संख्या में शरणार्थी पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि देश में शरणार्थियों के साथ-साथ कोई उग्रवादी न आने पाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किस तरह से भारत में प्रवेश किया;

(ङ) कुछ वर्ष पूर्व श्रीलंका से भारत आए उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो अभी भी देश में रह रहे हैं; और

(च) देश में श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा आदि देशों से घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। फरवरी, 1996 से लेकर कुल 1134 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु पहुंचे हैं।

(ग) और (घ). शरणार्थियों के आने उनसे पूछताछ करने और साधारण शरणार्थियों में से उग्रवादी तत्वों को अलग करने के लिए एक प्रणाली पहले ही चालू की जा चुकी है। उग्रवादियों/ उनके समर्थकों को विशेष शिविरों में रखा जाता है ताकि उनकी गतिविधियां सीमित रखी जा सकें।

(ङ) 1992 से पूर्व भारत में घुसे लगभग 57,000 शरणार्थी अभी भी तमिलनाडु के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। लगभग 30,000 शरणार्थी जो राज्य सरकार के पास पंजीकृत हैं, शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे हैं।

(च) भारत सरकार ने श्रीलंकाई प्राधिकारियों को हाल ही में शरणार्थियों के अन्तर्वाह के संबंध में अपनी चिंता से अवगत करा दिया है, श्रीलंकाई प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं-भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, राहत-क्रियाकलाप तथा अन्तर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करना। म्यांमार से हाल ही में शरणार्थियों का कोई अन्तर्वाह नहीं हुआ है। जहां तक बंगलादेश का संबंध है, विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ

अवैध प्रवासन की समस्या को उठाया गया है। घुसपैठ पर, नियंत्रण पाने और इसकी रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं–सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना, बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और गश्त लगाना, तटवर्ती क्षेत्र पर निगरानी और आसूचना संग्रह, आदान-प्रदान और समन्वय/प्रस्तावित निवारक उपायों के संदर्भ में इस मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त कार्य दल तथा सीमा सुरक्षा बल बंगलादेश राइफल्स के मंचों का प्रयोग भी नियमित रूप से किया जाता है।

[हिन्दी]

मक्का निदेशालय

5078. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मक्का निदेशालय कहां स्थित है;

(ख) क्या मक्के का अधिकांश उत्पादन बिहार में विशेषकर बेगुसराय जिले में होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई मक्का शोध केन्द्र नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के बेगुसराय के जिले में उक्त निदेशालय की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) मक्का अनुसंधान निदेशालय (आई.सी.ए.आर.) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) जी, हां। बिहार में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार में बेगूसराय में इसका क्षेत्र सबसे अधिक है।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना के अन्तर्गत अगवाँपुर (जिला–सहरसा) तथा धौली (जिला–मुजफ्फरपुर) में दो अनुसंधान केन्द्र पहले से ही कार्यरत हैं। अगवाँपुर केन्द्र बेगूसराय जिले के बिल्कुल नजदीक है, और बेगूसराय क्षेत्र की आवश्यकता को भी पूर्ति करता है।

(घ) और (ङ). मक्का अनुसंधान निदेशालय के अन्तर्गत आई.ए.आर.आई. क्षेत्रीय केन्द्र, पूसा, जिला–समस्तीपुर (बिहार) को मक्का अनुसंधान के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यह केन्द्र समस्त बिहार राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। शरद ऋतु को मक्का में सुधार के लिए अगवाँपुर केन्द्र को और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। दक्षिणी बिहार तथा आदिवासी क्षेत्रों के लाभार्थ नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची में एक केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई

5079. **श्री अनंत कुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए कर्नाटक को कितने माल डिब्बे आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक को आबंटित माल डिब्बे आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ). मालडिब्बों के आबंटन के संबंध में आंकड़े रेलवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। बहरहाल, कर्नाटक से/तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए मालडिब्बों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जा रही हैं।

रेलवे पास का दुरुपयोग

5080. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के कर्मचारियों द्वारा रेलवे पास का दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच के कोई आदेश दिए गए थे;

(ग) क्या जांच की प्रक्रिया अभी भी चल रही है अथवा पूरी हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख). जी हां।

(ग) जांच कार्य प्रगति पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कीटनाशकों की बिक्री पर रोक

5081. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड फरीदाबाद ने दण्डी विद्यापीठ द्वारा प्रमाणित अपने ही देश में विकसित कीटनाशक ''इंडियारा'' जो फसलों के लिए बहुत लाभप्रद और किसानों को हानिप्रद भी नहीं है के विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, देश में कीटनाशकों के आयात विनिर्माण, बिक्री तथा उपयोग के लिये पंजीकरण करने हेतु कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति के पास 'इंदिरा'' के पंजीकरण के लिये कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये ये प्रश्न नहीं उठते।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाना

5082. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से बारिश के मौसम में पानी रुक जाने की समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को इससे होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए रुके हुये जल की निकासी के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) फरीदाबाद में जल निकासी प्रणाली में सुधार करने संबंधी कार्य को स्वीकृत कर दिया गया और कार्य, अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु संयुक्त कार्यक्रम

5083. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पतालों के अपशिष्ट सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु सरकार ने बंगलादेश के साथ कोई संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश को रेल से जोड़ना

5084. डा. असीम बाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेल परिवहन को सुगम बनाने के लिए राणाघाट-गेडे सेक्शन पर विद्युतीकरण कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है क्योंकि उक्त रेल लाइन बंगलादेश को जोड़ती है?

रेल मंत्रालय में राज्य•मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) राणाघाट-गेडे खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गेडे-दरसाना के रास्ते बंगलादेश को रेल द्वारा निर्यात करना बंगलादेश रेलवे पर अवसंरचनात्मक तंगी के कारण सीमित है।

रेलवे पुल

5085. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागीरथी नदी पर जियागंज को अजीमगंज के साथ जोड़ने हेतु कोई रेलवे पुल था;

(ख) क्या उक्त पुल के पुनर्निर्माण से सियालदह से उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर बंगाल तक की रेल यात्रा में कम समय लगेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के पुनर्निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग). जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीजल इंजिन युक्त रेलगाड़ियां

5086. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के अंतर्गत उज्जैन, इन्दौर, मऊ खांडवा और अजमेर से मीटर गेज पर चलने वाली रेलगाड़ियों में डीजल इंजिन लगाने और रेक को बदलने संबंधी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्दौर-रतलाम और उज्जैन-इन्दौर के बीच मीटर गेज लाइनों पर डीजल इंजन चालित तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां कब से चलाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) पश्चिम रेलवे के अंतर्गत उज्जैन, इंदौर, महू, खंडवा और अजमेर से चल रही मीटर लाइन की गाड़ियों के लिए कोई डीज़ल रेल इंजन बदला नहीं जा रहा है।

(ख) इंदौर-रतलाम और उज्जैन-इंदौर मीटर लाइन खंडों पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नकली कीटनाशक

5087. श्री सुशील चन्द्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने कीटनाशक एकक तकनीकी ग्रेड के कीटनाशक तैयार कर रहे हैं;

(ख) कितने एकंक कीटनाशकों के लिए फार्मूलेशन तैयार करते हैं;

(ग) क्या समय-समय पर नकली कीटनाशकों की बिक्री की शिकायतें प्राप्त होती रहती है;

(घ) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि नकली कीटनाशक न बनाए जाएं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख). तकनीकी ग्रेड की कीटनाशी दवाओं के विनिर्माण में इस समय 125 से अधिक इकाइयां लगीं हुई हैं। लगभग ये सभी इकाइयां कीटनाशकों के योग तैयार करती हैं।

(ग) और (घ). निम्न स्तर के (नकली) कीटनाशियों के बिक्री के बारे में आने वाली शिकायतों पर कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है। 1995-96 के दौरान कीटनाशी दवाओं के 3 प्रतिशत नमूने निम्नस्तर के पाये गये। इस पर की गयी कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कीटनाशी दवाओं की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) कीटनाशी दवाओं के नमूनों की जांच करने के लिये 42 राज्य कीटनाशी दवांजांच प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना की गयी है।

(2) राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के पूरक के रूप में भारत सरकार ने दो क्षेत्रीय कीटनाशी दवा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

(3) कीटनाशी दवा अधिनियम 1968 में किये गये प्रावधान के अनुसार कीटनाशी दवाओं की सांविधिक जांच के लिए फरीदाबाद में एक केन्द्रीय कीटनाशी दवा प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

(4) भारत सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बड़ी संख्या में अधिकारियों को कीटनाशी दवा अधिनियम के अन्तर्गत नमूने लेने के लिये निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण

गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था

1995-96 के दौरान की गयी कार्यवाही की सांख्यिकी

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लाइसेन्स		अभियोजन		
		निलंबित	रद्द	शुरू किया गया	निर्णय प्राप्त हुआ	दोषी ठहराये गये
1.	आन्ध्र प्रदेश	151	2	50	22	15
2.	असम	–	–	3	–	–
3.	बिहार	–	–	–	–	–
4.	हरियाणा	–	–	134	–	–
5.	गुजरात	–	1	42	44	41
6.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	
7.	कर्नाटक	6	2	9	–	–
8.	केरल	–	–	–	–	–
9.	मध्य प्रदेश	63	68	24	1	–

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लाइसेन्स		अभियोजन		
		निलंबित	रद्द	शुरू किया गया	निर्णय प्राप्त हुआ	दोषी ठहराये गये
10.	महाराष्ट्र	18	–	35	4	2
11.	मणिपुर	–	–	–	–	–
12.	उड़ीसा	–	–	–	–	–
13.	पंजाब	–	152	68	–	–
14.	राजस्थान	–	–	7	–	–
15.	तमिलनाडु	20	–	5	10	5
16.	उत्तर प्रदेश	–	1	49	4	4
17.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–
18.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–

[अनुवाद]

शांति निकेतन में बस् पार्किंग

5088. श्री सतन कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शांति निकेतन रेजीडेंट ऐसोसिएशन (पंजीकृत) ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को कुछ समय पूर्व विशेषकर कालोनी के गली नं. 2 में बसों के पार्क किए जाने के कारण होने वाली परेशानी के और संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बसें वहां खड़ी न की जाएं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) स्कूल के अधिकारियों से संपर्क किया गया तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए राजी किया गया कि बच्चों को लाने अथवा छोड़ने में कम-से-कम समय लें। उन्हें अपनी बसें स्कूल परिसर के अन्दर खड़ी करने की सलाह भी दी गई। भाड़े की निजी बसों को घरों के सामने खड़ी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, बसें स्कूल के खुलने/बन्द होने के समय से कुछ पहले ही आ जाती हैं। स्कूल के अधिकारियों को इस समय को घटाकर न्यूनतम करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

मुंशियारी क्षेत्र को मुक्त करना

5089. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुंशियारी क्षेत्र को "इनर लाइन" सिस्टम से मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:

(क) जी नहीं, श्रीमान। उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले का मुंशियारी क्षेत्र पहले ही "इनर लाईन" से बाहर है।

(ख) लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

बिहार में वर्दी घोटाला

5090. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री संतोष मोहन देव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 70 लाख रुपए के वर्दी खरीद घोटाले में बिहार के भारतीय पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोटाले में बिहार के कितने आई.पी.एस. अधिकारी शामिल हैं;

(ग) क्या लगभग सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कई आई.पी.एस. अधिकारी अनेक घोटालों में सम्मिलित पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से आई.पी.एस. अधिकारियों के शामिल होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). बिहार में खरीद घोटाले के अलावा, किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से अभी तक किसी भी घोटाले में किसी भी भा.पु.सेवा के अधिकारी के संलिप्त होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। किसी घोटाले में/अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने वाले भा.पु.सेवा के अधिकारी के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(क) 70 लाख रुपए के खरीद घोटाले से संबंधित मामले में पटना में सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने के बाद न्यायालय ने बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों नामत: सर्व/श्री आर.सी.खान, आर.एच.दास, बी.एम. दिवाकर, अनिल कुमार और अजात दत्ता के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। श्री आर.एच. दास को गिरफ्तार किया गया था और 3 अन्य अधिकारियों नामत: सर्व/श्री आर.सी. खान, वी.एम. दिवाकर, अनिल कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पांचवे अभियुक्त श्री अजित दत्ता को पटना उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि वे, ''न्यायालय द्वारा समर्पण करने के लिए निर्धारित तिथि'' को विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण करें।

(ख) सेवारत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से अभी तक केवल उपर्युक्त अधिकारियों को ही इन घोटालों में संलिप्त पाया गया है।

[हिन्दी]

भोपास गैस पीड़ित

5091. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षो के दौरान भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सभी गैस पीड़ितों में पाई गई आम बीमारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बीमारियां असाध्य हैं;

(घ) भोपाल गैस पीड़ितों के समुचित उपचार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुचित चिकित्सा उपचार की अनुपलब्धता के कारण मृत रोगियों की संख्या क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्षो के दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) भोपाल गैस रिसाव पीड़ितों के उपचार के लिए और उनके लिए भोपाल में चिकित्सा मूल ढाँचे की स्थापना के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 5777 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रकार किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना

5092. श्री एन.एस.वी. चित्यन:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री ओ. भारथन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना ने बंगलौर स्थित विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिए फ्लाई एश निस्सरण आदि की मात्रा के बारे में जानबूझ कर गलत आंकड़े दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फ्लाई ऐश निस्सरण संबंधी आंकड़ों की पुन: जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्नाटक के किसानों द्वारा इस प्रस्तावित विद्युत परियोजना का विरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त परियोजना में खपत होने वाले विशिष्ट कोटि के कोयले को ध्यान में रखकर लगभग 1450 टन/प्रतिदिन राख पैदा होगी। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तदनुसार ही विशिष्ट कोटि के कोयले के उपयोग, प्रबंधन और राख के निपटाने के लिए आवश्यक शर्तें लगाई हैं।

(घ) से (च). स्थानीय लोगों से परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास, समुद्री जल का प्रदूषण और मछली पालन, वनस्पतिजात, प्राणिजात पर इसका प्रभाव, अच्छी कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र का विनाश जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन मुद्दों की जांच नाप विद्युत परियोजना विशेषज्ञ समिति ने की थी और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित

किए जाने के लिए आवश्यक उपशामक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

मुर्गी के अंडे

5093. श्री डी.पी. यादव : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुर्गी के अंडों की अत्यधिक मांग है;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इस समय देश में अंडों की राज्यवार उपलब्धता तथा कुल आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(घ) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) 1996-97 के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग). कुक्कुट अण्डों की मांग मूल्य तथा उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति पर निर्भर करती है। अण्डों की मांग के लिए कोई अलग मानक नहीं हैं। वर्ष 1995-96 में अण्डा उत्पादन के राज्यवार आंकड़ें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पशुपालन एक राज्य का मामला है। भारत सरकार, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है। बंगलौर में स्थित केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म की स्थापना के अतिरिक्त इसने बंगलौर, मुम्बई, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ में बड़े पैमाने पर चार केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित किए हुए हैं। ये फार्म अण्डे तथा ब्रायलर के प्रजनक चूजे उत्पादित करते हैं। राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के फार्मों के अलावा ये फार्म उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अण्डों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

(ङ) वर्ष 1996-97 के लिए अण्डा उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य भी विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यवार अण्डा उत्पादन (संख्या मिलियन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		वर्ष	
		1995-96 (अनन्तिम)	1996-97 (लक्ष्य)
1.	आंध्र प्रदेश	5495	4700
2.	अरूणाचल प्रदेश	33	34
3.	असम	604	640
4.	बिहार	1420	1498
5.	गोवा	104	92
6.	गुजरात	450	390
7.	हरियाणा	570	400
8.	हिमाचल प्रदेश	71	70
9.	जम्मू और कश्मीर	382	369
10.	कर्नाटक	1563	1820
11.	केरल	1991	2600
12.	मध्य प्रदेश	1130	1130
13.	महाराष्ट्र	2600	3417
14.	मणिपुर	124	164
15.	मेघालय	75	90
16.	मिजोरम	3	3
17.	नागालैण्ड	40	47
18.	उड़ीसा	587	800
19.	पंजाब	2510	2670
20.	राजस्थान	450	350
21.	सिक्किम	17	19
22.	तमिलनाडु	3046	2960
23.	त्रिपुरा	44	44
24.	उत्तर प्रदेश	690	2500
25.	पश्चिम बंगाल	2800	3000

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष	
	1995-96 (अनन्तिम)	1996-97 (लक्ष्य)
संघ शासित प्रदेश		
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	52	67
2. चण्डीगढ़	35	38
3. दादर व नगर हवेली	4	6
4. दमन और दीव	4	2
5. दिल्ली	70	60
6. लक्षद्वीप	5	6
7. पाण्डिचेरी	10	15
कुल	26979	30000

[अनुवाद]

रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

5094. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल:
श्री सनत मेहता:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन्य जीव अभ्यारण्यों वाले क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अनुमति नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात सरकार से इस प्रकार कार्यक्रम संबंधी कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वन्यजीव अभयारण्यों में विशेष रूप से वन्य जीवों और सामान्यत: जैव विविधता के संरक्षण को प्रमुखत: प्राथमिकता दी जाती है। रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को वहीं तक कार्यान्वित किया जा सकता है, जहां तक वे इन उद्देश्यों के अनुरूप हों।

(ग) मंत्रालय में इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

कागज कारखाने को स्वीकृति दिया जाना

5095. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुणे में मेसर्स सिनट मास पल्प एण्ड पेपर (ईंडिया) लिमिटेड को उससे पर्यावरण संबंधी प्रभावों का बिना उचित आकलन कराए ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पनी द्वारा अपने बहि:स्राव के निपटान हेतु अपनी जमीन खरीदे जाने के बजाए उसे बहि:स्राव को खुले नाले में बहाने की अनुमति दे दी गई है और साथ ही उसे उज्जैनी बांध से पानी लेने की भी अनुमति दे दी गई है जबकि वहां किसानों के उपयोग हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शोधित बहिस्रावों को एक 8-10 कि.मी. लंबी पाइप लाइन के जरिए वर्तमान पेयजल स्कीमों से नीचे की ओर नीरा नदी के वेसिन में प्राकृतिक नाले में विसर्जित किया जाएगा। कम्पनी ने उज्जैनी बांध से पानी लेने के लिए महाराष्ट्र राज्य सिंचाई विभाग के साथ एक समझौता भी किया है।

(घ) से (च). राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण उपायों और उक्त परियोजना के संचालन पहले मंजूर की गई सहमति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

समुद्री सम्पदा की क्षमता

5096. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की समुद्री सम्पदा का पूर्ण दोहन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सम्पूर्ण समुद्री सम्पदा की क्षमता के दोहन के लिए कोई योजना कार्यान्वयनाधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग). 1995-96 में समुद्री मत्स्य उत्पादन अनन्तिम रूप से 27.07 लाख मी. टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भारतीय एकान्तिक आर्थिक अंचल की क्षमता 39.00 लाख मी. टन है। इस क्षमता के पर्याप्त हिस्से का दोहन किया जा रहा है और 1984-85 से 1995-96 की अवधि के दौरान समुद्री मत्स्य उत्पादन में 4.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संतोषजनक वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ). देश के पूर्ण समुद्री क्षमता का दोहन करने के लिये निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की गई हैं:

1. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण

(2) मध्यम आकार तथा प्लाईवुड की नौकाओं की शुरुआत

(3) 20 मीटर से कम लम्बाई की यन्त्रीकृत मत्स्यन नौकाओं के लिये आपूर्ति किये गये एच.एस.डी. तेल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्ति।

2. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमन को लागू करना तथा कृत्रिम शैल भित्ति तथा समुद्री मत्स्य पालन संबंधी परियोजनायें शुरू करना।

3. प्रमुख पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तथा छोटे मत्स्यन बन्दरगाहों और मत्स्य अवतरण केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

इन योजनाओं से समुद्र के ऊपरी तथा निचली सतह पर मत्स्यन के लिये समुद्री गहरे पानी में दूर तक जाने तथा माल उतारने और समुद्र में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक जाने के लिये नौकाओं को तेजी से वापस ले जाने में मछुआरों को मदद मिलेगी।

उपर्युक्त के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय देश को समुद्री मात्स्यिकी क्षमता का दोहन करने के लिये विभिन्न योजनायें क्रियान्वित करते रहे हैं, जैसे-

(1) गहरे समुद्र में मत्स्यन तथा प्रसंस्करण के लिये सहायता अनुदान।

(2) गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाली नौकाओं की अधिप्राप्ति के लिये ब्याज राजसहायता देने के लिये सहायता अनुदान।

(3) विविधीकृत मत्स्यन के लिये सहायता अनुदान।

(4) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण।

(5) निर्यात उत्पादन-पकड़ी जाने वाली मछली।

(6) निर्यात उत्पादन-पाली जाने वाली मछली।

(7) नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा आधुनिकीकरण।

चुराये गए वाहनों के पुर्जों को बदलना

5097. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पकड़े गए वाहनों के पुर्जे बदलने के लिए दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पूर्व अनुभवों को देखते हुए तलाशी के दौरान जब्त की गई वस्तुओं के संबंध में कोई परिवर्तन न किया जाये इस आशय की गारन्टी/बंधपत्र/प्रस्ताव क्या हैं; और

(घ) क्या पुलिस द्वारा उन लोगों से जिनसे वस्तुएं जब्त की जाती हैं अथवा वसूली जाती हैं या उस व्यक्ति से जो नकदी सहित वस्तुओं को जमा कराता है को नकदी सहित जब्त किए गए वसूले गए अथवा जमा की गई वस्तुओं के संबंध में कोई सरकारी रसीद दी जाती है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के अनुसार निकट अतीत में ऐसा कोई दृष्टान्त सामने नहीं आया है।

(ग) जब्त की गई और पुलिस मालखाने में रखी गई संपत्तियों में हेराफेरी छोटी/मोटी चोरी/अदला बदली से बचाव के लिए मामले से संबंधित संपत्ति की अभिरक्षा के लिए स्थाई आदेश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कार्मिकों की जब्त की गई वस्तु का पूरा विवरण (नामतः संपत्ति की किस्म, कीमत, बनावट आदि) जब्ती मीमो में देना होता है और जब्ती के दौरान मौजूद गवाहों के हस्ताक्षर लेने होते हैं। थाना प्रभारी तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मालखाने में रखी संपत्ति का आवधिक सत्यापन करते हैं।

(घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के प्रावधान के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिए यह जरूरी है कि जब्ती के

समय दो या दो से अधिक निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में जब्ती/बारामदगी की सूची तैयार करे और उन सूचियों पर गवाहों से हस्ताक्षर भी कराए। ऐसी ही सूची किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास जमा कराई गई वस्तुओं/नकदी के संबंध में तैयार की जाती है। उपर्युक्त धारा में किए गए प्रावधान के अनुरूप उचित रसीद दी जाती है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

5098. श्री प्रमोद महाजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह सचिव ने भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) के विरुद्ध लगाए गए तथाकथित आपराधिक आरोपों के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). केन्द्रीय गृह सचिव ने बिहार राज्य सरकार से उन आपराधिक मामलों के ब्यौरे मांगे थे, जिनमें श्री तसलीमुद्दीन कथित रूप से संलिप्त थे। आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

बिहार में संवैधानिक तंत्र का विफल होना

5099. श्री जार्ज फर्नांडीज:
श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त, 1996 को दिए गए निर्णय में कहा है कि बिहार में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान की धारा 356 का उपयोग किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त): (क) और (ख). बिहार में नगर पालिकाओं को भंग किए जाने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "मौजूदा मामले में राज्य सरकार द्वारा अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है जिससे हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के एक आधारभूत स्तम्भ को खतरा पैदा हो गया है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है जिसके कारण तुरन्त ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है...." मौजूदा मामले में संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों को लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सूरत रेलवे स्टेशन का विकास

5100. श्री छीतू भाई गामीत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सूरत रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन के विकास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सूरत स्टेशन के विकास हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(घ) उक्त स्टेशन का विकास कार्य कब से आरंभ कर दिया जाएगा; और

(ङ) सरकार द्वारा कार्य को शीघ्राशीघ्र कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ङ). सूरत स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार पहले ही सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मौजूदा सुविधाओं में आगे और वृद्धि करने के लिए ऊपरी पैदल पुलों तथा प्लेटफार्म के सायबानों के विस्तार से संबंधित कार्यों को 50 लाख रु. की लागत पर शुरू किया गया है और इसे दिसम्बर 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पूर्वी दिशा में नये बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था से संबंधित कार्य को भी 12 लाख रु. का लागत पर 1996-97 में स्वीकृत किया गया है और इसे अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

कनाडा के नागरिक के विरुद्ध मुकदमा

5101. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बदरपुर पुलिस स्टेशन द्वारा कनाडा के एक नागरिक जिसके पास कनाडा सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट मौजूद था के विरुद्ध 30 मई, 1996 को एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस उसके और ठिकानों का पता नहीं लगा पाई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली के बदरपुर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी ने सहायक पुलिस आयुक्त की मंजूरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि के तीन सप्ताह के अन्दर यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से एल.ओ.सी. (युक्त आउट और कलप्रीट) खोलने का अनुरोध किया था ताकि अभियुक्त भारत छोड़कर न जा सके;

(ङ) यदि हां, तो एल.ओ.सी. की प्रक्रिया कब शुरू की गयी थी;

(च) क्या इस प्रक्रिया के शुरू होने के बावजूद अभियुक्त कनाडा चला गया था;

(छ) यदि हां, तो इस सुरक्षा खामी के क्या कारण हैं; और

(ज) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग). जी हां, श्रीमान। शिकायत प्राप्त होने पर बदरपुर पुलिस स्टेशन में 30.5.1996 को कनाडा के एक राष्ट्रिक के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। तथापि, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त का पता सूचित नहीं किया था फिर भी पुलिस ने अभियुक्त को संभावित स्थानों पर खोजने के प्रयास किए लेकिन उसका पता नहीं लग सका। जैसा कि बाद में पता चला कि अभियुक्त 28.5.1996 को अर्थात मामला दर्ज होने से पहले ही देश छोड़कर जा चुका था।

(घ) और (ङ). जी हां, श्रीमान। पुलिस उप-आयुक्त (दक्षिण) ने 31.5.1996 को इस प्रकार का अनुरोध किया था जिसके आधार पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने 1.6.1996 को एल.ओ.सी. खोल दी।

(च) से (ज). बदरपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज होने से पहले ही अभियुक्त देश छोड़कर चला गया था। अतः कोई सुरक्षा खामी नहीं थी।

सिकंदराबाद से बेलापुर तक रेलगाड़ी

5102. श्री येल्लैया नंदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद से बेलापुर तक के लिए रेलगाड़ी सप्ताह में केवल एक ही बार जाती है जिसके कारण हैदराबाद/सिकंदराबाद से शिरडी जाने वाले तीर्थयात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के शिरडी तक बारास्ता बेलापुर रेल लाइन का विस्तार करने और उपरोक्त मार्ग पर अधिक गाड़ियां चलाने के लिए कोई प्रस्ताव हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) साप्ताहिक 7061/7062 सिकन्दराबाद-बेलापुर एक्सप्रेस जो सिकन्दराबाद से शनिवार को और बेलापुर से रविवार को चलती है, सिकन्दराबाद/हैदराबाद और शिरडी के बीच सप्ताहांत तीर्थयात्री यातायात को कुल मिलाकर पूरा करती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का उत्पादन

5103. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु "ब्राउन रिवोल्यूशन" का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है और कुछ उपाए सुझाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों की लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ). केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के प्रमुखों को 15 जुलाई, 1996 को पत्र लिखा है और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिये उनसे अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

स्टाम्प शुल्क घोटाला

5104. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई माह के दौरान उत्तर प्रदेश में 35.59 करोड़ रुपये के स्टाम्प शुल्क घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस स्टाम्प शुल्क घोटाले के बारे में तथ्यों का पता लगाया है;

(ग) क्या इस घोटाले की जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी जांच कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। श्री आर.पी. गुप्ता, सेवानिवृत्त उप-रजिस्ट्रार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409/420/477-क/119/120, स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अन्तर्गत कोतवाली थाना कानपुर में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, यह मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उत्तर प्रदेश को भेजा गया है।

"वन क्षेत्र में विकास परियोजनाएं" के बारे में दिनांक 27 अगस्त, 1996 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3108 में शुद्धि करने वाला विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): मैं "वन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं" के बारे में दिनांक 27 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3108 के उत्तर के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तरण की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का दिया गया उत्तर निम्नलिखित है:

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृपया इनके सही उत्तर को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:

(ख) और (ग). कर्नाटक सहित देश के वन क्षेत्रों में अवैध खनन के बारे में रिपोर्टें क्षेत्रीय कार्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों आदि सहित विभिन्न मंचों से समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं। ये रिपोर्टें अधिकांशत: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वन भूमि पर चल रही खनन गतिविधियों अथवा पूर्व खनन पट्टे के समाप्त हो जाने के बाद वन भूमि पर खनन कार्यों के जारी रहने से संबंधित हैं। इस प्रकार के सभी मामलों में राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करके वन भूमि पर चल रही खनन गतिविधियों को तत्काल रोक दिया जाए। इसके अलावा, उल्लंघन के ऐसे मामलों पर पैनल वनीकरण की शर्त निर्धारित करते हुए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

12.00 बजे मध्याह्न

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): महोदय, मैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-480/96]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) का.आ. 574 (अ) जो 20 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है।

(2) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1996 को 20 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 575 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. -481/96]

मध्य प्रदेश राज्य में डेयरी विकास निगम इत्यादि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन): महोदय, मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-482/96]

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 तथा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूँ:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 481 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसने निदेश दिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र नगरों, बुनियादी सुविधाओं और ऐसे अन्य क्रियाकलापों का विस्तार जिनके कारण प्रदूषण और भीड़भाड़ हो सकती है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट "विकास रहित क्षेत्र" में अनुज्ञेय नहीं होगा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-483/96]

(2) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 जो 2 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3131 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-484/96]

(4) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-485/96]

रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): महोदय, मैं रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996, जो 12 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी.-486/96]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे उत्तर प्रदेश के बागपत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री अजित सिंह का दिनांक 9 सितम्बर 1996 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने, दिनांक 9 सितम्बर 1996 से प्रभावी, मानते हुये उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): क्या आपको पं. सुखराम की ओर से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, क्या आपको श्री सुखराम की ओर से कोई जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्हें कल आना था?..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने बताया है कि मुझे उनके दो पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें उन्होंने सभा में उपस्थित होने में असहमति व्यक्त की है।

...(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, आपकी जानकारी के अनुसार, उनकी आज आने की संभावना थी।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: जानकारी क्या थी?...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप धैर्य क्यों नहीं रखते हैं? कृपया धैर्य रखें, कृपया बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप बैठते क्यों नहीं हैं?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मुझे 54 माननीय सदस्यों की ओर से शून्य काल में अपने विशेष उल्लेख करने के लिये सूचना प्राप्त हुई है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी स्थिति को समझने का प्रयास कीजिये। मैं आप सभी को अवसर देना चाहता हूँ। प्रत्येक माननीय सदस्य को एक-एक मिनट मिलेगा। अत: यदि आप सभी को बोलना है तो आप लोग आपस में समय का विभाजन कर लें। परन्तु, यदि प्रत्येक सदस्य एक-एक मिनट के स्थान पर दस-दस मिनट लेगा तो मैं इसके लिये जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अत: आपको स्वयं को नियमित करना होगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुंबई उत्तर पूर्व): आपको अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने इस आशय की सूचना नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय: जी हाँ, मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): मैं एक मिनट ही लूंगा। बरेली के अंदर दूरदर्शन केन्द्र की मांग काफी समय से की जा रही है और 1991 में इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी। जनवरी 1994 में दूरदर्शन केन्द्र का विधिवत उद्घाटन भी हुआ और 30.6.1995 को तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा पी.जी.एफ. केन्द्र का उद्घाटन किया गया परन्तु खेद की बात है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी रंगकर्मियों को पी.जी.एफ. की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित केन्द्र जिसमें लाखों रुपए प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं, केवल सफेद हाथी बनकर रह गया है। बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है। यहां पर ये सुविधाएं तुरन्त मिलनी चाहिए। बरेली के रंगकर्मी इस कारण हड़ताल पर भी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें तथा विशेष रूप से पी.जी.एफ. की सुविधाएं तत्काल प्रारम्भ करने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी करें। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री वी.एम. सुधीरन् (अलैप्पी): महोदय, संसद सदस्यों और केरल सरकार से लगातार अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय अपने तटीय प्रबंध योजना पर अड़ा हुआ है और उसने तटीय क्षेत्रों में तटीय निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार उच्च लहरों की रेखा के समीप 500 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है और पश्चजल और नदी से 100 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

इससे केरल के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे राज्य के मछुआरे अनेक रूपों में विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यह राज्य के पर्यटन उद्योग को भी विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। केरल सरकार और केरल के संसद सदस्यों ने इस तथ्य की जानकारी भारत सरकार को दी है। परन्तु इस पर पर्यावरण मंत्रालय अपने पिछले रुख पर ही अड़ा हुआ है। (**व्यवधान**) महोदय इससे पहले से विद्यमान अनिश्चितता और बढ़ गई है और केरल के लोगों के मन में एक प्रकार की शंका पैदा हो गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले पर वे खुले मन से विचार करें और अधिसूचना से प्रावधानों में संशोधन करने और केरल के लोगों के हितों को अनुकूल मार्ग निर्देश तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठायें। इस मामले के मद्देनज़र मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इस ज्वलंत मुद्दे का हल निकालने के लिये केरल के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाये। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इंडियन बैंक में हालत बहुत ही गम्भीर है। इस बैंक को वर्ष 1995-96 के दौरान 1336.40 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा।

यह घाटा बढ़कर 1712 करोड़ रुपए हो गया है।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय: यह बात उनके ध्यान में और सरकार के ध्यान में भी है।

...(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य: असक्रिय परिसम्पत्ति (नॉन परफोरमिंग एसैट) 37.8 प्रतिशत है और कुल घरेलू ऋण की राशि 7800 करोड़ रुपए है। इसकी समस्त पूँजी और आरक्षित पूंजी जो 1050 करोड़ रुपए थी समाप्त हो गई। यह सभी घटनाएं इंडियन बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष के मनमाने ढंग से कांम करने और भ्रष्ट कारनामों का परिणाम है। ऋण का मूल्यांकन किए बिना और ऋण अदायगी की क्षमता का पता लगाए बिना बैंक ने कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को जो कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, उनकी वित्तीय स्थिति के अनुपात से अधिक के भारी राशि के ऋण मंजूर किए। मैं उन कम्पनियों के नाम बता सकता हूँ। ये कम्पनियां हैं:-एम आर यू जिसकी असक्रिय परिसम्पत्ति (नॉन परफोरमिंग ऐसेट) 350 करोड़ ऊपर है। ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस जिसकी असक्रिय परिसम्पत्ति (नॉन परफोरमिंग ऐसेट) 150 करोड़ रुपए है, जेमिनि पिक्चर, जेजे टेलीविजन, रामा रावे अदिक एजूकेशनल समिति, साकेत इंडिया, गणपति एक्सपोर्टस, स्कवैर डील एजेन्सी, सिनक्लेयर टेलीविजन, हेमराज महावीर 'प्रसाद ग्रुप्र, कलकत्ता, जया प्रकाशन, लीजेन्ट स्टे, कोडिकनाल, एस एम डाइचम...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय: मैं वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। कृपया दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका दें।

श्री बसुदेव आचार्य: इसको मद्देनजर रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बारीकी से जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाएं और सभी असक्रिय परिसम्पत्तियों की वसूली करने और 1369 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने के लिए एक ऋण वसूली अधिकरण का गठन किया जाए। इस बैंक को फिर से सामान्य रूप से चालू किया जा सके।

अत: महोदय इंडियन बैंक के कार्यों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा गहराई से जांच कराई जाए। धन्यवाद ...(**व्यवधान**)

डा. मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) महोदय, सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग 40 वर्ष पहले गठित किया गया था। इस बीच, छोटे राज्यों का गठन करने के लिए कई मांगें की गई थी। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य का गठन करने के बारे में घोषणा कर दी है। इसी के साथ गृह मंत्रालय झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करने की संभाव्यता के बारे में जाँच कर रहा है।

वर्ष 1969-70 में एक पृथक टेलंगाना राज्य बनाने के बारे में एक ऐतिहासिक आन्दोलन हुआ था। उस समय उस आन्दोलन में छात्र, अराजपत्रित अधिकारी और आम जनता उस आन्दोलन में शामिल थी। एक पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को लेकर 300 से अधिक लोगों की जाने गई थीं। वर्ष 1971 के लोक सभा चुनावों में, तेलंगामा के लोगों ने तेलंगाना राज्य के नाम पर 14 में से 10 सदस्यों को अपना मत देकर चुनाव में विजयी बनवाया था। तथापि, एक छह सूत्रीय समझौता किया गया था जो अन्तत: नकामयाब रहा।

मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की घोषणा करें और सरकार दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करें ताकि इन मागों को राज्य पुनर्गठन आयोग के पास भेज सकें जो छोटे राज्यों की व्यवहार्यता के बारे में स्थिति का जायजा ले सकें।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम नहीं बुलाया है। आपको अनुपूरक प्रश्न के एक भाग के रूप में इसी किस्म का प्रश्न पूछने का अवसर पहले ही दिया जा चुका है। मैं आपको दूसरा अवसर नहीं दूंगा। यह उचित नहीं है। एक ही मामला दिन में दो बार नहीं उठाया जा सकता है

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं हर किसी को बोलने का अवसर दूंगा। आप चिन्तित क्यों हैं?

...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट इस सदन द्वारा पास किया गया और उसके बाद दिल्ली में सारी पोलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया कि यह एक्ट गलत पास हुआ है तथा कहा कि इस बिल में अमेंडमेट आनी चाहिए। इस वजह से दिल्ली में कई बार बन्द का आह्वान किया गया। यहां के किराएदार और व्यापारी इस बिल से सख्त नाराज हैं। दिल्ली सरकार ने भी ऑल-पार्टी मीटिंग करके अपनी रिकमेंडेशन केन्द्र सरकार को भेजी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस एक्ट में जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट लाने की दिशा में कदम उठाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाना चाहती हूं। आपने समय की एक मिनट की सीमा लगा दी है वरना यह मुद्दा बहुत ही लम्बे तौर पर कहने वाला है।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको $1^1/_2$ मिनट देता हूँ।

[**हिन्दी**]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं उसी समय-सीमा में अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। सरकार की तरफ से रोज धर्मनिरपेक्षता दी दुहाई दी जाती है लेकिन मुझे यह लगता है कि अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम धीरे-धीरे संस्कृति निरपेक्ष होते जा रहे हैं। धर्म और संस्कृति के बीच का अंतर भूलते जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, आपको भी बहुत बार ट्रनों में जाने का अवसर मिला होगा। ट्रनों में सुबह-सुबह 7 बजे डिवोशनल सोंग्स चला करते थे। भक्ति संगीत के भजनों की केसेट्स चला करती थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे बड़ौदा से राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आने का मौका मिला तो मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी हुई कि सुबह 7 बजे डिस्को संगीत की धुन पर फिल्मी गाने बज रहे थे। मेरे पास वहां के यात्री भी आए और उन यात्रियों ने मुझे 80 लोगों के हस्ताक्षरयुक्त लिखा हुआ एक ज्ञापन भी दिया। मैंने अधिकारियों को बुला कर पूछा तो मुझे हैरानी हुई, उन्होंने मुझे एक लिखा हुआ निर्देश दिखाया जो रेल मंत्रालय की तरफ से था। जिसमें लिखा था।

[अनुवाद]

ट्रेनों में कोई भी भक्ति संगीत नहीं चलाया जाएगा। और इस आदेश का अनुपालन शीघ्र किया जाए।

[हिन्दी]

अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या यह भक्ति संगीत भी किसी एक धर्म की बपौती है। हो सकता है कुछ लोगों को राम, कृष्ण और शिव के नाम से एलर्जी हो। खैर, वह भी रेल मंत्री जी को तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनके नाम में राम का शब्द अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आज सैकड़ों केसेट्स ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें किसी का नाम नहीं है। "अल्हा तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम", यह किस धर्म का भजन है? इसी प्रकार-

"ऐ मैलिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम,

नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकलें दम।"

यह किस धर्म का भजन है।

"हमको मन की शक्ति दे, हम विजय करें,

दूसरो की जय से पहले खुद को जय करें।" यह किस धर्म का भजन है?

महोदय, मैं पूछता चाहती हूं कि कौन सी चीज के तहत यह आदेश दिया गया है कि रेलों में डिवोशनल सोंग्स नहीं चलाए जाएंगे। रिलिजियस म्युजिक नहीं बजेंगे और सुबह-सुबह हम पर डिस्कों संगीत की धुन पर बजने वाला संगीत लादा जाएगा। मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है कि अभी जन्माष्टमी के पर्व पर आप स्वयं तीन घंटे तक भजनों का आनन्द लेकर आए। ट्रनों में एक आध्यात्मिक वातावरण बनता था, एक आनन्द की अनुभूति होती थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से गुजारिश करना चाहती हूं कि इस तरह के जो बेहूदा निर्देश दिए गए हैं वे तत्काल रद्द होने चाहिए और ट्रनों में वापिस डिवोशनल सोंग्स चालू किए जाने चाहिए।

श्रीमती सुमिता महाजन (इंदौर): श्रीमान् अध्यक्ष महदोय, अभी सुषमा जी ने जो बात कही और जिस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संस्कृति पर आघात होता है, उसी प्रकार एक दूसरा आघात इस हिन्दुस्तान में फिर हो रहा है। आज जिस प्रकार से विश्व सुंदरी प्रतियोगिता बंगलौर, कर्नाटक में आयोजित हो रही हैं, वह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहती, यह सभी को तय करना है। लेकिन जो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है इसके बारे में हमें कुछ मुद्दों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस विश्व संदरी प्रतियोगिता का विरोध कई महिला संगठन, कई दूसरे संगठन भी कर रहे हैं। यहां तक विरोध हो रहा है कि आत्मघाती दस्ते भी तैयार हो रहे हैं जो इसका विरोध करेंगे। मैं कुछ मुद्दे आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे एकदम हिन्दुस्तान की महिलाएं विश्व सुंदरी बनना शुरू हो गईं। क्या यह कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है?

महोदय, यह गंभीरता से सोचने वाली बात है। क्या यह हमारे यहां के कंज्यूमर मार्केट पर एक प्रकार का आक्रमण नहीं है? मैंने देखा है कि विश्व सुंदरियों का उपयोग बड़ी कम्पनी के प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए होता है। दूसरी बात मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं हैं। यह कोई ऐसा आइटम नहीं है, इससे हमारी संस्कृति पर एक प्रकार से आघात होता है। एक छोटा सा उदाहरण है और बहुत ऑबजेक्शनेबल बात है कि हमारे देश की मानसिकता कैसे बदलती जा रही है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां के बच्चे-बच्चे की मानसिकता बदलेगी।

हमारे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैडम, टाइम होता तो आपको और सुन लेते, लेकिन टाइम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): हमारे यहां की महिलाओं के लिए जो बातें कहीं कि...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: द्रौपदी को भी निर्वस्त्र किया गया था, सीता को भी किस प्रकार से उड़ाकर ले गये थे। उन्होंने कहा कि हम किसी पेड़ को देखते हैं, किसी पहाड़ी को देखते हैं तो किसी नग्न-स्त्री को देखने में क्या आपत्ति है। उनका कहना है कि अगर कोई महिला अपने आपको नग्न दिखाना चाहे तो देखने में क्या आपत्ति है। अगर मुख्यमंत्री की यह मानसिकता है तो यहां के बच्चों के चरित्र पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। अध्यक्ष, जी इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी): मोहतरम स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अलमिये की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

شری جی۔ایم۔ بنات والا : محترم اسپیکر صاحب ۔ میں ایک بہت ہی زبردست المیہ کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں ۔

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (दक्षिण बंगलौर): महोदय, इन्होंने यह कहा था।

अध्यक्ष महोदय: आप उन सदस्यों के अधिकारों को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने नोटिस दिया हुआ है?

श्री अनन्त कुमार: लेकिन प्रश्न यह है कि सदन को इसे नोट करना चाहिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका गलत है।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं एक अर्से से इस मामले को यहां सदन में उठाना चाहता था। यह इन्तिहाई दु:ख की बात है कि महाराष्ट्र के एक इलाके भिवंडी के अंदर खाना खाने से 82 से ज्यादा लोग हलाक हो गये। हमारे हैल्थ मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे थे। उनकी भी यह राय थी कि अस्पताल में डाक्टरों और लोकल अथॉरिटी ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती। महाराष्ट्र की हुकूमत ने हलाकशुदा लोगों को केवल 25 हजार रुपए दिए।

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی) : میں ایک عرصے سے اس مسئلے کو یہاں سدن میں اٹھانا چاہتا تھا ۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مہاراشٹر کے ایک علاقے بھیونڈی کے اندر کھانا کھانے سے ۸۲ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوگئے ۔ ہمارے ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پر پہنچے تھے ۔ ان کی بھی یہ رائے تھی کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں اور لوکل اتھارٹی نے بہت زیادہ لاپرواہی برتی ۔ مہاراشٹر کی حکومت نے ہلاک شدہ لوگوں کو کیول ۲۵ ہزار روپئے دئے ۔

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बनातवाला जी, यह राज्य का विषय है।

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं अपील करना चाहता हूं कि यह 25 हजार रुपए की रकम नाकाफी है, इसलिए केन्द्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और गंभीर रूप से बीमार लोगों और जो लोग मर गये हैं उनके रिश्तेदारों को बढ़ी हुई रकम पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाने चाहिए।

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی) : میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ۲۵ ہزار روپئے کی رقم ناکافی ہے ۔ اس لئے کیندر سرکار کو اور پردھان منتری جی کو آگے آنا چاہئے اور گمبھیر روپ سے بیمار لوگوں کو اور جو لوگ مر گئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو بڑھی ہوئی رقم پہنچانے کے لئے فوری طور پر قدم اٹھانے چاہئے ۔

[अनुवाद]

महोदय, मैं केरल में तटीय प्रबन्धन नीति के बारे में पहले प्रस्तुत मुद्दे का भी समर्थन करता हूं। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामला है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह केरल के संसद सदस्यों को भी विश्वास में ले और उसके उपरान्त नीति में तदनुरूप संशोधन करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप अपनी सूचना के सतत क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं।

...**(व्यवधान)**...

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त मोर्चा के घोषणा पत्र के अनुसार, सरकार ने वायदा किया है कि चालू सत्र के दौरान वे संसद में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण सम्बन्धी एक विधेयक को प्रस्तावित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं मैं उनसे यह जानना चाहती हूं कि क्या वह विधेयक चालू सत्र में प्रस्तावित किया जाएगा अथवा नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, संसद में महिलाओं के आरक्षण सम्बन्धी विधेयक के बारे में नोटिस दिया जा चुका है और मैं आशा करता हूं कि आज अथवा कल अपनी अनुमति मिलते ही उसे पुर:स्थापित किया जाएगा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मन्त्री जी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं।

...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, विधेयक आज परिचालित किया गया है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना: हमें पहले ही नोटिस दिया हुआ है, महोदय मैं आशा करता हूं आपकी अनुमति मिलने के पश्चात् आज अथवा कल विधेयक सदन में पुर:स्थापित किया जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय यह बिना चर्चा के पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

बिल आ गया है, पास करवा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया आप केरल के सम्बन्ध में पाइंट नोट कर लीजिए।

...(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना: महोदय, मैं उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से आदर करता हूं...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे रहे हैं आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री श्रीकान्त जेना: मैं केरल से चुने गए संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों में पूरी तरह से सहमत हूं। यह एक गम्भीर समस्या न केवल तटीय प्रवंधन के लिए है बल्कि पर्यटन क्षेत्र से इसके कारण प्रभावित हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है और हम नि:संदेह अच्छा करेंगे जो इस सरकार पर किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन की घड़ी खराब है उसके अनुसार मत चलिए।

...(**व्यवधान**)...

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, विभिन्न मंत्री विभिन्न उत्तर दे रहे है...(**व्यवधान**) सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप क्यों नहीं समझते कि समय बहुत सीमित है। आपने अपना मामला उठाया। मन्त्री ने उत्तर दिया अब आप अपने साथियों को उनके मामले को क्यों नहीं उठाने देते, जो उनके अनुसार उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने कि अपने मामले हैं।

अब कुमारी शैलजा।

कुमारी शैलजा (सिरसा): महोदय, सूरत का कपड़ा उद्योग केन्द्र सरकार के कठोर, उदासीन और प्रतिकूल रवैये के कारण चरमरा गाया है। कपड़ा मिलों के व्यापारी पिछले दस दिनों से हड़ताल पर हैं और सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पकड़ा मिल मालिकों के लिए धारा 4 में संशोधन करना चाहती है। एक तरफ तो वह अर्थव्यवस्था उदार करना चाहते हैं और दूसरी तरफ, इस संशोधन के माध्यम से, वे 'इंसपेक्टर राज' कायम करना चाहते हैं और कपड़ा मिल मालिकों पर और दबाव डाल रही है। कई व्यापारी मेरे राज्य के भी हैं।

महोदय, सौ रुपए प्रति मीटर से कम मूल्य के कपड़ों पर सकल शुल्क में विक्रय मूल्य के 1.6% की दर से वृद्धि की गई है। दूसरी ओर, सौ रुपए प्रति मीटर से अधिक मूल्य के कपड़ों पर विक्रय मूल्य के सकल शुल्क में विक्रय मूल्य के 8.4% की दर से कटौती की गई है। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार की सरकार है। यह सरकार अपनी छवि गरीब-समर्थक प्रदर्शित करना चाहती है लेकिन ऐसा प्रदर्शित करने का उसका तरीका बड़ा ही हास्यास्पद है। एक तरफ तो उसने गरीब लोगों के लिए दरों में वृद्धि कर दी है दूसरी ओर उसने समाज के उच्च वर्ग को राहत प्रदान की है।

अत:, महोदय, हम चाहेंगे कि सूरत के कपड़ा मिल मालिकों की समस्याओं के संबंध में सरकार तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

अध्यक्ष महोदय: महादीपक सिंह शाक्य जी, यह राज्य का विषय है। अत: कृपया इसे जानकारी में ही लाइए।

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है जिसका उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर जाता है। कल हमारे कई साथियों ने सामूहिक हत्याओं का जिक्र किया था और मैं भी इसी तरह की अपनी एक पर्सनल बात को सामने रखना चाहता हूं। मेरे भतीजे डा. जगतपाल सिंह, निवासी राजा के रामपुर, एटा में रहते थे जिनके परिवार में राजनैतिक षड्यंत्र के कारण तीन हत्यायें 22 मार्च, 1996 को कर दी गयीं। इसमें चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुये। इस सब का पता लगने के बावजूद पुलिस ने मामले को नेगलैक्ट किया। इसका कारण यह है कि पुलिस जानती है कि इस षड्यंत्र में पुलिस अधिकारी शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह मामला प्रकाश में आया तो मालूम हुआ कि इस षड्यंत्र में विधानसभा क्षेत्र अलीगंज से बनने वाले स.पा. के प्रत्याशी और एटा के एडीशनल एस.एस.पी....* शामिल हैं। ये वही... हैं जो मुज़फ्फरनगर कांड में धारा 302, धारा 376 में मुलज़िम हैं और बेल पर हैं लेकिन आज भी अपनी ड्यूटी पर लगे हुये हैं। इसके अलावा स.पा. के तीन और कुख्यात आदमी...* भी इस षड्यंत्र में इन्वाल्वड हैं लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। जब पुलिस को इनके इन्वाल्वमेंट का पता चला तो उसने धारा 164 में केस को बताकर उलटे हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ फर्जी कार्रवाई कर दी।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मांग है कि एडीशनल पुलिस अधीक्षक... और उसके साथ के अन्य पांच आदमियों के खिलाफ सी.बी.आई. की इन्क्वायरी सैट अप करें ताकि तथ्य सामने आये और इन लोगों को सजा मिल सके। ...(**व्यवधान**)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया चिंता न करें। अभी भी समय बचा है, आपको भी मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित, करना चाहता हूं। बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है, जिसके संबंध में पिछले 15 वर्षों से प्राध्यापक कालेजों में पढ़ा रहे हैं। कालेजों को यूनिवर्सिटी और सरकार से मान्यता मिल गयी है लेकिन वहां के शिक्षकों, प्राध्यापकों और शिक्षण संस्थान कर्मचारियों को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये शिक्षण संस्थान कांग्रेस के जमाने से, जब डा. जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्य मंत्री थे, तब से चल रहे हैं। इस संबंध में एक बार नहीं, अनेक बार ज्ञापन सरकार को दिये जा चुके हैं और अंत में लोग यहां पर आये।

राष्ट्रपति को उन्होंने ज्ञापन दिया, प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया और नंग-धडंग प्रदर्शन किया जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री श्रीकांत जेना जी ने भी मुझसे पूछा कि यह क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया कि प्रधान मंत्री जी भी कह रहे थे कि यह कैसा बिहार है, यहां होता क्या है? ऐसी बिहार की स्थिति है। वहां पर प्रधान मंत्री जी भी गए थे। बिहार में जो कुछ हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है और न यह बिहार सरकार के बूते की बात है कि उन लोगों को वेतन दे। न्यूनतम मजदूरी कानून इस देश में लागू है, लेकिन जो पढ़ाते हैं और कालेज में शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको कभी-कभी जो विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस वसूली जाती है, उसके चलते किसी को सौ रुपया, किसी को डेढ़ सौ रुपया माहवार मिलता है और कहीं कहीं तो यह भी नहीं मिलता है। कुल मिलाकर इस प्रकार के करीब दो लाख कर्मचारी हैं। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उनकी समस्या पर ध्यान दें। यह राज्य का विषय मानकर छोड़ देंगे तो वह भुखमरी के शिकार होते चले जाएंगे। कई लोग भूख से मर चुके हैं। इसकी खबरें भी आ चुकी हैं, इसलिए इस पर मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इस ओर विशेष प्रयास किया जाए। जहां एक तरफ यह स्थिति है, वहां दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय हैं जहां वित्त रहित शिक्षा के स्थान पर वित्त सहित शिक्षा लागू है, कांस्टीट्युएंट कॉलेज हैं, वहां भी चार-पांच महीने से लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। अभी परसों मुझे अपने यहां बाढ़ में ए.एम. कालेज में जाना पड़ा और वहां हमने देखा कि पांच महीने से तनख्वाह नहीं मिली। यह अनेक यूनिवर्सिटियों की स्थिति है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाती कि सारा पैसा कहां चला जाता है। केन्द्र सरकार इसमें कुछ पहल करे, लोगों को भूखा मरने से बचाए और जो एम.ए., पी.एचडी किये हुए ऐसे दो लाख लोग जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस सवाल पर मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए सरकार को कुछ निर्देश दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह बात केन्द्र सरकार की जानकारी में ला चुके हैं। यह काफी है।

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, माननीय नीतीश जी ने जो बात कही हैं, यह बहुत संभीर संवाल है और बिहार सरकार को केन्द्र सरकार इस संबंध में निर्देश दे कि जो वित्त रहित शिक्षक वहां हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ करे। वे लोग निराश होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान बिहार में चल रहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ओर दिलाना चाहूंगा जो रेकोगनाइज्ड हैं और जिनको वेतन मिलता है, लेकिन पिछले एक साल से उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। जो मदरसे हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, वहां छः-आठ महीने से लीगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हमें इसी विषय पर चर्चा करते रहना चाहिए?

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर): बिहार के बारे में ठीक से विचार किया जाए। बिहार समस्याओं का जंगल बना हुआ है। वहां एक दो समस्याएं नहीं हैं। वहां लोग किस स्थिति में हैं यह सरकार देखे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमेशा बिहार के बारे में ही सदन में चर्चा होती रहेगी क्या?

श्री लालमुनी चौबे: वहां जो वित्त रहित शिक्षक हैं, उनके लिए आप सरकार को निर्देश दें कि कुछ क़दम उठाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हालांकि यह एक विशुद्ध राज्य का विषय है फिर भी मुझे माननीय सदस्यों की भावनाओं से हमदर्दी है। कुछ भी हो, अध्यापकों की तरफ कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये ही वे लोग हैं जो त्यागमय जीवन बिताकर अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। बिहार से आया अध्यापकों का एक शिष्टमंडल मुझसे भी मिला था। मैं केन्द्र सरकार से इन भावनाओं से संप्रेषित करने का अनुरोध करता हूं और जो कुछ भी संभव हो, किया जाना चाहिए। कृपया इन भावनाओं को बिहार सरकार को संप्रेषित करने का कष्ट करें।

श्री श्रीकांत जेना: जी, हां।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच कर रहा हूं। कल या परसों इन सभी सूचनाओं को निपटा दिया जायेगा। मैंने सदन में इसका वायदा किया है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमें जानकारी मिली है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी, गेहूं तथा चावल में बड़े पैमाने पर जो अतिरिक्त आबंटन होता है, उसमें बड़े पैमाने पर कमीशन लिया जाता है और उसको खुले बाज़ार में बेच दिया जाता है।

इसमें मुझे यह जानकारी मिली है कि गेहूं के ऊपर प्रति क्विंटल 40 रुपये, चावल पर 30 रुपये और चीनी पर 110 रुपये केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा लिया जाता है और पैसा लेकर अतिरिक्त आबंटन दे दिया जाता है। इस तरह जो भी आबंटन दिया जाता है, उस अतिरिक्त आबंटन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला होता है और इसकी आड़ में यह होता है कि राज्य सरकार से अतिरिक्त आबंटन की मांग की जाती है और इसमें बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, विभिन्न समस्याओं को दिखाकर मांग की जाती है कि अतिरिक्त आबंटन किया जाए। यह राज्य सरकार से चलता है, राज्य सरकार से आता है। लेकिन इसकी आड़ में एक व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति कमीशन देता है और कमीशन देकर अतिरिक्त आबंटन करा लेता है और यह आबंटन खुले बाजार में बेच दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने समय से ज्यादा समय ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: इसकी जांच कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपने ज्यादा टाइम ले लिया है, आपका टाइम समाप्त हो गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन इसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाए और पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिलाया जाए। मैं यही कह रहा था।

[अनुवाद]

श्री एस बंगारप्पा (शिमोगा): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा इस्पात संयंत्र है जिसका नाम विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड (बी.आई.एस.एल) है। इसकी स्थापना तकरीबन 100 पूर्व काफी पहले मशहूर अभियन्ता और राजनेता भूतपूर्व मैसूर राज्य के भूतपूर्व दीवान विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। बी.आई.एस.एल. के मौजूदा शेयर धारकों में कुल का लगभग 34 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के पास है। छियासठ प्रतिशत शेयर भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के पास है। अब राज्य सरकार अपने 34 प्रतिशत शेयर 'सेल' को हस्तान्तरित करने के लिए तैयार है। सेल भी सिद्धान्ततः इन 34 प्रतिशत शेयरों को लेने को तैयार हो गया है क्योंकि इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। जिस तरह से दुर्गापुर और सलेम के इस्पात संयंत्रों का उन्नयन किया गया है उसी तरह से बी.आई.एस.एल. का भी उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार की जानकारी में जो बात लाना चाहता हूं वह यह है कि बी.आई.एस.एल. के नवीकरण के लिए 700 करोड़ रु. की प्राक्कलित राशि की आवश्यकता है। सेल निवेश करने तथा राज्य सरकार के 34 प्रतिशत शेयरों को लेने के लिए तैयार है। उसके पास खर्च करने के लिए पैसा है। राज्य सरकार भी शेयरों का हस्तांतरण सेल को करने के लिए तैयार है। इस संबंध में मुख्य मंत्री ने एक स्पष्ट बयान दिया है।

अतः आपके माध्यम से मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सेल को कंपनी का काम संभालने के निदेश दे लेकिन एक सहायक कंपनी के तौर पर नहीं जैसा कि इस समय किया गया है बल्कि सेल समूची कंपनी को अपने मालिकाना हक में ले। सेल को पूरा काम करने दीजिए ताकि इसके बाद बी.आई.एस.एल. कारखाने को सलेम, दुर्गापुर, इत्यादि इस्पात कारखानों के समतुल्य लाया जा सके। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके सबको बुलाऊंगा। कृपया समय बर्बाद न करें।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर): मैं आपका ध्यान एक गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका संबंध इस देश की सुरक्षा से है।

हम सभी जानते हैं कि अमरीका परमाणु हथियारों के अप्रसार को लेकर सी.टी.बी.टी. का प्रचार-प्रसार कर रहा है, और इस विश्व में हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि चीन, पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति कर रहा है तथा अमरीका भी पाकिस्तान को हथियारों, अस्त्र-शस्त्र तथा गोलाबारूद की आपूर्ति कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्र में तस्वीर सहित एक खबर छपी है जिसमें हम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को हथियारों की खेप प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। यह दूसरी खेप है। पहली खेप पहले ही आ चुकी है। तीसरी खेप नवम्बर में तथा चौथी इस वर्ष के अंत तक आएगी। एक तरफ तो अमरीका मदर टेरेसा की तरह बात करता है और दूसरी ओर वह अदनान खगोशी की तरह व्यवहार करता है। वे क्या साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे बहुत आदर्शवादी बनना चाहते हैं तो उन्हें हथियारों के सौदों में अरबों डालर की कीमतों के व्यापार का घाटा उठाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

मेरा सवाल केवल यही है कि भारत में युनाइटेड नेशन्स में, सिक्योरिटी कौंसिल में यह प्रोटेस्ट करना चाहिए कि अमरीका के बर्ताव का अर्थ क्या है।

दूसरी बात यह है कि भारत को वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से भी यह पूछना चाहिए:

[अनुवाद]

इन आपूर्तियों को हम किस अर्थ में लें? क्या हमें इसका अर्थ पाकिस्तान में सैन्य गतिविधियों को समर्थन देने के रूप में लगाना चाहिए?

[हिन्दी]

पिछले साल दूरदर्शन ने सी.एन.एन. के साथ एक करार किया था। उस समय यह भी कहा गया था कि यह करार केवल इसलिये है ताकि भारत का पाइंट ऑफ व्यू सी.एन.एन. वर्ल्ड मीडिया को दिखाएं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी खेद व्यक्त किया था जब लेट कृष्णा मेनन साहब की स्पीच को वैस्टर्न मीडिया ने नहीं छापा था। मेरा कहना केवल इतना ही है कि दूरदर्शन भारत के पाइंट ऑफ व्यू को सी.एन.एन के चैनल से वर्ल्ड मीडिया को दिखाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत महाजन।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, मैंने नोटिस दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दास, मैंने आपको नहीं बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों को शून्य काल में मौका मिलेगा और कुछ को नियम 377 के अधीन तथा अन्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कुछ माननीय सदस्यों को कभी भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे इस सबका संचालन एक संतुलित ढंग से करना है।

श्री भक्त चरण दास: महोदय मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

मेरी कांस्टीटूएंसी में 300 लोग डायरिया से मर चुके हैं। मैंने आपको नोटिस भी दिया है। कल टेलीविजन पर भी बताया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने आपका नोटिस अस्वीकार कर दिया है।

श्री भक्त चरण दास: मैंने अपना नोटिस 10 बजे दिया है। आप कह रहे हैं कि यह मामला गंभीर नहीं है। यह मामला बहुत ही गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने यह कहा कि मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा? क्या मैंने ऐसा कहा है? समूचा सदन इस बात का गवाह है।

श्री भक्त चरण दास: आपने कहा कि आपको मेरा नोटिस नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने यह कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भक्त चरण दास: आप इस तरह की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको 'न' नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं कि आधे घंटे का समय अभी भी बचा है। मैं एक-एक करके आप लोगों को बुला रहा हूं। क्या सदन माननीय सदस्य द्वारा पीठ के साथ किए जा रहे इस तरह के व्यवहार का अनुमोदन करता है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां पर क्या हो रहा है?

श्री भक्त चरण दास: आप कर रहे हैं कि 'बैठ जाइए'। दो सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, आपने यह कहकर दयालुता का परिचय दिया है कि 54 सदस्यों को अभी और बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे बड़ा दु:ख है। इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इससे गहरा कष्ट हुआ है। यह कोई तरीका नहीं है पेश आने का। मैं आपके साथ सामंजस्य करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूं। आपके इस तरह के व्यवहार के कारण मैं आपको आज बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भक्त चरण दास: मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आज आपको आपके व्यवहार के कारण बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपका व्यवहार निन्दनीय है।

श्री एस. बंगारप्पा: महोदय, हम आपकी भावनाओं से अवगत हैं। समूचा सदन आपकी भावनाओं को समझता है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इससे गहरा कष्ट हुआ है। श्री बंगारप्पा, इस प्रश्न को पुन: मत खोले।

श्री एस. बंगारप्पा: महोदय, हमें बहुत ही खेद है। लेकिन, महोदय, उनका एक प्रश्न है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बंगारप्पा आप इसे बन्द करिए। कृपया बैठ जाइए। आप यह अध्याय दोबारा नहीं खोलेंगे।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी माननीय सदस्य ने अपना आपा खोया है? अनेक बार, माननीय सदस्य अपना आपा बुरी तरह से खो चुके हैं। लेकिन आपने कभी भी किसी के व्यवहार की निन्दा नहीं की है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी को बोलने से मना नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। श्री चन्द्र शेखर मुझे कहते हुए खेद है कि यदि आप मुझे नहीं चाहते हैं तो इसी वक्त मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मुझे इस पद की चाह बिल्कुल भी नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर: मुझे भी दु:ख है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मेरी इस कार्य में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर: यह पद कौन चाहता है?

अध्यक्ष महोदय: श्री चंद्र शेखर, मुझे दु:ख है। मैं ऐसे व्यवहार की आशा नहीं रखता हूं। मैं इसे एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यह पहले भी कहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिएं।

श्री एस. बंगारप्पा: महोदय, हम आपकी भावनाओं से सहमत हैं। हम आपके साथ हैं। जहां एक ओर हम पीठासीन अधिकारी का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर श्री चंद्रशेखर जैसे वरिष्ठ नेताओं का भी हम सम्मान करते हैं। महोदय, कृपया इस बात को इतनी गंभीरता से न लें...**(व्यवधान)**

श्री सत महाजन (कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। महोदय मैंने जीवन में जितने भी अध्यक्ष देखें हैं उनमें से आप सबसे अधिक निष्पक्ष हैं। मैं कम से कम, इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सत महाजन: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक सुंदर राज्य है। पिछले दो वर्षों में लगातार वर्षा से इस राज्य को काफी हानि पहुँची है। पिछले साल वर्षा के कारण 500 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी। 114 लोगों की मौत भी हुई; 5000 से अधिक पशुधन खत्म हो गया और 25,000 घर नष्ट हो गए, परंतु हमें केवल 18 करोड़ रुपये की राहत-राशि मिली। यह बड़े खेद की बात है। कुछ उदारता होनी चाहिए थी।

महोदय, इस वर्ष भी 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 31 व्यक्तियों की मौत हुई है, 1200 पशुधन मर गये हैं और 1500 घर नष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, तीन लाख हेक्टेयर जमीन

प्रभावित हुई है। सोलन जिले में रामशहर नामक एक पूरा गांव जलमग्न हो गया है। बोन्था और कनाला जैसे गांव भी नष्ट हो गए हैं। हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क पर आवागमन बंद है। कांगडा-जोना सड़के भी धंस गई है, जिससे उन पर वाहनों का आना-जाना बंद हो गया है। फल उत्पादकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तत्काल उचित कार्यवाही नहीं की गई तो उनका माल नष्ट हो जाएगा। इसी तरह, मनाली में भी भारी नुकसान हुआ है। ब्यास, यमुना, सतलज और रावी नदियों में बाढ़ आई हुई है और उनके किनारों पर बसने वाले लोग अन्यत्र जा रहे हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से हिमाचल प्रदेश को तुरंत राहत देने का अनुरोध कर रहा हूं, अन्यथा हमें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सभा का ध्यान एक गंभीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका स्थित एक 'ह्यूमन जेनोम डाईवरसिटी प्रोजेक्ट' देश में विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से देश के भारतीय समुदायों से गुप्त रूप से मानवों को आनुवंशिक स्त्रोत खरीद रहा है।

महोदय, ऐसा बताया जाता है कि तीन बिलियन डालर की यह विवादास्पद परियोजना पूरे देश से करीब 1,00,000 ह्यूमन जेनोम इकट्ठा कर रही है। लक्षित समुदायों के जैविक नमूनों, जिसमें रक्त, वीर्य, पसीना, बोन-मैरो, बाल तथा अन्य ऐसी ही चीजें शामिल हैं, का गुप्त रूप से अमरीका को निर्यात किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हैदराबाद स्थित एक अस्पताल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से जिनके बारे में ऐसा विश्वास है कि उनके शरीर में **'रेटिनिस पिगमेंटोसा'** नामक आंख की बीमारी के लिए उत्तरदायी जैव विद्यमान है, रक्त के नमूने लेकर वाशिंगटन स्थित नेशनल आई इंस्टीट्यूट को निर्यात कर रहा है।

महोदय, लक्षित भारतीय समुदाय हैं गौड, ठाकुर, नायर, चोलनाईकायन और कदार, लोहना और जाट तथा साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ओंग और शोम्पेन जैसी दुर्लभ जनजातियाँ।

अगर अमरीका में हल्दी को पेटेन्ट किया जाता है, तो बात समझ में आती है, परन्तु अगर वहां ठांकुर या जाट भी पेटेन्ट होने लगेंगे, तो इस देश का क्या होगा। यह एक गंभीर मामला है। ऐसे निर्यातों पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् समिति के सिवाय कोई नियंत्रण नहीं है और यह समिति देश के अधिकारों की रक्षा करने में एकदम असमक्ष है। उन पर निगरानी रखने के लिए हमारे पास कोई विनियामक निकाय नहीं है।

मैं मांग करता हूं कि मानव संबंधी जैविक सामग्रियों का निर्यात सरकार की जानकारी में हो और उसकी जांच की जानी चाहिए। यह एक गंभीर मामला है। सरकार इस पर ध्यान दे और इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और देश का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ताज को देखने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका और भारत के सहयोग से आगरा हैरीटेज प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। ताज को साफ-सुथरा रखने और अतिक्रण हटाने के नाम पर शाहजहां के समय से बसाए गए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ताज के शहर की गंदरी दूर करने के लिए तथा नागरिक सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय में भी शासन द्वारा ताज संरक्षित क्षेत्र के मामलों को ठीक प्रकार से नहीं रखा जा रहा। इसके कारण भारी अनिश्चिय की स्थिति पैदा हो गयी है। वहां के निवासी परेशान हैं। उनका शोषण हो रहा है। ताज संरक्षण क्षेत्र के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा। आगरा हेरीटेज प्रोजेक्ट में ताज संरक्षण क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाने तथा ताज संरक्षित क्षेत्र का चातुर्विक विकास करने की बात कही गयी है। अत: मेरा आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से अनुरोध है कि आगरा हेरीटेज प्रोजेक्ट को अविलम्ब कार्यान्वयन करे और सदन में इस बारे में बयान दे। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो करोड़ों रुपया भारत और अमरीका सरकार ने इस पर खर्च किया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मेरा प्रश्न प्रक्रियां से संबंधि हैं। मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूं कि श्री चंद्रशेखर कांग्रेसी सदस्यों के लिए निर्धारित बैंचों पर ही बैठ रहे हैं। वे अपने वास्तविक स्थान पर नहीं बैठ रहे हैं। उन कांग्रेसियों को वापस बुलाया जा रहा है, जो 1969 के पश्चात् दल से अलग हुए हैं। क्या उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है? मुझे जानकारी नहीं हैं। कार्यकारी समिति ने एक बुलावा भेजा है। क्या उन्होंने इसे स्वीकार किया है?

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, यह एक आक्षेप है और मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे मित्र, श्री राजेश पायलट थोड़ा विभ्रमित हो गए हैं। वह अपना हौसला बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए, मैंने वे बातें कही...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: मान्यवर, मेरी बात कम्पलीट नहीं हुई है। मंत्री जी यहां मौजूद हैं।...**(व्यवधान)** वे कुछ रिस्पोंस देना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया बैठ जाएं। कृपया श्री जेना की बात सुनें।

श्री श्रीकांत जेना: महोदय, आगरा के माननीय सदस्य ने ताज महल और 'मदर हेरिटेज सेंटर' का मामला उठाया है। मैं उनकी भावनाओं को पूरा सम्मान देता हूं। मैंने उनके साथ विस्तृत चर्चा की है।

मातृ धरोहर केन्द्र के सम्बन्ध में मैं एक बैठक बुलाने जा रहा हूं। मैं यह आशा करता हूं कि उच्च-स्तरीय बैठक के बाद मातृ धरोहर केन्द्र द्वारा जो भी सिफारिश की जाती है उसे कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को भी उस बैठक में आमंत्रित करता हूं ताकि हम इस सम्बन्ध में कोई राय बना सकें।

श्री भगवान शंकर रावत: धन्यवाद।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी): महोदय, यह गहन चिन्ता की बात है कि उड़ीसा का एक बड़ा भाग; बोलंगीर, फूलबनी, सोनपुर, बौद्ध और गंजम जिलों सहित अधिकांश पश्चिमी उड़ीसा भीषण सूखे की चपेट में है। यह सूखे की अभूतपूर्ण घटना है। सूखे की स्थिति के फलस्वरूप महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रवास के कारण बलात्कार, हत्या तथा अन्य कई प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मैं आपसे हस्तक्षेप की मांग करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह स्थिति का जायजा लेने, आवश्यक राहत प्रदान करने और वहां की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने हेतु एक प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा भेजें।

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरन्नूल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हाल ही में गठित योजना आयोग की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। पहले, इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक-एक प्रतिनिधि होता था। इनकी अनुपस्थिति से देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि योजना आयोग में प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक-एक सदस्य मनोनीत किया जाए क्योंकि आयोग में सदस्य संख्या पर कोई रोक अथवा उसकी संख्या की कोई सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन दिन से जो बारिश हुई है उसके कारण केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बहुत नुकसान हुआ है। वहां की टोटल पापुलेशन आठ लाख है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कठेरिया जी, आपने नोटिस नहीं दिया है।

(**व्यवधान**)

श्री सत्य पाल जैन: अध्यक्ष महोदय, आठ लाख की पापुलेशन में से दो लाख लोग गांव और कालोनियों में रहते हैं। उनके पास बिजली व पानी के कनेक्शन तक नहीं हैं। बारिश के कारण वहां दो-दो फुट पानी भर गया है और पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। आज अंग्रेजी ट्रिब्यूनल के फ्रंट पेज पर इसकी फोटो छपी है। वहां डा. अम्बेडकर के नाम से एक कोलानी है जहां बारिश के कारण एवहां नाले में काफी पानी भर गया है जिसके कारण सारी कालोनी के बह जाने का खतरा पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मांग कर रहा हूं क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेश के पास अपनी कोई इंकम नहीं है। वहां सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि वहां कम से कम पांच करोड़ रुपये की एड दी जाये ताकि लोगों को कनेक्शन मिल सकें क्योंकि वहां लोग अंधेरे में रहते हैं। उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहां दो-दो फुट पानी बह रहा है। बारिश के कारण वहां मकान गिर रहे हैं, झुग्गियां गिर रही हैं इसलिए उनको मुआवजा दिया जाये। मेरी सरकार से यह मांग है कि केन्द्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को पांच करोड़ रुपये दे ताकि सरकारी खर्च से इसको बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम. कमालुद्दीन अहमद (हनमकोण्डा): महोदय, मैं आपका ध्यान अपने राज्य में हो रहे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर दिलाना चाहता हूँ। जब से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पीपल्स वार ग्रुप और इसके सहयोगी संगठन के कार्यकलापों पर पुन:प्रतिबंध लगाया गया है तभी से पुलिस के साथ तथा कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने वाले युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सभी लोगों को यह पता है कि वे सभी मुठभेड़ें फर्जी थीं और युवाओं को गांवों से उठा लिया जाता था और उन्हें पुलिस द्वारा मार दिया जाता था। यह मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। ऐसा आंध्र प्रदेश के पूरे तेलंगाना क्षेत्र और यह मेरे चुनाव-क्षेत्र हनमकोण्डा में भी हो रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इन हत्याओं को तत्काल बन्द कराएं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली): अध्यक्ष महोदय, 8 अगस्त 1996 को भारत की सी.बी.आई. ने प्रोवेन्शन आफ करप्शन एक्ट के नीचे धारा 8 में भ्रष्टाचार सम्राट सुखराम के खिलाफ केस रजिस्टर किया और 16 अगस्त को उन्होंने उनके दिल्ली निवास स्थान से 3 करोड़ 67 लाख रुपये रिकवर किए जो उनके पूजा

के कमरे में सूटकेस में छिपाए हुए थे। उसके पश्चात् 8 अगस्त से लेकर आज तक सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और हमें यह धोखा दिया गया कि पार्लियामेंट खत्म होने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. के खिलाफ यह कहा है कि वे जान-बूझकर डिले कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अपने साथियों को भी अपनी बात कहने का मौका दीजिये।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा: मेरी मांग है कि सुखराम को आज ही गिरफ्तार किया जाए। उनको समय नहीं दिया जाए। पार्लियामेंट खत्म होने से पहले...(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अभी भी हमारे पास सात मिनट का समय है और सात सदस्य बोल सकते हैं। चिन्ता मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर)(उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार सदन की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेती है। मैंने शुक्रवार को एक मामला उठाया था कि मेरे यहां महुवा के एस.पी. ने मेरे प्रतिनिधि को जान से मार दिया है। आज चार दिन हो गए हैं लेकिन सरकार ने उस एस.पी. के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि मरे हुए नवयुवक राकेश कौशल के भाई, बहन ने जो एफ.आई.आर. लिखवाई, उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई, उसकी एफ.आई.आर. भी नहीं लिखी गई।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आई.ए.एस अधिकारी कानून और संविधान से ऊपर है? बड़े-बड़े नेता, प्रधानमंत्री संविधान और कानून के अंतर्गत आते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को एक मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें जाना पड़ा। एक जैन डायरी में कुछ नेताओं के नाम लिख दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको हवालात में खड़ा कर दिया, जमानत करवानी पड़ी। सारे सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, सम्मान किया। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर एस.पी. के यहां गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। एस.पी. ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाड़कर फेंक दिया और मेरे प्रतिनिधि को इतना मारा कि चार दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। क्या वह एस.पी. सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? क्या वह एस.पी. इस संसद से भी ऊपर है? क्या वह एस.पी. इस देश के संविधान और कानून से भी ऊपर है? लाल कृष्ण आडवानी का नाम जैन की डायरी में लिखा गया तो उनको जमानत करवानी पड़ी। एस.आर. बोम्मई का नाम लिखा गया, उनको जमानत करवानी पड़ी, शरद यादव का नाम लिखा गया, उनको जमानत करवानी पड़ी। प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता कोई भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है तो क्या एक आई.पी.एस. अधिकारी एस देश के संविधान और कानून से ऊपर है? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब मैंने शुक्रवार को एक सवाल उठाया था तो सरकार ने आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की? आज तक उस एस.पी. के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की गई बल्कि एस.पी. मेरे और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है। अभी यहां से मेरा एक कार्यकर्ता जा रहा था, उसके छोटे-छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को जो कालविन कालेज, लखनऊ के छात्र थे, उन बच्चों को बदले की भावना से जेल में बन्द करा दिया। मुझे खतरा है कि सरकार ने एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो एस.पी. मुझे भी जान से मरवा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये। पूरे समय आप ही नहीं बोल सकते।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यहां कई सदस्य बोलना चाह रहे हैं। अभी श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत: जब अधिकारियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं, संसद् मौन है, सरकार मौन है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। सरकार अभी जवाब दे कि सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की और कब तक सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या एक आई.पी.एस. आफिसर के खिलाफ एफ.आई.आर भी दर्ज नहीं हो सकती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। सिर्फ श्री मोहन सिंह द्वारा कही गई बातों का ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

...(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.56 बजे

इस समय श्री गंगा चरण राजपूत आये और सभापटल के निकट खड़े हो गये।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब के बैकवर्ड क्लास के लोगों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 1952 में इस देश के अन्दर पहला इलैक्शन हुआ। 1953 में काका कालेलकर कमीशन बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिए बिठा दिया गया।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मुझे क्या फर्क पड़ता है। संसद् चले नहीं चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देश का सवाल है। स्पीकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को फर्क पड़ता है।

...(**व्यवधान**)

अपराह्न 12.57 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री गंगा चरण राजपूत अपनी सीट पर वापिस चले गये।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा। मैं आपको एक मौका अवश्य दूँगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम सभा का समय दस या पंद्रह मिनट बढ़ा देंगे। कृपया इसकी चिन्ता न करें।

...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: वे इन्तजार कर रहे हैं कि कब इस देश की गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को उनका हक देगी। सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में काका कालेलकर कमीशन बिठाया। तब से लेकर आज तक जब 1996 कम्पलीट होने जा रहा है, 43 साल से इस देश के बैकवर्ड क्लासेज के लोग इसी इंतजार में हैं कि कब बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को उनका हक मिलेगा। सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को 27 परसेंट रिजर्वेशन दे दिया है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट का ऐलान होने के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट अभी तक भी बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को उनका रिजर्वेशन का हक देने को तैयार नहीं है। पंजाब विधान सभा के अन्दर बहुजन समाज पार्टी ने कई बार धरने दिये, पंजाब विधान सभा के बाहर कई बार मुजाहिरे किए, लेकिन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को उनका रिजर्वेशन का हक देने को तैयार नहीं है।

मेरी सैण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि केन्द्र सरकार पंजाब गवर्नमेंट को तुरन्त लिखे कि पंजाब के अन्दर बैकवर्ड क्लासेज़ के लोगों को उनका बनता हुआ हक तुरन्त दिया जाय ताकि बैकवर्ड क्लासेज़ के जो नौजवान हैं, वे अपना हक ले सकें।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार अल्प धनराशि के साथ आधारभूत ढांचें में सुधार के लिये पहल कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बे समय से उपेक्षा की गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों की टूट-फूट के कारण आदान लागत बढ़ रही है। प्रति वर्ष लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागेंत आती है और वाहन दुर्घटनाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है।

मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 34 और 35 की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 इतना टूटा-फूटा है कि उस पर वाहन ठीक ढंग से नहीं चल सकते। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर शांतिपुर नामक बाईपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। बहरहाल, कार्य में विलम्ब के कारण इस उपमार्ग का निर्माण-कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कुछ धनराशि स्वीकृत करे ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का मरम्मत कार्य पूरा किया जा सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि शांतिपुर बाईपास संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये ताकि वहां वाहनों का सुचारु रूप से चलना जारी रहे।

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

चार महीने पूर्व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने डी.ए.वी. डिग्री कालेज की सम्बद्धता को रद्द कर दिया हैं। मैं चार महीने से, जब से सदन का सदस्य हुआ हूं, दो दर्जन बार मैंने इस विषय को उठाने का आग्रह किया है। आज आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। इस सम्बद्धता को रद्द करने की पूरे देश की यह पहली घटना है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में स्थित डी.ए.वी. डिग्री कालेज, दयानन्द डिग्री कालेज को बड़े प्यार के साथ काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा था, उसको सम्बद्ध किया था, लेकिन वर्तमान समय में चार महीने पूर्व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उसकी सम्बद्धता को रद्द कर दिया।

मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से मिलकर

उनको पत्र दिया था, लेकिन तीन महीने 10 दिन हो गये, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस सम्बन्ध में प्रतिनिधिमंडल भी मिला था। मैंने राष्ट्रपति महोदय से भी इसमें हस्तंक्षेप करने का अनुरोध किया है।

अपराह्न 1.00 बजे

4 महीने से वहां विद्यालय में विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ है। 4 महीने से वहां अध्यापक बेकार बैठे हुए हैं। महामना के मित्र और उनके सहयोगी जिन्होंने दयानन्द डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी और अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को लगाकर उस डिग्री कालेज को निर्मित किया था, उसकी सम्बद्धता को रद्द किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उसके प्रवेश में कोई कठिनाई है तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उसके प्रवेश को अपने हाथ में ले लें। परीक्षा उसके हाथ में है, लेकिन उसकी संबद्धता को बरकरार करें।

डा. एम.पी. जायसवाल (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सी.बी.आई. कम्पनी को दो चीनी मिलें हैं। एक पूर्वी चम्पारण में चटिया और दूसरी पश्चिमी चम्पारण में चनपटिया जो कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा देखी जाती हैं और ये दोनों चीनी मिलें पिछले तीन वर्षो से बन्द पड़ी हैं। किसानों का लगभग 7 करोड़ रुपया बाकी है। वहां के किसानों के खेत में हर साल कुल गन्ने का दस प्रतिशत खेत में ही रह जाता है। गन्डक नदी में बाढ़ के कारण वहां पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती हैं। एंक गन्ने की फसल ही ऐसी है जो बाढ़ से वंचित रहती है। इसलिए वहां के किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले सीजन में चटिया और चनपटिया दोनों चीनी मिलों को चालू कराया जाए और वहां के किसानों को पैसे का भुगतान करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि वहां की जनता को भूखा मरने से बचाया जा सके।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर): अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के बोलंगीर निर्वाचन-क्षेत्र और उसके आसपास के कालाहांडी, फूलबनी और कोरापुट से करीब 50,000 लोग जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है, वे लोग घर तथा परिवार छोड़कर मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश चले गए हैं। केन्द्र सरकार से हमारे पांच-पांच फोर्मर प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर आ चुके हैं और फोर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री पी.वी. नरसिंह राव ने एक योजना भी बनाई थी और योजना बनाने के बाद केन्द्र सरकार को उड़ीसा को जो पैसा देना चाहिए, वह पैसा आज तक रिलीज नहीं किया गया और स्टेट गवर्नमेंट इतना काम करने के बाद, प्रधान मंत्री को लिखकर देने के बाद भी आज तक केन्द्र सरकार ने फन्डस रिलीज नहीं किया और आज पड़ोसी कालाहांडी जिले में भाई वक्त दास बता रहे थे कि 300 आदमियों को खाना नहीं मिला और वे इधर-उधर का खाना खाकर मर गए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करता हूं कि एक स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

क्या वे उड़ीसा के पिछड़े जिलों को कुछ धनराशि देने के इच्छुक हैं या नहीं। महोदय, सरकार को प्रतिक्रिया करनी चाहिए...(**व्यवधान**)

महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि हमें शून्य काल में उठाए गए प्रत्येक प्रश्न की मंत्रियों द्वारा उत्तर देने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। यह बहुत खराब उदाहरण होगा।

...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री अपवाद स्वरूप मामलों में उत्तर दे सकता है न कि सभी मामलों में।

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अभी जो भारी बारिश हुई है, उससे मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में जो दूरदराज के गांव हैं, उनके सारे रास्ते कट गए हैं और जो लोगों की सेब की फसले हैं, वे सड़क न खुलने की वजह से उन लोगों को बहुत समस्या हो रही है तथा यहां तक हो गया है कि वहां सेब सड़ रहा है और सरकार के पास सड़कें खोलने के लिए कोई साधन नहीं हैं। महाजन साहब ने आपको बताया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। मेरे क्षेत्र के बहुत से आदमी मर गए तथा पशुधन भी मर गया तथा बाढ़ से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जिला सिरमौर, सोलन तथा शिमला में हर जगह नुकसान हो गया है। मैं यहां पर मांग करता हूं कि सेब की फसल रुकी हुई है और वैजीटेबल्स मार्केट तक नहीं पहुंच रही हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार एक टीम हिमाचल प्रदेश में भेजे और देखें कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है, उसके लिए सहायता दें। मैं आशा करता हूं कि यहां पर हमारे टूरिज्म मिनिस्टर तथा पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वे हमको कुछ न कुछ विश्वास दें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके कि उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं।

श्री भक्त चरण दास: अध्यक्ष महोदय, आजादी के पचास साल बाद हम लोग गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं और देश के एक कोने में मामूली दवाइयों तक का अभाव है। मेरे क्षेत्र में तीन सौ से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 1200 से ज्यादा लोग अभी-भी घायल हैं। कल न्यु-दिल्ली-टाइम्स में भी इसको कहा गया

और इस बारे में मैंने पिछले सप्ताह नोटिस दिया था, लेकिन पिछले सप्ताह शोर-शराबे में यह मामला उठ नहीं पाया। आज यह नोटिस मैंने सुबह दस बजे लिस्ट के साथ कौन-कौन ब्लाक में, कौन-कौन गांव और कौन-कौन आदमी मरे हैं, आपके दफ्तर में दिया था। महोदय, कालाहांडी में लोग बीमारी से मरते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। सन् 1985 से लगातार लोग मरते आ रहे हैं। साथ ही 1500 गांवों की संचार व्यवस्था कट-ऑफ हो जाती है। 40-40 किलोमीटर की दूरी पर छोटी-छोटी डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन वहां यातायात के अभाव में लोग पहुंच नहीं पाते हैं। दफ्तर भी वहां नहीं पहुंच पाता है। स्थिति यह है कि आजादी के 50 साल बाद भी हम देश के गांवों में डाक्टर की सुविधा नहीं दे पाए हैं और मामूली बीमारी के चलते लोग कीड़े-मकोड़े की तरह सैकड़ों की संख्या में मरते हैं तथा 1200-1500 लोग घायल हैं। उस क्षेत्र में औषध की व्यवस्था इतनी कम है कि लोगों को प्रिवेंटिव मैडिसिन भी नहीं मिल पाती है। जिलों में दवाइयों का जो वितरण होता है, जो ब्लाक में वितरण होता है, वह बहुत ही कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर पर्याप्त दवाइयों और डाक्टर की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। श्री शरद पटनायक ने यह बात कही है।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास: इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, मैं एक विशेष मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिहार में पिछले पांच वर्षों से भीतर अलकतरा की सप्लाई इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत पैट्रोलियम और अन्य कंपनियों द्वारा की जाती रही है। बिहार के 54 जिलों से यह खबर मिल रही है कि 100 से 200 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार में अकलतरा की सप्लाई के द्वारा बिहार के कुछ सरकारी दलालों के माध्यम से बिहार में किया गया है, जिसकी आपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। बिहार में दस करोड़ की आबादी है और...

अध्यक्ष महोदय: लगता है, सदन को बिहार एसेम्बली बनाना पड़ेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, बिहार की चिन्ता कभी इस देश को सताएगी। बिहार की हालत बहुत खराब है और बिहार में यह काफी बड़ा घोटाला हुआ है...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): इतना बड़ा स्कैम जिसमें करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया है।...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच कराई जाए।

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा बीड़ी मजदूरों की समस्या को लेकर एक समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1995 को प्रस्तुत कर दी है। यह एक अखिल भारतीय मामला है। बीड़ी मजदूर केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं हैं, अपितु सारे देश में हैं। समिति ने जिन स्थितियों का पता लगाया है, वे हैं-तेंदू पत्ता कम मात्रा में दिया जाता है, तेंदू पत्तों की खराब क्वालिटी, तम्बाकू व धागा नि:शुल्क नहीं मिलता, कम मजदूरों का असमय भुगतान, बीड़ी श्रमिकों का अभिलेख नहीं होता, बीड़ी मजदूरों को वेज-स्लिप नहीं मिलती, विशेषज्ञ समिति में कम श्रमिक प्रतिनिधित्व, इस समिति ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, चिकित्सा सुविधा और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने की कोशिश भी नहीं की।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार बीड़ी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाए।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विदेशी कंपनियों के उत्पाद से भारत के बाजार पटे पड़े हैं, लेकिन भारत की ऐसी कई वस्तुयें हैं, जो आज भी विदेशों में लोकप्रिय हैं। चावल उनमें प्रमुख हैं और चावलों में बासमती चावल का क्या कहना। विदेशों में, खास कर अमरीका और इंग्लैंड में, बासमती चावल की बहुत अधिक मांग है।

इसलिए हम साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए का बासमती चावल विदेशों का निर्यात करते हैं, लेकिन बासमती चावल लोकप्रियता से, अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से कुछ विदेशी कम्पनियों का इंडियन स्टाइल बासमती चावल, कासमती, जासमती, इन अनेकों नामों से विदेशी कम्पनियों ने अपना उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया। इस कारण से बड़े भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके कारण दो नुकसान हैं। एक तो हमारा निर्यात प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बासमती चावल के नाम से दूसरी विदेशी कम्पनियां अपना चावल बेच रही हैं, जो अमेरिका में उत्पाद है। दूसरी बासमती चावल के प्रति जो आकर्षण था वह कम हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चहता हूं कोई ऐसा कानून बनाएं कि हमारा बासमती चावल सुरक्षित कर दिया जाए और बाकी भी जो भारतीय उत्पाद हैं उनको भी सुरक्षित कर दें ताकि विदेशी कम्पनी उनके नाम पर कोई दूसरी चीजें बना कर न बेच सकें और देश के निर्यात का घाटा न हो।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मेरे जनपद फैजाबाद और आगरा के बीच यमुना और चम्बल की नदी में आई बाढ़ ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। 10 हजार पशु मर चुके हैं। उस जगह 6 हजार मकान नष्ट हो गए हैं। लोग अपने घरों से बेघरबार हो चुके हैं और छोटे-छोटे तम्बू लगाकर अपने रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, माननीय सदस्यों ने भी इस सदन में विचार किया था। उत्तर प्रदेश 1,26,344 वर्ग मील में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पैसा मांगा है और जो घोषणा की गई है वह पैसा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि वहां बहुत से लोग मर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो लोग मर चुके हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। वहां दवाइयां न मिलने के कारण लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह से मर रहे हैं। संक्रामक रोग फैल रहा है। दवाइयां न मिलने से वहां बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणा की गई है, जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को पूरा मुआवजा दिया जाए तथा वहां दवाइयों की व्यवस्था कराई जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोंडा): मान्यवर अध्यक्ष जी, आज से बिहार में वनांचल के लिए नाकेबंदी शुरू हो गई है और यह नाकेबंदी आंदोलन का श्रीगणेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण मंत्री जी ने उत्तरांचल की घोषणा कर दी। इतने वर्ष वनांचल के लिए लड़ते हुए हो गए हैं जब कि वह एक सक्षम राज्य बन सकता है। वह प्रशासनिक दृष्टि से तथा हर दृष्टि से एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लायक है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इस चीज का उल्लेख भी किया था।...(**व्यवधान**) उत्तरांचल के लिए घोषणा हुई लेकिन वनांचल की घोषणा न होने के कारण वहां की जनता उद्वेलित हो रही है। अगर सरकार इसकी शीघ्रता पूर्वक घोषणा नहीं करती तो मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन उग्र रूप ले लेगा और उससे बहुत नुकसान होगा। ...(**व्यवधान**) इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर जाए। ...(**व्यवधान**)

श्री आर.एल.पी. वर्मा (कोहरमा): अध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जैसे कि 1994-95 और 96 की परीक्षाओं के परिणामों के देखने से पता लगता है कि ओ.बी.सी. के लिए जो 27 प्रतिशत आरक्षण की सरकारी नीति है उसमें से 22 प्रतिशत मात्र दिए गए। 1994 में सिविल सेवाओं में केवल 25 प्रतिशत छात्रों को उत्तीर्ण किया गया, बाकी और भी जो परीक्षाएं होती हैं खुली प्रतिभा प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए ओ.बी.सी. को सामान्य वर्ग में न रख कर उसी आरक्षण के अंदर जोड़ दिया जाता है तो इनका भविष्य क्या होगा? क्या सरकारी नीति लागू की जा रही है, इसमें पारदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती है। अभी बंगलौर में रेलवे बोर्ड की जो परीक्षा घोषित की है उसमें काफी पारदर्शिता है।

अभी सरकार ने जो नीति नोटिफाई की है, मैं चाहता हूं कि 1994 के नोटिफिकेशन के नियम 15(1) को रद्द किया जाए और साक्षात्कार के 300 अंकों के स्थान पर केवल 100 अंक रखे जाएं।

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के विकास खंड अमरपाटन के ग्राम पठरा की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह एक जंगली इलाका है जहां पर जन-जाति के लोग रहते हैं। सन 1991 से 1994 के बीच में वहां 20 लाख रुपए का शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके घोटाला किया है। वहां पर नाबालिग लोगों के नाम से अंगूठा-दस्तखत कराकर पैसा निकाला गया है। इसकी जांच के लिए जो भी अधिकारी कोशिश करते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। घोटाला करने वाले लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जाए और घोटाला करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें दंडित किया जाए। आदिवासियों के नाम से जो शासकीय पैसा जीवन-धारा के कुंओं का तथा इन्द्रा आवास का निकाला गया है वह उनको तत्काल दिलवाया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, भ्रष्टाचार के संबंध में यह एक नया आयाम है-जो हमें उड़ीसा के कुछ भागों में बैंकों के कार्यकरण के बारे में देखते हैं। पहली बात तो यह है कि विकास सम्बन्धी व्यय [illegible] की बात तो दूर रही बैंकों के पास सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बिलों का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, और जिसके कारण विकास सम्बन्धी कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात यह कि जमाकर्त्ताओं द्वारा धनराशि निकालते समय उन्हें जारी की जाने वाली मोहर लगी एवं सील की हुई तथा बंधी हुई नोटों की गड्डियों (बंडल) में भी कम नोट पाए जाते हैं। यह एक गंभीर मामला है और इससे बैंकों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है।

अत: मैं भारत सरकार, विशेषरूप से वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं-संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद है; उन्हें वित्त मंत्री को इस मामले के बारे में व्यक्तिगत तौर पर अवगत कराना चाहिए कि वह इस मामलें की जांच करें और शीघ्र ही उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: श्री दास, उन्होंने करेंसी नोटों की कमी का मुद्दा पहले उठाया है। आप इस मामले में स्वयं को उनके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी): महोदय, हमें छोटे (कम मूल्य के) करेंसी नोटों की कमी के कारण बहुत कठिनाई हो रही है। एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए मूल्य के करेंसी नोटों की कमी के कारण उत्तरी क्षेत्र में कम मूल्य की भूटानी करेंसी परिचलन में. है। इसलिए यह खतरनाक बात है और मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि कम मूल्य के करेंसी नोट उपलब्ध कराए जा सकें।

श्री ए. सम्पथ (चिरायिकिंल): महोदय, मैं सरकार का ध्यान सिस्टर अभया की मृत्यु जो, केरल के काट्टायम जिले में साढ़े चार वर्ष पूर्व हुई थी, के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच में अवरोध के बारे में दिलाना चाहता हूं। सिस्टर अभया पॉपस टैंथ कान्वेंट कोट्टायम की संवास्नी थी। उसका शव 27 मार्च, 1992 को उस कान्वेंट के एक कुएं में देखा गया था और लगभग साढे तीन वर्षा के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की गई थी। कोट्टायम से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के अधीन विशेष जांच दल आया था और उसी परीक्षण कराए जाने के पश्चात यह पता चला कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दल के.कर्मचारी कोट्टायम में तैनात थे। उनका कार्यालय पी.एच.क्यू ट्रैवलर्स बंगले में था, और वे वहां से जाँच कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से, उन्होंने कोट्टायम के उस कार्यालय को बंद कर दिया। 14 मार्च, 1996 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का दल वापस दिल्ली आ गया और जांच कार्य बंद कर दिया गया।

मैं, सरकार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आवश्यक अनुदेश देने का आग्रह करता हूँ ताकि यह जांच की जा सके और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को जाँच में तेजी लानी चाहिए और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मुझे बस यही बात कहनी है, महोदय।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं, संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करता हूँ। कल ग्रामीण विकास पर बहस का जवाब देते समय माननीय मंत्री जी ने सदन में यह स्वीकार किया था कि अनेक राज्यों के अपने दौरों के दौरान उन्हें ग्रामीण निधियों, संसद द्वारा जिन्हें सामान्यत: जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना तथा कई अन्य कार्यक्रमों जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया था का उपयोग न होते हुए और उसका दुरुपयोग होते देखा था।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 राज्यों और केन्द्र दोनों के कार्यक्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण मामले की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है। 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद 243 पंचायतों के करों और राजस्व को बढ़ाने के लिए राज्यपाल को शक्ति-प्रदान करता है। मैं आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहता हूँ कि यहां निर्धन लोगों के नाम पर धन और निधियों का गंभीर दुर्विनियोजन किया जा रहा है। वहां जंगल नहीं है लेकिन धन दर्शाया गया है।

इस देश में हम प्रत्येक घोटाला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप रहे हैं। मैं, सरकार से और सम्बंधित विधि विभाग से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले की जाँच करने के लिए कोई नियमित प्रकोष्ठ स्थापित किया जा सकता है कि उन योजनाओं, जो कुछ भी नहीं हैं और जिनका हिसाब-किताब नहीं रखा जा रहा है, के कार्यान्वयन के नाम पर ग्रामीण निर्धन लोगों के करोड़ों रुपयों की विकास निधियों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। यहां अनेकों लेखापरीक्षा रिपोर्टें हैं।

[अनुवाद]

यह मामला बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को चाहिए कि वह राजनैतिक दल और राज्यों की शक्ति का ध्यान में रखे बिना इस मामले की जांच करे। यह मेरा निवेदन है क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं और संसद ने इस पर अपनी सहमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। अब से प्रत्येक सदस्य को सप्ताह में शून्य काल के दौरान मामला उठाने के लिए एक ही मौका दिया जाएगा। अन्यथा, सभी सदस्यों को समय दे पाना संभव नहीं है। प्रत्येक सदस्य को एक सप्ताह में एक बार इसका मौका दिया जाएगा। अत: जिन माननीय सदस्यों को आज मौका दिया गया है उन्हें कल इसका मौका नहीं मिलेगा।

अपराह्न 1.22 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 में गन्ने की अधिकता के कारण उ.प्र. में गन्ना किसानों का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ है। विचौलियों ने किसानों से 30 रुपये क्विंटल खरीदा और मिलों को 70 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा। गन्ना पर्चियां वास्तव में जिन किसानों के पास गन्ना था, उनको नहीं दी गई।

अत: मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस संबंध में आज तक जितनी भी जांच हुई है उन सभी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।

अत: मैं भारत सरकार से दो अनुरोध करता हूं कि जितनी भी जांच पैंडिंग पड़ी हैं, उन पर कार्यवाही हो तथा गन्ना समितियों को गन्ना मिलों और किसानों के बीच से समाप्त किया जाये।

अपराह्न 1.24 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) सागर में पेयजल के गंभीर संकट को दूर करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान राशि देने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, सागर नगर अनेक वर्षों से गर्मी के दिनों में भीषण पेयजल संकट से संघर्ष कर रहा है। समस्या निदान हेतु प्रारम्भ की गयी राजघाट परियोजना अर्थ के अभाव में दम तोड़ रही है। फरवरी माह के बाद से ही 2-2, 3-3 दिन में एक समय ही नल में पानी आता है। इसके बावजूद भी नगर के अनेक वार्डों में तो बिलकुल ही पानी नहीं पहुंच पाता है। नगर में जुलाई माह तक पानी के लिये हाहाकार मचा रहता है। राजघाट परियोजना का कार्य स्थगित पड़ा हुआ है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार राजघाट बांध योजना के लिये स्थापित प्रोजेक्ट डिवीज़न को गुना स्थानान्तरित किये जाने की योजना विचाराधीन है। यदि यह प्रोजेक्ट सागर से अन्यत्र जाता है तो इससे सागर नगर की निर्माणाधीन पेयजल परियोजना प्रभावित होगी जिससे लोगों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेकर एक विशेषयोजना के तहत प्रदेश सरकार को इस योजना को पूर्ण कराने के लिये आवश्यक धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि सागर में पेयजल संकट से लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(तीन) कालीकट हवाई अड्डे से विदेश जाने वाले यात्रियों पर लगाये जा रहे प्रयोक्ता प्रभार को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): महोदय, यह अत्यंत आवश्यक है कि कालीकट हवाई अड्डे से विदेश जाने वाले यात्रियों पर लगाये जा रहे प्रयोक्ता प्रभार को शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए ताकि इन यात्रिकों को न्याय एवं निष्पक्ष व्यवहार मिल सके। अक्तूबर, 1995 से कालीकट हवाई अड्डे से बाहर जाने वाले सभी यात्रियों से वयस्कों और बच्चों दोनों के टिकट पर 500 रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रयोक्ता प्रभार वसूल किया जा रहा है। उस समय ऐसे भेदभावपूर्ण प्रभार के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का इस आश्वासन के साथ दूर कर दिया गया था कि यह प्रभार केवल 6 महीने की अवधि के लिए ही लगाया जाएगा। तथापि, इस आश्वासन के बावजूद भी यह प्रभार अभी भी लगाया जा रहा है और यह विदेश जा रहे सभी यात्रियों और विशेष रूप से संपरिवार के यात्रा कर रहे यात्रियों के ऊपर बहुत बड़ा भार है। यह विदेश यात्रा कर के रूप में 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगाये जा रहे कर के अतिरिक्त है।

अत: केरल के उत्तरी जिलों के बहुत से यात्री त्रिवेन्द्रम से विमान यात्रा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि त्रिवेन्द्रम में ऐसा प्रभार नहीं लगाया जाता है। इस भेदभावपूर्ण प्रभार से यात्री अत्यधिक विक्षुब्ध हैं और मेरा माननीय नागर विमानन मंत्री से आग्रह है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि इस प्रभार को शीघ्र ही समाप्त किया जा सके। धन्यवाद।

(चार) बिहार के कटिहार जिले में बाढ़ को रोकने के लिए जल द्वार (स्लूस गेट) बनाये जाने की आवश्यकता

श्री तारीक अनवर (कटिहार): महोदय, जल संसाधन विभाग ने 1974 में मास्टर प्लान के अंतर्गत कटिहार जिले में गंगा, महानंदा और कोशी जैसी नदियों से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए महानंदा बांध का निर्माण किया था। पस्तु यह बांध वरदान न होकर अभिशाप साबित हुआ क्योंकि इस बांध से जिले के किसानों के लिए अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। जिस भूमि पर यह बांध बनाया गया था वह भी हाल ही में आई बाढ़ की चपेट में आ गया। इसके परिणामस्वरूप हजारों एकड़ भूमि पर खेती नहीं की जा सकी और किसानों को काम के लिए अन्य जिलों की ओर पलायन करना पड़ा। हाल ही में आई इस बाढ़ को रोकने के लिए मनिहारी अमदाबाद, आजमनगर, परानपुर इत्यादि

स्थानों पर जल द्वार (स्लूस गेट) बनाने का निर्णय लिया गया था परन्तु राज्य सरकार इन द्वारों का निर्माण नहीं कर सकी है। अत: मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कटिहार जिले में अपेक्षित स्थानों पर जलद्वारों (स्लूस गेट) के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये।

(पांच) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा में सुधार करने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर): पिछले कुछ वर्षों में कतिपय प्रौद्योगिकी मिशनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया था। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आधुनिक संचार सविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। संचार मंत्रालय की नीति देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा द्वारा जोड़ने की रही है। इस स्थिति में, मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही चल रहे टेलीफ़ोन एक्सचेंजों में सुधार कार्य और उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नार्थमपूंडी वेटावलम, थंडरमपट्टू, वनापुरम, मल्लावडी और वैरैयूर में टेलीफोन एक्सचेंज थिरून्नामलाई के आस-पास 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन टेलीफोन एक्सचेंजों में खराब रख-रखाव और पुराने उपकरणों के कारण टेलीफोन सेवाएं सामान्यत: अस्त-व्यस्त रहती हैं। आस-पास के कई गांवों को इन एक्सचेंजों से जोड़ा गया है तथा इनमें टेलीफोन संपर्क सामान्यत: टूटा रहता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के बहुसंख्यक ग्रामीण लम्बे समय से टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। तिरूपत्तूर नगर के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी यही हाल है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इस कृषि क्षेत्र में चमड़ा उद्योग की थोड़ी-सी इकाईयां हैं। अत: इस क्षेत्र में उन्नत संचार तंत्र अवश्य होना चाहिए जिससे कि देश के अन्य भागों के साथ इस क्षेत्र का भी विकास हो सके। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र आरम्भ करें।

(छ:) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में समुद्री कटाव को रोकने के लिए कारगार उपाय करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): सुंदरबन क्षेत्र यद्यपि वनस्पतियों तथा जीव-जन्तुओं की दृष्टि से समृद्ध है तथा बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु यहां के लोग अत्यन्त गरीबी से ग्रसित हैं, क्योंकि यहां पर कोई उद्योग नहीं है और न ही किसी तरह की खेती हो सकती है क्योंकि यहां की भूमि दलदल वाली है तथा इसे लगातार मौसम की थपेड़ों को सहना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली तेज ज्वारीय तरंगें यहां की नदियों के तटों को, जिसकी लम्बाई लगभग 3500 किलोमीटर है कटाव करती रहती है जिससे यहां भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती है। इस समस्या का एकमात्र समाधान इन नदियों के किनारों को और मजबूत करना है ताकि ये ज्वारीय तरंगों की थपेड़ों का सामना कर सकें। इसके लिए हालैंड से डच-विशेषज्ञों की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश को जबरदस्त ज्वारीय तरंगों के प्रभाव का सामना करने में दक्षता हासिल है और इसके लिए मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि वह हालैंड (डच) सरकार से इस संबंध में वहां के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए संपर्क स्थापित करे ताकि इस क्षेत्र की भूमि को उक्त कटाव से बचाया जा सके। यह भी उल्लेख किया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है, अत: यह विशेषज्ञ-सहायता प्राप्त करने हेतु कोई धनराशि व्यय करने में असमर्थ है। वास्तव में केवल भारत सरकार ही सुंदरवन क्षेत्र की निर्धन जनता की सहायता कर सकती है तथा उसे ज्वरीय तरंगों से भविष्य में होने वाली तबाही से बचा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि कटाव के साथ-साथ कई बार अनेक मनुष्यों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इस भूकटाव को रोककर इस भूमि का बहुत लाभप्रद तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

(सात) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ तथा कदागु जिले में मांग पर रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ तथा कदागु जिलों में अरब सागर एवं पश्चिम घाटों के बीच उत्तर से दक्षिण तक फैले घने जंगलों के कारण पूर्व पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ था। अनुगामी राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में अनेक उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने संबंधी हाल ही में लिए गए निर्णय के कारण इस क्षेत्र के लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरे का सामना कर रहे हैं। अब, यहां के लोगों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे जलाने के लिए लकड़ी न काटें।

इस क्षेत्र के लोग खाना पकाने के लिए गैस पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन गैस आपूर्ति बिक्री केन्द्रों की संख्या सीमित होने के कारण खाना पकाने की गैस मिलना दुर्लभ हो गया है। खाना पकाने की गैस के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पांच वर्षों से भी अधिक समय से बड़ी संख्या मं उपभोक्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अत: इस क्षेत्र में पारिस्थिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तथा एल-पी-जी कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि वह इस क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता की मांग पर एल-पी-जी कनेक्शन उपलब्ध कराये, जैसा कि देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा अपराह्न 2.35 बजे पुन: समवेत होगी।

अपराह्न 01.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.41 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.41 बजे पुन; समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: अभ सभा श्री रमाकान्त डी. खलप द्वारा 26 जुलाई 1996 को प्रस्तुत विधेयक पर आगे विचार करेगी। इस विधेयक हेतु एक घण्टे का समय आबंटित किया गया है। 30 मिनट शेष बचे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): इस पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से चर्चा शुरू हो चुकी थी। इस विषय पर पांच व्यक्ति पहले ही बोल चुके हैं तथा इस पर तीस मिनट का समय पहले ही व्यतीत किया जा चुका है। श्री भगवान शंकर रावत, श्री सत्य पाल जैन और श्री सन्तोष कुमार गंगवार आदि सदस्य बोल चुके हैं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): जब इस विधेयक को विचारार्थ लिया गया था, तब हुआ यह था कि हमने इस पर अपने विचार रखे थे तथा तत्पश्चात् इसे विचार किए जाने हेतु मुल्तवी कर दिया गया था। उस समय वे चर्चा से यह कह कर बाहर हो गए थे कि इस संबंध में वे एक संशोधन विधेयक लाना चाहते हैं।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप): यह मांग की गई थी कि कर्नाटक के मामले में ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए अनुसूची में आगे और संशोधन किया जाये। कुछ सदस्यों का ऐसा सुझाव था। इसलिए हमने यह निर्णय लिया था कि इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जाए। तद्नुसार इस विषय पर बहस स्थगित कर दी गई थी। अब, हम इस विधेयक में यह शासकीय संशोधन लेकर आए हैं कि कर्नाटक से सम्बन्धित अनुसूची में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाना है। ऐसा कर्नाटक के संसद सदस्यों की आकांक्षाओं के अनुरूप किया गया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): इस विषय पर बोलने वाले अधिवक्ता नहीं होंगे। प्रत्येक सदस्य पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करने की कोशिश करेगा। हम इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): पिछली बार दो मुद्दे उठाए गये थे। उन्होंने एक मुद्दा स्वीकार किया है। दूसरा मुद्दा यह था कि उस दिन वह यहां उपस्थित थे-संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, नगरपालिका और छावनी बोर्डों के पदेन सदस्य होते हैं। यह मुद्दा उठाया गया था कि उनके सदस्य होने के नाते उन्हें भी मत देने का अधिकार होगा या नहीं। यह मुद्दा भी उठाया गया था।

श्री रमाकान्त डी. खलप: मत देने और इस तरह की बातों पर मत जाइये। हमें ग्राम पंचायतों के बारे में जानकारी है।

श्री सत्यपाल जैन: नगर निगमों, छावनी बोर्डों, जिला परिषदों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। क्या संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, जो 73वें संशोधन के बाद नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पदेन सदस्य हैं, को भी विधान परिषद में मत देने का अधिकार होगा या नहीं, एक मुद्दा यह भी उठाया गया था।

श्री रमाकान्त डी. खलप: पंचायती राज अधिनियम में क्या है, यह बात उस पर निर्भर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रस्ताव पर विचार करते समय भी ये विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब श्री धनंजय कुमार बोलेंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय के पश्चात् इस विधेयक पर पुन: चर्चा हो रही है।

कम से कम अब तो सरकार को वास्तविकता का पता चल गया है। संविधान में संशोधनों के बाद अर्थात् 72वें और 73वें संशोधनों के बाद **ग्राम पंचायतों, तालुक पंचायतों, जिला परिषदों,** नगर निगमों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अब यह अनिवार्य हो गया है कि इनमें से कोई भी निकाय छ: माह से अधिक समय तक बिना चुनाव के नहीं रह सकता है।

अब हम विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें इन स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल में से चुना जायेगा। मैं माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि कर्नाटक विधान परिषद में पच्चीस सीटें खाली हैं जो इन स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं। इन निकायों को विधान परिषद के लिए पच्चीस सदस्यों का चुनाव करना है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छ: वर्ष का होता है। कर्नाटक विधान सभा में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से सारी पच्चीस सीटें 7 वर्षों से अधिक समय से रिक्त हैं।

पहले, हमारे यहां मंडल पंचायत और जिला परिषद पद्धति थी। बेशक, नगरपालिकाएं, नगर निगम और छावनी बोर्ड भी थे।

संविधान में संशोधन के बाद, विभिन्न स्थानीय निकायों को पुनः परिभाषित किया गया है; मंडल पंचायतों का स्थान अब ग्राम पंचायतों ने ले लिया है; तालुक पंचायतों के नाम से मध्यवर्ती पंचायतों का गठन किया गया है; जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया है और शहरी क्षेत्रों की संरचना को भी पुनर्परिभाषित किया गया है अथवा वस्तुतः टाउन नगरपालिकाएं, सिटी नगरपालिकाएं और नगर निगमों में इन्हें पुनर्वर्गीकृत किया गया है। छावनी बोर्डों का गठन किया गया है और हमारे पास टाउन पंचायतें नामक नई श्रेणी है। इस नए विधेयक से सरकार इन सभी स्थानीय निकायों को निर्वाचित निकायों के निर्वाचक मंडल में शामिल करना चाहती है।

मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि आज भी कुछ स्थानीय निकाय प्रशासकों के प्रशासन के अधीन हैं। इन निकायों के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, दक्षिण कन्नड़ जिले में किसी भी स्थानीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। वहां निर्वाचित निकाय नहीं है। वहां अन्तिम वार चुनाव एक वर्ष से भी पहले हुए थे। संविधान में संशोधन के बाद भी, राज्यों को इन स्थानीय निकायों के चुनावों को आयोजित करना अनिवार्य किए जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराये गये हैं। दो बार चुनावों की घोषणा की गई थी, नामांकन भरने की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी और अन्तिम समय में नामांकनों को अन्तिम रूप दिए जाने के उपरान्त किन्हीं कारणों से चुनाव रद्द कर दिए गये थे। हम नहीं जानते कि चुनाव कब होंगे। दक्षिण कन्नड़ जिले से, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से दो सदस्यों को कर्नाटक विधान परिषद के लिए चुना जाना है। ये दो स्थान रिक्त रहेंगे। हम दक्षिण कन्नड़ के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से दो सदस्यों को नहीं चुन सकते हैं। बंगलौर शहरी जिले की भी यही स्थिति है। बंगलौर शहरी जिले में केवल बंगलौर नगर निगम आता है।

बंगलौर नगर निगम के चुनाव नहीं कराये गये हैं। अतः, अब हम इस उलझन में हैं कि बंगलौर विधान परिषद के इन रिक्त स्थानों को कब भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा विवाद उठ सकता है। एक बार निर्वाचक मंडल का विधिवत गठन हो जाता है और चुनाव हो जाते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं, विधान परिषद् के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल छः वर्षों का होता है और एक तिहाई सदस्य क्रमानुसार हर दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे। अब विवाद यह है कि स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित इन 25 सदस्यों में से कौन से सदस्य पहले दो वर्षों के अन्त में सेवानिवृत्त होंगे, कौन से सदस्य चार वर्षों बाद सेवानिवृत्त होंगे और कौन मे सदस्य कार्यकाल पूरा करेंगे। इस संबंध में सम्भवतः एक प्रावधान बनाना होगा, अन्यथा बहुत गलतफहमी पैदा हो जायेगी।

मैं नहीं जानता कि क्या सरकार लॉटरी विधि का सहारा लेगी। सामान्यतया, ऐसे मामलों में हमेशा लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो भी भाग्यशाली होगा उसे सम्पूर्ण कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलेगा। शेष सदस्य या तो दो वर्ष या चार वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मैं इन बातों को सरकार की जानकारी में इसलिए ला रहा हूं कि सरकार की निष्क्रियता के कारण निर्वाचक मंडल का गठन समुचित रूप से नहीं किया जा सका और बदली हुई परिस्थितियों में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि स्थानीय निकायों के सदस्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में मत दे सकें।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों, विशेष रूप से श्री अनन्त कुमार, जो अपनी बारी आने पर इस विषय पर विस्तार से बोलेंगे, द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर सहमत होने के लिए, मैं कुछ बातों पर सहमत न होते हुए भी मंत्री महोदय को धन्यबाद देता हूं। मैं यह नहीं जानता कि सरकार ने मूल विधेयक में मतदाताओं के एक वर्ग, बड़ी संख्या ने ग्राम पंचायतों के सदस्यों, को शामिल क्यों नहीं किया।

महोदय, वास्तव में जैसा कि हम जानते हैं कि स्थानीय निकायों का जीवन ग्राम पंचायतों जो कि मतदाताओं का निचले स्तर का प्रतिनिधि निकाय है, में निहित है। ग्राम पंचायत का सदस्य उस क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक नागरिक की देखभाल करने की स्थिति में होगा। यदि ऐसे सदस्य को निर्वाचक मंडल से अलग रखा जाता है और विधान परिषद् के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने हेतु उसे अधिकार से वंचित रखा जाता है, तो सम्भवतः विधान परिषद् के लिए स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयोजन व्यर्थ हो जायेगा। अब, निर्वाचक मंडल में ग्राम पंचायतों के सदस्यों को भी शामिल करने के लिए सरकार सहमत हुई है और स्वयं मंत्री महोदय ने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। जिस प्रयोजनार्थ विधान परिषद् के लिए इन स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वह विशिष्ट है।

इन स्थानीय निकायों को अक्सर राज्य सरकारों की दयादृष्टि पर छोड़ दिया जाता है। यद्यपि अनिवार्य उपबंध बनाकर स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है कि वे छह माह की अवधि से अधिक प्रशासक के प्रशासन के अधीन नहीं रह सकते हैं और चुनाव निश्चित अन्तराल में होंगे फिर भी संसाधन जुटाने के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि इन स्थानीय निकायों को नागरिकों को पेजयल, स्वच्छता, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा जाता है। किंतु कई बार हम पाते हैं कि ये स्थानीय निकाय अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन की स्थिति में नहीं होते हैं। धन की

कमी के कारण भी वे अपने संसाधनों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर, मोटरयान कर और यहां तक वृत्तिक कर जैसे करों को संग्रहण करने की प्राधिकृत व्यक्तियों को राज्य सरकारों ने एक-एक कर छीन लिया है। अब राज्य सरकारें इन करों को वसूल कर रही है और बदले में इन स्थानीय निकायों को उनका एक हिस्सा दे देती हैं।

अत: इन स्थानीय निकायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए विधान परिषद में उनका उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इन स्थानीय निकायों के पक्ष में बोलने, इनके मामलों को रखने और उनका समुचित प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि विधान परिषदों में ऐसे प्रतिनिधि ही इन स्थानीय निकायों के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अत: इन स्थानों को लम्बे समय तक रिक्त रखकर जो कि विधान परिषद में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के पूर्ण कार्यकाल से अधिक है, सरकार द्वारा बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अब जब यह विधेयक अधिनियम बन गया है सरकार को कर्नाटक सरकार में जहां कहीं चुनाव समय पर नहीं हुए है इन सभी स्थानीय निकायों के चुनाव तत्काल करवाने का निवेदन करना चाहिए और निर्वाचन मंडल गठन पूरा करे तथा तब विधान परिषद के प्रतिनिधि चुनने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

जहां उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित विधेयक के दूसरे भाग का संबंध है हमारे नेता श्री राम नाईक इस बारे में कहेंगे। वस्तुत: उसमें भी कुछ खामियां हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने ऐसा संशोधन क्यों पेश नहीं किया जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किया जाये। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है उन्होंने ग्राम पंचायत के सदस्यों को निर्वाचन मंडल से हटा दिया है। मैं नहीं जानता कि उनके मंत्रालय में किसी ने इस पर विचार किया है या नहीं, किन्तु उन्होंने आंख मूंद कर इसका प्रारूप तैयार किया है...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: हो सकता है उत्तर प्रदेश में चुनावों की वजह से.....

...(व्यवधान)

श्री वी. धनन्जय कुमार: क्षेत्रीय पंचायतें निर्वाचक मंडल में है किन्तु उत्तर प्रदेश के मामले में लोकतांत्रिक संस्था की आधार ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया गया है।

इसलिए मैं सरकार से पुन: निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक के परिणामों को प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। वे उपाय हैं, एक बार जब यह विधेयक अधिनियम बन जाए तो स्थानीय निकायों तथा विधान परिषदों में रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं ताकि उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके और इन क्षेत्रों में रह रहे लोग राज्य सरकारों से सुविधायें प्राप्त कर सके। धन्यवाद महोदय।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

प्रो. आई.जी. सनदी (धारवाड़-दक्षिण): मैं आदरणीय मंत्री श्री रमांकत डी. खलप जी का आभार व्यक्त करता हूं। कर्नाटक में खलबली मची थी और न असेम्बली चल रही थी, न काउन्सिल चल रहा था, पूरे राज्य भर में एक तरह आंदोलन का वातावरण फैला हुआ था। इस वातावरण को बड़े ही शांत दिल से सरकार ने सुलझाया है और ग्राम पंचायत जो छूट गया था, उसको आपने इसमें जोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रति आपने एक उपकार किया है। मुझे बापू जी की एक बात याद आ रही है:

[अनुवाद]

"दिल्ली में बैठे कुछ लोगों से ही लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। इसे निचले स्तर पर प्रत्येक गांव के लोगों द्वारा चलाना होगा। यह केवल पंचायती राज द्वारा ही संभव है। ग्राम पंचायत स्व:शासन की मूल इकाई है।"

[हिन्दी]

इस तरह से कहा गया था। जब सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज पंचायत हैं, हमारे यहां 80,000 या 86,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत मेम्बर्स इलेक्ट होकर आ गए हैं, उनका जो अपने प्रतिनिधियों को चुनने का राइट हो सकता था, उनके जरिए गांवों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आवाज विधान परिषद में भी रहे, इसके लिए एक सुन्दर वातावरण मिल गया है। आपने बहुत ही सोच-विचार के साथ जो कर्नाटक के लिए कदम उठाया है, कर्नाटक के हर ग्राम पंचायत से जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं, वे इतने खुश हैं कि मैं कह नहीं सकता। आप इतना अच्छा एक्ट लेकर आए हैं। मैं कर्नाटक की तरफ से और अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर-दक्षिण): महोदया, सबसे पहले मैं सरकार को इस सरकारी संशोधन को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसमें कर्नाटक के ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। किन्तु इस समय मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद तथा संसद की दोनों सभाओं की दीर्घकालिक लड़ाई के बाद सरकार जागी और यह निर्णय किया। हमारी सरकार ने अपने द्वारा उठाए गए कदमों को ही सुधार कर बुद्धिमानी का कार्य किया है। मुझे एक कहावत याद है कि लड़ाई और प्यार में सब कुछ जायज है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, "प्यार, लड़ाई और संसदीय प्रक्रिया में सब कुछ

जायज है।'' मेरे विचार से माननीय मंत्री श्री खलप ने इस उक्ति को अपनाया और सारी बात को इस सीमा तक विलम्बित किया।

मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जून 1994 से कर्नाटक विधान परिषद में पच्चीस स्थान रिक्त हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की चौथी अनुसूची में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि विधान परिषदों में स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व भी होगा। 1992 में स्थानीय निकायों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने के लिए संविधान में तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन किया गया था।

जब ये संविधान संशोधन लाए गए थे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की चौथी अनुसूची के अनुसार यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायतों सहित नगर पालिकाएं, नगर परिषद, टाउन म्युनिसिपल काउंसिल, टाउन पंचायत, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, छावनी बोर्ड शामिल हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सब में इतना विलम्ब क्यों किया गया है। पिछली सरकार द्वारा 20 मार्च, 1995 को 1995 का विधेयक संख्या 13 लाया गया और उस संशोधन में भी ग्राम पंचायतों को शामिल किया। किन्तु जब 11 जुलाई, 1996 को 1996 का विधेयक संख्या 20 प्रस्तुत किया गया तो ग्राम पंचायतों से संबंधित खंड को हटा दिया गया और पुनः आज 10 सितम्बर को इसे सरकारी संशोधन के रूप में शामिल किया गया है।

हर समय सरकार के प्रवक्ता और नेता सभा में और बाहर कहते हैं कि वे भूमिपुत्रों, किसानों, खेतिहर श्रमिकों, बुनकरों, मछुआरों आदि ऐसे ही पददलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु ग्राम पंचायत के सदस्यों को छोड़कर उन्होंने इन निचले तबके के लोगों जो अन्यथा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व पा लेते के अधिकारों, आवाज और प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है।

मुझे यह देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि कर्नाटक विधान मंडल के दोनों सदनों तथा संसद में हम लोगों ने सरकार को समझाने के लिए संघर्ष किया और उसके ध्यान में यह लाये कि वे अपने चुनाव घोषणा पत्र तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कुछ कहते हैं और देश पर शासन करते समय और पद दलित, किसानों, खेतिहर श्रमिकों, बुनकरों और मछुआरों को प्रतिनिधित्व देते समय अन्यथा व्यवहार करते हैं। अन्त में विपक्ष के संयुक्त संघर्ष के कारण यह सामने आया। और कर्नाटक विधान मंडल में कांग्रेसी सदस्यों तथा माननीय मंत्री श्री कोदैया, प्रो. आई जी. सनदी जैसे संसद सदस्यों और भाजपा के मेरे एक सहयोगी, श्री सतपाल जैन और श्री धनन्जय कुमार ने उन लोगों की आवाज उठाने के लिए इस मुद्दे को इस सम्मानीय मंच पर उठाया है जिन्होंने अन्यथा विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार खो दिया था।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस संशोधन के न होने की स्थिति में कितनी क्षति हुई होती। कर्नाटक में 5640 ग्राम पंचायतें है जिनमें 80,627 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। यदि विपक्ष के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप यह सरकारी संशोधन पेश नहीं किया जाता तो नगर पालिका, सिटी नगर परिषदों, जिला परिषदों और तालुक परिषदों के 8000 सदस्यों को ही मतदान का अधिकार होता, जबकि किसानों के 80,000 से अधिक प्रतिनिधि इस अवसर से वंचित रह जाते।

अतः स्थिति इतनी गंभीर थी। विपक्षी दलों के संघर्ष से कम से कम सरकार के ध्यान में यह बात आ गई है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य है कि प्रतिनिधित्व और कार्यकारी शक्तियों का हस्तांतरण ग्रामीण स्तर, निचले स्तर तक किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसी धारणा बन गई है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार फिर से प्रबुद्ध विधि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने यह संशोधन लाया है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक में दो नगर निगमों-बंगलौर नगर निगम और मंगलौर नगर निगम- के लिए निर्वाचन नहीं किया गया है। कुछ अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने हैं। गत डेढ़ वर्ष से इन दो नगर निगमों के चुनाव बाधित किये जा रहे हैं। बंगलौर शहर में 56 लाख से अधिक लोग रहते हैं। यह कर्नाटक राज्य का केन्द्र है। बंगलौर नगर निगम में कोई जन प्रतिनिधि और जनादेश नहीं है। इसका संचालन एक प्रशासक द्वारा किया जा रहा है। अतः, मैं विधि मंत्री जी से सरकार से वहां चुनाव कराने की सिफारिश करने का आग्रह करूंगा। केन्द्र में सत्ताधारी दल ही कर्नाटक में भी शासन चला रहा है। इन निकायों के चुनाव तत्काल कराये जाएं, राजनैतिक दल बिना किसी भय के अथवा परिणामों की आशंका के लोगों का जनादेश मागें। लोग अपना जनादेश देंगे जिसका अंततः सम्मान किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह जनादेश की विजय का अच्छा उदाहरण होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, यह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियन, 1950 में और संशोधन करने के लिए विधेयक लाया गया है, इसमें जो संशोधन किया जा रहा है इसका मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे पंचायत का जो आधार है, जो हमारे प्रशासन की रीढ़ होती है तो उस पंचायत से उस

इलाके का आदमी वहां का विकास चाहेंगे। उनकी तरफ से अगर विधान परिषद में रिप्रजेंटेटिव आ जाते हैं तो उससे पंचायत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे वहां की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। वे उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए परिषद में अपनी बात रख सकते हैं। यह बिल बहुत ही लाभदायक है और खास करके जो हमारे प्रतिनिधि देहाती क्षेत्रों में मुखिया या प्रधान कहलाते हैं उनको भी अपनी बात रखने के लिए मौका मिलेगा, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी): महोदया, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। कर्नाटक सरकार ने विधान परिषद के लिए मतदाताओं की सूची से ग्राम पंचायतों को बाहर करने संबंधी एक विधेयक का प्रस्ताव किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसलिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि 5,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को राज्य विधान परिषदों में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतों के लगभग 80,000 सदस्य, जिन्हें भारत की ग्रामीण जनता ने सीधे निर्वाचित किया है, राज्य विधान परिषदों के लिए मतदान करने के अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। ये 80,000 सदस्य भारत के मूलभूत निचले स्तर के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत के ग्रामीण जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राम पंचायतें भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों से लेकर छोटे कृषकों और दलित महिला समुदाय तक भारत के ग्रामीण जनसाधारण की दैनिक जिन्दगी से जुड़ी हैं।

इस सरकार ने बारंबार यह दावा किया है कि इसका मुख्य ध्येय गरीबी निवारण है। सबसे अधिक गरीबी ग्रामीण अंचलों में व्याप्त है। ग्राम पंचायतों को मताधिकार से वंचित करना गरीब आदमी को परिषद में अपना प्रतिनिधि भेजने से वंचित करने के बराबर है। चाहे आवास योजना हो, विकास योजना हो अथवा रोजगार योजना, सभी गरीबी निवारण कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किये जाने चाहिएं। अधिकतर 20 सूत्री कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए और ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किये जाएं।

हम ग्राम पंचायत स्तर पर ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों को परिषद की सदस्यता के लिए मताधिकार न देकर हम महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को परिषद में अपने प्रतिनिधि भेजने से वंचित कर रहे हैं।

यह अचरज की बात है कि केवल ग्राम पंचायतों को मताधिकार से वंचित किया गया है जबकि अन्य सभी स्थानीय निकायों को यह अधिकार है। नगर निगम, नगर पार्षद, जिला परिषद के सदस्य, तालुक पंचायतों के सदस्य मतदान कर सकते हैं किन्तु केवल ग्राम पंचायतें ही मतदान नहीं कर सकती हैं। ग्राम पंचायत प्रजातंत्र का प्रारंभिक स्तर है और इसे ही वंचित किया जा रहा है।

यह हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायतों को मतदान का अधिकार है। कर्नाटक ग्राम पंचायतों को यह सम्मान देने में आनाकानी क्यों कर रहा है? क्या वे लोग निचले स्तर के लोकतंत्र से भयभीत हैं?

खैर, अब सरकार ने ग्राम पंचायतों को विधान परिषद का मताधिकार देने हेतु संशोधन लाया है। ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल करने पर सहमत होने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ और संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर-उत्तर): सभापति महोदया, कर्नाटक में विभिन्न स्तरों ग्राम पंचायतों, तालुक पंचायतों और जिला पंचायतों पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाला संशोधन विधेयक लाना स्वागत योग्य है।

विधान परिषदों में शिक्षकों और स्नातकों जैसे विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है और इस संदर्भ में यह विधेयक लाना बिल्कुल उचित है। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व निर्वाचित सदस्य की कालावधि समाप्त होने के बाद अक्सर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से लम्बे समय तक विधान परिषद के चुनाव नहीं कराये जाते हैं। हम पूर्व सदस्य की कालावधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न रिक्ति को भरने हेतु चुनाव कराये जाने की समय सीमा निर्धारित करेंगे।

इस संदर्भ में संविधान के 73वें संशोधन ने देश में शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों को सांविधिक आधार प्रदान किया है। यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद सभी राज्यों में निर्वाचित पंचायतें होंगी। दुर्भाग्य से यद्यपि संविधान (तिहत्तरवें) संशोधन के माध्यम से लाई गई ग्यारहवीं अनुसूची में देश में विभिन्न स्तरों पर पंचायतों द्वारा लागू किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख है, तथापि विभिन्न राज्यों में राज्य विधानमंडलों द्वारा कार्यक्रम संबंधी मद का उल्लेख किये जाने पर भी सुस्थापित पंचायतों को यह कार्यक्रम लागू करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है।

पंचायतों को कार्यान्वित करने हेतु अधिकतर कार्यक्रम देते समय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों जिनमें कुछ राज्य क्षेत्र के हैं, से संबंधित दिशानिर्देश केन्द्र और राज्य द्वारा बनाये जाएंगे। कभी-कभी सम्पूर्ण देश में लागू करने के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाये जाते हैं। किन्तु विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के चलते केन्द्रीय सरकार के लिए निचले स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप दिशानिर्देशों में फेरबदल करने की स्वतंत्रता देना आवश्यक है। इससे स्थानीय निकाय कार्यक्रम कार्यान्वित करने में समर्थ होंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान संशोधन में जिला स्तर पर जिला योजना समिति की अनिवार्य स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक जिला योजना समिति में ग्राम पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं तथा निगमों जैसे शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य होंगे। दुर्भाग्यवश, कर्नाटक सहित कई राज्यों में संविधान के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया गया है। संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां दी जानी हैं। संविधान के अनुसार पंचायतों की स्थापना करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है परन्तु स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए इन्हें पर्याप्त शक्तियां और अधिकार दिये जाने चाहिए। कई राज्यों जिनमें पंचायती राज संस्थाएं कार्यरत हैं, में यह पाया गया है कि संविधान के प्रावधानों को लागू करने की भावना में कमी है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। उन्हें पंचायतों में कार्यरत अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं दिया जाता है। यह स्वशासन जिसे स्थानीय निकायों को दिया जाना है, के सिद्धांत को नकारना है।

यद्यपि संविधान के अंतर्गत यह राज्य का विषय है, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आदर्श दिशा-निर्देश जारी करने अथवा तैयार करने का आग्रह करूंगा ताकि राज्य उनका अनुपालन कर सकें और अपने अपने राज्य विधानमंडलों में संशोधन लाकर इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करें। पंचायती राज संस्थाओं को विशेषकर कर्नाटक की विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि भेजने के उपाय करने वाला यह नया कदम स्वागत योग्य है। पहले वर्ष 1987 और 1992 के दौरान जिला परिषदें और मंडल पंचायतें थी।

पहले वर्ष 1987 तथा 1992 की अवधि के दौरान जिला परिषदें तथा मण्डल पंचायतें हुआ करती थी। तब पहले के क्षेत्रीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में जिला परिषदों तथा मण्डल पंचायतों के सदस्यों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने का अधिकार होता था।

अब, संविधान संशोधन की दृष्टि से कर्नाटक में हमारे पास एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, कर्नाटक की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है जिससे राज्य के लिए एक त्रिस्तरीय पंचयाती राज को गठित करने की आवश्यकता पैदा होती है। अब किए जा रहे उपायों से विधान सभा के तीनों स्तरों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होगा। मैं राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों को क्षेत्रीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन को संभव बनाने वाले उपाय को लाने के लिए बधाई देता हूँ।

इस समय, मेरा यह कहना असंगत नहीं होगा कि विधायकों की और यहां तक कि दुर्भाग्यवश मेरे कुछ साथी सांसदों की भी यह सामान्य प्रवृत्ति रहती है कि पंचायत द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में हस्तक्षेप करें तथा वे उसे अपने द्वारा ही करना चाहते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत को सौंपे जाने वाले मदों की सूची दी गई है। पंचायतों का अपना यह प्रयास होना चाहिए कि वह समाज कल्याण स्कीमों की योजना बनाए तथा साथ ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना बनाए तथा उनको क्रियान्वित करें।

इसलिए, हम सभी का प्रयास पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोग करना तथा साथ ही उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट देना होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को कर्नाटक में ग्राम पंचायतों के सदस्यों को राज्य में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए होने वाले निर्वाचन में भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए भी एक अधिकारक संशोधन को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

1526 बजे

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): सभापति महोदया, जैसे मेरे पूर्व-वक्ताओं ने माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया कि वे इस प्रकार का विधेयक लाए हैं, मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जब धन्यवाद देने की कल्पना मेरे मन में आती है तो यह बात मुझे याद आती है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जिस पर राष्ट्रपति जी ने बाद में हस्ताक्षर किये और वह व्यवहार में आया, वह दिनांक 20 अप्रैल, 1993 था और आज हम यहां अभिनंदन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की अकर्मण्यता और कार्य करने की अक्षमता के कारण कर्नाटक की विधान सभा दो साल तक एक तिहाई सदस्यों से रिक्त रही। 75 में से 25 सदस्यों का चुनाव न होना जनतंत्र में कितनी गंभीर बात है। इसलिए जब मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा हूं तो मेरे मन में आता है कांग्रेस को

सोचना चाहिए था कि आपने अपने समय में क्या किया। विधान परिषद् का एक तिहाई रिक्त रहना बड़ी गंभीर बात है। इसलिए बेटर लेट देन नेवर की भूमिका में यह विधेयक देर से आया है, लेकिन इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं।

आपने ग्राम पंचायत को भी यहां लाने की मान्यता दी और ऑफिशियल अमेंडमेंट आए हैं। इसलिए कुछ बातों में विचार करके आप जल्दी कार्य कर सकते हैं ऐसा दिखाई देता है और इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद इस कारण से दूंगा कि एक बात का आपको बाद में ख्याल आया और आप उसमें सुधार करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंड लाए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप काम में पक्षपात करते हैं। यदि कर्नाटक के लिए ग्राम पंचायत को यह अधिकार देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं? उत्तर में भी ग्राम पंचायतें हैं और इसलिए फिर मन में आता है कि क्या केवल प्रधान मंत्री कर्नाटक से हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से आपको कोई लेना-देना नहीं हैं, इसलिए आप उनको नहीं दे रहे हैं। आपको इस बात को सदन में बताना पड़ेगा कि जो अमेंडमेंट आप कर्नाटक के लिए लाए हैं, वह आपने उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिये और ऐसा डिसक्रिमिनेशन जो दिखाई देता है वह आप क्यों करते हैं? इस बात पर जब हम विचार करते हैं कि कर्नाटक में दो-तीन साल विधान-परिषद् रिक्त रही और अभी वह भर जाएगी, वहां चुनाव जल्दी करने की दृष्टि से व्यवस्था हो जाएगी।

लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी कुछ चुनाव आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखकर मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की बात आपके सामने रखने वाला हूं। जो बात मैं आपके समाने रखने वाला हूँ, हो सकता है कि इसी प्रकार की कठिनाइयां 73वें और 74वें संशोधन के बाद और कई राज्यों में आती होगी।

मुझे महाराष्ट्र की अधिक जानकारी है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप जब जवाब दें तो इसका उत्तर भी दीजिए। 73वें और 74वें अमेंडमेंट विधेयक हमने बड़े एक मत से यहां पर मंजूर किया कि पंचायत राज बड़ी अच्छी कल्पना है, अच्छे व्यवहार में लायेंगे। कोई भी विरोध न करते हुए सभी ने केवल लोक सभा या राज्य सभा ने ही नहीं, सभी राज्यों ने भी बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन उत्साह से स्वागत करते समय कुछ बातों का ख्याल नहीं आया। जैसे कि यह अमेंडमेंट तो उसके कारण है, नहीं तो उस समय ही यह ख्याल में आना चाहिए था कि हम यहां के जिला परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ताल्लुका पंचायत, ये नाम बदल रहे हैं तो कर्नाटक में इस प्रकार की बातें उस समय पर आनी चाहिए थी। लेकिन कभी-कभी यह होता है कि जब हम अति उत्साह में एक मत है, एक राय है, यह कहते जाते हैं तो कुछ महत्व की बातें रह जाती हैं। उस भूमिका में मैं महाराष्ट्र का केस आपके सामने रखना चाहता हूँ।

हमारे मंत्री जी तो गोवा से हैं, उनके बांये हाथ पर कर्नाटक है और दांये हाथ पर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से उनका लगाव भी है, भाषा की दृष्टि से, आने-जाने की दृष्टि से...(**व्यवधान**) महाराष्ट्रवादी गोमांगक पक्ष यह उनके पार्टी का नाम भी है, उनका संबंध भी मुंबई शहर से ज्यादा है। इसी कारण से वह महाराष्ट्र को अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र में जिला परिषद का एक्ट 1962 से चल रहा है। अर्थात् जो बात हम 73वें-74वें अमेंडमेंट के कारण सारे देश में करना चाहते थे, वह महाराष्ट्र में 1962 से चल रहा है। परंतु उसमें एकाएक रुकावट आने वाली है और रुकावट यह है कि हमने शेडयूल्ड एरियाज, इस 73वें अमेंडमेंट के सेक्शन नंबर 343-एम, -1 कांस्टीट्यूशन में जो परिवर्तन किया है, उसके आधार पर हमने उस विधेयक में यह लिखा है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है, उनके बारे में जब तक स्पष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक वहां शेड्यूल्ड एरियाज के पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे और इसका परिणाम यह हो रहा है कि महाराष्ट्र में, अब जब हमारी वहां की जिला पंचायत हैं, ताल्लुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनकी कालावधि फरवरी 1997 में समाप्त होने वाली है। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम उत्तर मुंबई है इसलिए कभी-कभी लोगों को लगता है कि पूरा निर्वाचन क्षेत्र मात्र मुंबई शहर है, ऐसा नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुंबई की 4 विधानसभाएं हैं और ठाणे, जो ग्रामीण जिला है, वहां की नौ विधान सभा है। पूरा का पूरा ठाणे जिला आदिवासी है। आज ठाणे जिले में 6 तालुका क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरे के पूरे आदिवासी हैं और इसके अलावा 4 क्षेत्र तालुका पंचायत के ऐसे हैं जो आदिवासी है और आगे सर्वसामान्य हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आदिवासी पंचायत क्षेत्र हैं वहां पर इस 73वें अमेंडमेंट के कारण जिला परिषद का चुनाव नहीं होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि जिला परिषद, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत के वहां इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। फिर यह कब होंगे तो आप वह बात अमेंडमेंट के जरिये यहां लाये और जो पांचवा शेड्यूल है जब वह आप अमेंड करेंगे तब वहां पर इलेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं किया तो बड़ा क्षेत्र चुनाव से वंचित रह जायेगा और जब मैं सारे महाराष्ट्र का विचार करता हूं तो सारे महाराष्ट्र में 11 जिला पंचायत, जिला परिषद में चुनाव

नहीं हो पायेंगे। 20 तालुका पंचायत पूरे के पूरे आदिवासी हैं और 27 तालुका पंचायत, जिसमें जैसा मैंने कहा कि आधे आदिवासी हैं और आधे सर्वसाधारण क्षेत्र हैं और 2236 ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो पायेंगे। अब इतना बड़ा क्षेत्र फरवरी, 1997 के बाद वहां कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई जिला परिषद नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा होगी। और जिला परिषद में फिर वही बात आएगी। 13 तालुका पंचायत समितियों में से जब 11 तालुका पंचायत समितियों में चुनाव नहीं होता है, तो केवल दो तालुका पंचायतों को लेकर पूरी जिला परिषद बनेगी। यह तो सरासर अन्याय होगा और इसलिए मेरा यह आग्रह है कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करें और फरवरी 1997 में यदि इनके चुनाव कराने हैं, तो संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक आपको लाना पड़ेगा। कर्नाटक को तीन साल हो गए। अब महाराष्ट्र में भी ऐसा न हो। इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूं।

[अनुवाद]

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप): नाईक जी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं क्या वह सिक्सथ शेड्यूल। एरियाज के बारे में उठा रहे हैं। क्या यह केवल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू है?...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक: जी हां, उन अनुसूचित क्षेत्रों में 11 जिला परिषदें, 20 पूर्ण प्रभावित तालुका पंचायतें, 27 आंशिकु रूप से प्रभावित तालुका पंचायतें तथा 2,236 गांव हैं।

[हिन्दी]

और इसलिए इस बात पर आप गंभीरता से विचार करें और संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक आपको लाना पड़ेगा। अब तो दो-तीन दिन इस सत्र को समाप्त होने में रह गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस सत्र में यह आ पाएगा और मैं इसको योग्य भी नहीं मानता कि आप अभी इसको लाएं। मगर अगले सत्र में, दिसम्बर में शुरू होने वाले सत्र में आप इसको जरूर लाएं। यदि उससे पहले आप लाना चाहते हैं, तो आर्डिनेंस के माध्यम से आप ला सकते हैं। अब यह बात अलग है कि संविधान में संशोधन करने वाले विषय के संबंध में आर्डिनेंस आ सकता है या नहीं. यह आपको देखना है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा): आज यहां पर इस समय लोढा जी नहीं हैं। उनको आर्डिनेंस पर बहुत आपत्ति है। यदि आर्डिनेंस लाना है, तो उनसे परमीशन लेकर लाना पड़ेगा।

श्री रमाकान्त डी. खलप: उनकी सम्मति लेनी पड़ेगी।

श्री राम नाईक: यदि इस आर्डिनेंस के कारण लोगों को मताधिकार मिलता है, तो मुझे लगता है कि वह योग्य रहेगा, लेकिन संविधान संशोधन के बारे में आर्डिनेंस आ सकता है या नहीं, यह देखने की बात है। किसी भी हालत में विंटर शैसन में आपको यह विधेयक लाना होगा और महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति की जनता को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। आज जैसे महाराष्ट्र में हो सकता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश या अन्य कई प्रदेश होंगे जहां-जहां पर इसका असर होगा, वहां पर भी यह हो सकता है। इसलिए एक इंटीग्रेटेड समन्वित रूप में एक पूरा चित्र रख कर इस प्रकार का विधेयक लाएं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): महोदया, मेरे द्वारा दो संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। यदि आप अनुमति देती है, तो मैं अपने संशोधनों को स्पष्ट करने के एक या दो मिनट लूंगा।...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए। संशोधन पर चर्चा के समय मैं आपको बोलने का अवसर दूंगी।

क्योंकि आप परिचर्चा में पहले ही भाग ले चुके हैं, आपके संशोधन यथावत् रखे जा सकते हैं।

श्री सत्यपाल जैन: महोदया, जब मैं पिछली बार बोल रहा था माननीय मंत्री नें विधेयक वापस ले लिया और कहाकि अगली बार वह एक संशोधित विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इसलिए, इसे स्थगित किया गया था। मैं दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूगां। यदि आप मुझे अब बोलने की अनुमति देते हैं तो मुझे मेरे संशोधनों पर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें से एक को स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य को स्वीकारा नहीं गया है। समय की बचत को ध्यान में रखकर यदि माननीय मंत्री अनुमति दें, तो महोदया आप मुझे दो मिनट बोलने के लिए समय दे सकती है। मैं बोलने के लिए दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री सत्यपाल जैन: महोदया, मैंने दो संशोधन प्रस्तावित किए थे। एक उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक दोनों राज्यों में इस खण्ड को प्रख्यापित किए जाने के बारे में था। मैं माननीय मंत्री का अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि उन्होंने एक को स्वीकार किया। कर्नाटक में, उन्होंने अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित किया है कि ग्राम पंचायतों तथा सरपंचों के सदस्य विधान परिषद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान के हकदार होंगे। मैं इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हूं।

दूसरा उत्तर प्रदेश के बारे में था। अब जैसा कि श्री रामनाईक ने ध्यान दिलाया है कि यह एक आश्चर्यजनक बात है। कर्नाटक में इसी अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायतों तथा संरपचों के सदस्य

विधान परिषद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हकदार होंगे परन्तु उत्तर प्रदेश में उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण और आश्वासन चाहूंगा। इस तथ्य के बावजूद कि नगर समितियां निगम, ग्राम पंचायतें तथा अन्य ऐसी संस्थाएं हैं, फिर भी एक लम्बे समय से इनके चुनाव नहीं हुए हैं।

उदाहरण के लिए, मैं केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ से आता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, तीन साल पहले नगर निगम का गठन किया गया था। इसकी व्यवस्था संसद ने एक अधिनियम द्वारा की थी। परन्तु अभी तक कोई चुनाव नहीं कराए गए। जिला परिषद के लिए भी कोई चुनाव नहीं कराए गए। पंचायत समिति के लिए भी चुनाव नहीं कराए गए। मुझे केवल एक बात जाननी है। कृपया मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि जहां कहीं भी यह संस्थाएं हों- चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या कहीं और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, म्यूनिसिपल कण्टोनमेण्ट बोर्ड चाहे जो भी हो, सरकार यह सुनिश्चित करे कि इनके एक उचित समय के भीतर चुनाव हो। यही एक कार्य है जो मैं उनसे चाहता हूं। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: मैंने उन्हें अवसर दिया क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था। क्योंकि वे संशोधन को प्रस्तावित करते समय परिचर्चा में पहले ही भाग ले चुके हैं, इसलिए वह इस पर नहीं बोलेंगे।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): सभापति महोदय मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने कर्नाटक की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की अनुसूची को संशोधित करने को स्वीकार करने के लिए मुझे बधाई दी। मैं विनम्रतापूर्वक इन बधाइयों को स्वीकार करता हूँ।

फिर भी, मैं एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें इसे देश के विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों के अस्तित्व के सन्दर्भ में देखना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार, मात्र चार राज्यों में विधान परिषद है। इसलिए यह प्रश्न कि हम ग्राम पंचायतों को परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, वास्तविकता ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सभी जगहों पर लागू होता है।

सभापति महोदया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की चौथी अनुसूची में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। इस अनुसूची में वर्तमान रूप में इन चारों में से किसी भी राज्य में ग्राम पंचायतों को निर्वाचक गणों में शामिल नहीं किया गया है। इस संशोधन में हम केवल दो राज्यों पर विचार कर रहे हैं। हम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश पर विचार कर रहे हैं।

मेरे पास यहां एक पत्र है जो हमें उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। जो स्पष्टत: यह दर्शाता है कि अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट स्थानीय निकायों की नयी नाम पद्धति का वर्णन किया जा रहा है। इसका महत्त्वपूर्ण भाग यहां है। ग्राम पंचायतों के प्रधान सम्बन्ति क्षेत्र पंचायतें, जिन्हें चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, के पदेन सदस्य हैं, राज्य में लगभग 50,000 ग्राम पंचायतें हैं। यदि इन पंचायतों को चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है और उनके कुल लगभग छह लाख सदस्यों को सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करना होगा। क्योंकि ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व उनके प्रधानों द्वारा किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार का विचार है कि ग्राम पंचायतों को चौथी अनुसूची में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। वस्तुत: यह तर्क जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कर्नाटक पर भी लागू होगा क्योंकि कर्नाटक में भी तालुक पंचायतें ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधित्व देती हैं तथा एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्षों के पांचवें हिस्से को तालुक पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिलता है तथा यह चक्रानुक्रम से होता है। अब स्थानीय परिषद की मूल अवधारणा यह है कि यह क्यस्क पंचायतों द्वारा चुनी नहीं जाती है तथा इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

यदि आप संविधान के अनुच्छेद 243(ग) उप अनुच्छेद 3 में अधिकाधिक इन उपबन्धों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निम्नलिखित उल्लेखित है।

....''एक राज्य का विधान प्रतिनिधित्व के लिए (क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का-पंचायतों में यह माध्यमिक स्तर पर होगा-या माध्यमिक स्तर पर पंचायतों को नहीं रखने वाले राज्य के मामले में, यह जिला स्तर पर पंचायतें होंगी; (ख) जिला स्तर की पंचायतों में माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का उपबन्ध विधि का उपबन्ध करेगा।''

इसी प्रकार, यह उल्लेखित करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें इस प्रकार की पंचायतों में ग्राम स्तर से अलग एक स्तर पर पूर्ण या आंशिक पंचायत क्षेत्र समविष्ट होंगे, का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य की विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य होंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार: जहां तक कि पंचायत का सम्बन्ध है।

श्री रमाकान्त डी. खलप: हां, यहां पर यह हुआ कि हमारे पंचायती राज के निम्नतम स्तर को माध्यमिक स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया गया तथा माध्यमिक स्तर के सदस्य जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 243(ग) में अभिकथित किए गए अनुसार यह पंचायती राज की प्रतिनिधित्व की सीढ़ी है। सभा में प्रतिनिधित्व

करने वाले कर्नाटक के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों की यह इच्छा थी तथा कर्नाटक सरकार की भी इच्छा थी तथा निस्संदेह इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने इस सभा के सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप इस अनुरोध को मान लेने तथा इस संशोधन को लाने का निर्णय लिया।

अब कुछ और प्रश्न उठाये गए हैं। एक प्रश्न, जो विशेषकर श्री धनन्जय कुमार द्वारा उठाया गया है वह यह है कि क्या संसद सदस्य जो स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्य हैं, उन्हें मतदान का अधिकार है या नहीं।

इसलिए, मैं माननीय सदस्य का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप-धारा (2) की ओर दिलाता हूं जो निम्नलिखित है:

> "किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए:-
>
> (क) निर्वाचक मंडल उस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर के किसी स्थान या क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे उस राज्य के संबंध में चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;
>
> (ख) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के हर एक ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का हर सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।"

अब जहां तक संसद सदस्यों का प्रश्न है तो अनुच्छेद 243(ग) के उपखंड 3 (ग) के अनुसार राज्य के विधानमंडल में विधि द्वारा लोक सभा और राज्य की उस विधानसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है जिसमें वे निर्वाचन क्षेत्र शमिल हैं जो पंचायत क्षेत्र और पंचायतों में ग्रामस्तर से पूर्णत: अथवा अंशत: मिलकर बनते हैं।

इसलिए, यदि कोई संसद सदस्य स्थानीय पंचायत का सदस्य बनता है तो उसे मतदान का अधिकार स्वत:प्राप्त हो जाता है। अत:, उस दशा में भी आपको मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा वह यह है कि पहले ग्राम पंचायतों को निर्वाचक मण्डल से अलग क्यों रखा गया है। मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि प्रारंभ में ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब इनको शामिल करने की मांग आयी है।

श्री अनंत कुमार: पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कर्नाटक में नगरपालिकाएं और मंडल पंचायतें हुआ करती थी। ये मंडल पंचायतें क्या हैं। मंडल पंचायतें और ग्राम पंचायतें भी ग्रामों का एक समूह है। केवल नामों का ही हेर-फेर है।

श्री रमाकान्त डी. खलप: आपका मतलब है कि मंडल पंचायत और ग्रुप पंचायत एक ही चीज है।

श्री अनंत कुमार: जनसंख्या के अतिरिक्त यह लगभग एक जैसा ही है।

श्री सी. नारायण स्वामी: पहले कर्नाटक में प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत हुआ करती थी। वर्तमान में प्रत्येक 3,000 से 5,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत है।

श्री अनंत कुमार: ग्राम पंचायत का मतलब किसी एक गांव की पंचायत नहीं होती। दो या तीन गांवों पर ग्राम पंचायत होती है। मंडल पंचायत तीन या चार गांवों को मिलाकर 10,000 की जनसंख्या पर होती है। इसमें मात्र नामों का ही अंतर है।

श्री रमाकांत डी. खलप: इस सूचना के लिए मैं आपका आभारी हूं। जनसंख्या अथवा गांवों के समूह के आधार पर ग्राम पंचायत और मंडल पंचायत के बीच मूल अंतर था। शायद, उत्तर प्रदेश की क्षेत्र पंचायत से हम इसकी तुलना कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने ग्राम पंचायतों आदि के संसाधनों में वृद्धि करने का भी मुद्दा उठाया है। मैं समझता हूं कि सभा में चल रही चर्चा से इसका कोई संबंध नहीं है।

अब, मैं श्री राम नाईक के मुद्दे पर आता हूँ। सर्वप्रथम मैं उन्हें उस अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अनुसूचित क्षेत्रों के चुनाव के संबंध में, अनुच्छेद 243(द) के उपखण्ड 4(ख) में यह उपबंध है:

> "संसद इस भाग के उपबंधों का, ऐसा अपवादों और उपान्तरों जैसा कि ऐसी विधि द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए को छोड़कर खण्ड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का विधि द्वारा विस्तार कर सकेगी और अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए किसी भी ऐसी विधि को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।"

मैं नहीं जानता कि मैं इस विशेष उपबंध का उपयोग कर सकता हूं अथवा नहीं। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पंचायती राज प्रणाली सभी क्षेत्रों में समानरूप से लागू की जानी चाहिए चाहे वे अनुसूचित क्षेत्र हों अथवा गैर-अनुसूचित क्षेत्र हों। यदि इस प्रावधान से अनुसूचित क्षेत्रों को वंचित रखा जाता है तो कुछ ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि

पंचायती राज प्रणाली का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। इसलिए, मैं इस मुद्दे की विस्तार से जांच करूँगा और संविधान के इन उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी कानून को बनाया जाना आवश्यक है तो हम उसे बनाएंगे। अब हमारे पास इस सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच अवकाश होगा। इस अवधि के दौरान हम इसका अध्ययन करेंगे और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में चुनाव के पूर्व जो 2 फरवरी को है, हम इस कानून को अधिनियमित कर, महाराष्ट्र के अनुसूचित क्षेत्रों में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी, जिन राज्यों में इसकी आवश्यकता है, पंचायती राज प्रणाली का उपबंध करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे।

श्री वी. धनन्जय कुमार: स्थानीय निकायों हेतु शीघ्र चुनाव, जो काफी समय से लम्बित हैं, करवाने हेतु आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? निर्वाचन मण्डल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इन निकायों के लिए चुनाव नही हो जाता। ऐसा न होने से विधेयक का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं होता।

श्री रमाकान्त डी. खलप: इन स्थानीय पंचायतों के लिए चुनाव सम्बद्ध द्वारा करवाना होता है। मैं उन्हें कैसे निदेश दे सकता हूँ?

श्री वी. धनन्जय कुमार: आपको उन्हें राजी करना होगा। अन्यथा, विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा): आप पहले अपने राज्य बिहार में तो चुनाव कराओ।...(**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): केन्द्र सरकार ने तय किया था कि ...(**व्यवधान**) ठीक होने से पहले सारे राज्यों में पंचायत के चुनाव, परिषद के चुनाव करा देने चाहिए...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सभी बोल रहे हैं। श्री नाईक को बोलने दीजिए।

श्री राम नाईक: आप राज्य निर्वाचन आयोग को निदेश नहीं दे सकते हैं किन्तु आप सभी की भावनाओं से उन्हें अवगत करा सकते हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप: हम उन्हें संविधान के उपबंधों का पालन करने की सलाह देंगे।

श्री राम नाईक: हां, कृपया उन्हें जल्द चुनाव करवाने की भी सलाह दें। सभा की यही राय है। इसे बताया जाना चाहिए।

श्री वी. धनन्जय कुमार: हम कोई दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के बाद यह संवैधानिक अधिकार है।

सभापति महोदय: उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप दया की भीख मांग रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है। स्वभाविक ही, आप सभी वहां भी होते हैं।

श्री बी.एल. शंकर (चिकमंगलूर): सभापति महोदया, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में चुनाव नहीं करवाए गए। मात्र एक जिले को छोड़कर जहां श्री धनन्जय कुमार रहते हैं, सभी स्थानीय निकायों के चुनाव करवा लिए गए हैं। श्री अनन्त कुमार मात्र दो जिले बंगलौर और दक्षिण केनारा बचा हुआ है।

श्री अनंत कुमार: राज्य की राजधानी को छोड़ दिया गया है। ये चुनाव करवाये बिना स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व अधूरा रहता है। आपको समय से चुनाव करवाना चाहिए...(**व्यवधान**)।

श्री बी.एल. शंकर: हम ही लोगों ने जिला पंचायत, तालुक पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए। ऐसा नहीं है...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय: आप सभी लोगों ने शांतिपूर्वक बोला। आपने एक मुद्दा उठाया है। अब, जब आप कर्नाटक जायेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप इसे सुलझा लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: मंत्री महोदय, क्या बिहार में आम चुनाव कराएंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ऐसा नहीं चलेगा। मैंने सभी को अवसर दिया। अब मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर): क्या मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?

श्री रमाकान्त डी. खलप: महोदया, यदि आप अनुमति दें तो मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में यदि चुनाव नहीं कराए जाते हैं, तो कोई नागरिक 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन दंडात्मक उपबंधों का सहारा ले सकता है?

केंद्र सरकार किस प्रकार के उपचारात्मक उपायों पर विचार कर रही है; या फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ही यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा उपबंध है कि ये संशोधन सभी राज्यों में लागू किए जाएं।

श्री रमाकान्त डी. खलप: महोदया, कुछ ऐसे संवैधानिक उपबंध हैं, जिनका अनुपालन सभी राज्यों और सभी नागरिकों को करना पड़ता है। वे हमारे लिए बाध्यकारी हैं। यदि कोई राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके लिए न्यायालय हैं। आप न्यायालयों में जा सकते हैं और इन उपबंधों के कार्यान्वयन की मांग कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब, मैं प्रस्ताव को चर्चा के लिए प्रस्तुत करती हूँ।

श्री राम नाईक: महोदया, क्या मंत्री महोदय का उत्तर समाप्त हो गया है?

श्री रमाकान्त डी. खलप: मेरा वक्तव्य समाप्त हो गया है। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी। दूसरा, जहां चुनाव नहीं हुए हैं, वहां सभी स्तरों पर, गांवों से ले कर जिला परिषद तक और नगर पालिका स्तरों पर भी चुनाव कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बात करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: पहले जो संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन पारित हुआ था, उस समय केन्द्र सरकार के जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि जो राज्य निश्चित अवधि के पहले चुनाव नहीं कराएंगे, उनकी ग्रामीण विकास की सारी राशि रोक दी जाएगी। जिन राज्यों ने अभी तक पंचायती राज के या स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए हैं, क्या उनको इस बारे में कोई चेतावनी दी गई है?

सभापति महोदय: इसका कैसे आंसर देंगे?

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। श्री के.सी. कोंडय्या क्या आप खंड 2 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री के.सी. कोंडय्या (बेल्लारी): मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

खंड 2

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये-

"7. ग्राम पंचायतें;

8. छावनी बोर्ड।" ;'(6)

(श्री रमाकान्त डी खलप)

सभापति महोदय: श्री सत्य पाल जैन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): महोदया, चूंकि मेरा संशोधन सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए, मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"(संशोधन)" **के स्थान पर**

"(दूसरा संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्री रमाकान्त डी. खलप)

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन् सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़े गए।

श्री रमाकान्त डी. खलप: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.01 बजे

जम्मू और कश्मीर बजट, 1996 तथा अनुदानों की मांगें–जम्मू और कश्मीर 1996-97

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 9 और 10 को एक साथ लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के सम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाएं गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

1996-97 के संबंध में लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगें–बजट (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	12.3.96 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,13,17,000	1,35,80,000	14,13,18,000	1,35,30,000
2.	गृह विभाग	149,76,47,000	3,59,45,000	209,76,46,000	3,59,45,000
3.	योजना और विकास विभाग	2,80,66,000	2,95,85,000	2,80,66,000	2,95,86,000
4.	सूचना विभाग	2,68,27,000	32,18,000	2,68,27,000	32,17,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	63,09,62,000	32,89,12,000	—	—
6.	ऊर्जा विकास विभाग	294,52,73,000	141,19,29,000	294,52,74,000	141,19,29,000
7.	शिक्षा विभाग	195,04,64,000	8,04,38,000	195,04,63,000	8,04,38,000
8.	वित्त विभाग	88,19,89,000	2,20,00,000	88,19,89,000	2,20,00,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	95,31,000	—	95,32,000	—
10.	विधि विभाग	7,82,17,000	—	7,82,17,000	—
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	22,67,73,000	22,15,87,000	22,67,73,000	22,15,88,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	46,86,46,000	30,73,98,000	46,86,46,000	30,73,98,000
13.	पशु पालन विभाग	25,93,34,000	4,59,86,000	25,93,84,000	4,59,86,000
14.	राजस्व विभाग	42,82,15,000	1,23,40,000	42,82,14,000	1,23,39,000
15.	खाद्य आपूर्ति और परिवहन विभाग	31,71,00,000	279,01,02,000	31,71,01,00	279,01,02,000
16.	लोक निर्माण विभाग	72,53,16,000	38,29,44,000	72,53,16,000	38,29,44,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	86,63,97,000	9,25,85,000	86,63,97,000	9,25,85,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	12,91,10,000	4,73,77,000	12,91,09,000	4,73,78,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	15,96,39,000	25,75,09,000	15,96,39,000	25,75,08,000
20.	पर्यटन विभाग	6,63,18,000	5,78,33,000	6,63,17,000	5,78,33,000
21.	वन विभाग	27,38,73,000	12,01,61,000	27,38,72,000	12,01,62,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	35,61,50,000	19,72,83,000	35,61,51,000	19,72,82,000
23.	लोक स्वास्थ, आभियांत्रिकी विभाग	50,11,53,000	20,69,72,000	50,11,53,000	20,69,72,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	9,55,27,000	1,07,78,000	9,55,28,000	1,07,78,000
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	6,04,10,000	8,91,23,000	6,04,10,000	8,91,24,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,56,86,000	1,15,05,000	2,56,86,000	1,15,05,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	27,84 74,000	4,87,28,000	27,84,73,000	4,87,27,000

श्री जगमोहन (नई दिल्ली): महोदया, मुझे बोलने हेतु अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। बजट प्रावधान पर्याप्त है और इस प्रावधान की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता के बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि दी गई समस्त धनराशि को वास्तव में किस प्रकार खर्च किया जाता है।

1947-48 में, जब जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उस समय बजट प्रावधान लगभग 4.8 करोड़ रुपये मात्र था। अब यह प्रावधान 1947-48 के बजट प्रावधान की तुलना में लगभग एक हजार गुणा अधिक है। इसमें मुख्य विचारणीय बात यह है कि इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गत कुछ वर्षों के दौरान और

उससे भी पहले प्रभावी नागरिक प्रशासन के अभाव में दी गई बहुत सी धनराशि उचित माध्यम के द्वारा उचित हाथों में, खासकर उग्रवाद के दिनों के दौरान, में नहीं गई। जो भी धनराशि उदारतापूर्वक दी गई थी वास्तव में उसका उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में हुआ है। यह धनराशि गलत हाथों में गई है और उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त धनराशि से जो भी भर्ती की गई है उससे भी उग्रवादियों को ही लाभ हुआ है। उन्होंने ठेके लिये हैं और उन्होंने कई अन्य लाभ भी उठाए हैं। अत: यदि माननीय वित्त मंत्री जम्मू और कश्मीर में वित्त के उचित प्रबंधन के बारे में सचमुच गंभीर हैं तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र एक कारगर, ईमानदार और परिणामोन्मुखी प्रशासन की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। अन्यथा इस उदार वित्तीय प्रावधान का उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। यदि समाचारपत्रों में छपी खबरें सही हैं, तो माननीय वित्त मंत्री ने स्वंय राज्य के वित्तीय प्रबंधन की आलोचना की है और इस पर असंतोष व्यक्त किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि पूरी योजना राशि केन्द्रीय संयुक्त निधि से उपलब्ध कराई जाती है। गैर-योजना खर्च का लगभग 40 से 50 प्रतिशत भाग भी केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है कि इस पैसे का उपयोग उचित ढंग से किया जाए।

वस्तुत: भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को यह तथ्य समझाने में विफल रही है कि उन्हें केन्द्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल रही है। जबकि राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 0.8 प्रतिशत है, किन्तु उसे कुल केन्द्रीय आवंटन की तीन से चार प्रतिशत वित्तीय सहायता मिल रही है। इस प्रकार इसमें भारी अन्तर है और यह बात लोगों को इस प्रकार से समझायी जानी चाहिये कि "देखिये, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर को हमेशा ही एक विशेष मामले के रूप में मानती आ रही है और जहां तक राज्य का संबंध है, वह इसके प्रति अत्यधिक उदार रही है।"

इस समय जिस दूसरी बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि यदि वहां प्रभावी नियन्त्रण नहीं है और यदि प्रशासन के सामान्य मानदंड भी लागू नहीं किए जाते हैं, तो इसका परिणाम एक तरफा होगा। मैं कहता हूं कि आपके पास एक प्रभावी नागरिक प्रशासन नहीं है, मैं हाल ही के लोक सभा चुनावों का एक उदाहरण दूंगा। जब राज्य में लोक सभा के चुनाव कराये गये थे, तो सरकारी कर्मचारियों ने कार्य नहीं किया, उन्होंने सहयोग नहीं किया और कार्य करने के लिए लगभग 10,600 कर्मचारियों को राज्य के बाहर से लाया गया। कल्पना कीजिये इस पर कितना खर्च हुआ होगा। कई बुलेट-प्रूफ कारें लायी गईं; कई बुलेट-प्रूफ जाकेट लाये गये। और जिन्होंने सहयोग नहीं किया उन्हें छोड़ दिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। मुद्दा यह है कि लोगों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। जितना धन खर्च किया जा रहा है वह व्यर्थ जायेगा और इसके विपरीत नतीजे निकलेंगे क्योंकि आप ऐसे दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उन्हें भी कुछ भी करने तथा उससे छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह के दृष्टिकोण से विपरीत परिणाम निकलते हैं।

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हम इसमें अन्तर्ग्रस्त वित्तीय पहलुओं को महसूस किये बिना ही अधिकतम स्वायत्तता अथवा पूर्ण से कम आजादी वाले कश्मीर की बेतुकी बातें कर रहे हैं। यदि आप 1952 या 1953 की स्थिति में वापस लौटते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि राज्य और शेष भारत के बीच आपका कोई वित्तीय समीकरण नहीं होगा। कोई यह प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि यदि वित्तीय एकीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? कोई भी यह प्रश्न नहीं पूछ रहा है। हर कोई अधिकतम स्वायत्तता के बारे में कह रहा है और झूठी आशाएं दे रहा है। इसका क्या परिणाम निकलेगा? मेरे पास रिजर्व बैंक का नवीनतम बुलेटिन है और मैं रिजर्व बैंक के दिसम्बर, 1995 के इस नवीनतम प्रकाशन से कुछ आंकड़े उद्धृत करता हूं। इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर के लिए वर्ष 1994-1995 हेतु केन्द्रीय सहायता 3,010 करोड़ रुपए थी जबकि बिहार के लिए 190 करोड़ रुपये; तमिलनाडु के लिए 305 करोड़ रुपये; राजस्थान के लिए 385 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 341 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। अत: इसमें इतना अन्तर है, इतनी भिन्नता है। जरा इसकी कल्पना कीजिए। जम्मू और कश्मीर के मामले में इस सहायता का 90% भाग अनुदानों के रूप में है और 10% ऋण के रूप में है। जबकि अन्य चार राज्यों के सम्बन्ध में 30% अनुदानों के रूप में और 70% ऋणों के रूप में है। हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मित्र यह महसूस किए बिना ही हमेशा अधिक स्वायत्तता की बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में यदि वित्तीय एकीकरण नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा।

इसी प्रकार, इसी वर्ष जम्मू और कश्मीर के लिए गैर-योजना अनुदान 720 करोड़ रुपये है, जबकि बिहार के लिए 72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के 23 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 81 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 23 करोड़ रुपये है। इस सबसे यह दिखाई पड़ता है कि जम्मू और कश्मीर को भारी फायदा पहुंचाया गया है।

अब जो लोग अधिकतम स्वायत्तता की बातें कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि यदि वहां यह वित्तीय एकीकरण अधिक समय

तक नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसकी कीमत कौन चुकायेगा? स्पष्टत: कोई और आयेगा और इस उत्तर को दूर करेगा। और ऐसी कौन विदेशी शक्ति होगी जो इस अन्तर को दूर करने का प्रयास करेगी? वे इस रवैये को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मैं इसे आपकी कल्पनाशक्ति पर छोड़ता हूं।

दूसरी बात यह है। आप कहते हैं कि 'हम हर एक चीज देंगे।' जम्मू और कश्मीर को हर शक्ति दी गई है-स्वायत्तता। किन्तु इस 'स्वायत्तता' का स्वरूप क्या है। यदि आप कहते हैं, "ठीक है। हम अपनी वित्तीय सहायता जारी रखेंगे और शेष शक्तियां उनके पास हो सकती हैं।" मान लिया जाये आप उन्हें दीवानी कानून की शक्तियां देते हैं, तो वे कहेंगे, "हमारे पास शरियत हमारे कानून के रूप में होगा। हमारे पास पाकिस्तान की ही तरह का कानून होगा-वह होगा इस्लामी कानून।" यदि आप उन्हें स्वायत्तता देते हैं, तो वह ऐसा करने में सक्षम हो जायेंगे क्योंकि वहां इसके पक्ष में काफी तत्व हैं। क्या हमने इसके निहितार्थों पर विचार किया है? यदि आप धन और अधिकार देते जाएंगे तो इसका अभिप्राय यह है कि धर्म निरपेक्ष भारत धर्मतांत्रिक राज्य को वित्तीय सहायता देता जाएगा। क्या आपने इसका परिणाम समझा है? इसका क्या परिणाम होगा? ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसके बारे में बात करके हम जम्मू और कश्मीर में भविष्य के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

इसके पश्चात् एक अन्य मामला ले। जब आप यह कहते हैं तो अनुच्छेद 356 के बारे में क्या होगा? लेकिन यदि राज्य रक्षा से सम्बन्धित, संचार से संबन्धित, विदेशी मामलों से सम्बन्धित या कुछ अन्य बातों से संबंधित अनुदेशों में से किसी का अनुसरण नहीं करता है तो आपके पास कौन सा उपाय रह गया है विशेष रूप से उस स्थिति में जब आप सदर-ए-रियासत का खिताब दे रहे हैं-अर्थात् एक प्रकार की अलग प्रतिष्ठा मेरा मतलब राष्ट्रपति से ऊपर: जहां तक उनका संबंध है वे सदर-ए-रियासत होंगे-राज्य के अध्यक्ष और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जाती है लेकिन उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाना है। मान लो, वह राष्ट्रपति की सलाह नहीं मानता है, तो क्या होगा? या यह कहिए "सब ठीक है, राष्ट्रपति मान्यता वापस ले लेंगे।" फिर मान लो, यदि राज्य विधान सभा दोबारा उसी व्यक्ति को चुन लेती है तो क्या होगा? इससे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होगा जिसका समाधान नहीं हो पाएगा।

अत: मेरा मुद्दा यह है कि आप ये सब समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं? वास्तव में यदि आप मुझसे पूछें तो ईमानदारी की बात तो यह है कि वहां अधिकारों में कमी वाली स्थिति नहीं है बल्कि वहां अधिकारों का आधिक्य है जिससे वर्तमान समस्या उत्पन्न हुई है। उन्हें अधिकाधिक अधिकार देना और उन्हें मनमाना करने की अनुमति देकर आपने राज्य में अत्यधिक क्षेत्रीय भेदभाव पैदा कर दिया है।

जम्मू और लद्दाख दोनों इस बात से खिन्न हैं कि घाटी के लोगों को सारे निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त हैं क्योंकि सब मामलों में निर्णायक भूमिका उन्हीं की होती है। आप धन उपलब्ध कराते हैं लेकिन वे इसे कैसे आबंटित करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है। कम से कम लद्दाख क्षेत्रीय परिषद के गठन होने तक यही स्थिति रही है। जम्मू की अभी वही स्थिति है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर घाटी को वह सब कुछ नहीं मिलना चाहिए बल्कि हमें प्रत्येक क्षेत्र के प्रति निष्पक्ष होना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

यह भेदभाव क्यों है? चुनाव कानून के संबंध में जम्मू और कश्मीर के लिए चुनाव कानून अलग हैं। हालांकि यहां भारत के चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षण करने का प्रावधान है फिर भी उनका अपना चुनाव कानून है। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए आपको कुछ आंकड़े दूंगा।

जम्मू में प्रत्येक 1.4 मिलियन जनसंख्या पर लोक सभा के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जबकि कश्मीर में, प्रत्येक एक मिलियन जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान है। इस प्रकार संविधान की इस सीमा निर्धारण द्वारा अथवा आप इसे संवैधानिक हेरफेर कह सकते हैं। आपको जम्मू की अपेक्षा कश्मीर से अधिक प्रतिनिधि चुन सकते हैं, हालांकि जनसंख्या आँकड़े जम्मू के लिए लोक सभा की अधिक सीटों के आबंटन को न्यायोचित ठहराते हैं।

अपराह्न 4.15 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस प्रकार यह एक प्रकार की हेराफेरी है। यह स्थिति लोक सभा के लिए थी। यहां राज्य विधान सभा के लिए भी वही बात दोहराई गई है। 90 हजार जनसंख्या के लिए जम्मू एक प्रतिनिधि भेजता है जबकि 73 हजार जनसंख्या के लिए कश्मीर एक प्रतिनिधि भेजता है। इस प्रकार, जनसंख्या की तुलना में प्रतिनिधियों की संख्या जम्मू के मुकाबले कश्मीर में कहीं ज्यादा है। हम, लोगों में यह असंतुलन और जलन क्यों पैदा करें? गत अनेक वर्षों के आँकड़े क्या हैं? क्षेत्र के संबंध में, कश्मीर की अपेक्षा जम्मू अधिक बड़ा है, लेकिन वहां सड़कों की लम्बाई बहुत कम है। यदि आप दोनों आँकड़ों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि जहाँ कश्मीर का 15,853 क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. है, इसकी सड़कों की लम्बाई 5000 कि.मी. है। लेकिम जम्मू के मामले में जहां क्षेत्रफल अधिक है अर्थात् 27,000 वर्ग कि.मी. है। इसकी सड़कों की लम्बाई केवल 3700 कि.मी. है।

लद्दाख की जिसके साथ पहले पक्षपात किया गया था वास्तव में अब अलग परिषद है। मुझे आशा है कि लद्दाख परिषद को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर को वह नहीं मिलना चाहिए जो कुछ इसे मिल रहा है। बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक को केन्द्रीय आबंटन का उचित हिस्सा मिले।

स्वायत्तता के बारे में अथवा तथाकथित अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध कोई नहीं है। लेकिन हमें वैसी स्वायत्तता जो दक्षता, त्वरित विकास, मानव व्यक्तित्व का विकास और मानव समाज को सृजनात्मक क्षमता प्रदान करे तथा उस स्वायत्तता जो हमें विध्वंसक, आतंकवादी और अलगाववादी दिशा की ओर ले जाती है, में अंतर करना होगा।

इन दोनों में काफी भिन्नता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है उनके साथ जम्मू और कश्मीर की तुलना में ऐसी भिन्नता क्यों पैदा की जाए। इस सबके बावजूद तीव्रता से विकास की आवश्यकता चारों तरफ है, कार्य कुशलता की आवश्यकता, मानव के व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकता सब जगह है। सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना होगा। यह भी सामान्य बात है लेकिन हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा करें जिससे अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले? हमें यह देखना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हम निवेश कर रहे हैं, जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं उसके ठोस परिणाम निकलें क्योंकि वहां सही मायने में भावनात्मक एकता या राष्ट्रीय एकता नहीं है। यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि वहां एक प्रकार की तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। यदि सरकार राज्यों को अधिक अधिकार देने अथवा विकेन्द्रीकरण के बारे में वास्तव में गंभीर है तो इसे पहले की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए।

दिल्ली के मामले में, दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करना मान लिया गया। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है कि राज्य को कोई अधिकार न मिले। इसका भूमि पर कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, दिल्ली विकास प्राधिकरण पर कोई नियंत्रण नही है। यदि सरकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास करती है तो यह समझने योग्य है। लेकिन यदि आप जम्मू और कश्मीर में तुष्टिकरण जैसा कोई काम कर रहे हैं तो यह हमारी समझ में नहीं आता। फिर आप पृथकतावादी मानसिकता को जन्म दे रहे हैं और आप आक्रामक कार्यों को तृष्णा को और बढ़ा रहे हैं। इसी बात को हमें समझना है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन समस्याओं के सामने आने के बावजूद यह बात समझ में नहीं आ रही है।

अब, असली समस्या ये है कि सम्पूर्ण राशि जो उपलब्ध कराई जा रही है इसके साथ हमें यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र और राज्य के बीच प्रभावी एकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी ओर जा रहे हैं।

ठीक है, हमें यह देखना है कि हम क्षेत्रीय स्वायत्तता किसे दें। यहां ऐसी कोई इकाई नहीं है जो किसी भी क्षेत्रीयवाद को स्वीकार करे। उदाहरण के लिए, यदि हम जम्मू को लें तो जम्मू सजातीय इकाई नहीं है; राजौरी और पुंछ भी ऐसी नहीं है; डोडा जिला भी ऐसा नहीं है; और यहां तक कि उधमपुर अन्य क्षेत्रों की तरह नहीं है, फिर यहां गुज्जर, बाकरवाल और अन्य जातियां हैं। आप वास्तव में उन्हें प्रविभाजित कर अन्य विभिन्न इकाइयों को स्वायत्तता प्रदान नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप असंख्य दावों और प्रति दावों को उत्पन्न करेंगे जिनका आप घाटी तथा जम्मू दोनों क्षेत्रों में समाधान करने में असमर्थ रहेंगे।

लद्दाख में भी ऐसा ही स्थिति है। लद्दाख को एक परिषद दी गई हैं। लेकिन करगिल को अलग रखा गया है। इस प्रकार का रवैया किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाला है। आप कह सकते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह प्रति-उत्पादी होगा। लेकिन असली समस्या क्या है? वास्तविक समस्या तो गरीबी, अज्ञानता बीमारी को दूर करने की है। इस समस्या को हाथ में लेने और इसका समाधान करने की बजाय हम भटकते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि प्रत्येक पृथकतावादी संदर्भ में सोचने लगे। वे, जिनके पास अधिकार नहीं होंगे, सत्ता से बाहर होंगे। कुछ छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर यहां-वहां समस्याएं पैदा करते चले जाएंगे। राजौरी, पुंछ, डोंडा और उधमपुर में अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं। उनके दावे कभी समाप्त नहीं होंगे। सारा धन और प्रशासनिक शक्ति जो हमें सकारात्मक कार्यों पर खर्च करनी चाहिए व्यर्थ चली जाएगी।

वास्तव में, हमारी समस्याएं दावों और प्रति-दावों में उलझकर और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए, यदि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें ऐसा वातावरण विकसित करना होगा जिसमें कश्मीर और देश के शेष भाग के मध्य वास्तविक विकास हो, प्रभावी विकास हो और प्रभावी एकता हो। हमें केन्द्र और राज्यों के बीच एकीकृत सम्बन्धों पर जोर देना चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि आप भारत के 5000 वर्ष का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि कश्मीर में भारतीय संस्कृति के कई प्रमाण कश्मीर में ही पाएंगे। अनेक विद्वानों ने यह उल्लेख किया है कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ भारतीय सभ्यता का अवलोकन करना चाहते हैं

तो इसे आप कश्मीर के भग्नावशेषों में झांकिए। क्या आप जानते हैं कि लोग अमरनाथ यात्रा पर क्यों जाते हैं। शंकराचार्य केरल से कश्मीर क्यों गए, और स्वामी विवेकानंद कश्मीर क्यों गए? यहां तक कि तमिलनाडु के लोग अभी भी सुबह उठते हैं और कश्मीर की ओर देखते हुए यह प्रार्थना करते हैं, कि हे शारदा देवी हमें शिक्षा दो। यहां संयोगात्मक संबंध हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता है अथवा उन्हें किसी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं कर सकता।

भारतीय दर्शन में कश्मीर का क्या स्थान है? ऐसा क्यों है सुब्रह्मण्यम भारती ने कहां था कि 'कश्मीर भारत माता का मुकुट है और कन्याकुमारी उसका चरण कमल' हैं परन्तु हमने अपनी नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा नहीं दी है। हमने उन्हें नहीं बताया है कि संबंध क्या हैं। कश्मीर और केन्द्र के बीच ये चिर स्थायी संबंध हैं। लेकिन हम तो केवल अनुच्छेद 370 का ही उल्लेख करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुच्छेद 370 एक समस्या, गले का फंदा बन गया है।

अब प्रत्येक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की बात करता है। सरकार खुलापन लाना चाहती है लेकिन कश्मीर में, आप अवरोध पैदा करना चाहते हैं। यदि कश्मीर में बाहर से पूंजी निवेश नहीं होगा तो कश्मीर समृद्ध कैसे होगा? आप नहीं चाहते कि अन्य राज्यों से लोग वहां जाएं और पूंजी निवेश करें क्योंकि वहां कई तरह की पाबंदियाँ लगा रखी हैं। इसलिए, यदि आप ये कहते हैं कि आप वहां कुछ विशेष प्रबंध करेंगे तो इससे उनकी कोई सहायता होने वाली नहीं है। ऐसा करने से अब तक उनकी कोई सहायता नहीं हुई है। इसलिए, इस राज्य को अन्य राज्यों की संघ के एक हिस्से के रूप में एक अच्छा राज्य बनाएं। वही एक रास्ता है जिससे आप कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह सारा धन जो खर्च किया जा रहा है अच्छी तरह से खर्च हो रहा है। वहां भविष्य है। मैं अपनी आशंकाएं प्रकट करता हूं। वहां चुनाव होने जा रहे हैं।

हम चाहते हैं कि वहां सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न हों। परन्तु चुनाव ही स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। चुनावी लक्ष्य प्राप्ति का साधन हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावों के बाद वहां शांति कायम हो। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप राज्य में एक कारगर सिविल प्रशासनिक ढांचा कायम करेंगे। ऐसा नहीं किया गया है और इस तरह का प्रयास भी नहीं किया गया है। जब तक ऐसा प्रयास नहीं किया जाता है तब तक यह समस्या बनी रहेगी। चाहे आप चुनाव कराएं या न कराएं। अब, अनुच्छेद 370 आदि को और सुदृढ़ करके स्वायत्तता के बारे में इस प्रकार की झूठी आशाएं दोहराई जा रही है। जब वहां चुनाव होंगे, चुनावों के बाद एक विशेष दल सत्ता में आएगा और जो सत्ता से बाहर रह जाएंगे वे समस्याएं पैदा करेंगे। हमें उनसे कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रभावी रवैया अपनाना चाहिए।

मैं अन्य बातें अपने साथी के लिए छोड़ता हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन जो हम खर्च कर रहे हैं वह सही ढंग से खर्च किया जाए। ऐसा तब तक संभव नहीं है, जब तक कि हम वहां कारगर सिविल प्रशासन कायम नहीं करते। अधिकतम स्वायत्तता के बारे में बातें करके हम भविष्य के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हमें अपने उद्देश्यों के बारे में और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। हमें झूठी आशाएं जाग्रत नहीं करनी चाहिए जिससे बाद में हताशा तथा भविष्य में हमारे लिए अधिकाधिक समस्याएं ही पैदा होती हैं।

श्री राजेश पायलट (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी श्री जगमोहन द्वारा विशेष रूप से विगत में चरमराती हुई वित्तीय स्थिति के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूँ। इसके कारण सर्वविदित हैं कि प्रणाली में कहीं भी उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। हम प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु जब प्रणाली सुदृढ़ हुई ही थीं कि सरकार गिर गई थी और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई थी।

मैं उनके द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का बाद में उत्तर दूँगा। मैं समझता हूँ कि एक महीने के अन्दर जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार बन जाएगी। इसलिए, यदि संभव हो तो कुछ प्रावधान निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ देने चाहिए क्योंकि उसे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है। हम लगभग नौ वर्ष बाद सरकार बनाने जा रहे हैं और राज्य बहुत ही कठिन दौर से गुजरा है।

मैं दो दिन पहले ही कश्मीर से वापस आया हूं। मुझे सदन को यह बताना है कि आज देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमारे भाई और बहनें बंदूक की नोक का सामना कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत लोकतंत्र चाहता है और भारत की लोकतंत्र में आस्था है। वे मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं जबकि उन्हें धमकी दी जा रही है कि उन्हें वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा और उनके हाथ काट दिए जाएंगे ऐसी धमकियां विदेशी ताकतों और उनके द्वारा सहायता प्राप्त आतंकवादियों द्वारा दी जा रही हैं। कुपवाड़ा और बारामूला में पिछले दो-तीन दिनों में हुए चुनावों की प्रतिशतता 53 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि राज्य के उस भाग में रहने वाले हमारे भाई और बहनें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अतः हमें कुछ प्रावधान निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ देने चाहिए क्योंकि उसे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है।

मैं, व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि विगत में विद्युत क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। उस राज्य में जो कुछ बड़ी

विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थीं, आगे नहीं बढ़ पाई हैं क्योंकि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। आज राज्य में विद्युत एक मुख्य आवश्यकता है। 1983-85 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा मिला परन्तु आतंकवाद के कारण पर्यटन उद्योग पुन: पिछड़ गया है। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। वहां के पर्यटन उद्योग को विकसित करना है ताकि उससे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके। इस उद्योग से जम्मू और कश्मीर के बहुसंख्यक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अत: मेरा अनुरोध है कि योजना आवंटन का कुछ हिस्सा निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। चुनाव सम्पन्न होने के बाद नई सरकार सत्ता संभालने के पश्चात् योजना आयोग से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकती है।

महोदय, मैं दो मुद्दों के संबंध में श्री जगमोहन के विचारों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लिए जो फार्मूला बनाना गया है वह उसके अनुरूप नहीं हैं। हां, यह उस राज्य के अनुरूप नहीं है और इसके कारणों की भी जानकारी है। श्री जगमोहन उस समय राज्य के राज्यपाल थे जब 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के फार्मूले को मंजूरी दी गयी थी। 1989 में इसे सरकार ने ही मंजूरी दी थी। उस समय इस फार्मूले को केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया था। हम उसकी सराहना करते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। परन्तु पुन: यदि उस धन का सही उपयोग किया गया होता तो काफी हद तक उद्देश्य की पूर्ति हो गई होती।

घाटी में बेरोजगारी भी इसका एक कारण हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों, जिसका हमने दौरा किया था, वहां के लोगों ने बताया है कि आतंकवाद का एक कारण बेरोजगारी भी था। यदि श्री जगमोहन को याद होगा कि 1986 अथवा 1987 में उस समय आतंकवाद जोर पकड़ रहा था तो जमायते-इस्लाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर युवा बच्चों की विचारधारा में धार्मिक आधारों पर बदलाव लाना शुरू कर दिया था। हमारे पास उसकी जानकारी थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार में रहने के बावजूद भी हम उस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके और लोग खुले-आम कह रहे थे 'आपको पार जाना हैं।' उस समय ऐसे संकेत मिल रहे थे। परन्तु प्रशासन और प्रणाली को चाहिए था कि इस पर रोक लगाये परन्तु उसने इस पर रोक नहीं लगाई बल्कि इसे बढ़ावा ही दिया।

अत: इस समय मैं कहना चाहूंगा कि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है-और जब निर्वाचित सरकार आएगी तो उसे इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है, चुनाव कराना अंतिम लक्ष्य नहीं है और मैं उनके विचारों से सहमत हूं। जिस तरह से विदेशी ताकतें देश के उस भाग में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, वे चुनाव के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखेंगी। अभी परसों की ही बात है उन्होंने फिरन पहने हुए बच्चों को उठाया और कहा कि उन्हें वहां आ रही किसी भी जीप अथवा बस पर हथगोले फेंकने के लिए 100 रुपये दिए जाएंगे। उस राज्य में इस तरह की नीति और युक्ति अपनाई जा रही हैं। इसलिए नई सरकार जमायते-इस्लाम जैसे संगठनों अथवा अन्य संगठनों जो आतंकवाद की जड़ हैं, जो हिज़बुल मुजाहिद्दीन अथवा इकवान जैसे आतंकवादी संगठन अथवा किसी अन्य ऐसे संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं, की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे।

अत: मेरा अनुरोध है कि नई सरकार के लिए भी कुछ कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि वह कुछ नई योजनाएं प्रस्तुत कर सके। वह उस रूप में कानून और व्यवस्था इत्यादि को लागू कर सके।

मुझे उद्योग के बारे में एक बात कहनी है। कश्मीर में 1982 अथवा 1983 में औद्योगिक विकास दर बढ़ रही थी। मैं श्री जगमोहन के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि वहां बाहर से पूंजी निवेश किया गया है। वहां पर इलैक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित हुए, वहां पर लोगों ने उद्योग स्थापित किए। परन्तु वह मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। परन्तु कभी-कभी राजनेताओं द्वारा समय-असमय ऐसे संकेत दे दिए गए कि उससे स्थिति बिगड़ गई। आप मुझे तुरन्त ही दोषी ठहरा सकते हैं कि जब वह वहां थे तब वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। परन्तु मेरा आपने विनम्र अनुरोध है और मैं कहूंगा कि अनुच्छेद 370 तो 1952 से लागू थी। परन्तु आपने ऐसा 1955 में कभी नहीं कहा, आपने 1960 में ऐसा कभी नहीं कहा आपने 1967 में ऐसा कभी नहीं और आपने 1970 में ऐसा कभी नहीं कहा। परन्तु आपने पूरे देश में 1989 में अनुच्छेद 370 के बारे में अचानक ही बोलना शुरू कर दिया और यह बात आग की तरह फैल गई।

यह ग़लत भी हो सकता है और मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। आपके अनुसार यह गलत हो सकता है। परन्तु यह समय यह बात करने का है और कभी-कभी तो आपको यह देखना होगा कि वहां पर राष्ट्रीय हित जुड़ा है। आपने उत्तर प्रदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एटा में भूमि खरीद सकता हैं, कोई भी व्यक्ति लखनऊ में भूमि खरीद सकता है, परन्तु कोई भी व्यक्ति कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता क्योंकि यह हमारा देश नहीं है। ऐसे विचारों ने हमारे लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सकते और मैं आपके विचारों से भी सहमत नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आपको समय और अवसर को देखना होगा।

जब आपकी सरकार ने 13 दिन के लिए देश का कार्य भार संभाला था तो आपने कहा था कि अनुच्छेद 370 कार्यसूची में नहीं है और राम मन्दिर कार्य सूची में नहीं है। अत: इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचे। आपने स्वयं कहा था कि मत प्राप्त करने के लिए कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। मेरा अनुरोध है और मैं कहूंगा कि यही तरीका है। जब पंडित नेहरू अथवा अन्य लोगों ने अनुच्छेद 370 पर विचार किया तो वे इस पर अधिक समय तक विचार नहीं कर सके। वहां के लोग मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो सके? उनमें अलगाववाद की भावना क्यों आई? हमें इस बारे में सोचना होगा। हम उन्हें मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं कर सकें? हम जोर-जोर से कह रहे थे और मैं सदन को सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक आप वहां के लोगों, युवा वर्ग को देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं करते, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। हम उन्हें उच्च सेवाओं में क्यों नहीं लगाते? जम्मू और कश्मीर के ऐसे कितने लोगों का उच्च सेवाओं हेतु चयन किया गया है? इनकी संख्या बहुत ही कम है। पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, परन्तु उनमें से कितने लोगों को इनमें रोजगार प्राप्त है? हां इसका कारण है कि वे वहां से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय उनको वहां आसानी से रोजगार उपलब्ध था। मैं इस बात से सहमत हूं।

उन्होंने कहा है कि उनको दी गई प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता की राशि बहुत अधिक है और मैं इससे सहमत हूं। उसका एक कारण है। मैं इस समय आतंकवाद की बात कर रहा हूं जिसकी मैं सराहना नहीं कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग देश के अन्य भागों में जाकर अच्छी तरह से बस गए हैं। आप असम में लखीमपुर जाएं। मैंने वहां पर एक कालीन की दुकान देखी। गोलपाड़ा में भी अब वे लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि वे स्वयं को इससे पहले इस देश का नागरिक नहीं समझते थे। परन्तु अब वे समझते हैं कि यह हमारा देश है और हम इसका एक अंग हैं।

अत: हमें उस भावना को बनाए रखना है। हमें उस भावना को महसूस करना है। जम्मू और कश्मीर में समाज का एक वर्ग हमारे देश की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमत नहीं है। परन्तु यदि बहुसंख्यक वर्ग उससे सहमत नहीं होता है तो आज इस तरह से चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। और इस अनुपात पर मतदान भी नहीं हुआ होगा। अब हमें उसी पद्धति पर कार्य करना चाहिए। आज नई सरकार ने जब सत्ता सम्भाली है, केन्द्र सरकार की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की आहात भावनाओं पर मरहम लगाई जाए। बहुत लोग मारे गए हैं। अत: हमें ऐसे निर्णय लेने है जिससे लोग हमारे और निकट आएं। कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और प्रशासक में जवाबदेही होनी चाहिए।

श्री जगमहोन ने कहा कि जब तक हमारे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी वह कार्य नहीं कर सकते। क्या यह अफवाह भी फैली हुई थी कि बाहरी लोगों को जिलाधीश अथवा महत्वपूर्ण पदों पर तैनात नहीं होने देंगे। आप मुझ पर विश्वास करिए श्रीनगर के जिलाधीश एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और उस राज्य के बाहर से हैं। वह श्रीनगर के अत्यधिक लोकप्रिय अधिकारी हैं आप जहां भी जाएंगे आपको सुनते ही मिलेगा कि वह अच्छे जिलाधीश हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें न्याय दिला सकते हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशासन तन्त्र में उचित निर्देश दे सकते हैं। सभी उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन फिर भी हम राजनीतिज्ञ इसे स्वीकार नहीं करते। इसके लिए मैं स्थानीय राजनीति और स्थानीय राजनीतिज्ञों को अधिक दोषी ठहराता हूं।

आज सभी जिला मुख्यालय अथवा जिले इन्हीं अधिकारियों के नेतृत्व में हैं कुछ तो जम्मू कश्मीर के हैं और कुछ बाहरी व्यक्ति है अब समय बहुत अच्छा है। मैंने दो तीन जिलों का दौरा किया और वहां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों से मिला। जब मैं आन्तरिक सुरक्षा मंत्री था तो उस समय मैंने प्रधान मंत्री को ऐसा प्रस्ताव दिया था कि नए आई ए एस और आई पी एस अधिकारियों को जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भेजा जाए ताकि वे उन क्षेत्रों के बारे में जान सकें अन्यथा उन्हें संवर्ग मिलता है यदि वे राजस्थान में अथवा मध्य प्रदेश अथवा बिहार में तैनात किये जाते हैं तो वे अधिकतर समय उसी राज्य में बिताते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों के बारे में जानने का अवसर नहीं मिलता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया था।

मुझे आशा है कि मौजूदा सरकार उस नीति को जारी रखेगी कि अकादमी में पास होने के पश्चात् प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 3 वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल के लिए उत्तर पूर्वी और जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा ताकि वे हमारे देश के इन भागों में भी परिचित हो सकें। मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री इस तथ्य पर ध्यान देंगे।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। चुनावों के पश्चात् भी स्थिति काफी गंभीर होगी क्योंकि बाहरी ताकतें भालीभांति जानती हैं कि कश्मीर हमारे देश का अत्यन्त संवेदनशील भाग है। उन्होंने 1965 और 1971 में कई बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आन्तरिक तोड़फोड़ सर्वोत्तम नीति थी जिसका उन्होंने अनुपालन किया। वे जानते हैं कि 9 वर्षों तक वे हमें इसमें उलझाएं रहे। इसमें हमने कई बहादुर सैनिकों को खोया।

मैं समझता हूं कि मेजर जनरल और ब्रिगेडियर पद के सैनिकों को हमने कभी नहीं खोया हमने उन्हें युद्ध में खोया। लेकिन हमने इन्हें कभी शान्ति काल में नहीं खोया वे दुर्घटना अथवा अन्य तरीके से मरते होंगे। लेकिन अब हमने उन्हें सेवा काल के दौरान खोया है। कई जवान और बहादुर सैनिकों ने इस देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दो बातों में सन्तुलित रुख होना चाहिए अथवा हम उन्हें मुख्यधारा में किस प्रकार लाएंगे। बहुत लोग जेलों में बन्द हैं उसमें से कईयों को यह भी पता नहीं है कि वे जेलों में क्यों बन्द हैं। मेरे मंत्री पद काल के दौरान मैंने हर प्रकार से कोशिश की थी कि 24 घन्टों के भीतर हम उन्हें यह बता सकें कि उन्हें क्यों बंद किया गया है अथवा 48 घण्टों के भीतर हम उन्हें बता सकें कि उसके बाद हम क्या कार्यवाही करने लगे हैं। वह पारदर्शिता कुछ स्तरों पर काफी हद तक आई है लेकिन फिर भी वहां जेलों में लोग कैद किये हुए हैं हमने उन्हें छोड़ने का पूरा प्रयास किया लेकिन कुछ कानूनी अड़चने बीच में आ गई। हम इस प्रश्न का न्यायोचित उत्तर नहीं दे पाए। किसी ने कहा "मेरा बेटा पिछले तीन वर्ष से जेल में है उसका क्या कसूर है? उसने क्या किया है? श्री पायलेट कृपया हमें सरकार की तरफ से यह बताया जाए"।

कई मामलों में, मैं उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विषय में पूरी छानबीन करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन एक सूची बनाइए उसकी छानबीन कीजिए और अन्तिम निर्णय लीजिए कि इन बीस लोगों ने अपराध क्रिया है उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कानून उन्हें रिहा न कर दें। लेकिन वहां पर लोग हैं जिन पर मामला न्याय का है और कुछ कागजी कार्यवाही चल रही है और कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है। हमें उन्हें छोड़ना चाहिए ताकि वे राहत महसूस करें और वे एक नया जीवन आरम्भ कर सकें।

दो वर्ष पहले गवर्नर और प्रशासन ने एक योजना आरम्भ की थी। हम उन लोगों को पुनर्वास क़ेन्द्रों में प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं। कुछ लड़के 12 साल के कुछ 15 साल के थे उनमें से कुछ को तो यह भी पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। वे बाहरी ताकतों द्वारा गुमराह किए गए थे।

गरीबी भी एक कारण है गरीब परिवार से जवान लड़का अथवा लड़की इसका शिकार होते हैं। मैं एक ऐसी लड़की का मामला जानता हूं जो मुश्किल से 16 वर्ष की थी। मैं श्रीनगर के दौरे पर था अतिथि गृह में एक महिला रो रही थी "पायलट जी लगभग 10 दिन पहले मेरी बेटी का अपहरण किया गया था मैंने पूछा" उसकी कितनी उमर थी उसने जवाब दिया "वह 16 साल की थी" मुझे भी बुरा लगा। मैंने सीमा सुरक्षा बल के कम्पनी कमांडर को बुलाया और उनसे पूछा कि इनकी लड़की कहां है तो उसने मुझे बताया कि वह बाद में अलग से मुझे बताएगा। वह मुझे एक ओर लेकर गया और मुझे बताया कि वह घर नहीं जाना चाहती है और इसलिए वह एक कैम्प में बंदी है। तत्पश्चात् मैंने कहा कि वे उसे बी.एस.एफ. कैम्प में नहीं रख सकते। तब उसने मुझे पूरी बात बताई कि आतंकवादियों ने उसके भाई को अगवा किया और अन्त में उसे भी उठाकर ले गए। लेकिन वह उनसे भिड़ गई और वहां से भाग कर आ गई उसने कहा कि वह घर नहीं जा सकती क्योंकि वह उसे घर से फिर उठा कर ले जाएंगे। उसने यह भी बताया कि वह बन्दूक पकड़ना चाहती है और उन्हें उसका सम्मान व इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए सबक सिखाना चाहती है। इसके बाद मैं उसे दिल्ली लाया और उसे सी.आर.पी. में भर्ती कराया। अब वह सी.आर.पी. में एक सिपाही है। अत: ऐसे मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। यह लड़की आंतकवादियों के कैम्प से भाग गई थी और सी.आर.पी. के पद पर तैनात हुई। यदि उसने आतंकवाद को अपनाया होता तो उसका कैरियर ख़राब हो गया होता। लेकिन वह अपने पथ पर डटी रही और आज उसका कैरियर शान्तिपूर्वक है। इसलिए हमें स्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सरल नहीं है कि आतंकवादी इधर पकड़ा गया अथवा जाल में फंस गया हर व्यक्ति आतंकवादी हो। हमें उनको अपनाना चाहिए। इसी तरीके से कश्मीर में शान्ति स्थापित की जा सकती है।

हमने कहा था कि हमारी पार्टी कश्मीर में शान्तिपूर्वक चुनाव कराना चाहती है। ऐसा मालूम किया जा रहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। यह भय पिछले 6-7 सालों से लोगों के मनों पर छाया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि चुनाव का एक दौर पूरा हो गया है यह दौर हर प्रकार से शान्तिपूर्वक स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ था। हमें विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। पूरी दुनिया कश्मीर के चुनाव को देख रही है सबकी नजरें भारत पर हैं। वे ताकतें जो कहती थी, कि भारत प्रजातन्त्र नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में प्रजातन्त्र हो, वे जेनेवा में यू.एन.ओ. कन्वेंशन और अन्य स्थानों पर विश्व को गुमराह कर रहा था। अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भारतीयों ने यह साबित कर दिया है भारत सरकार ने साबित कर दिया है और जम्मू कश्मीर की जनता ने साबित कर दिया है कि हम लोकतंत्र चाहते हैं और लोकतंत्र में हमारी आस्था है। वह यह बात अगले दो दौरे के चुनावों में भी मतदान से व्यक्त कर देंगे। अत: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह प्रबन्धों में कोई ढील न दें क्योंकि पहले दौर में 53 प्रतिशत मतदान हुआ है। इस पर हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए।

जहां तक स्वायत्तता का सम्बन्ध है, हर पार्टी की राय भिन्न हो सकती हैं। जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो हमारी राय थी कि राज्य में किस स्वायत्तता के बारे में चर्चा की जा सकती है और स्वायत्तता अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग हो सकती है। हर राज्य की समान स्वायत्तता नहीं होती है और न ही वह फार्मूला लागू हो सकता है जिसकी चर्चा जगमोहन ने की हैं कि 73,000 लोग जम्मू में है और घाटी में कम लोग हैं यदि आप लक्षद्वीप जाते है तो यह आप पायेंगे कि 40000 से 50000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व एक संसद सदस्य करता है और अंडमान निकोबार में एक लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता है।

सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया गया और सौभाग्य से गृह मंत्री ने उसका खण्डन किया हम राज्य के तीन क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर घाटी के लिए संयुक्त रूप से स्वायत्तता देना चाहते थे। हम भी राज्य के किसी प्रकार के विभाजन के विरुद्ध हैं। हम तीन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग स्वायत्तता नहीं चाहते। यह शक्तिशाली देशों की नीति है, जो निश्चित रूप से विभाजन चाहते हैं और जो घाटी के लिए अलग स्वायत्तता चाहते हैं, लद्दाख के लिए अलग राज्य चाहते हैं और जम्मू के लिए अलग राज्य चाहते हैं। हम संयुक्त स्वायत्तता चाहते हैं और इसीलिए हमने कहा है कि हम निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि वे यह स्वायत्तता किस तरीके से चाहते हैं ताकि राज्य के लोग यह महसूस न करें कि वे उतनी स्वायत्तता से जो केन्द्र उन्हें नकार रहा है, अधिक संपन्न हो सकते हैं। हम उस स्वायत्तता को नकारने में सहभागी नहीं बनना चाहते हैं। हम खुला दृष्टिकोण रखना चाहते हैं और संविधान के भीतर जिसकी अनुमति है, उसी की अनुमति देना चाहते हैं। यह समझौते तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा सभा से उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करने का अनुरोध है, जो यह कहते रहे हैं कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए उन्हें स्वायत्तता मिलनी चाहिये। हम किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह प्रशासनिक हो अथवा सांस्कृतिक, लेकिन यह संविधान की सीमाओं में होनी चाहिये और जम्मू और कश्मीर के लिए एक संपूर्ण इकाई के रूप में होनी चाहिए। हमें कभी भी बंटवारे के लिए जैसे लद्दाख के लिए अलग स्वायत्तता, कश्मीर क्षेत्र के लिए अलग स्वायत्तता और जम्मू के लिए अलग स्वायत्तता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा क्योंकि कुछ शक्तियां यह चाहती हैं। हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिये।

अंत में, मुझे इस बात की खुशी है कि आबंटन काफी अच्छा किया गया है। लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने केवल एक वाक्य में कहा कि वर्ष 1996 के लिए किया गया आबंटन वर्ष 1995-96 की मूल योजना अर्थात् 1050 करोड़ रुपये, जो वर्ष 1995 के लिए भी था, के अनुसार किया गया है। जैसा कि मैंने कहा है, राज्य को बहुत खराब मौसम का सामना करना पड़ा है। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं और सेना की सहायता से मुख्य नदी पर बनाये गये पुलों को छोड़कर वहां पुल नहीं हैं। उग्रवादियों ने सचमुच राज्य को तबाह कर दिया है।

अतः, मेरा अनुरोध है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आप खुले दिल से काम लें। यहां तक कि अगर आप अपने राज्य तमिलनाडु सहित कुछ अन्य राज्यों के बजट का कुछ अंश जम्मू और कश्मीर राज्य को देने के लिए कम करते हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; जम्मू और कश्मीर राज्य को इसकी आवश्यकता है और वास्तव में उन्हें इसकी आवश्यकता है क्योंकि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करके उन्होंने देश के सम्मान को बनाये रखा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): उपाध्यक्ष जी, कश्मीर में चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़े दिन बाद जो सरकार बनेगी, वह अपना बजट बनाएगी। मैंने पहले सोचा था कि जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन कर दूं और यूनाइटिड फ्रन्ट सरकार जो चुनाव करा रही है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उसकी टैकल कर रहे हैं, इन दोनों को बधाई देकर अपना भाषण समाप्त करूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है।

कश्मीर के बारे में चर्चा करनें के पहले मैं एक बात कहूं कि इस सदन में उस तरफ और इस तरफ उत्तराखंड, झारखंड की जो मांग करते थे, यह बराबर कहा करते थे कि मुझ पर न्याय नहीं हो रहा है। हमें भी कश्मीर के रास्ते पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो रहा है जो न्याय नहीं हो रहा है, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे। यह बात इधर से भी और उधर से भी मैंने सुनी। मैं उसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि भारत में कौन सा पहाड़ी एरिया है जहां के लोगों के केन्द्र सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। नोर्थ ईस्टर्न रीजन से शुरू करके कश्मीर तक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम लोग समझते हैं कि मुझ पर न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। हर जगह के लोगों के दिल में यही भावना हैं और हम लोगों ने इस भावना की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की और इसलिए आज कश्मीर में ही नहीं, आज उत्तराखंड, झारखंड का भी सवाल आ रहा है। मैं नई सरकार से आग्रह

करूंगा कि थोड़ी गहराई से सोचें और देखें कि जख्म कहां पर हैं। बी.जे.पी. के माननीय सदस्य ने सवाल उठाया। हालत कुछ ऐसी है कि जो हम नहीं चाहते हैं, वह चीज भी करनी पड़ रही है। जो कानून नहीं मानता है, उसके लिए कानून में भी नबदीली लानी पड़ती है। मैं अगर दिल्ली में रहूं तो क्या अपना वोट दे सकता हूं? क्या मेरे लिए छूट है? लेकिन कश्मीर की हालत यह है कि जो कश्मीर से पंडित बाहर उजड़े हुए हैं, उनके लिए भी पोस्टल वोट एलाऊ करना जरूरी हो गया। हालत की मजबूरी है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। 370 के बारे में जो सवाल उठ रहा है और उन्होंने बताया कि जो वेस्ट बंगाल के लोग मैक्सिमम रीजनल ऑटोनिमी की बात कर रहे हैं, रीजनल ऑटोनिमी की बात हम नहीं कहते अगर संविधान में यह बात नहीं होती। संविधान में यह बात है और इसलिए इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन इसके पहले केन्द्र सरकार का रवैया यह था कि कोई भी नाखुश हो, किसी के भी दिल में घाव रहा हो, वह अगर आवाज उठाए तो उन्हें एक स्टेट दे दो। असम के सात टुकड़े कर दिए। यू.पी. के टुकड़े की बात एलान हो चुकी है। झारखंड अपना अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और उधर से कश्मीर के छोटे-छोटे टुकड़े करने के बारे में जिस तरह से कहा गया, न जाने यह आवाज आए दिन एक नए राज्य की आवाज न बन जाए। रीजनल ऑटोनिमी की बात संविधान में है।

इसलिए हम कहते हैं कि उन्हें रिजनल ऑटोनिमी दी जाए। दूसरी बात यह है कि जब तक आर्टिकल 370 है तब तक वहां के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे किस लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि बगल में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान के कब्जे में जो पाक आकुपाइड कश्मीर है जिनको वे आजाद कश्मीर कहते हैं वे पाक आकुपाइड कश्मीर के लोग इन्हीं के रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहां के लोगों को कितना डेमोक्रेटिक राइट मिल रहा है, वह देख रहे हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, यह इनकी नजर में है। इंडिया के साथ जो कश्मीर है उनको डेमोक्रेटिक राइट है और पाक आकुपाइड कश्मीर में कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। जब तक कश्मीर का यह सुरक्षा कवच आर्टीकल 370 रहेगा तब तक उनके दिल में यह भावना रहेगी, हम एक साथ रहेंगे और इसलिए यह मेरा अपना डेमोक्रेटिक राइट है। कुछ लोग बिगड़े हुए हैं, कुछ गुमराह हुए हैं और वहां के कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ हैं, यह सही बात है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के साथ हैं और भारत के साथ रहना चाहते हैं।

महोदय, आपने डेवलपमेंट की बात कही। कश्मीर में बहुत ज्यादा पैसा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा यह कहना है कि आपको कश्मीर के बारे में मुझ से ज्यादा जानकारी है। क्या गांवों में कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल है, कश्मीर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है यूनिवर्सिटी तक एजूकेशन फ्री है। श्रीनगर में कहां है? गांव में तो प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। मदरसा है और जहां मदरसा रहेगा, जहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी वहां फंडामेंटलिस्ट शक्ति आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर में सबसे ज्यादा आमदनी टूरिस्ट से होती है। वहां के लोग बहुत गरीब हैं, वहां के लोगों का कैसे शोषण हो रहा है। मैं 1989 में वहां गया था, वहां सौ रुपए किलो अखरोट खरीदने वाला कोई नहीं था। इस तरह से शोषण हो रहा है। यहां से जो पैसा गया उसे तो सरकार खा गई, यह सच बात है लेकिन जहां टूरिज्म सबसे बड़ा आमदनी का रास्ता है वहां हमारी केन्द्रीय सरकार ने आज तक रेल की पटरी तक नहीं बिछाई। अगर वहां रेल की पटरी हो जाती तो शायद यह नौबत न आती। अमरनाथ यात्रा के बाद इस बार यह बहुत बड़ा हादसा हो गया। सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी बहुत हलचल इसके लिए मची।

महोदय, आजादी के 50 साल बाद भी क्या अमरनाथ तक एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता था? जब शिमला में बन सकता है तो वहां क्यों नहीं बन सकता है। वहां लोग टूरिज़म के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। आपको वहां टूरिस्ट के लिए जो सहूलियतें देनी चाहिए वे आप नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार तो चोरी कर रही है, इस बात को आप छोड़िए। क्या केन्द्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्यों नहीं किया गया?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जगमोहन जी को याद होगा कि कश्मीर के हालात कब बिगड़े। कश्मीर में हालात के बिगड़ने के संकेत तो जरूर थे। जब केन्द्रीय सरकार गुल मोहम्मद खान को लाई तब से ही गड़बड़ शुरू हुई। जैसे ऑपरेशन ब्लू-स्टार के बाद पंजाब के हालत खराब हुए थे। वहां पर 1989 में भारत का राष्ट्रीय झंडा जलाया गया और अनाज आना बंद हो गया। पाकिस्तान से वहां पर केवल आर्म्स ही नहीं आते थे बल्कि अनाज भी आता था। आज पंजाब में अनाज जा रहा है, सप्लाई लाइन सही हो गयी हैं। पंजाब में मिलिटेंट की संख्या बहुत कम हो गयी और हालत सुधर गए हैं।

धारा 370 के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है लेकिन धारा 371 के बारे में वे नहीं कह रहे हैं। अगर नार्थ-ईस्ट रीजन में धारा 371 के रहने पर आपको कोई एतराज नहीं है तो कश्मीर में धारा 370 के बारे में आपको एतराज क्यों है। आप कुछ देर के लिए सोचिए। यह भी उत्तराखंड की तरह पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड में क्या सवाल था? ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन का सवाल था। केन्द्रीय सरकार वहां पर अगर ईमानदारी के साथ कोशिश करती तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता था। अब यह मसला सुलझा तो नहीं लेकिन उलझ जरूर गया है। आज अलग-

अलग राज्यों की मांग हो रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले को रोकने की कोशिश कीजिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कश्मीर में चुनाव हो रहा है और नयी सरकार कौनसी होगी यह तो बक्से में बंद है। नयी सरकार जो भी होगी उसके सामने कुछ संवेदनशील जिम्मेदारियां होंगी। आज मैं इस बात को उठा रहा हूं। इस बात को हम मानते हैं कि कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन किसने उनको तोड़ा? इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कश्मीरी पंडित वहां से आ गये और मंदिरों में भी पुजारी नहीं रह गए थे। मिलिटेंटों को छिपने के लिए इससे अच्छा स्थान दूसरा नहीं हो सकता था। मिलिटेंटों को वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन वहां हुए उनसे कुछ न कुछ तो मंदिरों का नुकसान हुआ ही होगा। चरारे शरीफ में भी मिलिटेंट छिपे थे। मिलिटेंटों को छिपने के लिए उससे अच्छा स्थान नहीं मिल सकता था। चरारे शरीफ से मिलिटेंटों को निकालने के लिए मिलिटरी ने गोलाबारी की।

आज नयी सरकार के सामने जो जिम्मेदारियां हैं उनमें से एक मंदिरों को बनाने के लिए पैसा देने की है। दूसरे, जो कश्मीरी पंडित देश के दूसरे हिस्सों में इधर-उधर भटक रहे हैं, जो रिफ्यूजी हो गए हैं उन्हें समझा-बुझाकर वापिस कश्मीर ले जाना होगा। यह जरूर है कि कश्मीरी पंडितों के दुश्मन कुछ मिलिटेंट हैं लेकिन आम जनता उनकी दुश्मन नहीं है। वहां की जनता ने अमरनाथ यात्रियों की जिस प्रकार से सहायता की उससे भी यह बात साफ हो गयी है।

अपराह्न 5.00 बजे

यात्रियों की मदद की। इससे यह बात साबित हो जाती है कि वहां की आम जनता और कश्मीरी पंडित के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। एक बात बार-बार कही जाती है कि इसमें विदेशी हाथ या पाकिस्तान का हाथ है वगैरः वगैरः। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उसको यह बुरा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं एक बात-इस बारे में यही कहूंगा कि यदि घर का बच्चा ही बिगड़ा हुआ हो तो उसे कौन संभालेगा। इसलिये बच्चे को संभाल लो वह आपको संभाल लेगा। यह बात 1947 में साबित हो चुकी है। जब उस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था तो कश्मीर के मुसलमानों और हिन्दुओं ने कश्मीर को बचाया था। यही वातावरण हमें बनाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहूंगा कि 1947 के पहले जिन्नाह वहां गये। उनका एक ही मकसद था कि कश्मीर के सभी मुसलमान पाकिस्तान के साथ हो जायें। समझाने की कोशिश करने के लिये गये। शायद श्री जगमोहन जी को याद होगा कि एक मकबूल शेरवानी ने जिन्नाह से कह दिया था: "कश्मीरी हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी जिन्दाबाद" और जब पाकिस्तान ने बारामूला में आप्रेशन के लिये फौज भेजी तो मकबूल शेरवानी को पकड़ने के बाद फिर से उसे पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने के लिये बोला लेकिन उसने फिर कहा कि कश्मीरी हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी जिन्दाबाद। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके सीने में बुलेट्स उतार दी गयी। अब न वहां राज्य सरकार है और न कोई केन्द्र सरकार है। मैं चाहता हूं कि जहां मकबूल शेरवानी शहीद हुये, बारामूला में एक मैमोरियल बना दें, कितना खर्च होगा। ऐसा करने से हीलिंग टच होगा। जिसने इस देश के लिये अपनी कुर्बानी दी, आजादी के 50 साल के बाद तो कम से कम उसे इज्जत दे दो। जिन्होंने देश के लिये अपनी जान दी, कुर्बानी की उसे आप पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न देते हैं लेकिन ऐसे आदमी के लिये कुछ तो सोचिये। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कश्मीर की हालत सुधर रही है। कश्मीर हमारा रहा है, हमारा है और हमारा रहेगा। यदि पाकिस्तान घुसपैठ करके दुश्मनी पैदा करेगा और हमारे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो दिल्ली की फौज की जरूरत नहीं होगी, यह तो वहां के लोग ही आपस में यूनिटी पैदा करके कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया, उसके लिये आभारी हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और प्रश्न पूछू, मैं कश्मीर की जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए बधाई देना चाहती हूं। मैं भारत सरकार को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाएं ताकि वहां पर उपयुक्त रूप से चुनाव कराए जा सकें। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर के अगले बजट पर इस सभा में वाद-विवाद नहीं होगा। पिछले नौ वर्षों से हम यह व्यर्थ का कार्य कर रहे थे।

अगले वर्ष, स्थिति भिन्न होगी। मुझे यह भी खुशी है कि संशोधित बजट की तुलना में आबंटन अधिक है। यह कश्मीर के लिए आवश्यक है। मैं आबंटन संबंधी ब्यौरों के बारे में कहना नहीं चाहूंगी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि सड़कों और पुलों जैसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आबंटन को काफी बढ़ाया गया है।

अब मैं कश्मीर की स्थिति, कश्मीर राज्य को स्वायत्तता देने और भारतीय मार्क्सवादी पार्टी द्वारा अपनाए गए रुख के बारे में कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि कुछ दिनों पहले कश्मीर राज्य और इसके क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के संबंध में हमारी पार्टी द्वारा व्यक्त किए गए मत पर गलतफहमी और गलत बयानी की गयी थी। अतः मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम संविधान के अनुच्छेद

370 के अनुसार कश्मीर को स्वायत्तता देना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है और यह स्वायत्तता देनी ही होगी। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। कश्मीर का अपना स्वयं का इतिहास यह बतलाता है कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत समझौता हो जाने के बाद जैसा कि पहले भी कहा गया है कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। अत: इस समझौते का आदर किया जाना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों के संबंध में हमारा समग्र दृष्टिकोण यह है कि जिसे मैं नीचे उद्धृत करने जा रही हूं।

"जम्मू -कश्मीर के संबंध में भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के दृष्टिकोण से हर कोई भली-भांति परिचित है"

मैंने यह पहली बात कही है ".....किसी प्रकार की गलतफहमी को स्पष्ट करते हुए मैं यह दोहराना चाहूंगी कि भारतीय मार्क्सवादी पार्टी जम्मू-कश्मीर की अखण्डता का समर्थन करती है और इस पार्टी के लोग भारत के अभिन्न अंग हैं। कश्मीर का सीमांकन अथवा विभाजन धार्मिक आधार पर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संयुक्त मोर्चे के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया है कि हम राज्य के लोगों को अधिकाधिक स्वायत्तता देकर और संविधान के अनुच्छेद 370 का आदर करते हुए तथा लोगों की इच्छाओं की कदर करते हुए जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर हैं। राज्य विधान सभा जो आगामी चुनावों में निर्वाचित की जाएगी यदि वह उपयुक्त समझेगी तो वह तीनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के प्रश्न सहित अधिकतम स्वायत्तता के मसले पर विचार-विमर्श कर सकती है और तत्पश्चात् संसद इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लेगी।"

अत: कश्मीर की विधान सभा ने यह निर्णय लेना है कि वे तीनों क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का आदर करने और इन तीनों क्षेत्रों की अखण्डता को बनाये रखने संबंधी दोनों ही मामलों में क्या व्यवस्था करना चाहेगी।

मुझे विश्वास है कि कश्मीर के लोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने का लम्बा अनुभव प्राप्त है। अत: चुनावों के बाद विधान सभा इन सभी मुद्दों पर विचार करेगी और कश्मीर के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, चाहे वे किसी धर्म से संबंध रखते हों, के शांतिपूर्ण तरीके से रहने का कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकालेगी।

महोदय, अब अनुच्छेद 370 के बारे में श्री मसूदल हुसैन ने कहा है, यदि अनुच्छेद 371 संविधान में होता तो अनुच्छेद 370 के बारे में इतना रोष ही न होता जो वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण होता। कश्मीर के लोगों ने उस समय इस आधार पर बहुत ही सही निर्णय लिया था।

मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि समय कम है।

हम सभी यह आशा करते हैं कि सरकार बनने के बाद, सरकार उन सभी व्यक्तियों का ख्याल रखेगी जिन्हें कश्मीर से जाना पड़ा और उन सभी कश्मीरी लोगों को वापस लाने और उन्हें आवश्यक रोजगार मुहैया कराने में मदद करेगी ताकि लोगों को फिर से विद्रोह अथवा बगावत करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

मैं इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि कश्मीरी लोग स्वयं ही यह देखने के लिए सक्षम हैं कि पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इसके लिए किसी और की आवश्यकता ही न पड़े लेकिन आवश्यकता है हमारी सद्भावना की, आवश्यकता है हमारी देश भक्ति की और आवश्यकता है पूरे देश की अखण्डता के लिए हमारी भावनाओं की। मुझे विश्वास है कि हम कश्मीर के लोगों के लिए यह सब कुछ जुटा पाएंगे।

मैं अपनी बात एक घटना के साथ समाप्त करना चाहूंगी। भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के एक सदस्य, कामरेड रंजूर को उस समय कश्मीर से बाहर जाने के लिए कहा गया था जिस समय कश्मीर में बहुत अधिक विद्रोह की आग फैली हुई थी। उन्होंने कश्मीर से जाने से इंकार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी कब्र खोदी और यह भली-भांति जानते हुए एक दिन उग्रवादी उन्हें हलाल कर देंगे, वहां पर ही रहने का निर्णय किया। कामरेड रंजूर की हत्या कर दी गई। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब रंजूर की मृत्यु के पश्चात् हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर उस क्षेत्र में एक विशाल प्रदर्शन किया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हम सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोग आज भी कश्मीर के लोगों के साथ हैं और यदि हम इसी भावना से कश्मीर के लोगों के साथ रहे तो कश्मीर उन्नति के मार्ग पर चलेगा और भारत का अभिन्न अंग रहेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर भारत माता का मुकुट है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है और इसके लिए अभी जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस बजट को मैं समझता हूं कि वहां पर पहले ही चुनाव हो जाता और सरकार बन जाती और वही निर्वाचित सरकार पेश करती तो उत्तम रहता। लेकिन खैर देर आयद दुरुस्त आयद। इन दिनों जम्मू-कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहला दौर सम्पन्न हो चुका है और पाकिस्तानी गोलियों के साये में सीमावर्ती इलाकों के अंदर, वहां की साहसी जनता ने, कश्मीर के लोगों ने जिस उत्साह के साथ प्रथम मतदान के दौर

में भाग लिया, उसके लिए हम कश्मीर की जनता को विशेष बधाई देना चाहते हैं और यह आशा, अपेक्षा करते हैं कि भले ही आतंकवादी, कितने की छल-कपट से अपने सारे हथकंडे अपनायें या पाकिस्तान और आई.एस.आई के एजेन्ट कितने ही षड्यंत्र करने के प्रयास करें, लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता अपने भविष्य का निर्णय लोकतंत्र की प्रक्रिया के माध्यम से आने वाले दूसरे और तीसरे दौर के मतदान में भी पूरा करेगी। उसके बाद में अगर इस बजट को आपने अभी वर्ष भर का पूरा बना दिया है, अगर प्रारम्भिक प्रक्रिया जैसे लेखानुदान की प्रक्रिया होती है, वैसी कोई प्रक्रिया होती और उसके बाद में निर्वाचित विधान सभा कौन सी चीजों को प्राथमिकता प्रदान करती है, कौन सी चीजों को पहले महत्व प्रदान करना है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता तो ज्यादा उत्तम रहता। लेकिन जैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार बजट तो पास करना ही है। कश्मीर के बारे में अभी बहुत कुछ कहा गया। मैं समझता हूं कि धारा 370 के बारे में जो मेरे मित्रों ने चर्चा की है, तो धारा 370 तो समाप्त ही होनी चाहिए। ठीक है हमारी पार्टी या हम लोग कहते हैं कि किसी एक को खुश नहीं करना और सबके साथ न्याय करना इस देश के सभी वर्गों, सभी सम्प्रदायों, सभी धर्मों तथा सभी राज्यों को न्याय मिले और तुष्टीकरण की नीति किसी के प्रति नहीं अपनाई जानी चाहिए। अगर एक राज्य को हम, चाहे वह कोई भी राज्य हो, ठीक है संविधान के अंदर उस समय जब कश्मीर का विलीनीकरण हुआ, जैसा परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों के कारण हमें कुछ विशेष प्रावधान संविधान के अंदर करना पड़ा। लेकिन जब संविधान सभा में बहस हुई और उसके बाद ये राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन नेताओं से पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं कहा था कि धारा 370 तो जैसे पूंछ जो घिस जाती है, ऐसे ही धीरे-धीरे अपने आप ही घिस जायेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस धारा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भारत के अंदर कश्मीर का विलीनीकरण, जैसे और राज्यों का हुआ है वैसे ही हुआ है, लेकिन जब से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की सरकार आई है, इन लोगों ने तब से वहां के लोगों को स्वायत्तता का नारा फिर से प्रदान कर के एक नया बखेड़ा खड़ा किया है। स्वायत्तता के बारे में मंत्रियों, प्रधान मंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बीच में गुपचुप बातचीत हुई है या पहले आतंकवादियों के कुछ गिरोह जो वार्ता करना चाहते थे, उनसे स्वायत्तता के बारे में कुछ वार्तालाप हुआ है और वहां पर ऐसी चर्चा समाचारपत्रों में आई है कि 1952-53 की जो स्थिति थी, उसके अंदर वापस कश्मीर को लाया जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा करना कश्मीर और देश की जनता के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ करना होगा क्योंकि एक देश के दो निशान, एक देश के दो प्रधान और एक देश के दो विधान वाली स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

महोदय, आज जब से उत्तराखंड की घोषणा हुई है तब से गोरखालैंड, बोडोलैंड, तेलंगाना प्रदेश, विदर्भ प्रदेश, रुहेलखंड, छत्तीसगढ़ और न जाने और कौन-कौन से प्रदेशों की मांगें देश के अंदर आ गई हैं। अगर कश्मीर के अंदर धारा 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए, तो ठीक नहीं रहेगा। पंजाब के अंदर भी पहले भावना पैदा हुई कि वहां के लोगों को भी विशेष अधिकार दिए जाएं। नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर भी यह भावना पैदा हुई कि उनको विशेष अधिकार दिए जाएं क्योंकि वे सीमावर्ती प्रदेश हैं और उनकी विशेष परिस्थितियां हैं। धारा 370 के अधीन कश्मीर को जितनी स्वायत्तता पहले दी गई और बहुत कुछ सुविधाएं घोषित की गईं, लेकिन अब अगर पुनः 1952-53 की स्थिति के अंदर ले जाने का प्रयास किया गया, तो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने उस समय जो कश्मीर में परमिट व्यवस्था थी, वहां पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध थे, बज़ीर-ए-आज़म और सदन-ए-रियासत और वहां का झंडा अलग, वहां का विधान अलग उसके खिलाफ संघर्ष किया था। वहां पर स्थिति यह है कि भारत का राष्ट्रपति भी डाकघर खोलने के लिए जमीन नहीं ले सकता। विशेष प्रावधान हैं। वहां पर पाकिस्तान से आए हमारे शरणार्थी जो विभिन्न प्रदेशों में बसे, लेकिन जो कश्मीर में बसे उनको वहां की नागरिकता का अधिकार नहीं मिला वे भी अपने नाम से वहां पर इस धारा 370 के नाम पर जमीन नहीं ले सकते। कश्मीर में जो भी मनमानियां हुई और जितना भी प्रयास किया गया उसका परिणाम यह हुआ कि आज आतंकवाद हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जितना भी पैसा अनुदान के नाम पर वहां के लिए दिया, कश्मीर के उस समय के शासकों ने उसका दुरुपयोग किया, वह पैसा गलत लोगों के हाथों में चला गया और कई माध्यमों से ऐसी भी खबर आई है कि वह धन विदेशों को भी चला गया। उस पैसे से कश्मीर की जो गरीबी दूर होनी चाहिए थी, वहां का जो विकास होना चाहिए था, वहां जो सड़कें बननी चाहिए थीं, वहां पर छोटे उद्योगों को जो बढ़ावा मिलना चाहिए था वह नहीं हुआ। कश्मीर की केशर की क्यारियां और वहां कालीन बनाने वाले आल्हा दर्जे के कारीगर हैं और उनकी नुमाइशें जब देश के अंदर कहीं लगती हैं, तो वहां पर देखने और सामान खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। यदि वहां के छोटे-छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता तो मैं समझता हूं कि कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं होती। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहता हूं कि स्वायत्तता के नाम पर केवल घाटी के ही लोगों से जो बात की जाती है और जम्मू की या लद्दाख के लोगों की उपेक्षा की जाती वह भी उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 40-50 वर्ष के इतिहास के अंदर जम्मू कश्मीर के नाम पर कश्मीर घाटी को महत्ता प्रदान की जाती रही है और जम्मू तथा लेह लद्दाख की निरंतर उपेक्षा होती रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कश्मीर राज्य के तीनों भागों, कश्मीर घाटी, जम्मू तथा लेह-लद्दाख सबके प्रति एक सा व्यवहार रखना चाहिए। किसी के प्रति सौतेला व्यवहार या भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहां की आबादी के अनुसार विकास की जो योजनाएं हैं, उनको उन सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए और जहां पर आबादी कम हो, लंबा-चौड़ा क्षेत्र हो, वहां का भी विकास देश के अभिन्न अंग की तरह, अविभाज्य अंग की तरह करना चाहिए। वहां भी विकास की गंगा बहाने में लेशमात्र भी कसर होने की अनुभूति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक कश्मीर में या जम्मू में रहते हैं और जो अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार हैं, विशेषकर के डोडरा जिले के अंदर और उन स्थानों के अंदर जहां वे रहते हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां वे बार-बार कहते हैं कि हमें हथियार दिए जाएं ताकि हम आत्मरक्षा कर सकें, लेकिन अनेक बार इस सदन में भी इसका मांग किए जाने के बावजूद, राष्ट्रपति के शासन के बावजूद, आज तक केन्द्रीय सरकार ने उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। जो वहां के भूतपूर्व सैनिक हैं, जो वहां के निवासी है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और आतंकवादियों से रक्षा करना चाहते हैं या जिन्होंने ग्राम रक्षा समितियों का निर्माण किया है और अपने-अपने ग्राम की और अपने-अपने मोहल्लों की रक्षा करने में वे लगे रहना चाहते हैं, तो उनको इस काम के लिए हथियार दिए जाएं, लेकिन उनको हथियार नहीं दिए जाते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग देश भक्त हैं, जो लोग देश के प्रति वफादार हैं, जो लोग भूतपूर्व नागरिक हैं, जो सक्षम हैं, जो अपनी रक्षा अपने आप करने के लिए तैयार हैं और साथ में दूसरे लोगों की प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं और आतंकवाद से लोहा लेना चाहते हैं उन लोगों को शस्त्र या जो भी हथियार सहायता के लिए चाहिए, दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सेनाओं को खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। जो भी देश के दुश्मन हैं, जो भी आतंकवाद हैं, आतंकवादी तत्व हैं, जो देश के दुश्मनों के हाथों में खेलकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, मां-बहनों की इज्जत लूटने का दुस्साहस करते हैं, मंदिरों या मस्जिदों को तोड़कर या उनको आग की भेंट चढ़ाकर हजरत बल की पवित्रता को नष्ट करना चाहते हैं या अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को मारने की धमकी देते हैं, ऐसे विदेशों के हाथ में जो खेलने वाले लोग हैं, जो आतंकवाद फैलाने वाले आई.एस.आई. के एजेंट हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए सेना को, अर्द्ध सैनिक बलों को खुली छुट्टी मिलनी चाहिए।..(**व्यवधान**)

प्रिय रंजन दास मुंशी जी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज मानवाधिकार आयोग के नाम पर जो पीड़ित पक्ष बनकर आता है, उसकी तो सुनवाई होती है लेकिन जो सैनिक ड्यूटी पर है और उसके ऊपर 20-30 लोग आकर बम फेंककर चले जाते हैं, वे मौत के मुंह में जाने वाले हैं। अगर वह उस समय अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाता है या देश में तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध जो गोलिया चलाता है तो उसको बाद में कहते हैं कि उन्होंने बड़ा अत्याचार किया। उन्होंने इतने लोगों को मारा। इस संबंध में माननीय जगमोहन जी, हमारे माननीय साथी कश्मीर के अंदर राज्यपाल थे। उस समय उन्होंने व्यवस्था को संभालने और सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में कश्मीर का अमन और चैन पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए उन्होंने जो दूसरी घटनायें हुईं, उन घटनाओं के माध्यम से ऐसा वितंडावाद खड़ा किया और उसके बाद जैसी परिस्थिति पैदा हुई, वह आपके सामने है कि आज कश्मीर कैसे लोगों के हाथ में है। वह कहां चला गया है और कितने वर्षों के बाद वहां लोकतंत्र की हवा बही है। लोक सभा के चुनाव हुए हैं। वहां भी हुए। वहां के प्रतिनिधि यहां आये और यहां आकर वे देश के हर निर्णय के अंदर भाग लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वहां विधान सभा बन जायेगी, चुने हुए लोग आयेंगे। हमें पहले स्वायत्तता के नाम पर हमें सावधान रहना चाहिए। कश्मीर की विधानसभा में, ईश्वर न करें अगर ऐसे लोगों का बहुमत हो गया जो कह दें कि हिन्दुस्तान के साथ जो पहले विनीकरण किया गया है, उसको हम स्वीकार नहीं करते। हमारा तो विधान अलग है और हम वापिस उनके साथ मिलते हैं। उस समय हमारी क्या स्थिति हो जायेगी? मैं समझता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी लेकिन स्वायत्तता के नाम पर केवल अंधा समर्थन करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है इसलिये हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिये हम कहते हैं कि सदरे रियासत वाली बात और वजीरे आजम वाली बात जो हम भूल चुके हैं, उन बातों की तरफ फिर से जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा): अगर ऐसा हो जायेगा तो हम उसको डिजॉल्व कर देंगे। आप घबराइये मत।..(**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत: वह तो बाद की चीज है। इस सिलसिले में हमें पहले सावधान रहना चाहिए। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी और न ऐसी स्थिति आएगी। आग लगने के बाद कुंआ खोदने की नीति इस देश को आज जिस तरफ ले जा रही है, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। कश्मीर के बारे में जो

विदेशी दुष्प्रचार हो रहा है और पाकिस्तान हर मौके पर दुनिया के मंच पर हमारे खिलाफ प्रचार करता है कि भारत यह कर रहा है, इसके बारे में पाकिस्तानी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारत सरकार का भी दायित्व बन जाता है कि वह अपने दूतावासों के माध्यम से दुनिया के सामने सही स्थिति रखने का प्रयास करे।

आज कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवाद से लिप्त लोग हैं, उनके साथ बातचीत तभी की जाये जब वे भारत के संविधान के अन्तर्गत रहने और भारत के संविधान के अंदर जितने भी प्रावधान हैं, उन सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हों और उसके बाद अगर उनकी कोई समस्या है तो उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन देशकी अखंडता और देश की एकता के नाम पर मैं समझता हूं कि उनसे किसी प्रकार की सौदेबाजी करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

मान्यवर, कश्मीर के अंदर जो अर्द्ध सैन्य बल है, जो लोग आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं, ऐसे लोगों को, उनके परिजनों को सहायता देने की व्यवस्था भी विशेष रूप से की जानी चाहिए। वे तो बेकसूर होते हैं। कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई अपना धंधा कर रहा है, कोई शिकारा चला रहा है,, कोई और किसी काम में लगा हुआ है। ऐसे समय में उनके किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है या उनके परिवार के लोग मारे जाते हैं और बाद में उनको बिलखने को मजबूर हो जाना पड़ता है। ऐसे परिवारों को संरक्षण प्रदान करना और जो मर गए हैं, उनको उचित मुआवजा या उनके परिवार के लोगों को नौकरी वगैरह देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

कश्मीरी पंडित जिसकी संख्या तीन लाख है, श्रीनगर से अपना मकान छोड़कर जम्मू के अंदर, दिल्ली, चंडीगढ़ या अनेक स्थानों में रहने को मजबूर हैं। वे आज भी टैंटों में रह रहे हैं। उनको वह सहायता मिलनी चाहिए जो एक सामान्य परिवार को अपना भरण-पोषण करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए होती है। उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए और जो सारी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उन सुविधाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब इस बात का जवाब दें तो इस बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करें कि कश्मीर के वे पंडित शरणार्थी जो श्रीनगर से बिछुड़कर, अपना घर-बार छोड़कर लाखों की संख्या में आ गए हैं, जिनकी धरती ही बिछौना है, आसमान ही चादर है और जिनके बच्चे उधर-उधर टैंटों में पड़े हुए हैं वर्षा के समय, कड़ाके के ठंड में नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के बारे में, उनको सुरक्षा की गारंटी देने के बारे में यह सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उनको डाक द्वारा मतदान की सुविधा दी गई। आज के पेपर में और कल-परसों के समाचार पत्रों में आया है कि मतदान की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि विवश होकर पुन्नून कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के दूसरे जो संगठन हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई बात, हमारे हितों की बात या केन्द्रीय सरकार का कोई भी नेता कश्मीर के बारे में दूसरे नेताओं से बात करता है लेकिन हमसे कोई बात नहीं की जाती है। इसलिए हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। उनके अंदर यह जो भावना पैदा हो रही है, कैसे उनको मतदान में हिस्सेदार बनाया जाए, कैसे वे मतदान में सुविधापूर्वक भाग ले सकें, इसके लिए मतदान केन्द्र की स्थापना और मतदान प्रक्रिया को सरलीकरण करने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक लोग मतदान में भाग ले सकें।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं समाप्त कर रहा हूं।

इसके साथ-साथ आतंकवादियों ने जिन स्कूलों को तोड़ दिया है...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा एक निवेदन है कि आप बोलिए लेकिन बजट पर ही बोलिए, इधर-उधर की बात न कहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं बजट पर ही आ रहा हूं।..(**व्यवधान**)

श्री पी.आर. दासमुंशी: इस भाषण से आतंकवाद भाग जाएगा। ऐसा ही बोलना चाहिए।...(**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत: हम कश्मीर के बारे में प्रति वर्ष बजट पास करते रहे हैं। लेकिन बजट का पैसा सही हाथों के माध्यम से, सही तरीके, सही लोगों तक पहुंचे और वास्तव में वहां की कायापलट हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा अब तक कहा गया कि केन्द्रीय सरकार तो उन्मुक्त होकर अनुदान देती रही लेकिन उस अनुदान की राशि गलत हाथों में पहुंचती रही, भ्रष्टाचार के रूप में या लोगों के घरों में खर्च होती रही। परिणाम यह हुआ कि कश्मीर की गरीबी वैसी की वैसी रही और गरीबी से तंग आकर वहां के लोग आतंकवाद की राह पकड़ने पर विवश हुए। इसलिए जो केन्द्रीय अनुदान बहुत अधिक मात्रा में मंजूर किया जा रहा है, उसका तो हम समर्थन करते हैं, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है लेकिन वह सही खर्च होना चाहिए। जो स्कूल तोड़े गए हैं वहां आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं, शिक्षकों को मार दिया गया है। पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया था, उनका पुनरुद्धार किया जाए।...(**व्यवधान**) कश्मीर में जो यातायात की समस्या है, बारामूला की सड़क थोड़ी वर्षा होते ही या बर्फ पड़ते

ही एकदम बंद हो जाती है। परिणाम यह होता है कि सप्लाई लाइन बंद हो जाती है। बजट के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि सीमा सड़क संगठन या सेना का जो सड़क निर्माण कार्य हो, उनको यह काम सौंपकर कश्मीर को जोड़ने वाले, रेलवे लाइन तो जब बनेगी तब बनेगी, श्रीनगर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो बना है, उसके पैरलल अगर और कोई सड़क बन सकती हो या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती हो, जिससे सप्लाई लाइन निरन्तर बनी रहे, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास होने चाहिए।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री पी. आर दासमुंशी: आपका भाषण तो मिसाइल है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे उम्मीद है कि आप बजट तक ही महदूद रहेंगे।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर का एवान में पेश बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

जहां तक बजट एस्टीमेट 1996-97 का सवाल है, आपने लगभग 1000 करोड़ रुपये का डैफीसिट छोड़ा है। जिन हालात से हमारी स्टेट गुजर रही है, उससे मैं समझता हूं कि आप बजट प्रपोजल लास्ट ईयर के लेवल पर लाये हैं और उसके साथ सैण्ट्रल असिसटेंस हर एक सैक्टर में आपने बढ़ाया है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन बाद दरअसल यह है कि इसे सही ढंग से यूटीलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट में मिलिटेंसी की वजह से बजटरी सपोर्ट सैण्ट्रल गवर्नमेंट देती रही है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है।

अब पोलिटिकल प्रोसेस जम्मू-कश्मीर में शुरू हो चुका है और पहले फेज का इलैक्शन खत्म करके हम आपके सामने आप पहुंचे हैं। जो प्रोसेस आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। खुसूसी तौर पर वहां के गवर्नर जनरल कृष्णा राव ने जाती तौर पर इंटरैस्ट लेकर इलैक्शन के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में अरेंजमेंट किया और हर लिहाज से उन्होंने काफी इंटरैस्ट लिया। हालांकि बहुत ज्यादा पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिसमें मेरी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने उन्हें काफी क्रिटीसाइज भी किया है, लेकिन जहां तक लद्दाख के लोगों का सवाल है, मैं समझता हूं, उन्होंने इलैक्शन के लिए अच्छे इन्तजामात किये हैं।

अपराह्न 5.32 बजे

[श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए]

उससे पहले भी वहां के तरक्कियाती मामले में जो इंटरैस्ट उन्होंने लिया, उसके लिए हम लद्दाख के लोग उनके मशकूर हैं। न सिर्फ हम उनके मशकूर हैं, बल्कि वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, खासकर हायर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी कई सैक्टर्स में हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में मदद दी, उन्होंने एडवाइज दी, उसके लिए हम उनके मशकूर हैं।

कई सैक्टर्स में हमें शिकायत भी है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। कुछ पाइंट्स माननीय जगमोहन जी ने कश्मीर की पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में उठाये हैं, खासकर जो कुछ एम्पलाइज के बारे में उन्होंने कहा, उसमें मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं। एम्पलाइज ने पार्लियामेंटरी इलैक्शन के दौरान भी सरकार का साथ नहीं दिया और वह हड़ताल पर चले गये। उसके बाद जब चुनाव खत्म हुए तो सरकार ने उनके अगेन्स्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अब इस वक्त भी हजारों एम्पलाइज हड़ताल पर हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसे एम्पलाइज या तो नोकरी करें या उसको छोड़कर उनको पोलिटिक्स में आना चाहिए।

उन पर कोई नर्मी नहीं बरतनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सरकार चुनकर आए, इस पर उन्हें सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा नहीं तो आपको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज तक आप लोगों ने खुली छूट दी और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, पोलिटिकल सिचुएशन है, उसके लिए इन लोगों का बहुत हाथ रहा है। चूंकि सरकार ने अपनी कमजोरी समझी है या जो भी हो, उसके साथ हमेशा कम्प्रोमाइस करती आई है। मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जहां तक बजट का मसला है, जगमोहन जी ने नॉन प्लान और प्लान दोनों के लिए पर कैपिटा एक्सपेंडीचर के बारे में मेन्शन किया। मैं समझता हूं कि जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम इस समय स्टेट में है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि पर कैपिटा एक्सपेंडीचर बढ़ सकता है। मैं यही कहूंगा कि सरकार को देखना चाहिए कि एक्सपेंडीचर सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। आपको पर कैपिटा इंकम पर भी नज़र डालनी होगी। एक्सपेंडीचर तो वहां पर जरूर हुआ है, लेकिन पर कैपिटा एक्सपेंडीचर से प्रति इंडिविजुअल को कितना फायदा हुआ, इतना एक्सपेंडीचर वहां पर हुआ है, उसके हिसाब से प्रपोशनली लोगों को फायदा नहीं हुआ है।

वहां पर करप्शन काफी हद तक बढ़ गया है और हम उम्मीद

करते हैं कि नई सरकार जो भी बनेगी, उसको इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही राजेश पायलट जी ने भी जो प्वाइंट उठाए कि आने वाली सरकार के लिए फलैक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, मैं उनके सुझाव के साथ सहमत हूं। क्योंकि जो सरकार आएगी, वहां के नए चुने हुए जो मेम्बर्स आएंगे, उनके ख्यालात को, लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए आपको इसमें तबदीली लाने की फलैक्सिबिलिटी होनी चाहिए।

यहां पर जो ऑटोनिमी के बारे में सवाल उठाया, कई माननीय सदस्यों ने कहा, लद्दाख के प्रतिनिधि थे, वैसे अभी तक सरकार ने इससे पहले भी ग्रेटर आटोनोमी की बात करी है लेकिन यह स्पैल-आउट नहीं हुआ कि किस तरह से आटोनोमी होगी। जहां तक लद्दाख के लोगों का मसला है, जैसे कि यह बात करी जा रही है कि 1953 के पहले के पजेशन हम रेस्टोर करेंगे खासकर नेशनल फ्रन्ट के जो नेता हैं, अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में भी उन्होंने इस बातों का उल्लेख किया हैं। कोई भी जो 1953 की बात करें तो हम इसको अपोज करते हैं। तीनों रीजन्स के लोगों की जो भी डेलपमेंटल एक्टिविटीज हों, चाहे पोलिटिकल प्रॉब्लम्स हों, वे सही ढंग से हल नहीं हो पाई है। जहां तक 1953 के पजेशन का सवाल है, उसमें कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटरनल अफेयर्स के सिवा सारे विषय हमारे स्टेट के पास होंगे तो उस सूरत में हमें अच्छा इंसाफ नहीं मिलेगा।

कहावत है कि सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, इसलिए हमें इस बात पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करना होगा। धारा 353 की कोई भी पोजेशन की बात करे तो उसका हम विरोध करेंगे। इसके अलावा जहां तक हम ग्रेट ऑटोनोमी की बात करते हैं उसमें हम देखना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पष्ट विचार करना चाहिए कि आप क्या देना चाहते हैं। इसके अलावा जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है हम उसके भी शुक्रगुजार हैं कि उसने लद्दाख के लिए ऑटोनोमस हिल कौंसिल दी है। लेकिन उस कौंसिल का जहां तक सवाल है, बजट एलोकेशन है या कोई राजनैतिक समस्या है या वहां की कौंसिल के जो पॉवर्स है, वह हम समझते हैं कि जिस समझौते या समझ के साथ स्टेट ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी या फैसला हुआ था उसके मुताबिक जो एक्ट बना है उसमें जो अंडरस्टेंडिंग पहले हुई थी उसमें लैटर और स्प्रीट में जो कुछ होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। जो पॉवर देनी चाहिए थीं उनमें कई ऐसी हैं जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसलर का जो स्टेट्स है, उसके बारे में आज तक कोई डिसीजन नहीं दिया गया है, कुछ कहा नहीं गया है कि क्या पॉवर्स देनी चाहिए। यह अभी भी राज्य सरकार के पास पैंडिंग पड़ा है, जिस भावना से हमने स्वायत्तता हासिल की थी और जिस भावना से हम चाहते थे कि वहां की कठिनाइयों को हम हल करेंगे वे भी हल नहीं हो पा रही हैं। जो अंडरस्टेंडिंग बराबरी की हुई थी उसके मुताबिक अभी तक नहीं मिल पाया है। ऑटोनोमस कौंसिल देने के बाद भी हमने जो स्पेशल फंडिंग की डिमांड की थी कि एक समय एक ग्रांट देनी चाहिए जिससे कम से कम हम वहां साधनों का विकास कर सकें, संचार की समस्या को हल कर सकें तथा और भी कई इश्यूज हैं जिनकी हम काफी समय से मांग कर रहे थे वह भी पूरी नहीं हुई हैं। लोगों की जो समस्याएं है उनको हम हल करना चाहते थे लेकिन हमें शिकायत है कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे पिछले बजट में कोई फर्क नहीं है।

कारगिल सैक्टर में स्वायत्तता की बात भी चली थी। इसमें प्रोविजन है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी स्वायत्तता दी जाए। लेकिन कारगिल के लोगों ने खुद इसे नहीं माना है। हम उम्मीद करते हैं कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहां तक बजट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो आपने एक पैसे का भी फर्क नहीं रखा है। सैक्टर वाइस जब आप पैसे का बंटवारा करते हैं तो लेह में आपने कितना देना है, कारगिल में कितना देना है, जहां पर काउंसिल है उसे कितना देना है और जहां पर काउंसिल नहीं है वहां कितना देना है, उसके लिए एक पैसे का भी फर्क नहीं है। केन्द्र से जो भी पैसा आया है उसको आपने 50-50 करके डिवाइड किया है।

मैं समझता हूं कि यह नाइंसाफी है, सिस्टम के साथ भी नाइंसाफी है। क्योंकि अगर आप बजट पेश करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार करेंगे, न कि आप दोनों को बराबर कर देंगे। हमारी हमेशा से यह मांग रही है और आगे भी रहेगी।

महोदय, लद्दाख का एरिया 65 हजार स्क्वेयर कि.मी. है, जिसमें से सिर्फ 14 हजार स्क्वेयर कि.मी. कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। 50 हजार स्क्वेयर कि.मी. अकेला लेह डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर हमारी काउंसिल है। जब संचार की बात आती है तो हमें लम्बा रोड बनाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। जहां तक गरीबी का

सवाल है तो कारागल डिस्ट्रिक्ट म आपको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी आप बजट बनाएं तो आवश्यकता के अनुसार बनाएं। जिस राज्य की जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार बनाएं। हम नहीं चाहते आप पोलिटीकल बेस पर बजट बनाएं कि फलां एरिया में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं फलां एरिया में बुद्धिस्ट ज्यादा रहते हैं तो इनको बराबरी पर कर दो। हम आज तक इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

महोदय, अगर किसी सैक्टर में कृषि भूमि ज्यादा है तो वहां ज्यादा पैसा दे दो। अगर दूसरे सैक्टर में हार्टीकल्चर ज्यादा है तो वहां ज्यादा दे दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो ना बराबरी है उसको ठीक ढंग से स्टडी करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने वन टाइम ग्रांट मांगी थी। हम प्रधानमंत्री जी के मशकूर हैं कि उन्होंने लद्दाख रिज़न के लिए 16 करोड रुपए मंजूर किए। हमने कहा था कि हमें इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि काउंसिल नयी-नयी बनी है। हमें कुछ ज्यादा पैसे चाहिए तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उन्होंने बिलकुल बराबर करके दिए। जहां काउंसिल है वहां 8 करोड़ दिए और जहां काउंसिल नहीं है वहां भी 8 करोड़ दिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां का इंसाफ है? इसलिए हमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से शिकायत है। ये लोग हमेशा से नाबराबरी पैदा कर रहे हैं, हमेशा वहां पर आग लगाते हैं। ये लोग मदद के नाम पर लड़वाते हैं, रिज़न के नाम पर लड़वाते हैं। हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, केवल इंसाफ चाहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश माननीय वित्त मंत्री जी से यह है कि वे एक स्टडी ग्रुप बना दें, एक एक्पर्ट टीम बना कर वहां भेजें जो आवश्यकता के आधार पर एक प्लान बनाए और जो हमारी नयी काउंसिल बनी है उसके लिए वन टाइम इनफ्रास्ट्रक्चर या किसी एक्स्ट्रा ग्रांट्स की अगर जरूरत है तो उसे मिलनी चाहिए।

महोदय, जहां तक चुनावी कानून का संबंध है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रोविजिन्स है उसमें आप अभी कुछ चेंजिज़ लाए हैं। लेकिन इसमें एस.टी. का कहीं भी नाम नहीं है, उनके लिए कोई प्रविजन नहीं रखा गया है। एस.सी. के लिए प्रोविजन है लेकिन एस.टी. के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। चुनाव में नामांकन भरते समय 5000 रुपए सिक्युरिटी के देने होते हैं लेकिन एस.सी., एस.टी के लिए यह रकम 2500 रुपए है। हमारे पूरे एरिया में 98 प्रतिशत की आबादी एस.टी. की है लेकिन उनके लिए यह प्रोविजन नहीं है। हमें स्टेट वालों से शिकायत है, चाहे वह पोलिटिशियन्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हों, वह हमारे रिज़न के साथ हमेशा नाबराबरी का व्यवहार करते हैं।

आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे रिज़न में आबादी का ढांचा कुछ इस तरह का है कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम वहां पर बराबर हैं। जब भी पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आता है तो यह चुनाव कम्युनल लाइन पर टर्न लेता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज्यादा हैं और दूसरे में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के लिए जब भी डिलिमिटेशन होगी, यह चाहे सन् 2001 में हो या उससे पहले हो उसमें आपको चाहिए कि लद्दाख रिज़न के लिए दो अलग से कांस्टीट्यूएंसी होनी चाहिए। जब भी चुनाव आता है तो हमारे जो पुराने रिवाज रहे हैं, हिन्दू और मुस्लिम में जो भाईचारा रहा है उसको काफी ठेस लगती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। 1991 में उग्रवाद की वजह से जो जनगणना नहीं हुई थी वह जनगणना करवानी चाहिए। जब हम जनगणना के आधार पर अपना बजट बनाते हैं तो यह जरूरी है कि वहां पर एक स्पेशल जनगणना आप करवा दें। आज आप जनगणना पर बहस करते हैं और हमें जो कुछ भी मिलता है वह 1981 की जनगणना के आधार पर मिलता है, इसलिए हम घाटे में रहते हैं। इन चंद लफ्जों के साथ मैं माननीय चिदम्बरम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लिए आपने इस बार काफी फंड दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने जो धनराशि बढ़ायी है, वह कम लगती है क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से या सिक्यूरिटी प्राब्लम की वजह से पैसा चला जाता है। इसके साथ ही हजारों की तादाद में जो स्कूल्स और पुल जलाये गये हैं, उनको दुबारा बनाना होगा। इन सब पर काफी खर्च आयेगा। इसलिये मेरी गुज़ारिश है कि इस पर दुबारा विचार करें।

और अंत में एक बात और कहूंगा कि लद्दाख के रहने वाले लोगों के लिये आयकर में छूट 1988-89 स दी जाये। मैं माननीय चिदम्बर साहब को बताना चाहता हूं कि सारी डिटेल्स आपके नोटिस में ला चुके हैं। इसलिये रिक्वैस्ट करूंगा कि अगले पांच साल के लिये यह आयकर में छूट जारी रहनी चाहिये।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।

सभापति महोदय: मैं अगला स्पीकर बुलाने से पहले बता दूं कि इसके लिये एक घंटा निर्धारित था लेकिन अब तक एक घंटा 50 मिनट हो गये हैं। इसलिये समय का ध्यान रखियेगा। मि. हन्नान मौल्लाह।

شری پی۔ نمگیال (لدّاخ) : اپ ادھیکش مہودے۔ جموّں کشمیر کا ایوان میں پیش بجٹ کا سمرتھن کرنے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔

جہاں تک بجٹ ایسٹیمیٹ ۱۹۹۶-۹۷ کا سوال ہے آپ نے لگ بھگ ۱۰۰۰ کروڑ روپئے کا ڈیفیسٹ چھوڑا ہے۔ جن حالات سے ہماری اسٹیٹ گذر رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بجٹ پروپوزل لاسٹ ایئر کے لیول پر لائے ہیں اور اس کے ساتھ سینٹرل اسسٹینس ہر ایک سیکٹر میں آپ نے بڑھایا ہے میں آپ کو اس کے لئے دھنیواد دیتا ہوں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اسے صحیح ڈھنگ سے یوٹیلائیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاسٹ میں ملیٹینسی کی وجہ سے جو بھاری سپورٹ سینٹرل گورنمنٹ دیتی رہی ہے اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں ہوا ہے۔

اب پولیٹیکل پروسیس جموّں کشمیر میں شروع ہو چکا ہے اور پہلے فیز کا الیکشن ختم کرکے ہم آپ کے سامنے آ پہنچے ہیں۔ جو پروسیس آپ نے شروع کیا ہے اس کے لئے میں سرکار کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں۔ خصوصی طور پر وہاں کے گورنر جنرل کرشنا راؤ نے ذاتی طور پر انٹرسٹ لیکر الیکشن کے بارے میں اور سیکیورٹی کے بارے میں اریننجمنٹ کیا اور ہر لحاظ سے انہوں نے کافی انٹرسٹ لیا۔ حالانکہ بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جن میں میری اپنی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں انہوں نے انہیں کافی کریٹی سائز کیا ہے لیکن جہاں تک لدّاخ کے لوگوں کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے الیکشن کے لئے اچھے انتظامات کئے ہیں۔

اس سے پہلے بھی وہاں کے ترقیاتی معاملوں میں جو انٹرسٹ انہوں نے لیا اس کے لئے ہم لدّاخ کے لوگ ان کے مشکور ہیں۔ نہ صرف ہم ان کے مشکور ہیں بلکہ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے خاص ہائر لیول کے جو بیورو کریٹس ہیں انہوں نے بھی کئی سیکٹرز میں ہمارے پروگراموں میں ہماری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں مدد دی انہوں نے ایڈوائز دی اس کے لئے ہم ان کے مشکور ہیں۔

کئی سیکٹرز میں ہمیں شکایت بھی ہے وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کچھ پوائنٹس مانیئے جگموہن جی نے کشمیر کی پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں اٹھائے ہیں خاص کر جو کچھ ایمپلائیز کے بارے میں انہوں نے کہا اسمیں میں ان سے سہمتی پرکٹ کرتا ہوں۔ ایمپلائیز نے پارلیمنٹری الیکشن کے دوران بھی سرکار کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ہڑتال پر چلے گئے۔ اس کے بعد جب چناؤ ختم ہوئے تو سرکار نے ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب اس وقت بھی ہزاروں ایمپلائیز ہڑتال پر ہیں میں چاہوں گا کہ ایسے ایمپلائیز یا تو نوکری کریں یا اس کو چھوڑ کر ان کو پولیٹکس میں آنا چاہئے۔ ان پر کوئی نرمی نہیں برتنی چاہئے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی سرکار چن کر آئے اس پر انہیں سختی سے ایکشن لینا پڑیگا نہیں تو آپ کو سرکار چلانا مشکل ہو جائیگا۔ آج تک آپ لوگوں نے کھلی چھوٹ دی اور کشمیر میں جو ملیٹنسی ہے پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے لئے ان لوگوں کا بہت ہاتھ رہا ہے۔ چونکہ سرکار نے اپنی کمزوری سمجھی ہے یا جو بھی ہو ان کے ساتھ ہمیشہ کمپرومائز کرتی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھوشیہ میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہئے۔ جہاں تک بجٹ کا مسئلہ ہے جگموہن جی نے نان پلان اور پلان دونوں کے لئے پرکیپیٹا ایکسپینڈیچر کے بارے میں بھی مینشن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی پرابلم اس سمئے اسٹیٹ میں ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر بڑھ سکتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ سرکار کو دیکھنا چاہئے کہ ایکسپینڈیچر صحیح ڈھنگ سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو پر کیپیٹا انکم پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ ایکسپینڈیچر تو وہاں پر ضرور ہوا ہے لیکن پرکیپیٹا ایکسپینڈیچر سے پرتی انڈیویجول کو کتنا فائدہ ہوا اتنا ایکسپینڈیچر وہاں پر ہوا ہے اس کے حساب سے پرپورشنلی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔

وہاں پر کرپشن کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئی سرکار جو بھی بنیگی اس کو اس کی اور دھیان دینا پڑیگا۔ ساتھ ہی راجیش پائلٹ جی نے بھی جو پوائنٹس اٹھائے

اٹھائے کہ آنے والی سرکار کے لئے فلیکسیبلیٹی ملنی چاہئے میں ان کے سجھاؤ کے ساتھ سہمت ہوں - کیونکہ جو سرکار آئیگی وہاں کے چنے ہوئے جو ممبر آئینگے ان کے خیالات کو لوگوں کی آکانکشاؤں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس میں تبدیلی لانے کی فلیکسیبلیٹی ہونی چاہئے۔

یہاں پر جو آٹونومی کے بارے میں سوال اٹھایا گئی مادر نے سدسیوں نے کہا لدّاخ کے پرتیندھی نے جیسے ابھی تک سرکار نے اس سے پہلے بھی گریٹر آٹونومی کی بات کری ہے لیکن یہ اسپشٹ نہیں ہوا کہ کس طرح سے آٹونومی ہوگی - جہاں تک لدّاخ کے لوگوں کا مسئلہ ہے جیسے کہ یہ بات کری جارہی ہے کہ ۵۳ کے پہلے کی پوزیشن ہم ریسٹور کرینگے خاص کر نیشنل فرنٹ کے جو نیتا ہیں اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی انہوں نے ان باتوں کا بھی اُلیکھ کیا ہے - کوئی بھی جو ۵۳ کی بات کرے تو ہم اس کو اپوز کرتے ہیں - تینوں ریجنس کے لوگوں کی جو بھی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹیز ہوں چاہے پولیٹیکل پرابلمس ہوں وہ صحیح ہند سے حل نہیں ہو پاتی ہیں - جہاں تک ۵۳ کے پوزیشن کا سوال ہے اس میں کمیونیکیشن ڈیفینس اور ایکسٹرنل افیئرس کے سوا سارے وشئے ہمارے پاس ہوں تو اس صورت میں ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملیگا۔

کہاوت ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے - اس لئے ہمیں اس بات پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ جہاں ۵۳ کی کوئی بھی پوزیشن کی بات کرے تو اسکا ہم ورودھ کرینگے - اسکے علاوہ جہاں تک ہم گریٹر آٹونومی کی بات کرتے ہیں اس میں ہم دیکھنا چاہینگے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اسپشٹ وچار کرنا چاہئے کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں - اسکے علاوہ جہاں تک ہم کیندر سرکار کا سوال ہے ہم اسکے بھی شکر گذار ہیں کہ اس نے لدّاخ کے لئے آٹونومس ہل کاؤنسل بھی دی ہے - لیکن اس کاؤنسل کا جہاں تک سوال ہے ہیجمنٹ ایپلیکیشن ہے یا کوئی راجنیتک سمسیا ہے یا جو کاؤنسل کی پاور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جس سمجھوتے یا سمجھ کے ساتھ اسٹیٹ بیوروکریٹ کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوئی تھی یا فیصلہ ہوا تھا اسکے مطابق جو ایکٹ بنا ہے اس میں جو انڈراسٹینڈنگ پہلے ہوئی تھی اس میں لیٹر اور اسپرٹ میں جو کچھ ہونا

چاہئے تھا وہ نہیں ہوا ہے ۔ جو پاور دینی چاہئے تھی ان میں کئی ایسی ہیں جن پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ۔ مثال کے طور پر چیف ایگزیکیوٹیو کاؤنسلر کا جو اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی ڈسیزن نہیں دیا گیا ہے کچھ کہا نہیں گیا ہے کہ کیا پاورس دینی چاہئے ۔ یہ ابھی بھی راجیہ سرکار کے پاس پینڈنگ پڑا ہے جس بھاونا سے ہم نے سوائتہ حاصل کی تھی اور جس بھاونا سے ہم چاہتے تھے کہ وہاں کی کٹھنائیوں کو ہم حل کریں گے وہ بھی حل نہیں ہو پا رہی ہیں ۔ جو انڈراسٹینڈنگ برابری کی ہوئی تھی اسکے مطابق ابھی تک نہیں مل پایا ہے ۔ آٹونومس کاؤنسل دینے کے بعد بھی ہم نے جو اسپیشل فنڈنگ کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک سمئے ایک گرانٹ دینی چاہئے جس سے کم سے کم ہم وہاں سادھنوں کا وکاس کر سکیں سڑکوں کی سمسیا کو حل کر سکیں تھا اور بھی کئی ایشوز ہیں جن کی ہم کافی دنوں تک مانگ کر رہے تھے وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں ۔ لوگوں کی جو سمسیائیں ہیں ان کو ہم حل کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں شکایت ہے کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے پچھلے بجٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ۔

کارگل سیکٹر میں سوائتتا کی بات بھی چلی تھی اس میں پروویژن ہے کہ کارگل ڈسٹرکٹ کے لئے بھی سوائتتا دی جائے لیکن کارگل کے لوگوں نے خود اسے نہیں مانا ہے ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسے سویکار کریں گے لیکن جہاں تک بجٹ ڈسٹری بیوشنز کا سوال ہے تو آپ نے ایک پیسے کا بھی فرق نہیں رکھا ہے ۔ سیکٹر وائز جب آپ پیسہ کا بٹوارہ کرتے ہیں تو یہ میں آپ سے کتنا دینا ہے کارگل میں کتنا دینا ہے جہاں پر کاؤنسل ہے اسے کتنا دینا ہے اور جہاں پر کاؤنسل نہیں ہے وہاں پر کتنا دینا ہے اس کے لئے ایک پیسہ کا بھی فرق نہیں ہے کیندر سے جو بھی پیسہ آیا ہے اس کو آپ نے ۵۰-۵۰ کر کے ڈیوائڈ کیا ہے

میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا انصافی ہے سسٹم کے ساتھ نا انصافی ہے کیونکہ اگر آپ بجٹ پیش کریں گے تو آوشیکتا کے انوسار کریں گے تاکہ آپ دونوں کو برابر کر دیں گے ہماری ہمیشہ سے یہ مانگ رہی ہے اور آگے بھی رہیگی ۔

*

مہودے! لدّاخ کا ایریا ۶۵ ہزار اسکوائر کلومیٹر ہے جس میں سے صرف ۱۴ ہزار اسکوائر کلومیٹر کارگل ڈسٹرکٹ میں ہے۔ ۵۰ ہزار اسکوائر کلومیٹر اکیلا لیہہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر ہماری کاؤنسل ہے جب سنٹر کی بات آتی ہے تو ہمیں لمبا روڈ بنانے کے لئے زیادہ پیسہ چاہئیے۔ جہاں تک غریبی کا سوال ہے تو کارگل ڈسٹرکٹ میں آپ کو زیادہ پیسہ دینا چاہئیے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ بجٹ بنائیں تو آوشیکتا کے انوسار بنائیں۔ جمہوراجیہ کی جنتا کی آوشیکتا ہو اس کے انوسار بنائیں۔ ہم نہیں چاہتے آپ پولیٹیکل بیسس پر بجٹ بنائیں کہ فلاں ایریے میں مسلم زیادہ رہتے ہیں فلاں ایریے میں بدھسٹ زیادہ رہتے ہیں تو ان کو برابری پر کریں۔ ہم آج تک اس کا ورودھ کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔

مہودے! اگر کسی سیکٹر میں کرشی بحوس زیادہ ہے تو وہاں زیادہ پیسہ دیں۔ اگر دوسرے سیکٹر میں ہارٹیکلچر زیادہ ہے تو وہاں زیادہ دیں۔ میں آپ سے نویدن کروں گا کہ یہ جو نابرابری ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ون ٹائم گرانٹ مانگی تھی۔ ہم پردھان منتری جی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے لدّاخ ریجن کے لیے ۱۶ کروڑ روپئے منظور کیے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے۔ کیونکہ کاؤنسل نئی نئی بنی ہے۔ ہمیں کچھ زیادہ پیسہ چاہیے تو انہوں نے ۱۶ کروڑ روپیہ دیا لیکن انہوں نے بالکل برابر کر کے دیے۔ جہاں کاؤنسل ہے وہاں ۸ کروڑ دیے اور جہاں کاؤنسل نہیں ہے وہاں بھی ۸ کروڑ دیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس لیے ہمیں کیندر سرکار اور راجیہ سرکار دونوں سے شکایت ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے نابرابری پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ وہاں پر آگ لگواتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کے نام پر لڑواتے ہیں۔ ریجن کے نام پر لڑواتے ہیں۔ ہم لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیول انصاف چاہتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش مانیہ وِتّ منتری جی سے یہ ہے کہ وہ اسٹڈی گروپ بنا دیں۔ ایک ایکسپرٹ ٹیم بنا کر وہاں بھیجیں۔ جو آوشیکتا کے آدھار پر ایک پلان بنائے۔ اور جو ہماری نئی کاؤنسل بنی ہے اس کے لیے ون ٹائم انفرااسٹرکچر یا کسی ایکسٹرا گرانٹس کی اگر ضرورت ہے تو اسے ملنی چاہیے۔

مہودے- جہاں تک چناوی قانون کا سمبندھ ہے پیپل ریپریزینٹیشن ایکٹ میں جو پروویزن ہے اس میں آپ ابھی کچھ چیز لائے ہیں لیکن اس میں ایس ٹی کا کہیں بھی نام نہیں ہے- اس کے لیے کوئی پروویزن نہیں رکھا گیا ہے- ایس-سی کے لیے پروویزن ہے لیکن ایس-ٹی کے لیے بھی پروویزن ہونا چاہیے- چناؤ میں نامانکن بھرتے سمے ۵۰۰۰ روپئے سکیورٹی دینے ہوتے ہیں لیکن ایس سی ایس ٹی کے لیے یہ رقم ۲۵۰۰ روپئے ہے- ہمارے ہوئے ایریے میں ۱۸ پرتی شت کی آبادی ایس ٹی کی ہے لیکن ان کے لیے یہ پروویزن نہیں ہے- ہمیں اسٹیٹ والوں سے شکایت ہے چاہیے وہ پولیٹیشن ہوں یا بیوروکریٹس ہوں کہ ہمارے ریجن کے ساتھ ہمیشہ نابرابری کا بیوہار کرتے ہیں-

آخر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ریجن میں آبادی کا ڈھانچہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہندو اور مسلم وہاں پر برابر ہیں- جب بھی پارلیمنٹ کا چناؤ نزدیک آتا ہے تو یہ چناؤ کمیونل لائن کا روپ لیتا ہے کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ میں مسلم زیادہ ہیں اور دوسرے میں ہندو زیادہ ہیں- ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے جو ڈی لمیٹیشن ہوگی یہ چاہیے سنہ ۲۰۰۱ میں ہو چاہیے اس سے پہلے ہو اس میں آپ کو چاہیے کہ لداخ ریجن کے لیے الگ سے کانسٹی چیونسی ہونی بہت ضروری ہیں- آپ ہمارے ریجن کو شانتی میں رکھنا چاہتے ہیں- ہمارے جو پرانے رواج رہے ہیں ہندو اور مسلم میں جو بھائی چارہ رہا ہے اس میں کافی ٹھیس لگی ہے- جب بھی یہ پارلیمنٹ کا الیکشن آتا ہے- میرا سرکار سے انورودھ ہے کہ سرکار کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہاں کے لیے ۹۱ میں اگرواد کی وجہ سے جو جن گننا نہیں ہوئی تھی وہ جن گننا کروانی چاہیے- جب ہم جن گننا کے آدھار پر اپنا بجٹ بناتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ایک اسپیشل جن گننا آپ کروا دیں- آج آپ جن گننا پر بحث کرتے ہیں اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ۱۹۸۱ کی جن گننا کے آدھار پر ملتا ہے- اس لیے ہم گھاٹے میں رہتے ہیں اس لیے ان چند شبدوں کے ساتھ مانئے منتری جی کو دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لیے آپ نے اس بار کافی فنڈ دیا ہے-

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि जम्मू और कश्मीर के बजट पर इस सभा में यह अन्तिम चर्चा होगी। मैंने इस विषय पर अतीत में हुई सभी चर्चाओं में भाग लिया था। अत: इस अन्तिम चर्चा में आपकी अनुमति से मैं भाग लेना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कतिपय सहायता और प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि की है, जोकि केन्द्रीय सरकार ने यह बजट, नई निर्वाचित सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु तैयार किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि वे इसको किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे अथवा नई प्राथमिकताओं के अनुसार वे कुछ लचीलापन ला पायेंगे या नहीं। कुछ भी हो नई निर्वाचित सरकार के लिये पहले एक वर्ष में समस्यायें सामने आयेंगी। कुछ भी हो, कुछ सहायतायें जैसे विशेष रूप से लोक निर्माण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रोजगार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं विशेषकर आतंकवादियों द्वारा लम्बे समय तक उन्हें दिये गये उत्पीड़न के पश्चात और विदेशियों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की शय पर पाकिस्तान द्वारा वहां पर किये गये नुकसान और तबादी के परिप्रेक्ष्य में यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

इस स्थिति में मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह यह देखें कि केन्द्रीय सरकार इस बजट में धनराशि का दुरुपयोग न हो, जैसाकि अतीत में होता रहा है। हमने कश्मीर जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत की थी और हमेशा उन्होंने यह शिकायत की थी कि वहाँ पर धनराशि की लूट होती है और केन्द्रीय सरकार की ओर से जो धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है उसकी उन्हीं के अधिकारियों द्वारा लूट होती है। इसका मतलब यह है कि न केवल अतीत में धनराशि का बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के पास गया है परन्तु इसका एक बड़ा भाग भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा भी लूटा गया है। यह उनकी एक प्रमुख शिकायत है। सभापति महोदय, आप भी एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में वहाँ गये थे। आपको यह पता है कि लोगों ने किस बात की शिकायत की।

अब हमें यह भी देखना है कि इन सभी घटनाओं के बाद अब एक-एक पैसे का उचित रूप से उपयोग किया जाये। हमें निर्वाचित नई सरकार को आतंकवाद के पश्चात् पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के लिये सहायता करनी होगी।

केन्द्रीय सरकार ने कतिपय एक मुश्त कार्यक्रमों के बारे में घोषणा की है, जैसे सड़कों, रेल लाइनों का निर्माण आदि। और कुछ अन्य आश्वासन प्रधानमंत्री ने इस सभा में दिये हैं। इस बजट में उन एक मुश्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिये।

स्वायत्तता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यद्यपि हमने यह मांग की थी कि अधिकतम स्वायत्तता दी जानी चाहिये। इस सभा के कुछ वर्गों की ओर से कुछ आपत्तियां की गई थीं। जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही बताया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार को भी खुले दिमाग से उनके साथ वार्ता करनी चाहिये। और कोई समझौता करना चाहिये ताकि कश्मीर के लोग अपने राज्य का प्रशासन अपनी मर्जी से चला सकें। इस सम्बन्ध में भ्रम नहीं होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार की ओर से अथवा देश के अन्य किसी भाग से उनको कोई गलत संकेत नहीं दिये जाने चाहिये। अन्य अनेक समस्यायें हैं। चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं।...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार): बहुत प्रोबलम्बस हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप संक्षेप में कहें।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: अन्त में मुझे अनुच्छेद 370 के बारे में भी कुछ कहना है। लगातार चर्चा और अनुनय-विनय के बावजूद बार-बार दूसरे पक्ष के हमारे मित्र अनुच्छेद 370 का मामला उठाने पर बल दे रहे हैं जब सामान्य स्थिति आ रही है तो इससे केवल दुश्मनों को ही लाभ होगा।

कतिपय विशेष कारणों से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। कृपया अनुच्छेद 370 का मामला उठाने की बात को मत दोहराइये। देश, अपने उस भाग को वह सब देने को तैयार है, जोकि उसे देना चाहिये। ताकि भारत में कश्मीर का विलय अन्तिम रूप में हो सके। चुनावों में अपार जन समूह का भाग लेना यह सिद्ध करता है कि हमने सही निर्णय लिया है। विलय के अन्तिम रूप की प्रामाणिकता को अन्तत: विश्व समुदाय की नजरों में सिद्ध किया जायेगा और पाकिस्तान के झूठे प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया जायेगा।

मैं आशा करता हूँ कि इस चुनाव के बाद एक नई स्थिति उभरेगी। एक नया कश्मीर उभरेगा। कश्मीर सुन्दर है और वह सुन्दर हिस्सा देश का अभिन्न अंग है। यह और सुन्दर होगा; वह चहुमुखी विकास के साथ और विकसित होगा। हम सीमापार के अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पायेंगे। हम सभी षड्यंत्रों का भंडाफोड़ कर उन्हें नाकाम कर पायेंगे। एक नया कश्मीर उभर कर सामने आयेगा।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर): सभापति जी, समय बढ़ा रहे हैं क्या?

सभापति महोदय: आप बैठिए। अभी छ: नहीं बजे हैं। छ: बजने से पहले ही आपकी घड़ी छ: बजा देती है क्या?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर): धन्यवाद, महोदय। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं जम्मू और कश्मीर बजट पर संभवत: अन्तिम बार बोलने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमें इस विषय पर बोलने का कोई और अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आगे भविष्य में इस विषय पर जम्मू और कश्मीर विधानसभा में चर्चा होगी।...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, क्या मैं कल अपना भाषण जारी रखूं।

सभापति महोदय: जी हां, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 सितम्बर 1996/20 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।